(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] सप्तम विधान सभा के तृतीय सत्र का द्वितीय दिवस [संख्या 2

बुधवार,

16 सितम्बर, 1981

विधान सभा की बैठक म.पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री पूनम चन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न ।

(व्यवधान)

पहले मुझे पुकारने दीजिये ।

श्री देव दत्त ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर के रिक्त पद की पूर्ति

61. श्री देवदत्त तिवाड़ी (बाड़मेर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर में पिछले दो वर्षों से सी. एम. एच. ओ. का स्थान रिक्त पड़ा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त स्थान केवल एम.बी.बी.एस. सीनियर डॉक्टर्स के लिये ही सुरक्षित है और इस प्रकार के सीनियर डॉक्टर्स बाड़मेर जाने के लिये तैयार नहीं हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त स्थान पर किसी भी व्यक्ति को भेजने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री सी. एल. कंवरिया) :

(1) जी नहीं ।

(2) जी हां ।

(3) डॉ. ए. सी. मेहता, उप-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (प. क.) सिरोही से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर के पद पर दिनांक 4-1-81 के द्वारा पदस्थापित किया जा चुका है ।

श्री देव दत्त तिवाड़ी : अभी यहां कोई सी. एम. एच. ओ. पहुंचा नहीं है । मैं दूसरा प्रश्न यह पूछना चाहता हूं एम.बी.,बी.एस. डॉक्टर्स की पोस्टिंग्स में एनोमोलस पोजीशन होती है, क्योंकि दूसरे बड़े डाक्टर्स मौजूद हैं व उनके नीचे काम नहीं करना चाहते हैं । इसके लिये क्या कहना चाहते हैं ?

श्री **सी. एल. कंवरिया** : मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पद सीनियोरिटी के हिसाब से दिया जाता है। जिनको पद स्थापित किया है वे ही वहां जायेंगे। यह प्रमोशन पोस्ट है प्रमोशन के कारण जिन्हें पद स्थापित किया है अब वे वहां जोइन कर लेंगे।

श्री **देव दत्त तिवाड़ी** : वे वहां नहीं रहना चाहते हैं उनके नीचे।

श्री. **सी. एल. कंवरिया** : जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पद होता है वह सीनियर पद होता है। दूसरे जो अधिकारी होते हैं वे जूनियर पोस्ट के होते हैं इसलिये सीनियर पोस्ट पर सीनियर आदमी जायेगा।

श्री **ललित किशोर चतुर्वेदी** (कोटा): मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो पद स्थापन अभी किया गया है उसके पहले कितनी बार पद स्थापन किया गया है, किन-किन डॉक्टर्स का किया गया है और पद स्थापन के बाद वे वहां क्यों नहीं गये? अगर नहीं गये तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्री **सी. एल. कंवरिया** : इसके पहले लगभग एक साल से पद खाली थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी वहां लगे हुए थे उनका स्थानान्तरण अन्यत्र हो गया था।

श्री **ललित किशोर चतुर्वेदी** : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने कहा, एक साल से पद खाली पड़ा था। मैंने तो माननीय मंत्री महोदय से यह सवाल किया है कि एक साल से जो पद खाली था उस बीच में किसी का पद स्थापन किया गया था या नहीं? इनको छोड़कर और जो व्यक्ति नहीं गये, वे क्यों नहीं गये? नहीं जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गई? किसी को इस बीच पद स्थापित नहीं किया गया तो एक साल से इसे क्यों खाली रखा गया?

श्री **सी.एल. कंवरिया** : इस बीच में पद स्थापन नहीं किया गया था। जब प्रमोशन हुआ है तब उनको उस जगह भेजा गया है।

श्री **ललित किशोर चतुर्वेदी** : एक डिस्ट्रिक्ट में एक साल तक पद रिक्त रखने की कार्यवाही सरकार ने की, क्या आप उसको ठीक मानते है?

श्री **सी. एल. कंवरिया** : प्रमोशन होता है तो जहां पद रिक्त होता है वहां पहले भेजा जाता है। उनका प्रमोशन हुआ है इसलिये उनको इस पद पर भेजा गया है।

श्री **ललित किशोर चतुर्वेदी** : मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप जानकारी करें। वहां पहले भी पद स्थापन हुआ है, गवर्नमेंट के ऑर्डर हुए हैं लेकिन पद स्थापन पर वहां नहीं गये। इसलिये भी जो चर्चा कर रहे हैं कि प्रमोटेड व्यक्ति चला जायगा, अगर वह नहीं जायगा तो क्या उसके विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करेगी?

श्री **सी. एल. कंवरिया** : इनका पद स्थापन 4 सितम्बर को किया गया है। अब इस पद पर वे पहुंच जायेंगे, ऐसी आशा है।

श्री **अमरा राम चौधरी** (पचपदरा): मैं पूछना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले में ऐसे कितने हॉस्पिटल हैं जिनमें साल भर से अधिक समय से स्थान रिक्त पड़े हैं।

श्री **सी. एल. कंवरिया** : राजस्थान में ऐसे कई हास्पिटल हैं जिन में पद रिक्त हैं। इसका कारण यह है कि 500 डाक्टरों की कमी है। अब एडहॉक बेसिस पर 500 डाक्टरों की

(श्री सी.एल. कंवरिया)
नियुक्ति की जा रही है। वह इस साल में हो जायेगी और जहां-जहां पद रिक्त है वहां-वहां लगा दिये जायेंगे।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, आप हमारी रक्षा करें। मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि डेजर्ट इलाके में चाहे बाड़मेर हो या जैसलमेर हो.....

श्री अध्यक्ष : या जोधपुर हो।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : या जोधपुर हो, क्या आप उन्हें कनविन्स करने की कोशिश करते हैं कि जिनको पद-स्थापन किया गया है यदि वे वहां पर नहीं जाते हैं तो उनके विरुद्ध एक्शन लेंगे? मैं कहता हूं उनके लिये राजनैतिक दबाव आ जाता है और दबाव आने के बाद पदस्थापन कैन्सिल हो जाते हैं। राज्य सरकार देखती रहती हैं और उसके अभाव में बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर के लोग तड़पते रहते है।

श्री सी. एल. कंवरिया : अब जिनका पद स्थापन किया जा रहा है उनको देखेंगे कि वे जाते है या नहीं। अगर नहीं जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवर लाल शर्मा।

मैसर्स धौलपुर स्टोन कम्पनी, धौलपुर की लीज

62. श्री **भंवर लाल शर्मा** (हवा महल जयपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि मैसर्स धौलपुर स्टोन कम्पनी, धौलपुर की लीज राज्य सरकार द्वारा समाप्त कर दी गई थी? यदि हां, तो कब?

(2) क्या उक्त फर्म ने 200 वर्ग किलोमीटर खनिज क्षेत्र पर अभी भी आधिपत्य जमा रखा है?

(3) क्या उक्त फर्म अभी भी खनन कार्य कर रही है? यदि हां, तो किस आधार पर?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री प्रद्युम्न सिंह): (1) जी हां। तारीख 26-10-78 को लीज निरस्त कर दी गई थी।

(2) जी हां।

(3) जी हां। अपर जिला सत्र न्यायालय, धौलपुर की अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 31-10-80 के आधार अब भी कार्य कर रही है।

श्री भंवर लाल शर्मा : यह लीज कब ग्रान्ट की गई थी और स्टे कब तक का लिया गया?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो लीज थी वह 30-4-80 तक थी। 30-4-80 तक के लिये यह लीज पहले थी। इसको बीच में 26-10-78 को निरस्त कर दिया गया था कुछ आरोप लगाकर। उसके बाद वेरियस कोर्टस से समय-समय पर स्टे ऑर्डर आते रहे। यहां तक कि भारत सरकार के खनिज मंत्रालय द्वारा भी ऑर्डर जारी किये गये हैं व एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एण्ड सैशन जज के द्वारा किये गये हैं जिस आधार पर अब भी कार्य वहां चल रहा है।

श्री भंवर लाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत पूछना चाहूंगा कि क्या कोर्ट ने 30-4-80 के बाद एक्सटेन्शन दिया है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकर्ता वकील है, अच्छे वकील नामी वकील हैं। कोर्ट से स्टे ऑर्डर दिया गया है मामला.

(श्री प्रद्युम्न सिंह)
सब जुडिस है इसलिये खाली कराने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

एक माननीय सदस्य : लीज टर्म 30-4-80 तक थी तो क्या कोर्ट ने यह कहा है कि इसके बाद समाप्त कर दी जायगी ?

श्री प्रद्युम्न सिंह: मैं आप के सामने निवेदन करना चाहूंगा, लेटेस्ट आर्डर जो है वह 29-10-80 का है। कोर्ट ए.न्टेडटेम्प्रेरी इन्जेक्शन ऑन 31-10-80-यह कोर्ट ने दिया है, साफ लिखा है। यदि आप चाहें तो मैं उस ऑर्डर को भी पढ़ कर सुना दूं।

श्री भैरों सिंह शेखावत (नेता प्रतिपक्ष) : वह तो हम समझ गये.....

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप समझ गये हैं, यह तो ठीक है।

श्री राज बहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या नीति है ? क्या वह जाग्रत और जीवित रखना चाहती है ? अन्यथा जो मजदूर काम करते हैं उनको काम करने दिया जाय। यह एक राष्ट्रीय नीति है इसको कायम रखना है या फिर इसी को कायम रखना है जो वर्तमान में है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा, उसके बारे में निवेदन है कि कोर्ट से स्टे ऑर्डर लगा हुआ है उसके वेकेंट होने के पश्चात् ही कोई निर्णय लेने की स्थिति में सरकार आवेगी ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इस बात का कोई फैसला किया है कि कोर्ट ने जिस प्रश्न को लेकर स्टे ऑर्डर दिये गये हैं, उस प्रश्न में इस बात की पैरवी न की जाय कि जो एरिया धौलपुर में किसी प्रकार का कोई हो

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह सत्य नहीं है।

श्री भैरों सिंह शेखावत : क्या मन्त्री जी यह बताएंगे, सरकार की नीति है कि धौलपुर स्टोन का जो क्षेत्र कम किया गया है और जिसके विरोध में उस व्यक्ति ने जाकर धौलपुर अदालत से स्टे ऑर्डर के लिए दावा किया.....

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, निर्णय में लीज का क्षेत्र कम नहीं किया गया था। जनता पार्टी के शासन के दौरान इस लीज को निरस्त ही कर दिया गया था। राज्य सरकार ने उस लीज को निरस्त कर दिया था, उसके ऊपर विभिन्न न्यायालयों से समय-समय पर स्टे ऑर्डर आते रहे। उसके बाद राज्य सरकार ने निर्णय लिया था तो उसको भारत सरकार ने निरस्त कर दिया।

श्री भैरोंसिह शेखावत : यह प्रश्न का उत्तर नहीं है। प्रश्न सीधा सा है कि इस कम्पनी के पास जितना क्षेत्र है.....

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, आपने प्रश्न पूछा था कि लीज का एरिया कम कर दिया गया था। कम नहीं किया गया था, निरस्त कर दिया गया था टोटल एरिया। मैंने तो प्रश्न का ही उत्तर दिया है।

श्री राज बहादुर : राज्य सरकार इसके बेसिस पर जो स्टे आर्डर मिला है, उसको कन्टेस्ट कर रही है या एप्रूव करती है या ढ़ील की नीति है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : बराबर तारीख के ऊपर आफिसर जा रहे हैं, कन्टैस्ट हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : दोनों बातें हो सकती है, कन्टैस्ट भी हो सकता है।

श्री कैलाश मेघवाल ।

श्री कैलाश मेघवाल (अजमेर पूर्व) : पहला प्रश्न तो यह है, आप रिकार्ड देखकर बतायें कि लीज निरस्त होने के बाद लीज एरिया का सारा कब्जा डिपार्टमेन्ट के द्वारा लिया गया था। जब ले लिया गया था तो क्या किसी भी अदालत ने इस तरह के आदेश किये हैं कि जो एरिया कब्जे में ले लिया गया, उसको वापस रेस्टोर कर दिया जाय ? धौलपुर स्टोन कम्पनी के रिन्यूअल को लेकर क्या रिन्यू कर दिया गया या 30-4-80 के बाद कोई अधिकार कम्पनी का नहीं रहता ? न्यायालय ने यह बात बतायी है कि एग्रीमेंन्ट 30-4-80 तक का है और इसका रिन्यूअल नहीं करते तो इसका कोई अधिकार नहीं रहता ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : श्रीमन्, ये आपके मंत्रित्व काल के अन्दर ही हुआ था इसलिए आपको अधिक जानकारी है। अध्यक्ष महोदय, बात यही है कि एकतरफा कार्यवाही करके कब्जा ले लिया गया था, उसके बाद मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, बाड़ी ने इस बात के आदेश दिये कि इस तरह से जो डिस्पजेस नहीं किया गया, इनको खनन कार्य करने दिया जाय। इनको वापस करने दिया जाय। इनको रॉयल्टी बराबर जमा कराते रहना चाहिए। इसके आदेश मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, बाड़ी ने दिये, उसके तहत ही कार्य हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री कैलाश मेघवाल : मैंने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है कि....

श्री भैरों सिंह शेखावत : जो कब्जा स्टेट गवर्नमेन्ट का हो गया था, वह उनके पास कैसे चला गया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : खनन कार्य करने के आदेश मुन्सिफ मजिस्ट्रेट ने दिये थे ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कब्जा स्टेट गवर्नमेंन्ट ने ले लिया, वह कम्पनी के पास कैसे चला गया। कोई आॅर्डर किसी कोर्ट का है, न मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का और न एडिशनल मजिस्ट्रेट का फिर कैसे कब्जा दे दिया ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का आपरेटिव पोर्शन पढ़कर सुना दूं :–

"शासन के आदेश दिनांक 26-10-78 से व्यथित होकर फर्म ने एक दावा मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, धौलपुर के न्यायालय में दिनांक 2-11-78 को प्रस्तुत किया, न्यायालय ने दिनांक 4-11-78 को यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश दिये। दावा दिनांक 7-11-78 को न्यायालय मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, बाड़ी को स्थानान्तरित कर दिया गया। इस न्यायालय द्वारा भी पुनः यथास्थिति रखने के आदेश पारित किये गये। दिनांक 21-2-78 को मुन्सिफ, बाड़ी ने अपने आदेश का स्पष्टीकरण किया कि "जिस प्रकार प्रार्थीगण अपनी लीज के क्षेत्र में खनन का कार्य कर रहे थे, वे करते रहेंगे व रेन्ट एवं रॉयल्टी जमा कराते रहेंगे। उनके इस कार्य में गैर प्रार्थी कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे।" दिनांक 15-12-78 को मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, बाड़ी ने आदेश का पुनः स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि "खनन कार्य

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
से तात्पर्य प्रार्थी पक्ष को राज्य सरकार द्वारा दिये गये पट्टे के अनुसार खनन करने के कार्य से थे। इस पट्टे की पृष्ठ संख्या 2 के मद नम्बर 2-क में इस कार्य को उठा लिये जाने व बेचने की स्वतन्त्रता व शक्ति भी दी गई है। ये मैंने आपरेटिव पोर्शन पढ़ दिया। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार की क्या गलती थी, वे खुद खनन मन्त्री थे, इन्होंने क्या कार्यवाही की ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कार्यवाही से मतलब बनाये हैं। मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के दोनों आर्डर में यथा स्थिति रखने का प्रश्न है। आगे फिर स्पष्टीकरण करने का प्रश्न पैदा हुआ। उन्होंने फिर स्पष्टीकरण किया कि इसका सरकार ने जो पट्टा दिया है, उसके आधार पर खनन के अधिकार बने रहेंगे। सरकार ने पट्टा निरस्त कर दिया, इसके आधार पर इनको अधिकार दिये हैं। जजमेंट के अन्दर कहीं नहीं लिखा कि सरकार ने जो निरस्तीकरण की कार्यवाही की है। उसको बहाल किया जाता है। जमीन पर कब्जा किया है, वह कहीं नहीं है। पट्टा ही कैन्सिल कर दिया तो कब्जे का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री कैलाश मेघवाल: मेरे एक सवाल का जवाब नहीं आया। कोई न्यायालय जो एग्रीमेन्ट होता है उसके आधार पर अपना निर्णय देता है। इस पर राज्य सरकार का पार्टी के साथ एग्रीमेन्ट ही 30-4-80 तक का है तो 30-4-80 तक कोई भी न्यायालय उसको लागू करवा सकता है। इसके बाद एग्रीमेन्ट ही नहीं रहा। दूसरा और निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मन्त्री जी, आप सुनिये। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह पत्रावली देखी जाय जिसमें निरस्तीकरण किया गया है और डायरेक्टर को यह कहा गया है, इसमें आपके आने के बाद जो ढिलाई चल रही है उसको देखिये आप।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवारामगढ़): सन् 79 से 80 के बीच में क्या हुआ ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : आपने कब्जा ले लिया ?

श्री अध्यक्ष : सन् 78 और 79 में इन दोनों की अनुपालना में उन्होंने खनन कार्य किया। रायल्टी और दूसरे जो सरकारी ड्यूज होते हैं उनको जमा कराया है क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : हां, अध्यक्ष महोदय, इसलिए अब जो स्थिति सामने आती है वह यह है, मान लीजिए उनका कब्जा वापस हो गया किसी कारण से तो राज्य सरकार को यह अधिकार है कि नहीं कि वापस....

श्री भैरों सिंह शेखावत : वापस क्यों हो गया ?

मुख्य मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : आप बताइये न।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरे मुंह से ही क्यों निकलवाना चाहते हैं। उनके मुंह से कहलवा दें तो अच्छा रहेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप कृपा करके सुनें।

अध्यक्ष महोदय, इसी बात को लेकर भारत सरकार ने किया। राजस्थान सरकार ने उनकी लीज निरस्त की थी, उसको अवैध माना और उस आदेश को निरस्त कर दिया। चूंकि 30-4-80 तक मयाद थी, वह रिन्यूअल के लिए सरकार के सामने आ सकते थे।

Page No. 7

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

उन्होंने 79 के अन्दर ही अपनी रिन्यूअल एप्लीकेशन लगा दी। 30-4-80 तक मेरी जहां तक जानकारी है, यह सरकार आपकी रही है। यहां पर उसने उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया। माइन्स एण्ड मिनरल रूल्स के तहत अगर किसी की रिन्यूअल एप्लीकेशन के ऊपर निर्णय सरकार नहीं लेती है तो, खनिज की जो पार्टी है उसका स्वतः ही पीरियड छः महीने के लिए बढ़ जाता है।

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : आर्डर प्लीज। अगला प्रश्न।

श्री **कैलाश मेघवाल** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मामला बहुत गंभीर है और इसलिए गंभीर है ...

श्री **अध्यक्ष** : कृपया, स्थान ग्रहण करें। आसन पैरों पर है। आप इस मामले को अन्य किसी तरीके से उठा सकते हैं।

(व्यवधान)

आर्डर, प्लीज।

श्री **कैलाश मेघवाल** : मंत्री महोदय ने जो स्थिति बताई है वह गलत है। गलत इसलिए है कि रिन्युअल के अन्दर कब्जे का आदेश दिया जाता है और रिन्युअल के आदेश के बाद ही कब्जा कर सकते है...

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : अगला प्रश्न, श्री मानसिंह देवड़ा।

श्री **भंवरलाल शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

श्री **अध्यक्ष** : क्षमा करें, माननीय सदस्य आर्डर प्लीज।

श्री **भंवरलाल शर्मा** : प्रश्नकर्त्ता का अधिकार है, अध्यक्ष महोदय। केवल एक प्रश्न।

श्री **अध्यक्ष** : कृपया, स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

श्री **भंवरलाल शर्मा** : केवल एक सवाल।

(व्यवधान)

मैं तो प्रश्नकर्ता हूं खुद, मुझे अनुमति नहीं मिली है।

श्री **अध्यक्ष** : एक प्रश्न।

श्री **भंवरलाल शर्मा** : माननीय मंत्री महोदय, आप यह बताइये कि डेडरेंट क्या है? क्या यह सही है कि कम्पनी ने इसे 15 लोगों को सबलेट कर रखा है और इसके कारण 11 लाख के करीब पैसा इकट्ठा करली है।

श्री **प्रद्युम्न सिंह** : श्रीमान्, उनसे सालाना लीज मनी लेने का प्रश्न है, डेड रेंट और रायल्टी के रूप में लिया जाता है, यह शायद आपको पता नहीं है। दो लाख रुपये पर उनको दे रखा है। वह एरिया दो लाख रुपया सालाना के अन्दर दिया गया है। उनकी लीज निरस्त करने के लिए आपने एक आधार माना था, जब लीज को निरस्त किया था तो यह आरोप आपने उन पर लगाया था कि उसको सब-लेट कर रखा है। जब वह पार्टी भारत सरकार के पास रिवीजन में गई तो भारत सरकार ने सब आरोपों को गलत मानते हुए उनके आर्डर को निरस्त करा दिया। इसके उपरान्त भी अगर आप कोई स्पेसिफिक जानकारी दें तो सरकार उसकी जांच कराने के लिए तैयार है।

Page No. 8

(8)

श्री भैरों सिंह शेखावत : क्या माननीय राज्य मंत्री जी को व्यक्तिशः इस बात की जानकारी नहीं है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : जी नहीं ।

श्री कैलाश मेघवाल : विभाग से जो जांच होकर रिपोर्ट आई क्या आप सदन के पटल पर रखेंगे ? आपके विभाग के अधिकारियों ने जांच की और सरकार को रिपोर्ट दी, क्या आप उसको सदन के पटल पर रखेंगे ? अगर गलत रिपोर्ट की है तो क्या कार्यवाही करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न ।

जोधपुर शहर में नियंत्रित मूल्य की अनिवार्य वस्तुओं का वितरण

63. **श्री मान सिंह देवड़ा** (सरदार पुरा) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर शहर के नागरिकों को जुलाई, 1981 में डेढ़ किलो व अगस्त, 1981 में 800 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से गेहूं आवंटित किया गया ? क्या यह वितरण अन्य नगरों की तुलना में कम है ?

(2) जयपुर, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा व जोधपुर को जनवरी, 1981 से अब तक कितनी मात्रा में हर माह गेहूं, शक्कर तथा केरोसिन वितरण हेतु दिया गया ? कृपया, सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि इदुल फितर के अवसर पर जोधपुर में शक्कर वितरित नहीं की गई ? क्या ऐसा राज्य के अन्य शहरों में भी हुआ है ?

राज्य मंत्री, खाद्य (श्री **घासीराम यादव**) : (1) जोधपुर नगर में माह जुलाई, 81 में 1325 मै. टन तथा अगस्त, 81 में 700 मै. टन गेहूं उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया गया। जोधपुर नगर की जन संख्या 6,50,000 है । उक्त जनसंख्या को यदि उक्त आवंटित गेहूं उपलब्ध कराया जाये तो माह जुलाई में डेढ़ किलो एवं अगस्त में 800 ग्राम ही दिया जा सकता है, परन्तु प्रत्येक व्यक्ति गेहूं नहीं लेता । अतः उक्त अवधि में 2 से 4 किलो ग्राम गेहूं प्रति व्यक्ति उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया गया है। राज्य की आवश्यकतानुसार गेहूं आवंटित नहीं होने के कारण विभागीय निर्देश 10 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति प्रति माह के अनुसार राज्य के किसी भी नगर में उपलब्ध नहीं कराया जा सका है । प्रत्येक जिले के जिलाधीश आवंटित मात्रा एवं आवश्यकता के अनुसार वितरण करवाते हैं ।

(2) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(3) आवंटित शक्कर के प्राप्त नहीं होने के कारण इदुल फितर के अवसर पर जोधपुर में शक्कर का वितरण नहीं कराया जा सका । उक्त अवधि में उदयपुर एवं अजमेर आदि कुछ जिले जहां आवंटित शक्कर प्राप्त ही गई थी, के अतिरिक्त अन्य कहीं भी शक्कर का वितरण नहीं हुआ ।

(सूची के लिये कृपया, परिशिष्ट 1 देखें)

श्री मानसिंह देवड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि प्रति व्यक्ति कितनी मात्रा में गेहूं आवंटित किया गया माह जुलाई और अगस्त, 81 में ?

श्री घासीराम यादव : मैंने जवाब दे दिया है, उसकी मात्रा बता दी है और उसके हिसाब से जितना आता है वह भी बता दिया है। लेकिन सभी लोग गेहूं लेते नहीं है इसलिए 2 से 4 किलो व्यक्ति दिया गया है।

श्री मानसिंह देवड़ा : मेरा निवेदन है कि केवल 800 ग्राम गेहूं ही दिया गया है? यह प्रश्न है।

श्री घासीराम यादव : नहीं, आठ सौ ग्राम तो जनसंख्या के हिसाब से आता है लेकिन सभी लोग गेहूं लेते नहीं है जोधपुर शहर में इसलिए 2 से 4 किलो ग्राम तक दिया गया है।

श्री मानसिंह देवड़ा : कहीं नहीं दिया गया, यह बिल्कुल गलत है। प्रति व्यक्ति 800 ग्राम गेहूं ही दिया गया है।

श्री घासीराम यादव : यह सही नहीं है। सभी लोग गेहूं नहीं लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न।

जिला सहकारी एवं भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष

64. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कितने जिला सहकारी एवं भूमि विकास बैंक हैं? कृपया, सूची सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश के सहकारी बैंको में अध्यक्ष मनोनीत किये गए हैं? यदि हां, तो कृपया, मनोनीत अध्यक्षों की सूची निम्न जानकारी सहित सदन के पटल पर रखें:--

(क) मनोनीत अध्यक्षों में से कौन-कौन ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्य हैं?

(ख) इन्होंने ग्राम सेवा सहकारी समिति ऋण लिया है या नहीं? यदि हां, तो कितना और कब-कब तथा ऋण लौटाया गया या नहीं? वर्तमान स्थिति क्या है?

(3) सहकारी बैंकों के अध्यक्ष मनोनीत करते समय किन-किन नियमों को ध्यान में रखा गया तथा मनोनयन का क्या माप-दण्ड रखा गया?

राज्य मंत्री, वन (श्री गोविन्दसिंह गुर्जर): अध्यक्ष महोदय, मुझे राज्य मंत्री जी सहकरिता ने यह अधिकार दिया है कि इस प्रश्न के सम्बन्ध में आपसे स्थगित करने के लिए निवेदन करूं।

श्री अध्यक्ष : अगले टर्न के लिए स्थगित किया गया।

श्री गोपाल पचेरवाल : अध्यक्ष महोदय, यह मेरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : इसलिए मैंने अगले टर्न के लिए स्थगित किया है।

श्री गोपाल पचेरवाल : अगले टर्न से क्या मतलब है?

श्री अध्यक्ष : सप्ताह में दो दिन पड़ेंगे अगले टर्न में।

श्री गोपाल पचेरवाल : कब आएगा यह बता दें?

श्री अध्यक्ष : अगले टर्न पर।

अगला प्रश्न। श्री देवी सिंह भाटी।

अनधिकृत काबिज लोगों के विरुद्ध सुप्रिम कोर्ट के फैसले

65. श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा

(श्री देवीसिंह भाटी)
करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कई अनधिकृत काबिज लोगों के विरुद्ध सुप्रिम कोर्ट तक मुकदमों का फैसला विभाग के पक्ष में हो गया है और ऐसी जमीनों पर पुलिस फोर्स द्वारा कब्जा लेने के आदेश हो चुके हैं ? लेकिन अभी तक कब्जे वास्तव में नहीं लिए हैं ? इसका क्या कारण है ?

(2) कृपया, ऐसे केसेज की सूची सदन के पटल पर रखें जिनमें विभाग सुप्रिम कोर्ट में भी जीत चुका है । उपरोक्त फैसलों की तिथि तथा कब्जा लेने के आदेशों की तिथि की सूची प्रस्तुत करें ।

राज्य मंत्री, उपनिवेशन (श्री नरेन्द्र सिंह भाटी): अध्यक्ष महोदय, इसके लिए थोड़ा समय मांगा है ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया ।

श्री **देवी सिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, कब तक ?

श्री **नरेन्द्र सिंह भाटी** : अध्यक्ष महोदय, अगर इस प्रश्न के भाग (2) को आप देखें तो उन्होंने पूरी सूची मांगी है कि सुप्रिम कोर्ट में कितने केसेज डिसाइड हुए हैं और कितनों के कब्जे हटवा दिये हैं । इतनी इन्फार्मेशन मांगी है वह आई नहीं है।

श्री **अध्यक्ष** : स्थगित किया गया ।

श्री **गोपाल पचेरवाल** : अध्यक्ष महोदय, सरकार इस सैशन में कितने प्रश्न स्थगित कराना चाहती है ? सब को ही एक साथ स्थगित कर दें । जानकारी चाहने के नाम पर अपने पापों को छुपाने के लिए प्रश्न स्थगित करवा लेते हैं, यह तो कोई तरीका नहीं है। अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए सरकार जानकारी नहीं देना चाहती है । ये पाप कर रहे है और उस पाप को छुपाने के लिए प्रश्नों को स्थगित करवाना चाहते हैं ।

श्री देवी सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न स्थगित कराने के बार-बार क्या कारण है, जबकि प्रश्न लिस्ट पर आ गया है ?

श्री अध्यक्ष : कारण बता दिये हैं मंत्री जी ने । व्यर्थ में समय बर्बाद हो रहा है ।

श्री देवी सिंह भाटी : या तो हमारे क्वेश्चन लगाए नहीं जावें और लगाये जावें, तो उत्तर आना चाहिए । स्थगित कराने के कारण आने चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : कारण बता दिए हैं मंत्री जी ने ।

श्री देवी सिंह भाटी : बार बार स्थगित कराने के कारण क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष : मैंने आपकी सेवा में निवेदन किया कि मंत्री जी ने स्थगित करवाने के कारण दिये हैं और उनको मैंने पर्याप्त समझा है इसलिए स्थगित किया है। इसका जवाब अगले टर्न में या उसके अगले टर्न में दिलवाया जाएगा ।

श्री सी. पी. जोशी ।

पंचायतों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

66. श्री सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा विभाग

Page No. 11

(11)

(श्री सी. पी. जोशी)
में धनराशि उपलब्ध होने पर भी पंचायतों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं ?

(2) यदि हां, तो कितने शिक्षकों के पद रिक्त है और कब से ?

(3) रिक्त पदों पर नियुक्तियां कब होंगी ?

राज्य मंत्री, पंचायत (श्री हीशराम ओला) : अध्यक्ष जी, मैंने आपसे प्रश्न स्थगित करने के लिए निवेदन किया है।

(व्यवधान)

श्री अनंग कुमार जैन (झालरापाटन): अध्यक्ष महोदय, डूब मरना चाहिये इनको।

श्री देवी सिंह भाटी : सारे प्रश्नों को स्थगित कर दीजिये। इस प्रश्न काल को ही स्थगित कर दीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर। मुख्यमंत्रीजी।

मुख्य मंत्री (श्री शिवचरण माथुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ प्रश्न ऐसे उपस्थित किये जाते हैं, जिनका उत्तर वास्तव में बहुत कठिन होता है और सरकार की मंशा होती है····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कुछ परम्पराओं का ध्यान रखें।

श्री शिवचरण माथुर : माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर यथा समय दिया जाय, कहीं पर हम छुपाने वाली कोई बात नहीं करना चाहते हैं। कहीं-कहीं ऐसे अव्यवहारिक प्रश्न उपस्थित हो जाते हैं, जैसे सुप्रिम कोर्ट के फैसले का सवाल है, किन-किन मुकदमों में कब-2 फैसला हुआ, क्या निर्णय हुआ कितने केसेज हैं उनकी जानकारी इकट्ठा करना मैं समझता हूं कि किसी भी सरकार के लिये सम्भव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से प्रश्न स्थगित होंगे, क्यों कि उसके अन्दर व्यावहारिक कठिनाइयां है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य इस प्रकार के प्रश्न करते समय कम से कम उसकी व्यावहारिकता को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पूछें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। मैं सरकार की ओर से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि हम माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर न दें।

कुछ अभी एक-दो प्रश्नों के बारे में मैं भी ऐसा अनुभव कर चुका हूं कि उनका उत्तर नहीं आ सकता था। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कई ऐसे प्रश्न है जिनका उत्तर आना आवश्यक था। उनके लिये मैं कोशिश करूंगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है, कृपया मेरी बात सुन लीजिये। मैं सरकार से और मंत्रियों से एक बात निवेदन करना चाहता हूं। सदस्यों से यह बात कि प्रश्न जो पूछे जाते हैं उनमें से कइयों में बहुत ही प्रस्तृत जानकारी चाही होती है। पिछले सत्र और इस सत्र में भी मेरी यह कोशिश रही है कि प्रश्न ऐसे पूछे जायें जिनका थोड़े समय में सरकार उत्तर तैयार कर सके। इसलिए मुझे व्यक्तिगत तौर पर काफी प्रश्नों को एडिट करना पड़ता है। यदि माननीय सदस्य या उनके दल

(श्री अध्यक्ष)
के नेता चाहें तो मैं नमूने के कुछ प्रश्न उनके सामने रख सकता हूं। इतनी हमारे सेक्रेटेरियट के द्वारा सतर्कता बरतने के पश्चात भी बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो सरकार के पास चले जाते हैं।

जैसा कि आसन की ओर से कई दफा निर्णय हुआ कि यदि सरकार या सरकार का कोई विभाग यह समझता हो कि इसमें जानकारी अति विस्तृत है, तो उनको हमें समय पर सूचित कर देना चाहिये। यह प्रकिया नहीं अपनाने से हमारे यहां प्रश्न छप जाते हैं और प्रश्न छपने के बाद सूची में आ जाते हैं। फिर यहां आकर के मंत्री महोदय सदन के सामने यह निवेदन करते हैं कि इसमें बहुत ही विस्तृत जानकारी चाही है। तो जिस तरह की कठिनाइयां आज उपस्थित हुई हैं, उस तरह की कठिनाई हो जाती हैं। इसलिये माननीय सदस्यों से मेरा नम्र निवेदन है कि प्रश्न पूछने से पहले विचार कर लें। अब जैसे एक प्रश्न आया था कि राजस्थान में कुल कितनी कृषि मंडियां हैं। 1975 का वर्ष दिया था, उन्होंने आज तक कौन-कौन सी सड़कों के प्रस्ताव रखे, उनमें से कितनी सड़कें स्वीकृत हुईं और कितनी सड़कों का निर्माण हो गया है। अब करीब 130 मण्डी हैं। हरएक में हर साल में चार-चार पांच-पांच या दस सड़कें प्रस्तावित होती हैं। तो 130 को यदि दस से गुणा करें तो हो जाती हैं 1300। एक सड़क के विवरण के लिये कम से कम सात-आठ या दस शब्दों की आवश्यकता है। 1300 को आठ से गुणा कीजिये तो नौ-दस हजार शब्दों का उत्तर बनता है और उसकी कापियां निकालनी पड़ती हैं पांच या छः। आप अन्दाज लगाइये कि तीस हजार तो पूरी एक पुस्तक में शब्द आते हैं। इसलिये आप हमेशा इस बात को सोचें जिस प्रश्न को हम पूछना चाहते हैं, उसका उत्तर सरकार के लिये यहां देना सम्भव होगा या नहीं। पिछले वर्ष एक सवाल आया था कि राजस्थान के अन्दर दीवानी अदालतों, रेवेन्यू अदालतों तथा फौजदारी अदालतों में ऐसे मुकदमें कितने हैं जिनमें एक पक्ष तो शिड्यूल्ड कास्ट्स या ट्राइब्स का है और दूसरा पक्ष सवर्णों या या दूसरी जातियों का है। उनका कब फैसला हुआ, कितनी अपीलें हुई। क्या आप समझते हैं यह सब जानकारी थोड़े समय में देना सम्भव है ?

आप देखना चाहते हैं तो चार-पांच नेतागण पधार जायें मैं सब सूचनाएं, किस तरह के प्रश्न आते हैं, उपस्थित कर दूंगा, आप देख लें। एडिटिंग होकर जाने के बाद सरकार की ओर से यह लापरवाही हो जाती है कि अधिकारी समय पर हमको सूचित नहीं करते हैं कि इतनी लम्बी-चौड़ी सूचना चाही है, जिसको छोटे समय में हम एकत्र नहीं कर सकते हैं। इसलिये माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है और राज्य सरकार से भी मेरा निवेदन है कि यदि वह समझते है कि लम्बी चौड़ी जानकारी चाही है तो उसका एतराज हमें भेज दें। उसके बाद यदि यहां निर्णय हो जाता है तो उनको कोशिश करनी चाहिये।

(व्यवधान)

मेरा बात तो सुनें, मैंने अभी समाप्त नहीं की। आज आठ प्रश्नों को स्थगित करने की हमारे पास सूचना आई है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अभी तो तीन ही हुए हैं।

Page No. 13

(13)

श्री अध्यक्ष : इतने प्रश्नों को पहले कभी स्थगित करने की मांग यहां पर नहीं हुई ।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : शेम, शेम ।

श्री अध्यक्ष: इसमें दोनों तरफ की बात है । इसलिये अब फिर बार-बार स्थगित करने के लिये मंत्री कहेंगे तो आप गुस्सा करेंगे इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप थोड़ा धैर्य रखें । सरकार ने भी मेरी बात को सुन लिया है, सरकार भी ध्यान रखेगी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान विधान सभा के इतिहास में पहली बार अध्यक्ष महोदय ने अपने ऊपर सारी जिम्मेदारियां लेकर सरकार को बचाने का प्रयत्न किया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दोनों तरफ की बात कही है ।

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : यह प्रश्न काल चल रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बात कहने दें, विपक्ष के नेता महोदय को ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये निवेदन कर रहा हूं, कोई भी माननीय सदस्य प्रश्न पूछें....

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हमको तो बोल लेने दें पहले ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बोलिये पहले ।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय कुछ कहना चाहते हैं, माननीय सदस्य ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो भी माननीय सदस्य प्रश्न देते हैं, उस प्रश्न की कापी आपके पास आने से पहले गवर्नमेन्ट के पास चली जाती है । आप जब प्रश्नों को एडमिट करते हैं, तब जाकर वह प्रिण्ट होते हैं । किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाये, यह समझ में आता है लेकिन चूंकि प्रश्न उपयुक्त नहीं है, इस कारण से सरकार उत्तर नहीं देगी...

श्री अध्यक्ष : उपयुक्त मैंने नहीं कहा है ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने स्वीकार किया है । प्रश्न का सरकार जवाब नहीं दे सकती है । जिन प्रश्नों को आपने एडमिट किया है, उनका उत्तर इस आधार पर नहीं दिया जाये सरकार द्वारा कि वह उपयुक्त नहीं है तो मैं समझता हूं यह चेयर पर रिफ्लेक्शन है । हम चाहेंगे कि आप कम से कम चेयर पर इस प्रकार का रिफ्लेक्शन नहीं आने दें । जहां तक सवाल यह है कि प्रश्न लम्बा होता है, तो इस सदन में कई बार 56 पेज का उत्तर प्रश्न का दिया गया है । उनका उत्तर लाइब्रेरी में रख दिया जाता है, मेम्बर चाहें तो वहां देख सकते हैं । एक बार प्रश्न एडमिट हो गया, उसके बाद प्रश्न को मंजूर करना या नहीं करना, या प्रश्न उत्तर नहीं दिया जाना, यह उपयुक्त नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : यह कब कहा ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, ने कहा है । आप प्रोसिडिंग्स देख लें ।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन कर दूं मुख्य मंत्रीजी से, हम प्रश्नों को इसलिये नहीं पूछते हैं कि किसी की शिकायत करना चाहते हैं। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आप मेरी चुनौती को मंजूर कर लें,जो प्रश्न खनिज विभाग के सम्बन्ध में पूछा गया, उसका माननीय प्रद्युम्न सिंह जी ने जवाब दिया, यदि शिवचरण जी माथुर जवाब देते तो जवाब दूसरा होता। जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जाय या जवाब टेढ़ा मेढा करने की कोशिश की जाये तो माननीय सदस्य चार-पांच भागों में करके प्रश्न बनाते हैं, वह दूसरी तरह लाने की कोशिश करेंगे। इसलिये मैं माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रश्नों की आड़ में हम अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करना चाहते हैं सरकार की जो कमी रही है, सरकार की नालेज में जो चीज नहीं है, वह उनकी नालेज में लाना चाहते हैं।

जैसे प्रद्युम्न सिंह जी ने कवर अप किया मामले को, इस तरह की चेष्टा की गई तो नतीजा नहीं निकलेगा। इस प्रकार हाउस में 6-6 प्रश्नों के बारे में कह दिया जाय कि प्रश्नों के उत्तर नहीं देते, यह मेरी समझ में नहीं आता। आज आपने छः प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, कभी ऐसा भी समय आ सकता है कि जितने प्रश्न सूची में हैं, उन सभी प्रश्नों का जवाब न दें। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, आप भी अपनी व्यवस्था में सुधार कर लें और सरकार भी सुधार कर ले तो यह समस्या नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता महोदय ने शायद मुझे गलत समझ लिया। मैंने कहा था कि सरकार से यदि कोई प्रश्न विभाग के पास जाता है तो विभाग को पहले ही इस सचिवालय को यह सूचित कर देना चाहिये। पहले भी ऐसी परंपरायें रही हैं, आसन से व्यवस्थाएं हुई हैं कि अगर विभाग समझे कि प्रश्न काफी लम्बा है तो उसी वक्त इत्तिला दे सकते और हम पुनर्विचार कर सकते हैं। यह मैंने कभी नहीं कहा कि प्रश्न प्रिंट हो गया उसके बाद भी सरकार उत्तर न दे इस कारण से कि यह बहुत लम्बा है। यह मैंने नहीं कहा था। अगर प्रश्न लम्बा है, तो उस स्थिति में ज्योंही प्रश्न विभाग को इस सेक्रेटेरियट को सूचित कर देना चाहिए कि इसमें जानकारी बहुत विस्तृत चाही गई है इसलिये इसका उत्तर देना संभव नहीं होगा। आप तो स्वयं बहुत लम्बे समय से माननीय सदस्य हैं, कई दफा इस तरह की व्यवस्थाएं हो चुकी हैं कि यदि सरकार के किसी विभाग को प्रश्न बहुत लम्बा होने से उसकी सूचना एकत्रित करने में बहुत अधिक समय लगने के कारण उत्तर देने में देरी हो तो तुरन्त सूचना दे दे कि प्रश्न लम्बा है। लेकिन यदि प्रश्न छप गया तो उसके बाद उसका निश्चित रूप से उत्तर दिया जायेगा। आज जो बात आई है यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिये।

(व्यवधान)

मैंने यही बात पहले कही थी।

श्री शिव चरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले निवेदन किया, सरकार की बिलकुल यह मंशा नहीं है कि माननीय सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर न दे। मैं तो स्वयं इस बात को मानने वाला व्यक्ति हूं कि विधान सभा के पटल से बहुत सी बातों की सरकार को जानकारी मिलती है और कई प्रकार की गाइडेंस मिलती है यह मैं इस सदन के सदस्य होने के नाते भी कह चुका हूं और आज इस पद पर होते हुए बहुत स्पष्ट रूप से कह देना

Page No. 15

(15)

(श्री शिवचरण माथुर)

चाहता हूं कि विधान सभा में लाये गये सवाल बहुत सी नई बातों की सरकार को जानकारी देते हैं। इसलिये हमारी यह मंशा बिलकुल नहीं है कि प्रश्नों के उत्तर टालें। लेकिन जहां कोई व्यावहारिक कठिनाई हो, वहां मैं समझता हूं, विरोधी पक्ष के नेता भी मुख्य मंत्री रह चुके हैं, कठिनाइयां आती हैं उनको भी मालूम होगी। अगर आपके चेंबर में देख लिया जाय कि कितने प्रश्नों के उत्तर आ सकते हैं उनकी व्यावहारिकता की जांच कर ली जाय और कोई ऐसी परंपरा बना ली जाय तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय ने दोनों पक्षों के लिये बहुत सही बात कही है। इस प्रकार की व्यावहारिक कठिनाई आती है तो उसको सरल कर लें। मैं यह स्वीकार करता हूं कि विभाग को उत्तर देने में कोई कठिनाई हो तो विभाग को तुरन्त सूचित कर देना चाहिए और मैं यह भी सूचित कर देना चाहता हूं कि सभी विभागों क यह आदेश देंगे कि ऐसी व्यावहारिक कठिनाई समझते हों, तो विधान सभा सचिवालय को समय रहते सूचित कर दे ताकि इस प्रकार की स्थिति पैदा न हो। की स्थिति पैदा न हो।

श्री अध्यक्ष; प्रश्न-पत्र छपने रे

(व्यवधान)

अगला प्रश्न। श्री अमीन खां

ग्राम हरसानी (जिला बाड़मेर) में असामाजिक तत्वों का आतंक

67. श्री **अमीन खां** (शिव) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या जिला बाड़मेर के हरसानी गांव में पुलिस चौकी होते हुए भी गांव में असामाजिक तत्वों द्वारा गरीब नागरिकों की जान व माल की सुरक्षा नहीं है ?

(2) क्या यह सत्य है कि गांव में असामाजिक तत्वों के आतंक से काफी लोग गांव खाली करके चले गये हैं ?

(3) क्या पुलिस विभाग द्वारा इसकी उचित व्यवस्था की जायेगी ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री प्रद्युम्नसिंह) :

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) उचित व्यवस्था कायम है।

श्री **अमीन खां**: यह उत्तर गलत है, अध्यक्ष महोदय, मैं इससे सहमत नहीं हूं। बाड़मेर जिले के हरसानी गांव में दूसरों की बात मानें या न मानें, कलेक्टर 22-7-81 को वहां गये थे, उनके सामने पुलिस चौकी के सामने ही फसाद हो गया। कलेक्टर के ड्राइवर ने कार से उतर कर आदमी को पकड़ा। पुलिस वाले गांव में छिप गये। पार्लियामेंट के मेम्बर भी कलेक्टर के साथ थे। उस आदमी को ड्राइवर ले आया और दूसरे दिन पुलिस वालों ने छोड़ दिया। आपने उत्तर दिया है "जी नहीं" अपने जवाब में। गांव के कई आदमी - सूरजमल पुत्र सोहन राज, रिखबदास पुत्र सोहनराज, बद्रीचन्द पुत्र जवानमल, नेमीचन्द पुत्र राणामल, महेन्द्र कुमार पुत्र जोधाराम, सोनाराम सोनी, नेमीचन्द, खेतमल, तथा सवाई पुत्र भीखा मेघवाल गांव छोड़ कर बाहर चले गये। गांव में पुलिस चौकी कायम होने के बाद में असामाजिक तत्व, तस्करी

(श्री अमीन खां)
करने वाले लोग हैं वे पुलिस चौकी के सारे आदमियों से मिले हुए हैं। गांव में भयंकर आतंक है। बाड़मेर जिले से इस पुलिस थाने में जितने भी आदमी तैनात करते हैं वे सब टी. बी. तथा लकवा की बीमारी से ग्रस्त होते हैं। वे लिखना तक नहीं जानते। गांव में बहुत असंतोष है। आपके उत्तर से मैं सहमत नहीं हूं। जो मैंने नाम गिनाये हैं उनको नोट कर लें और कलेक्टर बाड़मेर से पूछ लें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा था उसके बारे में मैंने जो जानकारी प्राप्त की थी उसके आधार पर उत्तर दिया। जिन व्यक्तियों के नाम माननीय सदस्य ने बताये हैं कि पुलिस के आतंक के कारण गांव को छोड़ कर चले गये, इसकी मैं तुरन्त जांच करवा लूंगी। अगर आतंक है और पुलिस की मिली-भगत है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाये जायेंगे।

श्री जनार्दन सिंह गहलोत (करौली) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, क्या उन्हीं अधिकारियों, जिन्होंने जवाब भेजा है, से जांच करवायेंगे, या दूसरों से?

श्री प्रद्युम्नसिंह : इन्होंने कलेक्टर बाड़मेर के बारे में जिक्र किया है उनसे भी जानकारी की जायेगी कि उनके सामने ऐसी बात हुई क्या? दूसरे एस. पी., बाड़मेर सक्षम अधिकारी है। चौकी के आक्रोश के बारे में कहा है जो जानकारी रेकार्ड के आधार पर दी गई है, पुलिस रेकार्ड में इस प्रकार का कोई केस दर्ज नहीं है इसकी एस. पी., बाड़मेर से जांच करवा लेंगे।

(व्यवधान)

श्री दूलाराम (रायसिंह नगर) : भीखाराम मेघवाल के साथ वहां के असामाजिक तत्वों द्वारा घटना की गई उसकी एस. एच. ओ. ने एफ. आई. आर. लोज नहीं की, एस. पी. ने सुनवाई नहीं की। क्या उस हरिजन को न्याय मिलेगा?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह जो प्रश्न पूछा गया यह हरसाना गांव में जो आउट पोस्ट है उसके बारे में पूछा गया है।

श्री दूलाराम : यह हरसाना गांव का ही है। मैं भीखाराम की बात कर रहा हूं। इस मेघवाल के साथ अन्याय हुआ है। इसके बारे में क्या आपको कोई जानकारी है? मैं गया हूं, मुझे पता है। आप मुझसे कौनसा गांव पूछ रहे है।

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहें।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाडी : सब हरिजनों को हटा दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : कृपया, स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रद्युम्नसिंह . अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने जानकारी दी है, हरसाना गांव के जिस हरिजन का नाम लिया है कि असामाजिक तत्वों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है उसको गांव से निकाल दिया है। माननीय सदस्य, जो बाड़मेर से आने वाले हैं उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है। माननीय सदस्यों का यह आरोप है कि एस. पी., बाड़मेर को शिकायत की गई, कलेक्टर को शिकायत की गई, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया है। मैं इसकी जांच एस.पी. से करवा लूंगा

Page No. 17

(17)

श्री दूलाराम : मेरा प्रश्न यह नहीं है। मेरा प्रश्न यह है कि एस.पी., बाड़मेर का व्यवहार हरिजनों के प्रति अच्छा नहीं है। पिछले विधान सभा सत्र में, जब मैं मंत्री था, उस समय भी मैंने यह प्रश्न उठाया था। वहां बाड़मेर के एस.पी. ने अनुसूचित जाति के कांस्टेबल के हथियार अलग रखवाये है, उनके घड़े तक अलग रखवाता है।...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शांत रहें। आसन पैरों पर है।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : माननीय दूलाराम ने जो प्रश्न उठाया है मैं उन से यह जानना चाहता हूं कि जिस समय पहाड़िया जी मुख्य मंत्री थे और उनके समय वह मंत्रिमण्डल में थे......

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री दूलाराम : नीम का थाना में भी हरिजनों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है......

श्री मोहनलाल मोदी : मैं एक निवेदन करना चाहता हूं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री गोपाल पचेरवाल : कांग्रेस की वकालत करनी है, तो वहीं चले जाओ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण।

(व्यवधान)

कृपया स्थान ग्रहण कीजिये, माननीय सदस्य। अगला प्रश्न।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं।

(व्यवधान)

मेरी बात को कहने नहीं देते हैं।...

श्री दूलाराम : सीकर किसी की बपौती नहीं है। वह अनुसूचित जाति का है, बनियों का है, जाटों का है। तुम लोगों का साम्राज्यवाद वहां पर नहीं चल सकता है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब स्थान ग्रहण कीजिये। काफी चर्चा हो गई है।

(व्यवधान)

नियमों का ख्याल रखिये।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय सदस्यगण विधान सभा में अपनी बात नहीं कह सकते है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नीम का थाना से आने वाले माननीय सदस्य का नाम पुकारा है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, यह अहम प्रश्न है। इसको टाल रहे हैं और आप भाषण देने के लिये समय दे रहे हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय दूलाराम से यह जानकारी चाहता

(श्री मोहनलाल मोदी)
हूं कि जब वे पहाड़िया मंत्रिमण्डल के सदस्य थे क्या उस समय ही यह एस. पी. बाड़मेर में थे या अब लगाये गये हैं? उस वक्त भी वहां पर यही एस. पी. था तो उसके खिलाफ आपने कार्यवाही क्यों नहीं की? मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री दूलाराम : उस समय भी उनका साम्राज्यवाद था और आज भी तुम्हारा है···

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : शांति से प्रश्न पूछिये और शांति से जवाब सुनिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पहाड़ियाजी के मंत्रिमण्डल में श्री दूलाराम सदस्य थे। मैं उन से ही यह प्रश्न पूछना चाहता हूं···

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ प्रश्न के सम्बन्ध में प्रश्न पूछें। आपस में प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। आप कृपया नियमों का ध्यान रखें।

(व्यवधान)

आॅर्डर प्लीज।

श्री प्रद्युम्नसिंह : गंगानगर जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उन्होंने आरोप लगाया है एस. पी., बाड़मेर के ऊपर। श्रीमन्, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं इस मामले की जांच एस. पी., बाड़मेर के द्वारा कराऊंगा। इस पर उन्होंने कहा कि उस एस.पी., बाड़मेर का व्यवहार हरिजनों के प्रति अच्छा नहीं है। मैं विश्वास दिला सकता हूं आपके माध्यम से कि सरकार हरिजनों के हितों और सुरक्षा पर पूरा ध्यान देगी। अगर माननीय सदस्य सन्तुष्ट नहीं हैं तो डी. आई. जी. रेंज से जांच करा लूंगा और उसकी जानकारी आपको दूंगा। दूसरा प्रश्न नीम का थाना से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा है कि बाड़मेर में एस. पी. कितने समय से है? मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह एस. पी. पुरानी सरकार के समय से ही वहां पर लगे हुए हैं। नयी सरकार ने नहीं लगाया है। यह जानकारी आपको दे दूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि क्या माननीय मुख्य मंत्री महोदय···

श्री **अध्यक्ष** : आपस में बातें न करें।

श्री **भैरोंसिंह शेखावत** : माननीय मंत्री का यह कह कर उत्तर देना प्रश्न का कि···

श्री **अध्यक्ष** : आपस में बातें नहीं करें।

(व्यवधान)

परम्पराओं का ध्यान रखें।

(व्यवधान)

विरोधी दल के नेता महोदय कुछ कहना चाहते हैं।

श्री दूलाराम : हम पर इस तरह की बातें कह कर रोब जमाना चाहते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरे कहने का मतलब यह नहीं था, माननीय ··

(व्यवधान)

Page No. 19

(19)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : दोनों के बीच में सार्जेन्ट को खड़ा कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष : सार्जेन्ट तो एक ही है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : हम तो अपने आप ही निपट लेंगे। आप तो अपनी बात जारी रखें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माननीय राज्य मंत्रीजी ने एक बात कही कि उस एस. पी. की नियुक्ति पुरानी सरकार ने ही की थी, नयी सरकार ने नहीं की है...

(व्यवधान)

अर्थात् एस. पी. माथुर साहब के आने के पहले से हैं...

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने यह नहीं कहा। उन्होंने यह पूछा था कि ये कब से हैं एस. पी.? तो मैंने कहा था माथुर साहब से...

एक माननीय सदस्य : उस समय भी गृह राज्य मंत्री माननीय प्रद्युम्नसिंह जी ही थे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं उस समय गृह राज्य मंत्री नहीं था। मैं तो केवल विधान सभा में प्रश्नों का उत्तर देने के लिये ही गृह राज्य मंत्री था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आप पहाड़िया जी को भी नेता मानते थे और माथुर साहब को भी नेता मानते हैं.....

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर।

(व्यवधान)

श्री नंदलाल मीणा (प्रतापगढ़) : और प्रद्युम्नसिंह जी का विश्वास करें।

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता महोदय कुछ कहना चाहते हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हमारी सरकार नहीं थी, आपकी सरकार थी...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : पुरानी सरकार आपकी सरकार ही थी। दोनों को मानते हैं, तो ऐसा अनउत्तरदायित्वपूर्ण जवाब क्यों देते हो?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री दूलाराम : आपने जिस तरह से एम. एल. ए. की बेइज्जती की है, वह आयन्दा दुबारा मत करियेगा।

श्री अध्यक्ष : विपक्ष के नेता अपनी बात पूरी नहीं कर पाये, पहले उनको मौका देना चाहता हूं। विपक्ष के नेता महोदय।

श्री भैरों सिंह शेखावत : मैं निवेदन कर रहा था कि माननीय राज्य मंत्री ने कहा कि यह पुरानी सरकार के समय से है। एक्चुवल वर्ड्स तो क्या हैं, मैं नहीं कह सकता हूं लेकिन भावना यह थी कि यह नियुक्ति...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। विपक्ष के नेता महोदय अपनी बात कहना चाहते हैं।

Page No. 20

(20)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : लड़ाई बंद हो गयी···

श्री अध्यक्ष : ऐसा ही लगता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय राज्य मंत्री जी ने कहा कि यह नियुक्ति पुरानी सरकार के समय से थी। मैं इसे समझता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि पुरानी सरकार से मतलब पहाड़िया जी की सरकार से था। जो कुछ हरिजनों के साथ एस. पी. ने किया वह पहाड़िया जी के जमाने में किया। पहाड़िया जी ने नियुक्त किया था···

श्री प्रद्युम्नसिंह : एक मिनट मैं कहना चाहता हूं····

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको भी अवसर दे देंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने कभी यह नहीं कहा जो प्रश्न पूछा था, केवल उसका जवाब दिया है कि उनकी नियुक्ति उस सरकार ने की है। नीम का थाना से आने वाले माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा था। मैंने उसका उत्तर दिया है। मैंने कभी यह नहीं कहा कि पहाड़ियाजी के वक्त में हरिजनों पर अत्याचार किया है। मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने कभी यह नहीं कहा कि प्रद्युम्नसिंह जी ने यह बात कही है····

श्री अध्यक्ष : केवल समझ में फर्क है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रद्युम्नसिंह जी ने केवल यह बात कही थी कि जिस एस. पी. की बात हो रही थी, जिस एस.पी. के बारे में दूलाराम जी और कई माननीय सदस्यों ने आरोप लगाये हैं कि यह आदमी पुलिस लाइन में हरिजनों पर अत्याचार करता है, हरिजनों की बंदूकें वगैरह रखवा ली है, उसके बारे में यह सारा प्रश्न पूछा गया था। वह एस. पी. किसके शासन में नियुक्त किया गया? उन्होंने कहा कि पहाड़िया जी के शासन में····

(व्यवधान)

ये नियुक्त किये गये थे। पहाड़िया जी की सरकार और पुरानी सरकार, मैं ऐसा समझता हूं, दोनों में कोई फर्क नहीं है···

श्री अध्यक्ष : पुरानी में तो आप भी थे।

श्री भैरों सिंह शेखावत : इसीलिये तो मैं अपना स्पष्टीकरण दे रहा हूं कि इस समय जो प्रश्न पूछा गया था और उसका जो मंत्री महोदय ने उत्तर दिया, शब्द चाहे मुंह से उच्चारित नहीं किये हों, लेकिन भावना इस रूप से व्यक्त हुयी है कि जो अन्याय हुआ है, वह पहाड़िया जी के जमाने में हुआ है। उसके लिये माथुर सरकार रेस्पांसिबल नहीं है। क्यों यही मतलब है ना?

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक तो मुख्य मंत्री जी स्पष्टीकरण कर दें कि यह पुरानी सरकार और उनकी सरकार में क्या फर्क है?

मुख्यमंत्री (श्री शिवचरण माथुर): अध्यक्ष महोदय, पहाड़िया जी की सरकार भी कांग्रेस की सरकार ही थी। पहाड़िया जी आज भी उतने ही अनन्य कांग्रेसी है जितने कि मुख्य मंत्री थे उस समय थे। इसलिये यह बात आपके दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। मैं इतना ही कह

(श्री शिवचरण माथुर)

सकता हूं कि जब पहाड़िया सरकार थी तो भी हरिजनों पर अत्याचार नहीं होते थे, हमारी सरकार है तो भी हरिजनों पर अत्याचार नहीं होते हैं और न करेंगे।

(व्यवधान)

हम लोगों का तो यह दृढ़ मत है। हमारा तो यह प्ली है। आप तो केवल राजनैतिक फायदा उठाने के लिये कहते हैं, लेकिन कांग्रेस का तो यह क्रीड है, कांग्रेस का जन्म ही इस बात के लिये हुआ है, हरिजनों के उत्थान के लिये ही कांग्रेस का जन्म हुआ है....

(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : माथुर साहब, एक बात पर अवश्य ध्यान दें। पहाड़िया जी थे उस समय भी इसी तरह तालियां बजती थीं और अब भी इसी तरह बजती हैं इसलिये आप इनके धोखे में नहीं रहें।

श्री शिवचरण माथुर : मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप शान्त रहें। बीच में.....

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अपनी टीम को तो आप कंट्रोल करें। मैं तो गारंटी देता हूं, मेरी तरफ से कोई दखल नहीं होगा। लेकिन पहले आप अपनी टीम को तो सम्भाल लें। जब मैं बोल रहा था, तो माननीय सदस्य दखल दे रहे थे। अगर ऐसा होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : शान्त रहें।

मुख्य मंत्री बोल रहे हैं। माननीय सदस्य, शान्त रहें। आर्डर प्लीज।

श्री शिवचरण माथुर : कुछ अच्छी परम्परायें यहां पर डालें, शान्ति से रहें, यह आपसे अपेक्षा करता हूं। जब-जब भी आप बोले, मैं बिल्कुल शान्त रहा, शान्ति से सुनता रहा सरकार की ओर से यह कहा गया कि केवल एक साधारण सी बात थी, पुलिस चौकी पर कुछ असामाजिक तत्वों ने हरिजनों पर अत्याचार किये हैं और इसकी माननीय सदस्यों को संतुष्ट करने के लिये जैसा वे चाहते थे, उससे इन्क्वायरी करने की बात कही। दूलाराम जी ने कहा कि एस. पी. भी उनके साथ दुर्व्यवहार करता है। एस. पी. अगर दुर्व्यवहार करता है तो उसकी जांच डी. आई. जी. रेंज से करवायेंगे। इतनी सी बात थी, अब इसमें कोई पहाड़िया जी का और हमारी सरकार का सवाल कहां पैदा होता है? एक माननीय सदस्य नीम का थाना से आने वाले ने प्रश्न पूछा था, उनकी नियुक्ति कब हुयी थी? इसका एक फैक्चुअल रिप्लाई दिया था। उनको इसको आधार नहीं बनाना चाहिये था। पुरानी सरकार भी कांग्रेस की सरकार थी, और यह भी कांग्रेस की सरकार है। इसमें आपको कोई भ्रम नहीं होना चाहिये। अगर भ्रम हो, तो निकाल दें, मेहरबानी करके। इससे आप कुछ नहीं कर पायेंगे। कांग्रेस एक बहुत ही सुदृढ़ है और एक ही नेता के आदेशों पर चलने वाली पार्टी है।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : व्यक्तिगत पार्टी है।

श्री शिवचरण माथुर : विधान सभा के पटल पर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। कृपया यह बात ध्यान में रखें कि यह परम्-

(श्री शिवचरण माथुर)

राज्यों की दृष्टि से अच्छी बात नहीं है। आप सरकार की आलोचना तथ्यों पर करें। सरकार की नीति की आलोचना करें, दिल भर कर करें, हम उसका जवाब देंगे, लेकिन इस प्रकार की प्रक्रिया करके तो आप गलत परम्पराओं को डालने की बात करते हैं। यदि ऐसा करते हैं, तो इससे आपका ही नुकसान होगा। हमारा संगठन तो मजबूत है। हमारा इतिहास तो 65 साल का है, आजादी से पहले का। हमने तो देश को आजादी दिलायी है और 65 साल का हमारा इतिहास है आजादी से पहले का। राज तो 33 साल ही किया है। हमें राज के बाहर निकलने का भी अनुभव है, और बाद में पुनः आने की भी शक्ति है। मैं मानता हूं, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हरिजनों का हमेशा से हमसे वास्ता रहा है। हरिजनों के लिए बापू ने काम किया, कांग्रेस ने काम किया और कोई स्थिति आजादी के बाद आज आप देखते हैं हरिजनों की, वह कांग्रेस की नीतियों के कारण है। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, यदि कहीं पर भी किसी अधिकारी ने, किसी कर्मचारी ने हरिजनों के साथ दुर्व्यवहार और अत्याचार किया है तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि सरकार कठोरतम कार्यवाही उस सरकारी अधिकारी के खिलाफ करेगी।

(व्यवधान)

मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, इस पर अब कोई चर्चा नहीं होगी।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था।

श्री मेघराज तावड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक अहम प्रश्न है, केवल सीधा सा प्रश्न है जो पूछना चाहता हूं····

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कुछ कहा है, इस पर चर्चा नहीं होगी·····

(व्यवधान)

ऑर्डर प्लीज।

श्री मेघराज तावड़ : इस एस. पी. के खिलाफ, जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा, क्या जांच करके उसको सस्पेण्ड करने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री मेघराज तावड़ : ×××।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों प[र] है माननीय सदस्य।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सेवा निवृत्ति की आयु

38. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) क्या राज्य सरकार सेवा निवृत्ति की आयु बढाने का विचार कर

××× माननीय अध्यक्ष को आदेशनुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी) ;
रही है ? यदि हां, तो कितनी आयु किस आधार पर ?

(2) इस नीति से नये लोगों को रोजगार देने पर कितना असर पड़ेगा? क्या सरकार राजकीय सेवा में नियोजन के लिए भी अधिकतम आयु बढाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो किस किस सेवा के लिए कितनी कितनी आयु बढ़ाने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) (i) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(ii) जी नहीं ।

गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की दशा सुधारना

39. **श्री बालचन्द्र आर्यवीर** (डग), **श्री अनंगकुमार जैन** (झालरापाटन) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कितने व्यक्ति हैं ? प्रदेश की कुल जनसंख्या में उनका प्रतिशत कितना है तथा सम्पूर्ण भारत के प्रतिशत से कितना प्रतिशत अधिक या कम है ?

(2) जून, 1980 के बाद गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की दशा सुधारने बाबत सरकार द्वारा क्या प्रयत्न किये गये हैं तथा प्रति व्यक्ति कितनी राशि व्यय की जा रही है ?

उत्तर

(1) योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के तैयार किये गये अस्थाई अनुमानों के अनुसार वर्ष 1977-78 में राजस्थान की 33.76 प्रतिशत जनसंख्या व सम्पूर्ण भारत में 48.13 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे है ।

(2) जून, 1980 के बाद गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की दशा सुधारने के लिये राज्य के समस्त 236 विकास खण्डों में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर, 1980 से लागू किया गया । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मोटे तौर पर अनुदान के रूप में लगभग 1200। रु. प्रति लाभान्वित परिवार पर औसत व्यय किया जाता है । इसके साथ लगभग 2000/- रु. से 2400/- रु. तक ऋण संकलित होता है ।

बिश्नोई समाज की धर्मशाला, सांचोर

40. **श्री रामसिंह बिश्नोई** (लूणी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि पुलिस थाना, सांचोर में सी. आर. नं. 105/81, 106/81, 108/81 एवं 109/81 हाल ही में एक बिश्नोई धर्मशाला की कब्जाशुदा जमीन में झगड़े टंटे होने के बारे में केस दर्ज किए गए हैं ? यदि हां, तो उन मुकदमों के बारे में अब तक पुलिस द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

(श्री रामसिंह विश्नोई)

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त मुकदमों में स्थानीय पुलिस द्वारा निष्पक्ष छानबीन न करने एवं पक्षपात करने के बारे में शिकायतें उच्च पुलिस अधिकारियों के समक्ष की गई हैं ? यदि हां, तो कब एवं उन शिकायतों पर अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या उक्त सारे मामले को सी. आई. डी. पुलिस को सरकार सपुर्द करना उचित समझेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। इन मुकदमों में घटना स्थल के निरीक्षण का फोटोग्राफ कराये गये हैं तथा सम्बन्धित व्यक्तियों से मालिकाना हक के कागजात भी लिये गये है व पूछताछ जारी है।

(2) जी हां। दिनांक 28-8-81 को उप महानिरीक्षक, जोधपुर रेन्ज के समक्ष एवं दिनांक 19-8-81 व 31-8-81 को अपर पुलिस महानिरीक्षक, सतर्कता के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किये गये थे जिस पर मौके पर शान्ति व्यवस्था हेतु अतिरिक्त पुलिस प्रबन्ध लगाया गया एवं अपर पुलिस महानिरीक्षक सतर्कता द्वारा अनुसंधान पत्रावलियों का अवलोकन कर अनुसंधान क्राइम असिस्टेन्ट जालोर द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

(3) परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यकता होने पर ही इस पर विचार किया जावेगा।

जिला बाडमेर एवं जैसलमेर में पकडे गये तस्कर

41. **श्री अमीन खां (शिव)**: क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जैसलमेर सीमा के जिलों में वर्ष 1980 में तस्कर पकड़े गये ? यदि हां, तो कितने तस्कर ? कृपया थानावार सूची सदन की मेज पर रखें और तस्करो के नाम व ग्राम का नाम भी बतावें।

(2) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में विदेशी अधिनियम के तहत कितने केस दर्ज हुए हैं ? कृपया थानावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला बाड़मेर व जैसलमेर में भारतीय पासपोर्ट अधिनियम के तहत कितने केस दर्ज हुए ? कृपया नाम व थानावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) इन जिलों में तस्करी पासपोट एक्ट व विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमें कितने हुए एवं सन् 1971 से आने वाले शरणार्थियों की संख्या कितनी है और असली भारतीयों की संख्या कितनी है ? कृपया थानावार संख्या बतायें।

उत्तर

(1) वांछित सूचना सूची "अ" में संलग्न हैं।

(2) वांछित सूचना सूची "ब" में संलग्न है।

(3) वांछित सूचना सूची "ब" में संलग्न है।

(4) पासपोर्ट एक्ट एवं विदेशी अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज मुकदमों के बारे में सूचना सूची "ब" अंकित है। 1971 में भारत पाक युद्ध के फलस्वरूप

(गृह मंत्री)
कुल 57,344 शरणार्थि आये थे उनमें से 10713 बाद में वापस चले गये ।

(सूचना के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या एवं प्रदत्त सहायता राशि

42. श्री **घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में जुलाई, 1981 व अगस्त, 1981 में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या कितनी है। कृपया जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) मृतकों के परिवारों को राज्य सरकार की ओर से कितनी राशि सहायता के रूप में दी गई ?

उत्तर

(1) वांछित सूची संलग्न है ।

(2) माह जुलाई एवं अगस्त, 1981 में सड़क दुर्घटना में मृतक परिवारों को मुख्य मंत्री सहायता कोष से सहायता नहीं दी गई है।

(तालिका के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

भीलवाड़ा में जब्त की गई चीनी का प्रकरण

43. श्री **गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अक्टूबर, 1981 में राज्य में खुले बाजार में चीनी का विक्रय प्रतिबन्धित था ? यदि हां, तो किस आदेश से ? कृपया सरकारी आदेश की प्रति सदन के पटल पर रखें ।

(2) क्या रसद विभाग द्वारा जिला भीलवाड़ा के किसी व्यापारी की चीनी माह सितम्बर, 1980 के मध्य रेलवे स्टेशन के भीलवाड़ा पर रोकी गई थी ? यदि हां, तो किस फर्म की चीनी को रोका गया था ? चीनी कितनी थी तथा रोकने का कारण क्या था ?

(3) क्या राज्य के अन्य भागों में भी रसद विभाग द्वारा चीनी को खुले बाजार में बेचने से रोकने के लिए चीनी निश्चित कालावधि में जब्त की गई थी ?

(4) क्या भीलवाड़ा की उक्त फर्म, जिसकी चीनी रोकी गई थी, ने लिखित में यह आवश्वासन दिया था कि फर्म इस चीनी को 6 रु. प्रति किलो में जनता को बेचने को तैयार है ?

(5) क्या उक्त फर्म ने इसी चीनी की 12-13 रुपये प्रति किलो में बिकी की थी ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) हां, भीलवाड़ा स्टेशन पर 180 बोरी चीनी, जो दिनांक 23-8-80 को प्राप्त हुई थी, को दिनांक 11-9-80 व पुनः 180 बोरी, जो दिनांक 11-9-80 को प्राप्त हुई थी, को दिनांक 26-9-80 को जिलाधीश द्वारा डिलीवरी देने से रोकी गई थी । यह चीनी मैसर्स इंडिया शुगर एण्ड रिफाइनरी लि. होसपेट, आन्ध्र प्रदेश द्वारा सैल्फ बिल्टी नम्बर सी- 237689 सी- 227690, दिनांक

(नागरिक आपूर्ति मंत्री)

22-7-80 से क्रमश: 90-90 बोरी व सी-27691, दि. 29-7-80 से 180 बोरी कुल 360 बोरी भेजी गई थी और बिल्टियां बैंक के द्वारा मैसर्स ख्याली लाल धीरज कुमार, भीलवाड़ा को पेमेंट के विरुद्ध दिये जाने के निर्देश के साथ भेजी गई। मैसर्स ख्याली लाल धीरज कुमार, भीलवाड़ा ने भुगतान नहीं देकर ये बिल्टियां बैंक से नहीं छुड़वाई। जिलाधीश ने मैसर्स ख्यालीलाल धीरज कुमार, भीलवाड़ा द्वारा निर्धारित 100 बोरी शक्कर की सीमा से अधिक खरीद किये जाने के कारण इन 360 बोरियों को उक्त डीलर को नहीं दिये जाने के लिए स्टेशन मास्टर, भीलवाड़ा को दिनांक 11-9-80 व 26-9-80 को क्रमश: पत्र संख्या 4006 व 4162-63 से लिखा।

(3) जी, नहीं।

(4) इस प्रकार का भीलवाड़ा की फर्म द्वारा कोई आश्वासन नहीं दिया गया। मैसर्स इण्डिया शुगर एण्ड रिफाइनरी लि., होसपेट ने अपने पत्र आई. एस. आर. 732, दिनांक 27-9-80 द्वारा राजस्थान के किसी भी डीलर को विक्रय हेतु उनके प्रतिनिधि श्री जुगल शाह को अधिकृत किये। खाद्य विभाग के पत्र क्रमांक एफ. 17(108) खा. वि./विधि/80, दिनांक 27-10-80 के अनुसार जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा ने पत्र रसद 80-4549 दिनांक 30-10-88 द्वारा भण्डारण सीमा का उल्लंघन किये बिना उक्त 360 बोरी चीनी जिला भीलवाड़ा के किसी भी डीलर को नियमानुसार विक्रय किये जाने हेतु चीनी मिल के प्रतिनिधि को देने के लिए स्टेशन मास्टर, भीलवाड़ा को लिखा।

(5) जी नहीं। यह चीनी मैसर्स इण्डिया शुगर एण्ड रिफाइनरी लि., होसपेट के प्रतिनिधि द्वारा भीलवाड़ा के निम्न चार डीलरों को उनके सामने अंकित मात्रा व दर पर विक्रय की गई थी—

1- मै. कृष्णा ट्रेडिंग कम्पनी, भीलवाड़ा 90 बोरी दर 8.50 प्रति किलो।

2- मै. राजेन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी, भीलवाड़ा 90 बोरी दर 8.50 प्रति किलो।

3- मै. लादूलाल देवीलाल, भीलवाड़ा 90 बोरी दर 8.50 प्रति किलो।

4- मै. वर्धमान ट्रेडर्स, भीलवाड़ा 90 बोरी दर 8.50 प्रति किलो।

इन डीलरों ने अन्य रिटेलर होलसेलर एवं उपभोक्ताओं को 875 रु. प्रति क्विन्टल से विक्रय की गई।

झालावाड़ व डग क्षेत्र में आवंटित गेहूं

44 श्री **बालचन्द्र आर्यवीर** (डग), श्री **अनंगकुमार जैन** (झालरापाटन): क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झालावाड़ व डग क्षेत्र में राज्य के आपूर्ति विभाग ने कितना-कितना गेहूं गत तीन माह में पहुंचाया ?

(2) जिला झालावाड़ की किस-किस तहसील को कितना-कितना गेहूं दिया गया ? आबादी के प्रतिशत के हिसाब से कितना-कितना गेहूं प्रति व्यक्ति आवंटित किया गया ? कृपया विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले को माह जून व जुलाई में 800-800 एवं अगस्त में 400 मै. टन

(खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री)

गेहूं दिया गया। इसमें से डग क्षेत्र में जून में गेहूं का उठाव नहीं हुआ। जुलाई में 10 टन व अगस्त में 5 टन गेहूं का उठाव हुआ। राज्य सरकार द्वारा जिलों को गेहूं आवन्टित किया जाता है। जिलाधीश उक्त प्राप्त गेहूं को आवश्यकतानुसार तहसीलों को आवन्टित करते हैं। तहसीलदार उक्त आवन्टित गेहूं को विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार वितरण करवाते हैं।

(2) गत तीन माह के तहसीलवार आवंटन के आंकड़े निम्न प्रकार हैं:-

(मात्रा टनों में)

क्र. सं.	तहसील का नाम	जून, 81	जुलाई, 81	अगस्त, 81
1.	झालरा पाटन	400	400	200
2.	खानपुर	50	50	25
3.	पचपहाड़	100	125	60
4.	पिड़ावा	100	100	50
5.	अकलेरा	75	100	50
6.	गंगधार	75	25	15
	योग ..	800	800	400

जुन, जुलाई, 81 में 8-8 किलो ग्राम गेहूं एवं अगस्त, 81 में 4 किलो गेहूं प्रति यूनिट के हिसाब से वितरण कराया गया।

पंचायत समिति केशवराय पाटन में नलकूप लगाने की योजना

45. श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन): क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला बूंदी पंचायत समिति, केशवराय पाटन में कृषि सिंचाई हेतु नल कूप लगाने की योजना लागू करने के लिये सन् 1960 से अब तक सर्वे कराया गया था? यदि हां, तो कृपया सर्वे रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या पंचायत समिति, केशवराय पाटन में नलकूप योजना लागू करने का सरकार इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। बून्दी जिले की पंचायत समिति का कृषि सिंचाई हेतु वर्ष 1976-77 में भू-जल विभाग द्वारा अर्द्ध विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण प्रतिवेदन को प्रतिलिपि गोपनीय (रेस्ट्रिक्टेड डाकूमेन्ट) होने के कारण सदन में प्रस्तुत नहीं की जा सकती है।

(2) सर्वेक्षण प्रतिवेदन की सिफारिशों के आधार पर इस क्षेत्र के नहर से असिंचित गांवों के लिये एक लघु सिंचाई योजना बना कर कृषि-पुर्नवित्त एवं विकास निगम से स्वीकृत करायी जा चुकी है। यह योजना बैंक आफ बड़ौदा के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत 100 नये कुएं, 30 पुराने कुओं को गहरा करना एवं 100 पम्प सैट्स लगाने का लक्ष्य था, जिसके विपरीत 83 नये कुए, 27 कुओं को गहरा एवं 102 पम्प सैट्स लगाये गये इस क्षेत्र के नहर से सिंचित गांवों के लिए एक लघु सिंचाई योजना बनाकर कृषि पुर्नवित्त एवं विकास निगम को स्वीकृति हेतु भेजी जा चुकी है, जिसके अन्तर्गत 150 नलकूप एवं 150 पम्प सैट्स लगाने का लक्ष्य है। इस क्षेत्र की कोई भी

(भू-जल मंत्री)

नलकूप योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सुपर फास्फेट खाद से कृषकों को नुकसान

46. श्री **हीरा लाल आर्य** (पिपल्दा), श्री **दाऊदयाल जोशी** (दीगोद) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सुपर फास्फेट खाद में पूरे रसायनिक तत्व नहीं होने से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है जिसकी सूचना किसानों ने अधिकारियों को दी है ?

(2) यदि हां, तो कृषि विभाग द्वारा क्या उक्त खाद की जांच कराई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? हां, तो इस खाद में क्या कमियां पाई गई ?

(3) इस मामले में कौन व्यक्ति दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) सुपर फास्फेट खाद के विभिन्न श्रोतों से अप्रेल, 81 से अगस्त, 81 के बीच प्राप्त हुये 184 नमूनों का परीक्षण कराने पर उनमें से 42 नमूनों में रसायनिक तत्व निर्धारित प्रतिशत से कम पाया गया है। जो नमूने जांचे गये हैं उनमें निम्न स्तर के पाए जाने वाले सुपर फास्फेट में करीब 2 से 3 प्रतिशत तत्वों की कमी पाई गई है परन्तु निर्धारित मात्रा से कम तत्व होने से नुकसान भी उसी अनुपात में होता है। कृषि निदेशालय, राजस्थान, जयपुर में किसी भी किसान की शिकायत अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(2) उपरोक्तानुसार।

(3) परीक्षण के आधार पर निम्न स्तर का सुपर फास्फेट नीचे लिखे उर्वरक निर्माताओं का पाया गया:—

1. लिबर्टी पेस्टिसाइड्स, 2. हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर्स, 3. मधुवन केमीकल्स, 4. महाराणा खनिज उद्योग, 5. खींवां इण्डस्ट्रीज।

इनके विरुद्ध उर्वरक नियन्त्रण आदेश, 1957 के क्लाज 17 के तहत कार्यवाही की गई है।

केशवोराय पाटन सहकारी शुगर मिल

47. श्री **गोपाल पचेरवाल** (पाटन): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या श्री केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल को राज्य सरकार अपने अधीन लेने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। राज्य सरकार केशोराय पाटन सहकारी शुगर मिल को अपने अधीन लेने का इरादा रखती है। इसका निर्णय बहुत शीघ्र ले लिया जावेगा।

अपना बाजार, अजमेर का ऑडिट

48. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर-पूर्व): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अपना बाजार, अजमेर (सहकारी संस्थान) का ऑडिट किस वर्ष तक का हो चुका है ? कृपया वर्ष 1975-76 से

(श्री कैलाश मेघवाल)

1980-81 तक 6 वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट सदन के पटल पर रखें।

(2) इस सहकारी संस्थान के ऑडिट के बारे में नियमों में क्या प्रावधान हैं? उन प्रावधानों की पालना नहीं होने का क्या कारण है और उसके लिए कौन उत्तरदायी है?

उत्तर

(1) अपना बाजार पृथक से सहकारी संस्थान नहीं है। अतः इसके पृथक से ऑडिट करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

अपना बाजार, अजमेर सहकारी उपभोक्ता भंडार अजमेर की कई दुकानों में से एक है। भंडार का वर्ष 1975-76 का ऑडिट अगस्त, 1981 में पूर्ण हुआ है जिसकी ऑडिट रिपोर्ट को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है। इसलिये ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख सकना संभव नहीं है। 1975-76 के बाद के वर्षों का ऑडिट अभी नहीं हुआ है।

(2) राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 68 के अन्तर्गत प्रत्येक सहकारी संस्था का ऑडिट प्रति वर्ष होना आवश्यक है। परन्तु इस भंडार के लेखे समय पर पूर्ण न होने के कारण ऑडिट में विलम्ब हुआ, जिसका उत्तरदायित्व भंडार के प्रशासन का है।

पंचायत समिति, इटावा की सहकारी समितियों में गबन व अनियमितताएं

49. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार को पंचायत समिति इटावा की विभिन्न ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भारी गबन एवं अनियमितताओं की सूचना है?

(2) यदि हां, तो किन-किन ग्राम सेवा सहकारी समितियों में तथा क्या-क्या? कृपया विस्तृत जानकारी प्रत्येक सहकारी समितिवार सदन के पटल पर रखें।

(3) सरकार ने उक्त सहकारी समितियों में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जिन सहकारी समितियों में गबन के मामले पंजीकृत हुये हैं, उनके विवरण की सूची संलग्न है।

(3) दोषी व्यक्तियों से गबन की राशियां वसूल करने की कार्यवाही की गई है जिसका विवरण सूची के कालम 5 में दिया गया है।

(कृपया सूची के लिए परिशिष्ट 5 देखें)

सार्वजनिक चिकित्सालय प्रतापगढ़ में रोगी शैय्याएं बढ़ाना

52. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह की बताने कृपा करेंगे:—

(1) सार्वजनिक चिकित्सालय, प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ में रोगी शैयाएं कब-कब बढ़ाई जाती रही हैं?

Page No. 30

(32)

(श्री नन्दलाल मीणा)

(2) क्या यह सही है कि सार्वजनिक चिकित्सालय, प्रतापगढ़ में केवल 45 रोगी शैयाएं ही हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय ने फरवरी, 1981 में 121 शैयाएं होना बताया था, वह गलत है ? अब सरकार इस चिकित्सालय में 121 बैड्स कब तक स्वीकृत कर देगी ?

उत्तर

(1) वर्ष 1978 में 6 रोगी शैयाएं पोस्ट मार्टम योजना के अन्तर्गत और स्वीकृत की गई है।

(2) सार्वजनिक चिकित्सालय प्रतापगढ़ में मर्दाना, जनाना, क्षय निवारण, शिशु एवं पोस्ट मार्टम की कुल शैयाएं 121 हैं जिनका ब्यौरा निम्न है :—

मेल	45
फिमेल	30
क्षय	20
शिशु	20
पोस्ट मार्टम	6
कुल ..	121

जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अजमेर की मशीनों को ठीक रखने की व्यवस्था

53. **श्री कैलाश मेघवाल** (अजमेर पूर्व): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज, अजमेर में विभिन्न प्रकार की विभागीय मशीनों को ठीक करने हेतु एक वर्कशाप स्थापित है ?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्कशॉप के इन्चार्ज रीडर अथवा प्रोफेसर स्तर के व्यक्ति होने चाहियें और उसी दृष्टि से वर्तमान में डॉ. कर्णसिंह इस वर्कशॉप के इन्चार्ज हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस व्यवस्था के बावजूद जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के आचार्य ने अपनी तरफ से वर्कशाप के सामान आदि की खरीद के लिये एक लेक्चरार स्तर के व्यक्ति को लगा रखा है ?

(4) श्री राणामलिक ने लेक्चरार के रूप में दि. 1-4-1980 से दि. 31-8-81 तक कितनी कक्षाओं में पीरियड लिये हैं ? कृपया सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, यह सही है कि वर्तमान में डा. कर्णसिंह प्रोफेसर इस वर्कशॉप के इन्चार्ज है परन्तु यह आवश्यक नहीं कि वर्कशॉप का इन्चार्ज कोई प्रोफेसर अथवा रीडर ही हो।

(3) जी नहीं।

(4) श्री राणामलिक ने लेक्चरार के रूप में दिनांक 1-4-80 से 31-8-81 तक कुल 8 पीरियड (लेक्चर) लिये क्योंकि इस अवधि में बायोफिजिक्स का एक ही बैच था। इस कार्य के अतिरिक्त श्री राणामलिक प्रायोगिक व परीक्षाओं में भी मदद करते हैं।

राज्य में आंत्रशोथ से हुई मृत्यु

54. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सीकर):

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)
क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राज्य में जुलाई, 1981 व अगस्त, 1981 में आंत्रशोथ से कितने व्यक्ति मरे? कृपया जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

जिलेवार सूची संलग्न है।

(कृपया सूची के लिए परिशिष्ट 6 देखें)

राज्य के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पद

55. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य के अस्पतालों में इस समय कितने डाक्टरों के स्थान रिक्त हैं ?

(2) राज्य सरकार इन स्थानों को भरने हेतु क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) राज के विभिन्न चिकित्सालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इस समय सी. ए. एस. डाक्टरों के लगभग 300 पद रिक्त हैं।

(2) इन स्थानों को अस्थाई / तदर्थ नियुक्ति से भरने हेतु विभाग द्वारा अल्पकालीन विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। प्रार्थना-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 31-8-81 थी। डाक्टरों के अस्थाई तदर्थ नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हो रहे हैं। निकट भविष्य में आशा है कि नियुक्तियां दे दिया जाना सम्भव होगा।

आयुर्वेद विश्व भारती विद्यालय, सरदार शहर धात्री कल्पद पद हेतु साक्षात्कार का प्रकरण

57. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि आयुर्वेद विश्व भारती विद्यालय, सरदारशहर में दिनांक 28 तथा 29 अगस्त, 1981 को धात्री कल्पद प्रशिक्षणार्थियों की भर्ती हेतु साक्षात्कार किया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि इन साक्षात्कारों हेतु गठित चयन समिति में उप-निदेशक स्तर के एक अधिकारी भी दिनांक 25-8-1981 तक सदस्य मनोनीत किये गये थे जिनका होना नियमानुसार आवश्यक है ?

(3) क्या यह भी सही है कि दिनांक 25-8-81 को ही निदेशक, आयुर्वेद द्वारा चयन समिति के गठन में परिवर्तन कर उप-निदेशक के स्थान पर धात्री कल्पद प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर के एक लेक्चरार को मनोनीत कर दिया गया जो कि उप-निदेशक से कनिष्ठ स्तर के होते हैं ?

(4) यदि हां, तो इस परिवर्तन का कारण तथा औचित्य क्या था ?

उत्तर

(1) जी नहीं। नियमानुसार गठित बोर्ड द्वारा मेरिट के आधार पर सूची बनाई गई थी।

(आयुर्वेद मंत्री)

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं । चयन समिति के गठन में कोई परिवर्तन नहीं किया । दिनांक 26-8-81 के आदेश द्वारा आयुर्वेद निदेशक महोदय ने अपने नामजद विभागीय अधिकारी में जरूर परिवर्तन किया था । उस क्षेत्र के उप निदेशक अवकाश में भी थे ।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गत वर्ष में विभिन्न विभागों में स्वीकृत बजट

58. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सन् 1980-81 में विभाग का किस-किस मद में कितना-कितना बजट स्वीकार किया गया था ?

(2) स्वीकृत बजट में से किस धनराशि का उपयोग किस-किस मद में खर्च नहीं हो सका व क्यों ?

(3) बजट का सही-सही उपयोग हो इस हेतु किसकी जिम्मेदारी है ?

(4) बजट का उपयोग न होने से विभाग के किन अधिकारी पर मंत्रालय ने जिम्मेदारी फिक्स की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्ष 1980-81 में विभाग का स्वीकृत मदवार बजट संलग्न प्रपत्र (क) में प्रस्तुत है ।

(2) मदवार व्यय एवं बचत तथा बचत का कारण संलग्न प्रपत्र (क) में प्रस्तुत है । मदवार उपयोग नहीं होने के मुख्य कारण निम्न हैं :-

(1) पदों की रिक्तता ।

(2) अल्पकालीन निविदा दाताओं द्वारा निविदा में शर्तें रखने के कारण व मिल जाने पर निविदा का निरस्त होना है । औषधियां क्रय नहीं की जा सकीं ।

(3) बजट के सही सही उपयोग हेतु निदेशालय की जिम्मेदारी है ताकि समय पर निविदा आमंत्रित कर स्टोर पर्चेज कमेटी की मीटिंग में रक्खा जा सके ।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(प्रपत्र के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री नन्दलाल मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु कोई राशि का प्रावधान न होने और शासन सचिव, विशिष्ट योजना संगठन की मनमानी के कारण बंधुआ मजदूरों की मुक्ति एवं पुनर्वास का कार्य न होने के विषय में,

(2) सर्व श्री अनंग कुमार जैन व बालचन्द्र आर्यवीर, सदस्य, विधान

(श्री अध्यक्ष)

सभा की ओर से मनोहरथाना पुलिस स्टेशन पर पुलिस द्वारा ग्राम सेवक, श्री गोपालसिंह की निर्मम पिटाई से मृत्यु होने के विषय में,

(3) सर्व श्रीहंसराज व महावीरप्रसाद जैन, सदस्य, विभाग सभा की ओर से गत 16 अगस्त की रात्रि को कुछ व्यक्तियों द्वारा गांव कांसीर, जिला सवाई माधोपुर में एक मोर को गोली मार कर मार देने के विषय में,

(4) सुश्री पुष्पा जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 16 फरवरी को कांग्रेस द्वारा आयोजित किसान रैली में भेजी गई राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की अनुवन्धित वसों का करीव 43 लाख रुपय के किराये को न चुकाये जाने के विषय में,

(5) श्री चन्द्रवीर सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जैसलमेर जिले में अकाल के वावजूद वालदिया भाटों द्वारा हजारों की संख्या में दूध रहित व रद्दी नस्ल की गायों को लेकर प्रवेश करने के विषय में,

(6) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर शहर में मोहल्ला माजीसा का वास में एक मन्दिर, विद्यालय तथा साधारण स्थानों के दायरों में शराब का ठेका खोल देने के विषय में,

(7) श्री समर्थलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजगढ़ हायर सैकण्डरी स्कूल की हालत जीर्ण शीर्ण हो जाने के विषय में,

(8) श्री मेघराज तावड़ तथा श्री त्रिलोक सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से महिला आश्रम, भीलवाड़ा द्वारा संचालित आदिवासी कन्या छात्रावास के बन्द कर देने के विषय में,

(9) श्री भगवान दास शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की ओर से अजमेर महाविद्यालय के 17 प्राध्यापकों का एक साथ स्थानान्तरण हो जाने के विषय में,

(10) श्री वंशीलाल पटवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से शिक्षा विभाग द्वारा अनेक विद्यालय निर्धारित मापदण्ड के विरुद्ध खोल देने के विषय में,

(11) सर्व श्री रघुवीरसिंह कौशल, हीरालाल आर्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से श्रीराम कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स, कोटा के द्वारा निष्कासित जल में प्रदूषण की मात्रा अधिक होने से जमीन की शक्ति व मवेशियों की उम्र में कमी होने व चम्बल की मछलियां मर जाने के सम्बन्ध में,

(12) श्री महाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से पंचायत समिति, मूण्डवा, जिला नागौर में लघु सीमान्त एवं अनुसूचित जाति के कृषकों को ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत ऋण स्वीकृत नहीं होने के विषय में,

(13) श्री दाऊदयाल जोशी व श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटा नगर में वाणिज्य महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा किये जा रहे आन्दोलन के विषय में,

(14) श्री रामकिशोर मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से नये जिलों का निर्णय होने के वावजूद राज्य सरकार द्वारा उसे लागू नहीं किये जाने के विषय में,

(श्री अध्यक्ष)

(15) श्री गुलाबचन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा की ओर से माही परियोजना के अन्तर्गत पावर हाउस नम्बर एक पर बनाये गये कोफर डेम पर अनावश्यक व्यय होने के विषय में,

(16) डा. उजला अरोड़ा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर नगर में माह जून, 1981 से राशन की चीनी का वितरण न करने के विषय में,

इन उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा ।

(17) श्री कैलाश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य इन्जीनियरिंग कालेजों तथा पोलीटेक्निक संस्थानों में सीटें कम होने के कारण कोटा में इन्जीनियरिंग कालेज खोलने की घोषणा तथा भीलवाड़ा व भरतपुर में दो पोलीटेक्निक संस्थान खोलने व सभी पोलीटेक्निक संस्थानों में 30-30 सीटें नहीं बढ़ाने के कारण छात्रों को प्रवेश नहीं मिलने के विषय में ।

मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न पर शिक्षा मन्त्रीजी दिनांक 18 सितम्बर, 1981 को सदन में एक वक्तव्य दें ।

(18) श्री रतनलाल ताम्बी व श्री महाराम चौधरी, सदस्य, विधान सभा ने क्रमशः भीलवाड़ा व नागौर जिले में अकाल की स्थिति के सम्बन्ध में दो स्थगन प्रस्ताव दिये हैं ।

अकाल व बाढ़ के विषय में सदन में आज व कल चर्चा होगी।

(19) श्री जीतमल जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से अलवर नगर में राजस्थान आवासन मण्डल के मकान साधारण वर्षा में ही ढह जाने के विषय में। इस प्रश्न को 17 सितम्बर, 1981 को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में स्वीकार किया जा रहा है।

अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं ।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव सुबह रखा गया था ..

श्री अध्यक्ष : जो आज आये हैं उन पर मैंने व्यवस्था दे दी है ।

(व्यवधान)

मैं एक-एक करके सबको लूंगा ।

श्री राजबहादुर (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, कल जो स्थगन प्रस्ताव दिया था, सरकार का जवाब आने तक उसके बारे में निर्णय क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है । अभी जवाब नहीं आया ।

श्री राजबहादुर : जवाब नहीं आया तो उसका महत्व ही खतम हो जाता है । It is about Cement and Petroleum products. इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा था, विशेष रूप से चीनी, सीमेन्ट और पैट्रोलियम प्रोडक्ट

(श्री राजबहादुर)
के बारे में, जो पहले ही कम होता है और जो महाराष्ट्र में हुआ प्रत्येक चीनी के बोरे पर तथा प्रत्येक सीमेन्ट के बोरे पर पैसा लिया गया है। पैसा लेने के बाद सरकार को खुश करने का, और जो कानून है उसका उल्लंघन का वर्णन किया है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने जानकारी मांगी है। आज ताकीद और कर दूंगा। जानकारी आ जायेगी, उसके ऊपर निर्णय ले लेंगे।

श्री राजबहादुर : बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री चन्द्रवीरसिंह।

श्री चन्द्रवीरसिंह (जैसलमेर) : मेरा स्थगन प्रस्ताव आपने जानकारी के लिए भेजा है, यह एक अहम मसला है।

श्री अध्यक्ष : मेरा चुनाव क्षेत्र आपके पड़ोस में है। मुझे भी इस स्थिति का ध्यान है।

श्री चन्द्रवीरसिंह : पाकिस्तान में गायें कटने के लिये जा रही हैं। उनको फौरन रोका जाये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। भाषण नहीं होगा माननीय सदस्य। आप उत्तर चाहते हैं, या दो मिनट का भाषण देना चाहते हैं, यह आपको तय करना है। यदि आप उत्तर चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस पर उत्तर मंगाकर कुछ न कुछ कार्यवाही की जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उत्तर ठीक तरह से दे दिया जाय सरकार से। माननीय सदस्य की मन्शा का पता लग जायगा कि वह किस बात का उत्तर चाहते हैं। आम तौर पर प्रारम्भिक रूपरेखा दे दें तो कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कल आया था, स्थगन प्रस्ताव सरकार के पास भेजा है। यकायक कैसे कह सकेंगे कि इसमें क्या स्थिति है।

श्री दाऊदयाल जोशी।

श्री चन्द्रवीरसिंह : हजारों गायें पाकिस्तान में.....

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): मेरा निवेदन है कि कोटा के राजकीय महाविद्यालय में गत 9 दिनों से हड़ताल चल रही है

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। भाषण नहीं।

श्री दाऊदयाल जोशी : टेलीग्राम की कापी है.....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री दाऊदयाल जोशी : यूनियन के नेता का 7 किलो वजन कम हो गया वह मर जायगा।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। भाषण नहीं होगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : वह प्राणों की बाजी लगाकर बैठा हुआ है केवल छोटी छोटी बातों को लेकर...

श्री अध्यक्ष : जानकारी ली जा रही है। आप अलग से चैम्बर में मिलें। अगर कोई

(श्री अध्यक्ष)
शंका है तो दूर की जायगी । आप भाषण देना चाहते हैं। मैं भाषण की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री नाथूसिंह ।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रवीरसिंह : आसन पैरों पर है, यह क्या हो रहा है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । श्री ललित किशोर चतुर्वेदी ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य और मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है वह सरकार को जानकारी के लिये आपने भेजा है। हम भाषण नहीं करना चाहते। मैं कहता हूं आप रिजेक्ट कर दें। कारण यह है कि....

श्री अध्यक्ष : रिजेक्ट कल कर देंगे ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कल नहीं आज ही कर दें। तीन दिन हो गये, उसको एसेटोन आ रहा है । अध्यक्ष जो उस कालेज के हैं वह आमरण भूख हड़ताल पर हैं। उनके पैर में फेक्चर हो चुका है । फ्रेक्चर की स्थिति में वह भूख-हड़ताल पर बैठा है। कल कोटा बंद का आह्वान है । जानकारी जो आवेगी उसके बाद क्या होगा ? अगर यहां पर फैक्ट्स मंत्री महोदय के सामने रख देंगे तो उनको फायदा हो जायगा । मैं चाहता हूं, आप रिजेक्ट कर दें और इस सारी स्थिति पर बोलने का मौका दें ।

श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : आज पंजाब से राजस्थान को भाखरा से मिलने वाला पानी बंद कर दिया गया, कम दिया जा रहा है उस बारे में स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : वह लेट आया । उस पर भाषण की इजाजत नहीं मिलेगी ।

श्री नाथूसिंह : भाषण नहीं देना है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य, नियमों का ध्यान रखें ।

श्री नाथूसिंह : आप मुख्य मंत्री से कहें, राजस्थान के हितों का सवाल है

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री नाथूसिंह : मैं भाषण नहीं देना चाहता मैं चाहता हूं कि मुख्य मंत्री भाषण दें। पानी नहीं मिल रहा है, अकाल पड़ा है ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज माननीय सदस्य इस पर कल व्यवस्था दी जायगी ।

श्री नाथूसिंह : आप वक्तव्य दिला दें।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): मैंने स्थगन प्रस्ताव आज दिया चीनी के बारे में। कई माह की चीनी नहीं मिली । मेरी पार्टी धरने पर बैठी है। 4 माह से सरकार को बाध्य करते चले आ रहे हैं मैं चाहती हूं कि बोलने का अवसर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : चीनी वाले में ?

श्रीमती उजला अरोड़ा : जी हां। मेरा स्थगन प्रस्ताव नं. 16 है।

श्री अध्यक्ष : चीनी वितरण के संबंध में अवसर दे देंगे ।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): मैंने परसों स्थगन प्रस्ताव दिया है। 24 अगस्त का केस है। पुलिस ने काफी संघर्ष भी किया है। छोटे छोटे बच्चों को पकड़ा है

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भगवानदास शास्त्री : परसों दिया है। सारे अजमेर में 4 घंटे तक असामाजिक तत्वों का राज रहा। बी.बी.सी. रेडियो बोल चुका है। इन्टरनेशनल · · ·

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अगर आप चाहते हैं कि मैं जानकारी मंगाऊं · · ·

श्री भगवानदास शास्त्री : जैसी आपकी इच्छा।

व्यवस्था का प्रश्न

राज्यपाल द्वारा विधान सभा सत्र का आह्वान

श्री नाथूसिंह : व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने कल नियम 294 के तहत व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, और आपने व्यवस्था दी थी कि इस बारे में विचार करके निर्णय दिया जायगा। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है

श्री अध्यक्ष : किस बारे में ?

श्री नाथूसिंह : मैंने कल कहा था राज्यपाल महोदय · · ·

श्री अध्यक्ष : मैंने दो दिन का समय मांगा था।

श्री नाथूसिंह : उसमें मेरा निवेदन है है कि · · ·

श्री अध्यक्ष : दुबारा भाषण नहीं होगा। भाषण दे रहे हैं और क्या कर रहे हैं ? कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, मैंने अपनी व्यवस्था रिजर्व्ड रखी है। आर्डर प्लीज। मैंने अपनी व्यवस्था सुरक्षित रखी है। आज या कल तक दे दूंगा। मैंने दो दिन का समय मांगा था।

(व्यवधान)

श्री भगवानदास शास्त्री : नये राज्यपाल नियुक्त किये जा रहे हैं। अब नये राज्यपाल आ रहे हैं · · ·

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री नाथूसिंह : मान लीजिये राज्यपाल कल बदल जाते हैं। उनके बिना सदन चल नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मैंने उसकी भी व्यवस्था दे दी थी।

श्री भगवानदास शास्त्री : बरार चार्ज ले रहे हैं। मैंने अच्छी तरह से पढ़ा है।

श्री अध्यक्ष : आप व्यर्थ में समय ले रहे हैं सदन का। आर्डर प्लीज। मैंने अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। एक या दो दिन में निर्णय दे दूंगा।

श्री भगवानदास शास्त्री : नियुक्ति के बाद निर्णय देंगे ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री बालचंद आर्यवीर (डग): 14 तारीख को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जो महिलायें हैं,

(श्री बालचन्द्र आर्यवीर)

पीड़ित लोगों की सहायता करने गये थे, उनके साथ पुलिस की···।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्यगण ।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर: यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी मंगायें । आपको मालूम है कि जयपुर और उसके आसपास कितनी बाढ़ आई··।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है ।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : जो अहम मसले हैं वे दब जाते हैं, जवाब नहीं आ पाता ।

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : मैं आश्वासन चाहता हूं

श्री अध्यक्ष: मैंने जानकारी मंगाई है···।

(व्यवधान)

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : जल्दी से जल्दी जवाब आयेगा नहीं । अहम मसला है, दब जाता है ···

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ···

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : महिलाओं के साथ ×××

श्री अध्यक्ष : नहीं तो यह कर देंगे, आपने भाषण दे दिया । वह रिजेक्ट हुआ समझा जाता है। आप यही चाहते हैं? आप स्थगन प्रस्ताव का जवाब नहीं चाहते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं ।

श्री नाथूसिंह : मेरा निवेदन है कि··

श्री अध्यक्ष : इसका मतलब, स्थगन प्रस्तावों के बारे में आप विशेष सीरियस नहीं हैं। आर्डर प्लीज। मैं मंगवा रहा हूं ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी ।

श्री बाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, कोटा नगर में वहां के राजकीय वाणिज्य महा विद्यालय के विद्यार्थी गत एक माह से आंदोलित हैं। 14-9-1981 को वाणिज्य महाविद्यालय, छात्र यूनियन की ओर से राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री शिवचरण माथुर राज्य सरकार के सामने विद्यार्थियों ने 6 मांगों का परिपत्र प्रेषित किया था । आप अगर मांगें देखेंगे तो देखने के बाद आपको लगेगा कि आखिरकार यह क्या सरकार है? इतनी छोटी सी मांगों को मानने के लिये हठधर्मी अपना रही है। इन मांगों में कोई कौड़ी नहीं लगने वाली है, पैसा नहीं लगने वाला है और नहीं सरकार पर बोझ आने वाला है मांगें होते हुये भी राजस्थान के मुख्यमंत्री तथा राज्य के शिक्षा मंत्री से कोटा क्षेत्र के 50-50, 60-60 विद्यार्थी, डेप्यूटेशन में आकर पिछले 7 दिनों में मिल चुके हैं। दुर्भाग्य है कि चंदनमल जी की हठधर्मी के कारण वहां के विद्यार्थी आंदोलित हैं और पिछली 13 तारीख से वहां के छात्र यूनियन के अध्यक्ष श्री सुधीर गर्ग, अपनी जान की बाजी लगाकर प्राणोत्सर्ग करने के लिये आमरण अनशन पर बैठे हुये हैं । आज जो रिपोर्ट मेरे पास आई है, उसमें पेशाब में ऐसे टोन आने लगी है, उसका 7 किलो वजन घट चुका है। मैं मांगों के संबंध में निवेदन करना

××× शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री दाऊदयाल जोशी)

चाहता हूं कि उनको देखने के बाद आप स्वयं भी महसूस करेंगे कि यह क्या उपहास है। ऐसी सरकार को हम सक्रिय सरकार कहें? पहाड़िया सरकार को तो लोग कहते थे कि निष्क्रिय सरकार थी

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : पहली मांग है, कोटा नगर परिवहन सेवाओं को शीघ्र प्रारंभ किया जाय। नगर परिवहन सेवायें बंद कर दी गई। वाणिज्य महाविद्यालय, कोटा से 7 मील दूर स्थापित है। 7 मील दूर विद्यार्थी कैसे जायगा? किस प्रकार जायगा? यह कोई मांग है? इस मांग को तुरंत मान लेना चाहिये। चंदनमल बैद यहां विराजे हैं, तो घोषणा कर दें, आज ही नगर परिषद को आदेश देकर नगर परिवहन सेवा प्रारंभ की जाय।

दूसरी मांग उसी के साथ है, राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय, कोटा में आनर्स की कक्षायें शुरू की जायें।

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मन्त्रीजी आज ही घोषणा कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप हम पर तो प्रतिबन्ध लगा देते हैं कि काम रोको प्रस्ताव, जो हम आपके पास भेजते हैं, 9 बजे तक आपके पास आ जाने चाहिये। हम तो पहले ही दे देते हैं किन्तु मन्त्री महोदय उसका समय पर उत्तर नहीं देते हैं। उनको आपके द्वारा यह सूचना दी हुई है कि आपके विभाग से संबंधित काम रोको प्रस्ताव होंगे। मैं दूसरी बात आपकी सेवा में निवेदन कर रहा हूं वह यह है कि कम से कम काम रोको प्रस्ताव जो हम रखते हैं, उस वक्त संबंधित मंत्री को यहां पर अवश्य उपस्थित रहना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि न तो मंत्री हैं, न संबंधित उपमंत्री हैं। दूसरी मांग मैंने आपके सामने रख दी है। तीसरी मांग है, राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय, कोटा के छात्रों हेतु शीघ्र ही पृथक् छात्रावास की स्थापना की जाये। यह भी सही मांग है, मैं समझता हूं कि शिक्षा मन्त्रीजी को तुरन्त मान लेनी चाहिये। जो भूख हड़ताल वहां पर चल रही है, उसको समाप्त करने के लिये आज ही, विधानसभा में आपके माध्यम से यह घोषणा कर देनी चाहिये कि यह मांग मान ली गयी। चौथी मांग है उनकी · ·

श्री अध्यक्ष : कुल कितनी मांगें हैं?

श्री दाऊदयाल जोशी : कुल 6 मांगें हैं। उनकी चौथी मांग है, राजस्थान वाणिज्य महाविद्यालय, कोटा के निर्माणाधीन अपूर्ण भवन का निर्माण शीघ्र किया जाये। अध्यक्ष महोदय, यह भी शीघ्र मान ली जानी चाहिये वहां के छात्र टिनशेड में बैठते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि कोटा महाविद्यालय, कामर्स कालेज टिन शेड में चले, इससे ज्यादा बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार के कोष में ऐसा तो अभाव नहीं है। यह सही है कि राज्य सरकार घाटे की सरकार है, कल जैसा कि माननीय मन्त्री चन्दनमलजी ने कहा था, वह आज ही घोषणा

(श्री दाऊदयाल जोशी)

करें कि इस सत्र में वहां भवन पूरा हो जायेगा। पांचवी मांग यह है कि राज्य कर्मचारियों एवं उन पर आश्रित संबंधियों को शिक्षा शुल्क में आयकर की सीमा तक मुक्ति दी जाये। मैं समझता हूं कि यह भी सीधी-सादी मांग है। अध्यक्ष महोदय, छठी मांग है, 36 प्रतिशत तक अंक प्राप्त करने वाले सभी छात्रों को अगली उच्च कक्षाओं में प्रवेश दिया जाये। सभी को शिक्षा की बात हमारी सरकार ने कही है। कल जो सुनहरी किताबें हमें मिली है 20 संकल्प वाली, उसमें भी लिखा है कि हम सभी को शिक्षा देंगे। पर जब छात्रों का डेपूटेशन मन्त्री जी से मिलने गया, तो बाद में उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कहा है कि 36 प्रतिशत से कम अंक वालों को हम प्रवेश नहीं देंगे। तो यह 36 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्र कहां जायेंगे। आप कह दो, जो फर्स्ट व सैकन्ड है, जैसे रेलवे में फर्स्ट सैकन्ड हो गयी और थर्ड गायब हो गयी। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि 36 प्रतिशत अंक वाले छात्र तो आज बड़ी तादाद में हैं। उनको प्रवेश दिया जाये, उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाया जाय। एक साल फेल हो सकता है, दूसरे साल में पास हो सकता है और तीसरे साल फर्स्ट कलास आ सकता है। केवल 36 प्रतिशत के आधार पर प्रवेश दिया जावे, बाकी जो रिजेक्टेड माल है वह जाये तो भाड़ में जाये, उसको शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार नहीं करेगी।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये।

श्री दाऊदयाल जोशी : मेरा तो इतना ही निवेदन है कि राज्य सरकार विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ कर रही है वह नहीं किया जाय। कल कोटा नगर बन्द रहा है। कोटा नगर की दस शिक्षण संस्थायें बन्द हो चुकी हैं। मेरा आपसे पुनः कर बद्ध निवेदन है कि कि कोटा नगर में कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिये तथा कोटा नगर के विद्यार्थियों के हित में राज्य सरकार आज ही घोषणा करे। संबंधित मंत्री यदि यहां पर नहीं हैं तो न सही, दूसरे मन्त्री तो हैं। उनकी सम्मिलित जिम्मेदारी है। वह आज ही यहां पर घोषणा करें कि कोटा के विद्यार्थियों की मांग स्वीकार कर ली है।

श्री अध्यक्ष : श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, इस स्थगन प्रस्ताव को मैं भारी मन से रख रहा हूं। शिक्षा मन्त्री जो यहां पर नहीं हैं, उप शिक्षा मन्त्रीजी यहां पर नहीं हैं तो कोई फिक्र की बात नहीं, कोटा, बून्दी और झालावाड़ के मन्त्रीजी यहां पर हमारे सामने बैठे हैं, वह उनको सारी जानकारी दे देंगे। सारी सिचुएशन की ग्रैवेटी उनको समझा देंगे। कोटा नगर की सिचुएशन लॉ एण्ड आर्डर से ग्रसित है। आज वहां की स्थिति बहुत खराब हो रही है। कोटा नगर में आप आग नहीं सुलगायें, आप कोटा को जलने नहीं दें। ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है कोटा में आज कि आग बढ़ते बढ़ते वहां लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन ऐसी न हो जाये कि आप उसको कन्ट्रोल ही न कर सकें। कल जब मैं आ रहा था, तो उस के पहले और विषयों को लेकर गृह राज्य मन्त्री ने कहा था कि "कोटा की सिचुएशन सचमुच ही बहुत खराब है। उनको पता नहीं था इस एजूकेशन के विषय का। किन्तु एक प्रकार घास में आग लगाने वाली बात हो रही है पिछले तीन महीनों से। वहां पर भूख हड़ताल करने का नोटिस दिया 15 दिन पहले, आज चौथा है दिन भूख हड़ताल का, सात किलो वजन कम हो गया है। एजीटेशन बहुत तो

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

आ गया है। दाऊदयाल जोशी जी ने तो कहा था कि मन्त्री जी से मिले थे, पर मैं यहां यह आरोप लगाना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय ने उनको मिलने का मौका ही नहीं दिया। मिलने का समय ही नहीं दिया। मैंने उनको कहा, आप चले जाइये। बाद में वहां पर बात नहीं की। वहां पर चर्चा चल रही है। आप अपने आप बिना समय दिये कैसे आगये। शिक्षा मन्त्री ने कहा कि डी वाई. एस.पी. को बुलाता हूं। क्या इस प्रकार यह सरकार चलायेंगे? क्या वह राजस्थान के विद्यार्थियों को सुलगाना चाहते हैं? मैं इन सभी बातों की चर्चा नहीं करना चाहता हूं। मैं तो यह चर्चा करता हूं कि 40 प्रतिशत का जो नियम बना दिया है कामर्स में प्रवेश देने के लिये, क्या 40 प्रतिशत से कम वालों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा? साइन्स की बात होती, तो समझ में आ सकती थी। साइन्स में लेबोरेट्री होती है, उसमें जगह नहीं हो सकती है। इन्जीनियरिंग हो तो बात समझ में आ सकती है कि नम्बर कम होते हैं तो प्रवेश नहीं दिया जाय। लेकिन कामर्स और आर्ट्स में क्या आपत्ति है? शिक्षा मन्त्री जी यहां होते तो मैं पूछना चाहता, आपने यहां तीनों विश्वविद्यालय के कुलपतियों को बैठाकर रिकमन्डेशन करा दी और सरकार ने उसको मानकर एक सरक्यूलर जारी कर दिया कि 40 प्रतिशत से कम नम्बर वालों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। शिक्षा मन्त्री जी कामर्स और साइन्स अलग-अलग है। आज कामर्स की मांग हो गयी है बाजार में कामर्स की आवश्यकता हो गयी है, तो आप प्रवेश के द्वार बन्द करना चाहते हैं। सरकार ने सरक्यूलर भेज दिया कहते हैं 40 प्रतिशत चाहिये। आज कोटा में कोई प्राइवेट कालेज नहीं है। हमारे यहां पर बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज हैं लेकिन कोटा में कोई प्राइवेट कालेज नहीं है। गवर्नमेंट कालेज में एडमिशन आप विद्यार्थियों को दे नहीं रहे हैं। आज यहां पर गवर्नमेन्ट कालेज में एडमिशन नहीं हो, तो आप पारीक कालेज में एडमिशन ले सकते हैं। शिक्षा मन्त्री यहां नहीं हैं, मैं बताना चाहता हूं कि छोटूलाल मीणा को 34 प्रतिशत पर टी. डी. सी फर्स्टईयर में पारीक कालेज में एडमिशन मिला, जयसिंह राजावत को 34 प्रतिशत पर तथा प्रमोदकुमार का 37 प्रतिशत पर एडमिशन हुआ मेरे पास लम्बी सूची है। क्योंकि यहां पर प्राइवेट कालेज हैं, इसलिये वह लोग प्रवेश ले सकते हैं। आखिर कोटा के विद्यार्थी कहां जायें। आज लोग गंगानगर जा सकते हैं और कहीं जा सकते हैं, पर कोटा के कहां जायें? आज राज्य सरकार द्वारा भेद-भाव किया जा रहा है। इससे विद्यार्थियों में हीन भावना पैदा कर रहे हैं। शिक्षा मन्त्री जी उत्तर दें। 40 प्रतिशत से कम अंक वालों का क्या होगा, क्या वह बता सकते है, अभी मन्त्री महोदय तथा दोनों मन्त्री नहीं है। विद्यार्थियों ने क्या मांग की है। कोई बड़ी मांग नहीं है। वह चाहे तो सैक्शन बढ़ा सकते है। सैक्शन बढ़ा कर विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है। आज कोटा के अन्दर सिटी बस पिछले तीस दिनों से बन्द है। कहा जाता है कि कोई सिटी बस वालों से झगड़ा हो गया था। अगर कन्डक्टर सिटी बस नहीं चलाना चाहते हैं, वैसे तो नगरपालिका चलाती है, लेकिन नगरपालिका पर इतना तो अधिकार सरकार का भी है, वहां का कन्डक्टर अगर नहीं चलाना चाहता है तो राजस्थान स्टे

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)
रोडवेज ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन चलाये । क्या कर रहे हैं राजस्थान के ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर ? वह देख रहे हैं, कोटा से 8 मील दूरी है . . . .

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिये ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं, कोटा के विद्यार्थी आन्दोलित हैं कन्डक्टर नहीं चलाना चाहते हैं सिटी बस ? ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर को कहना चाहिये कि सिटी बस कण्डक्टर नहीं चलाना चाहते हैं, तो राजस्थान स्टेट रोडवेज चलायेंगी । 12 मील की दूरी है, 12 मील से कोई भी व्यक्ति स्टेशन से चल कर कार्मस कालेज आयेगा । कहां स्टेशन-कहां भीमगन्ज मण्डी और कहां कामर्स कॉलेज । कोई भी अपनी कार में नहीं आ सकता है, कोई भी अपनी साइकल पर भी नहीं आ सकता है। दो बार आना जाना होता है, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं पिछले तीन वर्षों में जब जनता पार्टी की सरकार थी · · · ·

श्री अध्यक्ष : लम्बा भाषण नहीं होगा, माननीय सदस्य ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं जिससे एक तस्वीर सामने आ जाय। मन्त्री महोदय विचार तो करें क्योंकि कोटा नगर से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीत कर आया है,इसलिये राजनैतिक भेदभाव किया जा रहा है । कोटा के मन्त्री जी बैठे हुये टुकुर टुकुर देखते रहे है । उनकी बात चलती नहीं है विद्यार्थी कहां जायें ? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मांगों के तथ्य सरकार के सामने आये आखिर सरकार की नीति क्या है ? साइन्स के लिये मैं मान सकता हूं, बात समझ में आ सकता है । शिक्षा के बारे में मुझे भी जानकारी है । आप कह तो सकते हैं कि अगर ऐसा मौका हुआ, तो इस प्रकार सैक्शन खोले जायेंगे । किन्तु यह एक नई बात करके एक प्रकार से छात्रों में मतभेद पैदा किया जा रहा है । कोटा जयपुर और उदयपुर के विद्यार्थियों में · · · ·

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कोटा को सुलगाये नहीं, कोटा की हालत खराब हो जावेगी ? हम चाहेंगे तो भी बचेगा नहीं विद्यार्थी मेमोरेन्डम दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी मिल नहीं रहे हैं । शिक्षा मंत्री जी की हिम्मत नहीं है । शिक्षा मंत्री जी घबराते हैं । पुलिस को बुलाते हैं । पुलिस के सहारे कब तक रहेंगे श्रीमान् चन्दनमल जी बैद ? शिक्षा मंत्री महोदय कब तक पुलिस के पीछे रहेंगे ? क्या बच पायेंगे ? इस प्रकार के विषय हैं, जो कि प्रबल हो रहे हैं । मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं, सरकार को कहना चाहता हूं कि समय को याद रखें'····

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर । स्थान ग्रहण करें ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : इस बात में देरी नहीं करें और उनको मौके पर बैठा कर विचार करें । कम से कम हां या ना करें, बातचीत तो करें स्थिति इस प्रकार की बनेगी, मैं तो चाहता हूं कि मंत्री महोदय के क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थी आते हैं ····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह लम्बी बहस नहीं होगी, आसन पैरों पर है । भाषण समाप्त हुआ ।

Page No. 43

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : स्थगन प्रस्ताव रखने का मतलब यह था कि मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस बारे में, वह कुछ कहेंगे, और आगे आकर वक्तव्य देंगे । वहां के लोगों से बात चीत करेंगे । इसी के साथ बात समाप्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्री जी आज यहां पर नहीं हैं....

श्री बाऊदयाल-जोशी : अंधों के सामने रोना और अपनी आंख खोना है ....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर । माननीय सदस्य ।

श्री बाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता था कि अंधों के सामने रोना और अपनी आंखें खोना है यह तो । हमने इतनी जोर शोर से कहा पर हमारी बात को किसी ने सुना नहीं । अंधों के सामने रो रहे हैं, यह मानें क्या ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर माननीय सदस्य ।

श्री बाऊदयाल जोशी : दोनों मंत्री बैठे हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों से निवेदन किया था कि मैंने सरकार से सूचना चाहती है, लेकिन किन्हीं बातों से आपको इतनी ताकीद थी कि आप अपना भाषण देना चाहते थे । अब उसके पश्चात् आप चाहते हैं कि मंत्री जी जवाब दें । आज मंत्री जी नहीं हैं ।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : जवाब तो आप तलब करें । हम को जवाब नहीं लेना ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

डाक्टर उजला अरोड़ा ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है कि जयपुर नगर में, और जयपुर में, पिछले 4 महीने जून, जुलाई, अगस्त और सितम्बर-समाप्त हो रहा है किन्तु चीनी कुल मिला कर एक महीने की 40 प्रतिशत दे रहे हैं, अर्थात 100 में से 40 आदमियों को यदि चीनी दी जायेगी, कितनी चीनी? मैं कहना चाहूंगी कि जयपुर में 12525 क्वि. चीनी का हमारा कोटा बैठता है जितने यूनिट्स हैं उसके हिसाब से, और चीनी कुल मिलाकर 4 महीने में मिली है 52200 क्वि. । मैं यह पूछना चाहती हूं कि राजस्थान सरकार जिसने यह बात अपने हाथ में रखी है, वितरण की व्यवस्था उन्होंने रखी है कि हम समाज को चीनी खिलायेंगे वह उचित व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रही है? मैं पूछना चाहती हूं कि या तो वह छोड़ दें इस बात को रटना कि हम चीनी खिलायेंगे....

श्री अध्यक्ष : पूछने के अवसर का तो आपने उपयोग किया नहीं । आप तो भाषण देना चाहती हैं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा: मैंने फरवरी में बात रखी थी । फरवरी में स्थगन प्रस्ताव रखने के बाद चीनी वितरित कर दी होली के महीने में । आपको ध्यान हो तो तब

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
से लेकर आज तक होली से दिवाली आगयी किन्तु जमवारामगढ़ में चीनी नहीं मिली ।

श्री अध्यक्ष : यह तो मेरी बात ठीक निकली । आपने उस समय स्थगन प्रस्ताव पेश किया और फौरन चीनी वितरित हो गयी सरकार के द्वारा अभी आप सरकार का जवाब चाहती हैं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : सरकार जवाब दे । इसकी तो व्यवस्था आप करें ही····

श्री अध्यक्ष : यह व्यवस्था अब नहीं होगी। जब आपने भाषण दे दिया तो इसको हम अपनी सूची में से हटा देंगे ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियमों के तहत दुबारा आ जाऊंगी ।

श्री अध्यक्ष : इसी विषय के ऊपर दुबारा कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं आ सकता ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : स्थगन प्रस्ताव नहीं तो और कई प्रक्रियाएं हैं । मैं कहना चाहूंगी, अखबारों में न्यूज आई है और केन्द्रीय खाद्य आपूर्ति मंत्री जी ने कहा है कि राजस्थान सरकार कोटा नहीं उठा रही है । यह बात नहीं है कि दिल्ली में आज चीनी नहीं है, लेकिन राजस्थान सरकार की क्षमता आज वह समझते हैं कि हर व्यापार को अपने हाथ में ले सकती है । तो वह क्षमता कहां चली गयी जो वह लेकर न आये । कहते यह है कि उपभोक्ता संघ है, उसके माध्यम से चीनी आती है । वह चीनी दिल्ली से लाते नहीं, तो फिर उस व्यवस्था को समाप्त क्यों नहीं करते हैं ? जो खाने वाले हैं उनको तो चीनी चाहिए। अब देखिये ईद गयी, तीज गयी रक्षाबंधन गयी, जन्माष्टमी गयी और अनन्त चतुर्दशी गई जैसाकि हम जानते है कि अभी श्राद्धपक्ष चल रहा है चीनी की कितनी जरूरत है ? चीनी बाजार में कितनी महंगी है । लोगों की क्रयशक्ति नहीं रही है। मैं कहना चाहूंगी कि राजस्थान सरकार अविलम्ब चीनी की व्यवस्था करे 12525क्वि. जो हमको जयपुर जिले के लिए चाहिए, सारे राजस्थान के लिए चाहिए वह सारी चीनी लेकर जल्दी मुहैया करायें । जब सूचना आती है तो मैं डी. एस. ओ. से पूछती हूं कि चीनी आई या नहीं मेरे कितने ही फोन हो चुके हैं इन चार महीनों में, माननीय अध्यक्ष महोदय यह बिल दिलवायें । अनेक लोगों से मैंने सम्पर्क किया और आने जाने के लिए चक्कर काटे । अभी तो आप शराब का व्यापार करते हैं, और चीनी जैसी चीज दिलाई नहीं जाती है । मैं पूछना चाहती हूं कि इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ? क्यों नहीं सरकार छोड़ देते । शराब या रोडवेज या चीनी का आप व्यवसाय करें और फिर उसकेवितरण की चिन्ता नहीं है । इनको कोई चिन्ता नहीं है,मस्त पड़े हुए है, सारे के सारे । मैं कहना चाहूंगी कि व्यवस्था नहीं की गयी, आज जयपुर जिले के पुराने कार्यकर्ता अनशन पर बैठे हैं····

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह समस्या है, यहां व्यवहारिक चीजों की दिक्कतें है····

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर,ऑर्डर । लम्बा भाषण नहीं होगा । कृपया स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मैं आपसे चाहूंगी कि जो सरकार यह सोच सकती है, समझ सकती है और क्रियान्विति कर सकती है, उसको बाध्य करके राजस्थान

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

में और जयपुर नगर में इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए आप बातचीत करें। अगर उपभोक्ता संघ व्यवस्था नहीं करता है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो चीनी चाहिए। मैं कहना चाहूंगी कि इस 40 पर्सेन्ट कोटे के कारण से कई दुकानदारों की जयपुर में पिटाई हुई है। इनसे कोई बात करें तो कहेंगे कि गन्ना जला दिया। मेरी इच्छा हुई आज गन्ने का मौसम नहीं, मैं गन्ना लाती विधान सभा में और कहती कि जला कर दिखाओ गन्ना। यह सब बेकार की बातें हैं। इस तरह की बात करने से कोई लाभ नहीं है। मान्यवर, मैं चाहूंगी कि चीनी की व्यवस्था करें और केन्द्रीय सरकार दोहरी नीति जो रखे हुए हैं एक राशन की और एक खुले बाजार की, उसमें चन्दा खिलाया जाता है वह समाप्त होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिए, माननीय सदस्या। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयक

श्री सचिव (विधान सभा) : महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा द्वारा गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :-

राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 1981।
2. राजस्थान माल यान अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1980।

राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

1. राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1981।
2. राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेन्शन) (संशोधन) विधेयक, 1981।
3. राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक 1981।
4. राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1981।
5. राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, 1981।

शासकीय संकल्प

राज्य की अकाल एवं बाढ़ की स्थिति

श्री अध्यक्ष : राज्य की अकाल एवं बाढ़ की स्थिति पर चर्चा। श्री परसराम मदेरणा अकाल राहत मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा (श्रम मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य की अकाल एवं बाढ़ की स्थिति पर विचार किया जाये।

श्री राजबहादुर : **अध्यक्ष महोदय,** अच्छा होता सरकार की ओर से पहले बेसिक स्टेटमेन्ट होता, जिससे जानकारी मिल जाती और उसके बाद हम लोग कुछ कह पाते।

श्री अध्यक्ष : आप स्वयं कार्य सलाहकार समिति के सदस्य हैं। उस वक्त अगर आप सुझाव देते, तो ठीक था.....

श्री राजबहादुर : सुझाव तो दिया था।

श्री अध्यक्ष . वरना अपने यहां की परम्परा यह रही है कि पहले चर्चा होती है माननीय

(श्री. अध्यक्ष)
सदस्यों द्वारा, और उसके पश्चात् ही सरकार की ओर से उत्तर दिया जाता है।

(विराम)

माननीय सदस्यों को तैयारी नहीं है क्या ?

श्री नाथूसिंह : शुरुआत करें अच्छी परम्परा की तो अच्छी बात है।

श्री अध्यक्ष : पहले बाढ़ वाले माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल पटवा !

श्री बंशीलाल पटवा (भीलवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज अकाल और बाढ़ की स्थिति पर डिबेट हो रही है। पिछले तीन वर्षों से लगातार अकाल और बाढ़ में कहीं अनावृष्टि, तो कहीं अतिवृष्टि, ये चलती रहती है। हर 2,3 साल के बाद अकाल पड़ जाता है। कहीं फ्लड आ जाता है। इस तरह की परिस्थिति से हम राजस्थान के निवासी गुजर रहे हैं। मैं जिस जिले से आया हूं, भीलवाड़ा जिला, और उसमें मेरा जो विधान सभा क्षेत्र है, भीलवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र वहां राजस्थान में सबसे अधिक अकाल है। पिछले दिनों अकाल राहत कार्य खोले गये। राजस्थान के अन्य भागों में भी कई राहत कार्य खोले गये। इसके साथ ही जो पिछले दिनों जयपुर जिले के अन्य स्थानों पर फ्लड आयी उसमें जो स्थिति जिस ढंग की बनी, राजस्थान राज्य सरकार द्वारा व्यवस्थायें तो

(12.51 म. प.)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पदासीन)

की गयीं लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। स्थिति यह है कि मरने वाला तो मर गया, जिनकी लाशें मिल गई उनकी संख्या कम हो गयी, कौन व्यक्ति मरा और जो नहीं मरे उनके बारे में इस तरह की बात कह कर के लापता है हम उनको इग्नोर करते हैं। कितने मरे, कितने नहीं मरे, यह कहा नहीं जाता। जो व्यवस्थायें की गई हैं, उनके बारे में मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि सरकार ने प्रयास नहीं किय, लेकिन जिन प्रचुर मात्रा में व्यवस्थाएं समय पर की जानी चाहिये थीं, वह सरकार नहीं कर सकी। इसका दुष्परिणाम यह रहा कि लोगों को जो राहत मिलनी चाहिये थी वह मिली।

आज ही विधान सभा के बाहर भारतीय जनता पार्टी के लोग धरना देकर बैठे हैं। उनको राहत पहुंचाई जा रही है तथा राशि दी जा रही है, उसमें भेद-भाव बरता जा रहा है। कांग्रेस (इ) के माध्यम से जिन लोगों की सूची बनाई गई उनको प्राथमिकता दी जा रही है। जो पीड़ित हैं, उनका उसमें समावेश नहीं किया गया। 300 रुपये 150 रुपये तथा 200 रुपये की राशि इस तरह से दी जा रही है, वह बहुत कम है। यह राशि जो फ्लड में आये, बाढ़ में आये, उनके लिये पर्याप्त नहीं है। अतः यह राशि बढ़ाई जानी चाहिये। एक व्यक्ति का झोंपड़ा उजड़ गया, उसका इस सूची में नाम नहीं। किसी की छत गिर गई, उसको सीमेंट नहीं दिया जा रहा। कैश के रूप में, रोकड़ के रूप में, राशि दी जा रही है जब कि आज सीमेंट का ब्लेक है। एक सीमेंट का बोरा कंट्रोल रेट में 30-35 रुपये का मिलता है।

(श्री बंशीलाल पटवा)

मार्केट में जायें तो 50-60 रुपये में मिलता है। अब आप ही सोचिये कि जो राशि 300 रुपये दी जाती है उससे उनको कितनी सीमेंट की बोरियां आयेंगी, किस तरह वह अपने मकान की मरम्मत करा सकेंगे, रिपेयरिंग करा सकेंगे ? मेरा इस बारे में निवेदन है, कि कैश के रूप में जो राशि उनको दी जा रही है, वह न दी जाकर के यदि सीमेंट की आवश्यकता है तो सीमेंट दिया जाये। मान लो और कोई साधन है तो वह उनको जुटाया जाये। जो राशि दी जा रही है, उसके अतिरिक्त मैं अकाल के बारे में थोड़े से विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। पिछले दिनों राजस्थान में अकाल राहत कार्य खोले गये, नये कुएं खुदवाये गये। पेयजल की समस्या इस वर्ष से नहीं, पिछले 3 वर्ष से चल रही है। मेरा जिला भीलवाड़ा, जिसमें पेयजल की दृष्टि से अधिकांश पीड़ित हैं, गम्भीर स्थिति में है। स्वयं मुख्य मंत्री जी इस क्षेत्र से जीत कर आये हैं। उनके क्षेत्र में पिछले दिनों 2 रुपया पीपा और एक रुपया पीपा पानी मिला है। इस तरह की स्थिति दूसरी तहसीलों में भी है। जो कुएं खोदे गये हैं उनके बारे में हमने आग्रह किया था, कि जो सरकार आती है, वो यह सोचती है, कि नये कुएं खुदवाये जायें। लक्ष्य दिखा दिये जाते हैं कि हमने इतने कुएं खुदवाये। लेकिन जितने नये कुएं खुदवाये गये हैं उनका रिजल्ट ठीक नहीं आया है। पिछले दिनों अपने राजस्थान के राज्यपाल कोटा डिवीजन में गये थे। वहां पर उन्होंने कुओं का निरीक्षण किया, तो कुओं में पानी नहीं था। किसी ने दो टंकी पानी लाकर डाल दिया और बताया कि इस तरह से कुओं में पानी आया है। मेरे जिले के भी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में जितने नये कुओं को खोदा गया, वह नीची जगह नहीं खोदे गये। 33 पंचायतें मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में हैं। जिनमें से एक-एक पंचायत को 4-4 कुएं दे दिये गये। जो कांग्रेस के सरपंच हैं उनके लोगों को दे दिये। परिणाम यह रहा कि जो पानी से तकलीफ में थे, पीड़ित थे और कठिनाइयों से गुजर रहे थे, वहां कुएं नहीं खोदे गये। जिन सरपंचों को कुएं खोदने के लिए 4-4 कुएं की स्वीकृतियां दी गईं, उन लोगों ने अनियमिततायें फैलायीं। यह केवल मैं जुबानी जमा खर्च के आधार पर नहीं कह रहा हूं। वहां के जिलाधीश महोदय ने चैकिंग की है, अवलोकन किया है। उनके खिलाफ़ सख्त कार्यवाही करने के उन्होंने आदेश दिये हैं। राजस्थान सरकार को भी लिखा है। लेकिन आज भी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। विरोधी सरपंच यदि मान लो, थोड़ा सा कर गुजरते हैं, तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। उनको निलम्बित किया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि राज्य सरकार इस तरह अकाल राहत कार्यों में भी भेद-भाव बरत रही है जबकि अकाल का प्रश्न है मानवीय दृष्टिकोण का आधार है। इस सवाल पर सामूहिक रूप से सामूहिक जिम्मेदारी के आधार पर काम किया जाना चाहिए। लेकिन आज कांग्रेस सरकार की ओर से इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। जो अकाल राहत कार्य खोले गये, उनमें सड़कों पर कार्यरत मजदूरों, जो कि कमजोर वर्ग के मजदूर हैं, लेने के नाम पर यह सरकार हरिजनों का नाम लेती है। अभी थोड़ी सी देर पहले मुख्य मंत्री ने यह कहा था कि हरिजनों का हित सबसे अधिक कांग्रेस करना चाहती है। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल कांग्रेस ने ही ठेका नहीं ले रखा है हरिजनों के हितों का। केवल वही है जो उनकी

(श्री बंशीलाल पटवा)

सुरक्षा कर सकती है ? उनके हितों की रक्षा कर सकती है ? बिल्कुल गलत है यदि इस बात को गलत नहीं माना जाता है, तो मेरे जिले में आकर देख लीजिए। मुख्य मंत्री श्री शिवचरण जी माथुर हैं, हम उनका बड़ा आदर करते हैं, उनके मन में काम करने की भावना है। वह डवलपमेंट करना चाहते हैं। लेकिन उनके स्वयं के क्षेत्र में भी कोई हरिजन, कोई छोटी जाति के लोग या कोई कमजोर वर्ग के लोगों को काम नहीं दिया गया। उनको मजदूरी से वंचित किया गया। मेरे क्षेत्र में चमार, भील, बढ़ई और दूसरी छोटी-मोटी कौम के आदमी हैं। उनको मजदूरी बराबर नहीं दी गई। परिणामस्वरूप आज की तारीख में वहां हा-हाकार मचा हुआ है। राज्य सरकार के आदेश हैं, जितने अकाल राहत कार्य चल रहे हैं उनको 'वैकल्पिक स्वीकार किया जा सकता है। क्योंकि वहां पर काम चल रहे हैं। जो सड़क टूटी पड़ी हुई है, उस सड़क के स्थान पर पड़ोस में इस तरह की सड़क या कोई काम खोल दिया जाये जिसके आधार पर उस क्षेत्र के मजदूरों को काम मिल सके। लेकिन इस सरकार ने इस दिशा में ध्यान देने के बजाय अभी पिछले महीने में जो जिलाधीश महोदय ने स्वीकृतियां दी है उनमें भी पक्षपातपूर्ण तरीका अपनाया है। हम लोगों को काला-गोरा समझा गया है। जिस किसी विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृतियां दी गई हैं जहाजपुरा से माननीय सदस्य श्री रतनलाल ताम्बी और भीलवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी का मैं हूं, हमें कोई स्वीकृतियां नहीं दी गई हैं। हमारे साथ भेद-भाव बरता गया है इस तरह की स्थिति वहां पर निर्मित की है। इस दृष्टि से मेरा विनम्र निवेदन है कि अकाल राहत के कार्य गांवों में जो प्राकृतिक विपदा आई है, दैवी प्रकोप हुआ है उसके आधार पर सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में हमने काम किया तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी अन्यथा यह सब फरेब और ढकोसला नजर आयेगा। पिछले राहत कार्यों में तो हमने जैसे-तैसे चला लिया, लेकिन इस वर्ष का अकाल बहुत भयंकर अकाल है, भीषण अकाल है। सितम्बर के महीने में इन्तजार किया जा रहा था कि पानी आयेगा, लेकिन उसके आसार दिखाई नहीं देते हैं। परिणामस्वरूप सारी फसल उजड़ चुकी है, चौपट हो चुकी और जल चुकी है। किसान के पास अनाज का एक दाना नहीं है पीने का पानी नहीं है, साथ ही मवेशियों के लिए घास की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी भीलवाड़ा में मुख्य मंत्री जी आये थे। उस समय भी हमने उनका ध्यान आकर्षित किया था। यह सवाल उठता है कि इस बार सामूहिक दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए। जिला स्तर पर सभी राजनैतिक दलों की कमेटियां स्थापित की जानी चाहियें और उनमें सामूहिक जिम्मेदारी के आधार पर काम किया जाना चाहिये लेकिन इस दिशा में अभी कोई चिन्ता नहीं की गई। पीने का पानी नहीं है, जिले में चले में जाइये। मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में चले जाइये, वहां पानी नहीं है, हमारे क्षेत्र में चले जाइये, पानी नहीं है। भीलवाड़ा शहर है वहां मैजा डैम में पानी केवल 2 महीने तक का है। पिछले वर्ष भी हमने ध्यान आकर्षित किया था कि इस सवाल पर कुछ विचार करें। जो म्युनिसिपल ऐरिया है उसमें 24 गांव पड़ते हैं उनमें एक- एक, दो-दो हैण्ड पम्प लगाइये, कुछ कुओं को साफ कराइयें लेकिन इस दिशा में ध्यान नहीं दिया गया। शहर भीलवाड़ा जिले से दो किलोमीटर दूर चले जाइये,

(श्री बंशीलाल पटवा)

पीने का पानी नहीं है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो तौर तरीके अपनाये गये पिछले दिनों सरकार द्वारा उनको भूल जाइये। यदि पहले की पढ़ाई भूल जायं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे की पढ़ाई ठीक ढंग से शुरू कर दें, ताकि इस मानवीयता के प्रश्न का विरोध पक्ष और सत्ता पक्ष दोनों मिल जुल कर मुकाबला कर सकें।

भीलवाड़ा में अकाल राहत काम चलायें गये किन्तु माण्डल में 1) 60 पैसा या 1) 90 पैसा मजदूरों को मजदूरी मिली है। सरकार ने घोषणा की थी कि हम 7) रु. मजदूरी दे रहे हैं। जनता पार्टी के राज्य में 5) रु. मजदूरी दी जाती थी, लेकिन 80 प्रतिशत काम लिया जाता था और आज के इस राज्य में 100 प्रतिशत काम लिया जाता है, तो बात तो वही है लेकिन 7) रु. देने की घोषणा की गई थी। भीलवाड़ा क्षेत्र में ही नहीं, अनेक क्षेत्रों में एक रुपया 60 पैसे और एक रुपया 90 पैसे मजदूरी दी गई है। मैं स्वयं भीलवाड़ा गया था और मुख्य मंत्री जी के क्षेत्र में गया हूं वहां एक पुलिया बन रही थी उस पर 40 मजदूर काम रहे थे, और 40 मजदूर मटरगस्ती कर रहे थे। अब 40 मजदूरों को सही पैसे कैसे मिल सकते हैं? 80 मजदूरों का भार अधिक पड़ता है तो स्वाभाविक है पैसे कम ही मिलेंगे, इस दृष्टि से मजदूरों को कम मजदूरी मिलती है वह तो है ही लेकिन जो मजदूर मटरगस्ती करते हैं, फर्जी हाजिरी करते हैं, उन सबका प्रभाव उन काम करने वाले मजदूरों पर पड़ता है। इसलिये मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं मिलती है।

पिछले दिनों गर्मी में सिरकियां दी गई थीं। यह सिरकियां जगह जगह सड़क पर काम करने वाले मजदूरों को दी गई थीं। लेकिन सभी स्थानों पर नहीं पहुंचाई गई, और यदि पहुंचाई गई, तो पुरानी सिरकियां पहुंचाई गई, नई बहुत कम पहुंचाई गई। पानी पिलाने की व्यवस्था नहीं की गई। राज्य सरकार अकाल राहत में कम से कम दो-दो, तीन-तीन बोरी गेहूं दे दे, ताकि जो मजदूर काम करने वाले हैं, वह भूखों नहीं मरें। घास की पूर्ति की दृष्टि से प्रत्येक पंचायत को 25 हजार रुपया बिना ब्याज के दिया जाय, ताकि घास का उचित प्रबन्ध हो सके। लेकिन इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी).

मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा। मेरा निवेदन है जो स्थिति बनी है, उस पर गंभीरता से विचार करिये। आज कई मवेशियों का पलायन हो रहा है, कई लोग मवेशी बेच रहे हैं। घास की व्यवस्था कहां हो सकती है? पानी की व्यवस्था कहां हो सकती है? ये सभी समुचित व्यवस्थाएं होनी चाहिये अन्यथा असन्तोष भड़केगा और उसके क्या परिणाम होंगे, कोई अन्दाजा नहीं लगा सकता है। इसके साथ-साथ नई कुइयां खुदवाने की बात इस बार मत कीजिये क्योंकि उनमें भ्रष्टाचार होता है, रिजल्ट्स ठीक नहीं आये हैं। उन सबको स्क्रूटनाइज कीजिये। 80 प्रतिशत कुइयों के रिजल्ट्स ठीक नहीं निकले हैं, पानी नहीं आया है। पुरानी कुइयां भी गहरी करवाई गई हैं, उनके भी रिजल्ट्स अच्छे नहीं निकले हैं। उसका कारण यह रहा है कि सिरकियों के आदेश राजस्थान की राज्य सरकार के सचिवालय से देर से निकले हैं।

इस दृष्टि से मेरा निवेदन है, अकाल राहत में पुराने कुओं को गहरा कराया जा सकता है, और ठीक ढंग से व्यवस्थित कराया

(श्री बंशीलाल पटवा)

जा सकता है। जहां जहां कुए गहरे कराये जा सकते हैं, करायें जायें। हैण्ड पम्प भी जहां आवश्यकता है वहां लगाये जायें। राजनैतिक भेदभाव के आधार पर नहीं करायें। जितने हैण्ड पम्प राज्य सरकार ने लगाये हैं, उनमें 80 प्रतिशत आज भी बन्द पड़े हुए हैं। आखिर में हम काम क्या करना चाहते हैं? लोगों को क्या देना चाहते हैं? लोगों को हम लुभावनी बातें कह कर भुलावे में डालना चाहते हैं? उनको हम मूर्ख बनाना चाहते हैं? अब ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। एक यथार्थ स्थिति पर आयें। इसके साथ-साथ और निवेदन करना चाहता हूं कि माण्डल विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, जहां भीलवाड़ा जिले में शिव चरण जी, जो हमारे मुख्य मंत्री हैं, ने 27 कुओं को गहरा करवाने के आदेश दिये गये थे, जिनमें से 7 या 10 कुओं को ही गहरा किया गया है। इस क्षेत्र में कुओं को गहरा करवाने के लिये एक-एक, दो-दो हजार रुपये दिये गये हैं और बाकी के क्षेत्र में माण्डल एक ऐसा क्षेत्र है जहां कुआ गहरा करवाने के नाम पर 8-8 हजार रुपये दिये गये हैं जो 59-60 फीट गहरे कुए हैं। मेरा निवेदन है वहां इतना पैसा नहीं लग सकता है। वहां के तहसीलदार और बी. डी. ओ. ने भ्रष्टाचार किया है। मेरा निवेदन है इस तरह के जो कुकर्म हुए हैं, उन सबकी जांच होनी चाहिये और दोषी व्यक्तियों को सजा मिलनी चाहिये। यदि हम इस भीषण अकाल का मुकाबला करना चाहते हैं, तो यथा स्थिति के आधार पर हम सबको काम करना चाहिये। इस तरह की भावना रखिये कि सब मिलकर यह तय करें तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अकाल का मुकाबला कर सकेंगे, फ्लड का मुकाबला कर सकेंगे।

फ्लड क्यों आता है, इसके भी कई साइन्टिफिक आधार हैं। इसका भी विश्लेषण कराइये, लोगों से पता लगाइये कि फ्लड क्यों आता है? आपका विभाग घोषणा करता है कि भीलवाड़ा नगर में आगामी 48 घंटों में भयंकर बरसात आने वाली है, और भीषण बाढ़ का खतरा है। उसके लिये फ्लड कन्ट्रोल रूम खुल गया, टेलीफोन लग गये, आदमी वहां बैठा दिये गये, लेकिन एक बूंद भी बरसात की नहीं आई। तो आपका डिपार्टमेंट क्या करता है? आखिर ये इस तरह की बोगस रिपोर्ट क्यों देते हैं? इन तौर तरीकों में सुधार कीजिये। सुधार किया और व्यवस्थाएं ठीक की तो मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि सारे रिजल्ट्स ठीक निकलेंगे। जितने कुए गहरे करवाये हैं उनकी मजदूरी का चुकारा अभी तक नहीं हुआ है। एन.आर.डी.पी. के जितने काम हुए हैं, उनका भी चुकारा नहीं हुआ है। मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में एक आकोला स्थान है, जिसमें एक राजपूत का लड़का काम करता था। उसको मजदूरी नहीं मिली, और मजदूरी नहीं मिलने के कारण घर में अनाज नहीं ले जा सका। उसका बाप भूख से तड़प रहा था। वह समय पर मजदूरी न मिलने के कारण मर गया। इस तरह चुकारे के अभाव में और अनियमितताओं के कारण लोग भूख से मर गये। इसलिये मेरा निवेदन है, इस अकाल और बाढ़ का हम सब मिलकर मुकाबला करें। यह मेरी निश्चित मान्यता है कि यदि हमने मिलकर काम किया तो उसके अच्छे रिजल्ट्स निकलेंगे।

श्री **परसराम मदेरणा** (अकाल राहत मंत्री) : आप नाम बतायेंगे जो भूख से मर गया उसका नाम क्या है?

श्री बंशीलाल पटवा : देवी सिंह।

श्री परसराम मदेरणा : ग्राम ?

श्री बंशीलाल पटवा : आकोला। यह श्रमिक नहीं था, इसका लड़का काम करता था। उसका चुकारा समय पर नहीं हुआ इसलिये भूख से उसका बाप मर गया · ·

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात नहीं करें।

श्री भैरूंसिह गुर्जर : हम जानना चाहते हैं, हो सकता है उसकी उम्र मरने लायक हो। जो मरने लायक होगा वह मरेगा ही।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : हम मंत्री महोदय से पूछ रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है? आपको इस तरह का कोई अधिकार नहीं है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

श्री सुखलाल सेमचा (रायपुर) : सदन को इनफार्म किया जा रहा है, इसलिये कहने का पूरा अधिकार है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। बैठ जाइये, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

श्री भैरूंसिह गुर्जर : किसी बीमारी से मर सकता है। उम्र होगी तो मरेगा ही।

एक माननीय सदस्य : आपको शर्म आनी चाहिए, लोग अकाल से मर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए। श्री अमीनखां।

श्री देवेन्द्रसिंह (बनेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आॅफ आॅर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : नो पॉइन्ट आॅफ आॅर्डर।

श्री देवेंद्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने भाषण के दौरान यह बात तो कही कि अकाल की स्थिति में मजदूरी न मिलने के कारण फलां आदमी के बाप की मृत्यु हो गयी, हमने उनसे हाउस में उसके बाद यह जानकारी चाही है कि उसकी उम्र क्या थी, वह कौन आदमी था, इसमें क्या गलत बात हो गयी। हम यह चाहेंगे कि इस तरह से सदन को गुमराह नहीं करके यह बतायें, सही जानकारी क्या थी ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ने सवाल पूछ लिया। वे संतुष्ट हैं। आपको नहीं पूछना चाहिए था।

श्री बालचन्द्र आर्यवीर : आपको अधिकार नहीं है ये सब पूछने का · · · · ·

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने उनको कह दिया है। आप बैठ जाइये। उनको पूछने का अधिकार नहीं था, पूछना नहीं चाहिये था। श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव) : उपाध्यक्ष महोदय, अकाल की तो हर जगह से आवाज आ रही है कि भयंकर अकाल है और

(श्री अमीन खां)

बाढ़ है । लोग परेशान हैं। अकाल असली जगह, जहां कि अकाल का अड्डा है, हमारे बाड़मेर और जैसलमेर जिले के इलाकों में है । उन इलाकों में आज भी यह हालत है कि 25-25, 30-30 मील के बीच में ••

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिये ।

श्री अमीन खां : बरसात की एक बूंद नहीं पड़ी है । वहां बरसात नहीं होने की हालत में लोग आज भी गांव खाली कर करके दूसरे गांव में, जहां कहीं तालाब में बरसात का पानी आया है, जहां कहीं सरकारी ट्यूबवैल लगे हुऐ हैं, उन इलाकों में लोग चले गये । इसलिए उस इलाके की हालत खराब है । ज्यादातर इन्सानों के बचाव का जरिया है, वह गाय, भेड़, बकरी और ऊँट है । इन जानवरों पर करीब 85 पर्सेन्ट लोगों का गुजारा होता है न कि खेती, व्यापार या कोई नौकरी पेशा के आधार पर । हमारे यहां विशेष हालत इसलिये ज्यादा खराब है कि आज तक हमारे उक्त दोनों जिलों में सरकारी नौकरियां चाहे किसी भी महकमें को लेकर देखें, 80 पर्सेन्ट बाहर के जिलों के व्यक्तियों को दी जाती है, और बाकी 20 पर्सेन्ट बहुत ही मुश्किल से स्थानीय लोगों को मिल पाती हैं । इसलिए जो नौकरी रोजगार देते हैं, उसमें भी हमारे जिले के साथ हमेशा अन्याय हुआ है और आज तक अन्याय हो रहा है । लोगों के ऊपर वहां अकाल का कुदरती प्रकोप है, । जबरदस्त अकाल बाड़मेर जैसलमेर, और जोधपुर जिले के कुछ हिस्सों में है । आज जैसे किसी इन्सान के साथ दुःख होता है तो उसके साथ हम भी दुखी हैं । बाढ़ का जिस तरह से प्रचार हमने सुना है, कहीं नदी टूट जाती है या बड़े-बड़े शहरों में जहां बड़े-बड़े आई. ए. एस. आफिसर रहते हैं, सारे मिनिस्टर रहते हैं, प्रेस रहता है, वहां अगर 10 घण्टे भी पानी बन्द हो जाता है तो सारे देश में हुल्लड़ मच जाता है और 8 घण्टे के अन्दर-अन्दर उसकी व्यवस्था हो जाती है । अगर व्यवस्था नहीं होती है, तो सरकार की भी लोग मुश्किल कर देते हैं। लेकिन हमारे इलाके वे हैं, जो आज दिन तक भी शान्त रहे हैं । 6-7 दिन तक भी लोग भूखे रहे हैं, पानी की वजह से प्यासे रहे हैं । लोग अपने गांव छोड़ करके 15-15, 20-20 मील दूर गये हैं जहां कहीं आदमी के घर में आधी रोटी या पानी पीने की राहत मिली है, अपने भाई से मांग कर गुजारा करते हैं । सरकार किसी की भी हो, खाली उसका एजीटेशन करके या हाका करके या प्रेस के जरिये सारे देश को एकदम खबर करना कि हमारे इलाके में शान्ति नहीं है, व्यर्थ है । आज तक हमें जो सद व्यवहार, सरकारी सहायता मिलनी चाहिए, वह नहीं मिलती है । जो हमारे से ज्यादा सुखी हैं, उन लोगों को हर वक्त सहायता मिलती है किन्तु हमें नहीं मिलती । जैसे सन् 79 में बाड़मेर में भी बाढ़ आयी । वहां हजारों आदमियों के घर गिर गये, हजारों आदमियों के मवेशी खतम हो गये, उनकी खातेदारी की जमीनें बाढ़ के कारण से खतम हो गयीं किन्तु उसका कोई प्रचार नहीं हुआ । सरकार का कोई प्रतिनिधि भी वहां देखने नहीं गया । वहां कई स्थानीय लोगों द्वारा झाड़ पोंछकर सौ-पचास, दो सौ रुपये की सहायता दी गयी तो दी गयी, लेकिन गवर्नमेन्ट की तरफ से कभी कोई योजना वहां नहीं बनायी गयी और न आज तक पैसा मिला, उपाध्यक्ष महोदय, न हम दलील देने की कोई जरूरत समझते हैं ।

(श्री अमीन खां)

हमारे गांव-गांव, ढाणी-ढाणी को जितना हम जानते हैं उतना मंत्री महोदय खुद जानते हैं अतः उसका इलाज भी हमें उम्मीद है, मंत्री महोदय पूरा करेंगे। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिला बाड़मेर और जैसलमेर में सबसे बड़ी दौलत, इस मुल्क को दूध पिलाने वाली थार पारकर नस्ल की गाय है। अगर इस गाय को विशेष तौर से बचाने का इन्तजाम नहीं किया गया तो यह नस्ल खात्मे के निशान पर पहुंच जायेगी और जल्दी ही चन्द महीनों में यह नस्ल तबाह हो जायेगी। यह थार पारकर नस्ल की गाय, जो बाड़मेर और जैसलमेर में मिलती है, सारे हिन्दुस्तान में जाती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भी लोग इस नस्ल के सांड ले गये हैं। इस नस्ल से इस देश को पूरा फायदा मिलता है। हमारी सारी आबादी यह चाहती है कि गलत मांग करना, आपको दबाना अनुचित है। हमारे मवेशियों को बचाने के लिए जल्दी ही एक योजना तैयार करें। मवेशी, गाय और ऊंटों को बाहर भेजने की तैयारी करें। आप चाहे करोड़ों रुपया वहां खर्च कर लो, तो भी मौके पर इन मवेशियों को पानी उपलब्ध नहीं करा सकते, क्योंकि कुदरती हालात ही ऐसे हैं कि आप कुछ भी करो तो भी गाय का बचाव नहीं कर सकते। हमारे पड़ोसी स्टेट गुजरात से लोग आये हैं, और हमने भी लोगों को भेजा है। एक-एक गांव में लोग घूमकर आये हैं। गुजरात में बहुत बढ़िया इंतजाम है। गुजरात के एक-एक गांव में हमारे एक-एक गांव के 2-2, 4-4 और 5-5 आदमी सदियों से बैलों का व्यापार करते हैं। जो जानकार हैं लोग अपने स्तर पर हिम्मत करेंगे। सरकार जितना भी उनको सहयोग दे सके, देवे। गाय और ऊंट वालों को रास्ते में चाहे सरकार से या किन्हीं प्राइवेट संस्थाओं से जितनी भी आप मदद करा सकें करायें। इन गाय वालों को नवम्बर तक हर हालत में बाहर भेजने की व्यवस्था करें, 50 मील में पीने के लिए इन्सानों को पानी नहीं है। आप गाय के लिए भी बहुत मुश्किल से इंतजाम कर सकोगे। अगर गायें खतम हो गयीं, तो ये लोग जो शान्ति प्रिय हैं, आज दिन तक कोई किसी किस्म का एजीटेशन नहीं करते हैं, न करना चाहते हैं, लेकिन मजबूर होकर जयपुर में जैसे लोगों की हालत हाका करने की होती है, उसमें आ जायेंगे तो बड़े लोग जोगियों की तरह हो जायेंगे, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए हमारा यह निवेदन है कि जो पी. एच. ई. डी. है इसमें आज तक हमने देखा है सौ-सौ किलोमीटर तक पाइप लाइन को बिछाने की स्कीम स्वीकृत हो गयी है, लेकिन वे बिल्कुल हमारे जैसे मुश्किल हालात में है। हमने दुःख देखा है। इस तरह की लम्बी स्कीमों को आइन्दा कतई मंजूर नहीं किया जाय। सरकार का धन बेकार में खर्च होता है। जितने भी गांवों में, मवेशियों के पीने के लायक पानी हो, ऐसा पानी जिन गांवों में निकलता है, वहां पर नलकूप खुदवाये जावें और नलकूपों को जितना पाइप लाइनों पर खर्चा होता है उस खर्चे से बिजली की स्कीम बनवा कर कनैक्ट किया जावे और एक होदी या खैली बना दी जावे तो पाइप लाइन की कोई जरूरत नहीं है। पांच गांवों को जोड़ कर सैंटर में एक गांव में ही अगर पानी निकलता है तो वहां पांच गांवों के लिए

(श्री अमीन खां)

आप इन्तजाम कर सकते हैं। हां, इक्के दुक्के ऐसे गांव हैं, जहां पर पानी बिल्कुल ही नजदीक नहीं है, वहां आप पाइप लाइन की स्कीम बना सकते हैं। नहीं तो पाइप लाइन की स्कीम का कोई उपयोग नहीं है। बड़े-बड़े इंजीनियर्स, अफसर और ठेकेदार लोग पाइप लाइन के पक्ष में है, क्योंकि उनका इससे धन्धा होता है। उदाहरणार्थ ट्यूब वैल खोदते हैं, उनमें मोटर लगती है, जनरेटर सैट लगते हैं, ग्रीस लगती है, जिससे उनको लाभ होता है। हमारे जिले के अन्दर मैंने मेरे स्तर पर प्रयास किया। हमारे सुझावों को तो एक तरह का पागलपन समझते हैं। उनको आप सख्त हिदायत दें कि हम पागल नहीं हैं। हम बिल्कुल सही सोच सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर नोट कराता हूं कि आपके इंजीनियरों ने कहा कि यहां पानी उपलब्ध नहीं है, हमने अनुसंधान किया है इसलिए ट्यूबवैल नहीं खोदेंगे। नेदीसर और खुदाणा में ट्यूबवैल जबरन हाका करके खुदवाया, तो पानी मीठा, अमृत जैसा निकला और बहुत ज्यादा पानी निकला। ऐसे कई गांव हैं, वहां चाहे इंसानों के पीने के लायक पानी नहीं हो, लेकिन कम से कम मवेशी के पीने के लायक पानी अवश्य होगा। आप वहां पर ट्यूब-वैल खुदवायें। इस अकाल में लोगों को बचाने के लिए प्रयास किया जाय। हालत क्या है वहां? मंत्री महोदय खुद उस इलाके के हैं, मैं इस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं तो मंत्री महोदय से इतना ही कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, उपाध्यक्ष महोदय, वहां लोगों को बचाने के लिए इस साल बड़ी कठिनाई होगी। क्योंकि उन लोगों को बचाने के लिए फैमिन का नया काम इतना कोई लम्बा नहीं है, जिसको स्वीकृत करके आप तमाम लोगों को बचाने का काम कर सकें। अधूरे जो फैमिन के काम हैं, ग्रेवल सड़कों के काम हैं, उनको आप फैमिन के तहत पूरा करवायें। इसके अलावा पूरा इलाका जैसलमेर, बाड़मेर जिले की पूरी तहसील शिव या जोधपुर जिले के कुछ इलाके, बाड़मेर पचपदरा तहसील, जहां कि बड़े बड़े तालाब हैं, उन तालाबों के अन्दर अच्छी बरसात होने पर एक-एक साल तक का पानी ठहरता है और अधूरी बरसात होने पर भी छः-छः महीने तालाब में पानी ठहरता है। वह मवेशी और इंसानों के लिए बहुत बड़ा बचाव है। इन तालाबों की आप जिलेवार योजना बना कर आठ-आठ, नौ-नौ नहीं बल्कि एक तालाब पर सौ मजदूर तय करो, डेढ़ सौ मजदूर तय करो। जून तक वहां मजदूरों को मजदूरी देने के लिए तालाब खुदवायें, और जो सड़कें अधूरी हैं, उनको कम्पलीट करें। इसके अलावा कई ऐसे गांव रह जायेंगे जिनमें पानी के टेंकर नहीं जा सकेंगे। इन गांवों में लोग प्यास से मर जायेंगे। इन लोगों के लिए महरबानी करके आप चाहे कितने भी धन की पूर्ति करें, कानून की आपको ज्यादा जानकारी है, जिम्मेदार भी आप हैं, उनको सब्सिडी नहीं तो लोन दीजिए। क्योंकि अगर बीस हजार किसी जगह लेबर लगा दी और हम विश्वास करते हैं कि आप लगा देंगे लेकिन बीस हजार लेबर को आप पानी कहां से पिलायेंगे? लोग प्यास से मर जायेंगे। इसलिए जहां जहां पर पक्के काम हैं सड़कों के, ग्रेवल की सड़कों को पूरा कराने के अधूरे जो काम हैं, उनको महरबानी करके रिलीफ वर्क में करें। आपको बता देता हूं,

(श्री अमीन खां)

बाड़मेर तहसील के रामसर आर. आई. सर्किल में 39 गांव में से 32 गांव ऐसे है जिनमें आज एक बूंद भी पानी नहीं है और लोग आज भी खाली हैं। उस एरिया में मान लो आप काम खोल दो तो लोग काम पर मजदूरी पर प्यास की वजह से आ नहीं सकेंगे। आप फैमिन रिलीफ वर्क के तहत अकाल की सेंक्शन दे दें या टैंकरों की सेंक्शन दे दें, इन गांवों में ट्यूववैल दे देंगे, पखाल लगायेंगे तो पखाल भर कर आयेंगे कहां से ? इसलिए मेहरबानी करके जो इलाके ऐसे हैं जहां फैमिन के काम शुरू नहीं हैं जहां पीने के पानी का सोर्स नजदीक नहीं है ऐसे गांवों के लिए जल्दी में स्कीम बना कर पानी नहीं पहुंचा सकते इसलिए उन गांवों में जिस तरह सन् 69 या 70 में बाड़मेर क्षेत्र में इन्तजाम किया था वैसा ही अभी भी आप मरहबानी करके वहां करें ·····

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

आप यदि सब्सिडी नहीं दे सकते मजबूर होकर तो किसी तरह से आप बगैर ब्याज के लोन दें। बैंक भी तो लोन देते हैं। बचाने का यह भी एक इलाज है। हमें सबसे बड़ी मवेशियों की चिन्ता है। अभी भी मैं आपको कहता हूं कि हमारे लाखों मवेशी सिवाय बाहर भेजने के आप बचा नहीं सकते। इसके लिये आप गुजरात या मध्य प्रदेश से सरकारी तौर पर या अन्य संस्थाओं की तरफ से या निजी व्यक्तिगत प्रभाव से इन गायों को बचाने के लिए और ऊंटों को बचाने के लिए अभी से एक योजना तैयार करें और उन लोगों को हिदायत दें कि अगर कोई मवेशी बाहर ले जाना चाहे अपने खयाल से या सरकारी आदेश से, उनके मवेशी पहुंचाने के लिए सन् 70 में जिस तरह से रेलवे का पैसा जितना बनता था वेगन का वह रिलीफ डिपार्टमेंट ने भुगतान किया था उसी के अनुसार इस बार भी रिलीफ डिपार्टमेंट भुगतान करें ताकि बाद में लोग बाहर से मवेशी बचा करके वापस बरसात के समय अपने वतन में बस सकें। माननीय मंत्री जी, हमारे जिले में एक भी मजदूर लगा हुआ·····

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

नहीं है। हमने अखबारों में देखा है कि फैमिन का काम चालू है लेकिन हमारे बाड़मेर जिले में हमने एक्स. ई. एन. फैमिन से पूछा तो उन्होंने यहां तक भी मेरे को बताया कि हमारे पास ड्राइवर है उसको क्लेक्टर का आर्डर है कि एक्स. ई. एन. के कहने से भी कोई जीप नहीं चला सकता। जब एक्स ई. एन. के पास जीप उपलब्ध नहीं हो तो सीधी सी बात है कि फैमिन का काम बन्द है। हमारे क्षेत्र में हमने देखा है कि फैमिन का काम वहां कतई नहीं है। आज भी जहां बरसात नहीं हुई वहां आप जल्दी से जल्दी फैमिन डिक्लेयर करवावें। गत वर्ष भी 15 सितम्बर से·····

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री अमीन खां : अभी तक गिरदावरी शुरू नहीं हुई है। मेहरबानी करके स्पेशल गिरदावरी करावें और गिरदावरी करवा कर अकाल जल्दी से जल्दी डिक्लेयर करावें। गायों को, मवेशियों को बचाने का इलाज करें। हमारे यहां की गाय खास तौर से थारपारकर गाय और बैल जो दो-दो हजार, ढाई हजार की कीमत के हैं, वह आज इने गिने पैसों में चले जा रहे हैं। कई जगह तो लोग उन्हें छोड़ रहे हैं। हमारी इतनी हालत खराब है। शिव और बाड़मेर तहसील के

(श्री अमीन खां)

कुछ गांव ऐसे है जहां मैं मंत्री महोदय आपको याद दिलाना चाहता हूं कि लोग अभी से भूख की वजह से पाकिस्तान में चले गये है। मुसलमानों का तो नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि लोग कहेंगे कि मुसलमान तो -बूझ कर पाकिस्तान जा रहे हैं। मगर भील और मेघवाल जाति के भी मेरी खुद की पंचायत समिति के दो परिवार अभी पाकिस्तान चले गए हैं। मेघवालों का एक खेदाराम मेघवाल जिसका नाम है जिसके परिवार में 11 सदस्य है रात्रि को चले गए इस तरह से मैं मेरे गांवों में घूम-घूम कर आया हूं मेघवाल लोग काफी है वह भी पानी की हालत को देख कर घबरा कर चले गए है। लोग भूख की वजह से घबरा कर चले जायेंगे आप मेहरबानी करके जल्दी से जल्दी इन्तजाम करावें। मवेशियों का तो हर हालत में बाहर भेजने का इन्तजाम करें। मौके पर चारे पानी की व्यवस्था नहीं होती। इतना ही कहकर मैं पूर्ण आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इसके लिए तत्काल व्यवस्था करेंगे। जल्दी से जल्दी स्पेशल गिरदावरी करवाई जाये तकि जो असली समास्या ग्रस्त गांव है वहां काम शुरू किया जावे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयदेव प्रसाद इन्दोरिया।

(अनुपस्थित)

श्री हेमाराम।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ा मालानी): उपाध्यक्ष महोदय, विधायक अमीन खां ने बाड़मेर जिले की अकाल की स्थिति पर काफी विस्तार से प्रकाश डाला। मैं भी उसके बारे में आपके माध्यम से मंत्री महोदय का कुछ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बाड़मेर जिले के अन्दर जो अकाल है पिछले चार वर्षों से लगातार पड़ रहा है इसके कारण वहां के लोगों की आर्थिक हालत बहुत खराब हो चुकी है। वहां के लोगों का मुख्य धन्धा मवेशी पालन है। मवेशी के लिए चारे की व्यवस्था के बारे में अमीन खां जी ने बताया, इसी तरह से यदि चारे की व्यवस्था नहीं की गई तो हमारा जो पशुधन है वह समाप्त हो जाएगा यदि हमारा पशुधन समाप्त हो जाएगा तो हमेशा के लिए हम पिछड़े जायेंगे वापस कभी भी हमारी हालत ठीक नहीं हो सकेगी। इसके लिए किसी भी तरीके से कैसे भी हो, चाहे सरकार को कितना ही खर्चा करना पड़े सरकार अनुदान दे। किसी भी तरीके से दूसरी स्टेट्स से चारा मंगवाये। जितने भी मवेशी बाहर दूसरी जगह जाना चाहते हों उनकी व्यवस्था करावें।

जैसा अमीन खां ने बताया, सरकार उसी तरह से मालूम करें गुजरात सरकार से बातचीत करके कि कहां पर हमारे राजस्थान की मवेशी जा सकती है? उसके लिये क्या व्यवस्था हो सकती है? बिना गुजरात सरकार से बात किये जहां हमारे राजस्थान की मवेशी भेजनी है, अगर वहां मवेशी भेज दी गई, तो कई तरह के झगड़े होंगे, मुकदमें होंगे और लोग फंस जायेंगे और इस तरह उनकी हालत खराब हो जायगी। इसलिये सरकार उनकी मदद करे, सहायता दे तभी उनको पहुंचाया जा सकता है, और मदद की जा सकती है। सरकार इस बात की गारन्टी ले कि मवेशी वहां पर जाने के बाद मरने नहीं दी जायगी। वहां चारे की व्यवस्था हो, तभी यह सम्भव हो सकता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि पशुधन की ओर विशेष ध्यान दें।

(श्री हेमाराम चौधरी)

जहाँ तक रोजगार का सवाल है, बाड़मेर जिले में अकाल होने की वजह से सड़कों का काम हो चुका है। शेष बहुत सा काम सड़कों का हो रहा है। जो काम फैमिन में खोले थे और अधूरे हैं, उनको पूरा करवाया जाये। उसके बाद में दूसरे ऐसे काम हाथ में लिये जायें जिनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके। जैसे कि तालाब हैं, पहाड़ हैं। जिन पहाड़ों का पानी बह कर बेकार चला जाता है, उस पानी को रोक कर, यदि एक जगह इकट्ठा किया जाये तो इकट्ठा किया हुआ पानी 12 महीने तक शहर के लोगों के पीने के काम आ सकता है। बाड़मेर में कई ऐसे पहाड़ हैं, जिनका सर्वे कराया जाये कि इनका पानी इकट्ठा करके रोका जा सकता है या नहीं ? इन बातों पर विशेष ध्यान दें तो पानी की समस्या हमेशा की है वह हल हो जायगी और अकाल में लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। यह सबके लिये अच्छा काम होगा। इससे सड़क के साथ ही साथ पानी की समस्या भी हल हो जायगी।

दूसरे हमारे जिले में पिछले वर्ष फैमिन होने से काफी युद्ध स्तर पर काम खुले, लोगों को रोजगार दिया। लेकिन उसके अन्दर कई व्यावहारिक कठिनाइयां आई। कई तरह की धांधलेबाजियां हुई। इसलिये मैं उन का थोड़ा जिक्र करना चाहता हूं मंत्री महोदय इस तरफ ध्यान दें। आयन्दा आने वाले समय में पुनः इसकी पुनरावृत्ति न हो, गड़बड़ियां और अनियमितताएं न हो। हमारे वहां पर लोगों को लगाया अवश्य गया, लेकिन उनको वहां पर तगारी और फावड़े नहीं दिये गये जिससे लोग काम नहीं कर पाये। उसकी वजह से नुकसान हुआ। इसलिये कोई भी आदमी को काम पर लगायें तो सरकार अपनी जिम्मेदारी समझे कि उस आदमी को औजार देवे। बिना औजार के ग्रेवल का काम मेटल का काम मजदूर नहीं कर सकता है। मजदूर जो कि गरीब है, वह अपने पैसे से औजार खरीदकर ग्रेवल खोदे या मेटल तोड़े, ऐसा सम्भव नहीं है। इसलिये इस बात की व्यवस्था करें कि जिनको रोजगार दिलायें, उनको सरकार की तरफ से औजार पहले दिलाये जायें। फिर वह काम पर लगाया जाय, इस बात की व्यवस्था की जावे। पिछली बार यह व्यवस्था नहीं हुई जिससे लोगों को पैसा कम मिला।

तीसरे पीने के पानी की बात है, और सिरकियों की बात है। पिछली बार सिरकियों की व्यवस्था नहीं हुई। पानी की सब जगह एक जैसी व्यवस्था की गई। कहीं किसी गांव में मीठा पानी है, कहीं बीस किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं। एक तो बीस किलोमीटर पर पानी पिलावे और एक उस गांव में मीठा पानी है, उनको अलग अलग जितनी दूर से पानी लावे, उनका भुगतान करना चाहिये ताकि मजदूरों को पानी मिल सके। नहीं तो एक जैसी व्यवस्था रखने से मजदूरों को पानी पिलाना सम्भव नहीं हो सकेगा। इसलिये इस ओर विशेष तौर पर ध्यान दें। पिछले वर्ष जो पेमेन्ट किया गया, उसके बाद दो-दो, तीन-तीन महीनों बाद तहसील से पेमेन्ट करने वहां पर गये। तो सभी मजदूर मौके पर मिलना सम्भव नहीं है। लोग इतने लम्बे समय के बाद अर्थात तीन महीने बाद इधर उधर बिखर जाते हैं। कोई दूसरे काम पर चले जाते हैं। इसकी वजह से सबको पेमेन्ट नहीं हो सका। कुछ लोगों का पेमेन्ट अनपेड वापस आ गया। वह पेमेन्ट तहसील में जमा हो गया और

(श्री हेमाराम चौधरी)

तहसील ने पी.डब्ल्यू.डी. व.लों को वापस लौटा दिया। इस तरह से पांच-छः महीने पहले जिन लोगों का पेमेन्ट अन पेड चला गया, उनको पैसा मिल नहीं रहा है। लोग बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के चक्कर काटते हैं। जितना पैसा उन्हें मिलेगा उससे ज्यादा वह खर्च कर देंगे। इसलिये मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस तरह की व्यवस्था करें कि जिनका पेमेन्ट रह गया है उनका पेमेन्ट करें। पेमेन्ट करने वाली एजेन्सी रेवेन्यू एजेन्सी है। वहां तहसीलदार अपने पटवारियों के मार्फत पेमेन्ट करवाता है। वह पेमेन्ट जिन्हें देना है, उसकी सूची बनाकर पटवारी को दे दी जावे, पैसा भी पटवारी को दे दिया जावे और वह तुरन्त 15 दिन में पेमेन्ट कर दे। ऐसी व्यवस्था करें। नहीं तो पिछले साल का पेमेन्ट भी पड़ा है। उनकी हालत खराब है, लोग बाड़मेर के चक्कर काटते हैं, लोग बरबाद हो जायेंगे।

इसके अतिरिक्त पेयजल की समस्या है। उसके बारे में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जहां पर टैंकर भेजकर के सरकार का हमेशा लाखों रुपया खर्च किया जाता है, वहां इस साल जो योजना बनायें उसमें उन गांवों को प्राथमिकता दी जाये। उन गांवों के नजदीक पानी है नहीं, दूर से लाना पड़ेगा। ट्यूब वैल खोदने से मीठा पानी नहीं मिल सकता है। उनके लिये तो पाइप लाइन की योजना बनानी पड़ेगी वह योजना इस ... हाथ में ली जाय। क्योंकि आने वाले समय में हमारे यहां चौथा अकाल है, फिर आगे नहीं आयेगा, इस बात की गारन्टी नहीं है। उन गांवों में पानी की व्यवस्था करा दी जाय तो टैंकरों पर हमेशा जो खर्चा होता है, उससे बचा जा सकता है। सरकार की यह मंशा है कि हर गांव के लिये पानी दिया जायगा। जितने की योजना बनाओगे उतना ही पैसा टैंकरों में खर्च कर देंगे। जिन गांवों में टैंकरों से पानी जाता है, उनकी सूची मंगाकर उनको पेयजल योजना के अन्तर्गत सबसे पहले पाइप लाइन से जोड़ कर पानी पहुंचाया जावे। जिन गांवों के अन्दर मीठा पानी है,

(समय—समाप्ति—सूचक घंटी)

उन गांवों के लिये पी. एच. ई. डी. द्वारा ट्यूब वैल योजना बनाई जा चुकी है, पाइप लाइन योजना बन चुकी है। अतः ऐसी जगह योजना नही बनायें। जिन गावों में मीठा पानी है, उन गांवों में ट्यूब वैल खुदवा कर वहां पर बिजली दे दी जाये, तो लोग पानी पी सकते हैं। पाइप लाइन डालने से पाइप का खर्चा अधिक आता है, वह बेकार नहीं जाये। पाइप लाइन से पानी आ नहीं सकता। पचास पचास, सौ-सौ किलोमीटर पाइप से पचास-तीस गांवों को जोड़ देते हैं, तो वहां पानी जा नहीं सकता। योजना की कोई क्रियान्विति नहीं होती है। दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह साल पहले से पाइप लाइन बिछा दी गई है लेकिन उसमें पानी नहीं पहुंचा है। इसलिये जिन गांवों में मीठा पानी है, वहां कम से कम ट्यूब वैल खुदवाकर, बिजली से जोड़ दें। जिन गांवों में छोटे कुएं हैं, उनको गहराई तक खोद नहीं सकते, वहां ट्यूब वैल खुदवायें। यह रिपोर्ट है कि वहां पर मीठा पानी नहीं हो सकता है, वह गलत है। इस तरह से ट्यूब वैल खोदे ही नहीं। गांव की तीन चार पंचायतों में मीठे पानी के कुएं हैं वहां एक-दो ट्यूब वैल खुदवा कर देख तो लेते लेकिन नहीं देखते है (समय-समाप्ति - सूचक - घंटी) जिसकी वजह से पाइप लाइन का खर्चा फालतू जाता है।

(श्री हेमाराम चौधरी)

हमारे वहां पर बाढ़ सन् 79 में आई थी। इस साल जयपुर के अन्दर भी बाढ़ आई। जयपुर में बाढ़ थी इससे इंकार नहीं किया जा सकता, बहुत भयंकर बाढ़ थी लेकिन हमारे वहां भी बाढ़ थी वह इससे कम नहीं थी, इससे ज्यादा ही थी। लेकिन उस समय हमारे लोगों को पूछने वाला कोई नहीं आया कि किस तरह से बरबाद हो गये है, तुम्हारी क्या सहायता करें? लोगों को सहायता नहीं मिली। इसको काफी समय हो चुका है। मैं उसके बारे में मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जिन लोगों के घर बाढ़ में बह गये, घर बरबाद हो गये, उनको कम से कम ऐसी जगह एक एक प्लाट तो देने की व्यवस्था करें कि वह वापस जब बाढ आ जाये तो अपनी जान बचाने के लिये चले जावें। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह समस्या मेरे क्षेत्र गुढा मालानी गांव के अन्दर है। एक भी आदमी को प्लाट नहीं दिया गया। इसकी रिपोर्ट मंगा ली जावे कि घर पानी में वह गये या नहीं? आयन्दा वहां बाढ आ जावे या फिर ऐसी स्थिति आ गई तो पानी में बह जायेंगे। जहां बाढ नहीं आती हो वहां आप प्लाट दें। गुढामालानी में गोचर जमीन पड़ी है, उसको बचाने के लिये काम हाथ में लें। जयपुर में जिनके घर वह गये हैं, उनको सुव्यवस्थित तरीके से बसाया जा रहा है, मकान के लिये लोन दिया जा रहा है, सरकार उनके लिये सारी व्यवस्थाएं कर रही है। हालांकि हमारा पुराना मामला है हम प्लाट की बात करते है, ज्यादा लम्बी चौड़ी बात नहीं करते हैं आप इस ओर ध्यान दें। अकाल के सम्बन्ध में हमारे जिले से मंत्री महोदय स्वयं वाकिफ हैं। सवंत् 2026 और 36 में हमारे जिले में पहले अकाल पड़ा था। उस समय आप स्वयं अकाल मंत्री थे, आपने उस समय हमारी मदद की थी। लोगों को महसूस नहीं हुआ कि हमारे वहां अकाल था। इस समय मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उस समय जैसी मदद की थी वैसी मदद कर दी जाये तो इस अकाल को आसानी से पार कर जायेंगे।

(धन्यवाद)

श्री हजारीलाल शर्मा (पिलानी) : आपके अकाल मंत्री होते ही अकाल पड़ना शुरू हो गया।

श्री परसराम मदेरणा : 77-78 से पड़ रहा है। लगातार अकाल है। पहले आप विधान सभा में नहीं थे इसलिये आपको जानकारी नहीं है।

श्री राज बहादुर : मैं मंत्री जी से इतना ही कहना चाहती हूं कि यह सन् 78 से ही नहीं सैकड़ों साल से चला आ रहा है। आप इसकी रोक थाम कीजिये।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री चन्दवीरसिंह भाटी (जैसलमेर)।

श्री नन्दलाल मीणा : जो लिस्ट दी है, उसके अनुसार बोलें आप।

श्री उपाध्यक्ष : I am not bound by list.

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : आपने जो रूलिंग दी है वह तो सर माथे पर है लेकिन ...

श्री उपाध्यक्ष : मैं मौका सब को दूंगा।

श्री राजबहादुर : यह आपका मौलिक अधिकार है आप जिसको चाहें बुलवायें।

श्री चन्द्रवीर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जैसलमेर जिला 5-6 वर्षों से भीषण अकाल से जूझ रहा है। जिला जैसलमेर ही नहीं सारा पश्चिमी राजस्थान भयंकर अकाल से गुजर रहा है। गुढ़ा मालानी से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी जो तथ्य बताये वे करीब 2 एक से हैं। मेरे विचार में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष जो हुआ उसे अगर इस वर्ष दुबारा रिपीट किया गया तो निश्चित रूप से मान कर चलिये, उपाध्यक्ष महोदय 25 प्रतिशत पश्चिमी राजस्थान के मवेशी मौत के घाट उतर जायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष जिला जैसलमेर के 275 गांवों को टैंकरों द्वारा पानी उपलब्ध करवाया गया। जल उपलब्ध करवाने के लिये जैसलमेर को 51 टैंकर आवंटित किये गये। इनमें से अक्सर 15-20 खराब रहे। नतीजा यह हुआ कि लगभग 25 से 35 टैंकर ही कार्यरत रहे जिसके फलस्वरूप एक-एक गांव में 10-10, 15-15 दिन के बाद एक-एक टंकी पानी नसीब हुआ उपाध्यक्ष महोदय, जिला प्रशासन ने बड़ी सुन्दर पुस्तिका छपवाई है। माननीय मंत्री महोदय, जरा गौर करें। इस पुस्तिका में आंकड़े भी बड़े सुन्दर पेश किये गये है लेकिन जल व्यवस्था आपकी केवल इस पुस्तिका में ही बन्द होकर रह गई है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जैसलमेर के दूर-दराज गांवों में जहां कोई पेय जल साधन उपलब्ध नहीं है, वहां एक-एक टैंकर के लिये लोगों को 10-10 दिन तक सड़क पर बैठकर टैंकर का मुंह देखना पड़ता है ताकि एक लोटा पानी नसीब हो।

श्री परसराम मदेरणा: किसी भी जिले को 40 टैंकर दिये गये हैं क्या ? पूर्व में जो टैंकर दिये गये, क्या वह जैसलमेर को पानी के परिवहन के लिये दिये गये ? और क्या कोई राजनैतिक भेदभाव बरता गया है ? जितने टैंकर उपलब्ध थे, आपको दिये गये थे ?

श्री चन्द्रवीरसिंह : माननीय मंत्री महोदय, यह आपके जिला प्रशासन की रिपोर्ट है। जिला प्रशासन ने सौ टैंकर्स की मांग आज नहीं, वर्ष भर पहले की थी, और आपने 53 आवंटित किये हैं, जिनमें से 51 ही पहुंचे। आप इस बात से भली भांति परिचित हैं कि कोई भी मैकेनाइज्ड व्हिकल है तो, माननीय मंत्री महोदय, वह खराब होगा, वह निश्चित रूप से खराब होगा। इसमें आपका या जिला प्रशासन का कोई दोष नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैकेनाइज्ड गाड़ी, आप भी गाड़ी में चलते हैं, अगर आपकी गाड़ी भी खराब हो जाय तो रुक जायगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अक्सर उसके एक्सल टूटते हैं या एंजिन बैठते हैं। यह स्वाभाविक ही है, और यह इस वर्ष भी होगा। इसलिये मैं यह अनुरोध कर रहा हूं, माननीय मंत्री महोदय, इस जिले को कम से कम सौ टैंकर आवंटित किये जायं, नहीं तो इस वर्ष इस जिले को क्या प्यासा मारेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय, जैसलमेर जिले में 48 गांवों को पिवाई की सुविधा दी गई, लेकिन उनमें से एक चौथाई गांवों ने ही इस सुविधा का लाभ उठाया। इसका कारण, उपाध्यक्ष महोदय, पिवाई की दरें हैं। 80 फीट नीचे पानी जिनमें कहीं 40, 50, 60 फीट गहरे कुए हैं, आप स्वयं भी जिनसे परिचित हैं। उनका कोई भी आदमी ठेका लेकर क्या पानी उपलब्ध करा सकता है ? हरगिज नहीं करा सकता। इसलिये इस बोगस योजना को हटा कर कुछ व्यवस्था कीजिये, या फिर पिवाई को बढाया जाय। नहीं तो, केवल आंकड़ों से कोई फायदा

(श्री चन्द्रवीरसिंह)

मेरे ख्याल से नहीं होने वाला। उपाध्यक्ष महोदय, जिले में इस वर्ष सेना द्वारा 19 गांवों को पेयजल पहुंचाया गया। हम सेना का स्वागत करते हैं, उनके आभारी हैं कि उन्होंने सहायता की, पेयजल उपलब्ध कराने में। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय, 32 वर्ष की आजादी के बाद भी इस समस्या को हल नहीं कर पाये और सेना द्वारा जल उपलब्ध कराया जाता है, यह बड़े शर्म की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, आजादी मिलने के बाद भी जैसलमेर में ऐसे अनेकों गांव हैं, जिनको अभी तक फैमिन रोड्स से नहीं जोड़ा गया है। उपाध्यक्ष महोदय, जिला जैसलमेर के करेड़ा, पछेड़ा, लदार, पूगलगढ़ आदि ऐसे गांव हैं, जिनको अगर बस पकड़नी हो तो 14 मील पैदल चल कर आना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई बीमार है या सीरियस है, तो ऐसे गांवों, में जैसे खारा, धोलीवाडा, से एकदम दौड़ना पड़ता है। वहां अगर सरकारी राशन भी लेना है, तो 20 मील दूर जाना पड़ता है। इन वर्षों में फैमिन पड़े, अकाल राहत कार्य खुले लेकिन इन गांवों को अभी तक सड़क से नहीं जोड़ा गया। और तो और, उपाध्यक्ष महोदय, आप आश्चर्य करेंगे। ये गांव वाले मेरे पास आये और कहा, श्रीमन्, ये सब दुविधाएं तो झेल लेंगे, लेकिन हमारे लड़कों की शादी होनी भी बन्द होने लगी है। दूसरे गांव वाले शेरगढ़ तहसील और जोधपुर वालों ने तो लड़कियां देना ही बन्द कर दिया है, क्योंकि उनकी लड़कियां 14 मील पैदल चल कर नहीं आ सकती, वे मोटर में बैठती हैं। इसलिये बड़ी भारी समस्या उत्पन्न हो गई।

एक माननीय सदस्य : तो क्या वे कुंआरे ही रहते हैं ?

श्री चन्द्रवीरसिंह : कुंआरे ही रहेंगे और क्या होगा ? इसलिये, माननीय मंत्री महोदय मेरा निवेदन है कि इस वर्ष जो नये अकाल राहत कार्य खोले जायं, उनमें प्राथमिकता देकर इन गांवों को फैमिन रोडस से जोड़ा जाय, ताकि आने वाले समय में टैंकर वहां पर पहुंच सकें। यहीं नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, इन गांवों को बड़ी भारी सुविधा प्राप्त हो जायेगी। राज्य सरकार ने जो घास की व्यवस्था की है, उसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। 38 हजार वर्ग मील क्षेत्र में घास के 20 डिपो स्वीकृत किये, केवल 20 डिपो। उनमें से भी 16 कार्यरत हुए, बाकी चार डिपो नगरपालिका क्षेत्र में थे। इसका मतलब 38 हजार वर्ग-मील में केवल 12 डिपो घास के चलाये गये। मेरा यह निवेदन है, माननीय मंत्री महोदय, जब जैसलमेर में 70 हजार क्वि. घास उपलब्ध था, तो घास के इतने कम डिपो क्यों खोले गये ? हालांकि इसके आप जिम्मेदार नहीं है, लेकिन अब आप अकाल राहत मंत्री हैं, इसलिये मेरा निवेदन है कि इस वर्ष घास तो है नहीं, जो घास के डिपो खोले जायं ....

श्री परसराम मदेरणा : जैसलमेर के वाली एरिया, और आगे भी घास जहां पर है, वहां पानी उपलब्ध हो जाय, तो कम से कम एक साल तक घास उपलब्ध हो सकेगी, ऐसा आस-पास के लोगों का सोचना कहां तक उचित है ?

श्री चन्द्रवीरसिंह भाटी : मैं इसका भी स्पष्टीकरण देता हूं माननीय मंत्री महोदय ने जो पूछा है ...

श्री परसराम मदेरणा: मैंने इसलिये पूछा है कि जब डिपो की बात कर रहे थे, तो लोग तो जहां आपके जिले में घास है, वहां जाना चाहते। है फिर आप कहते हैं, डिपो की क्या आवश्यकता है ?

श्री चन्द्रवीरसिंह : आवश्यकता नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, जिला प्रशासन ने सरपंचों को दबाया, क्योंकि राज्य सरकार ने पांच हजार की राशि निःशुल्क देने के लिये कहा है कि आपको अगर घास की आवश्यकता हो, तो बिक्री केन्द्र से घास खरीदिये, ट्रांसपोर्ट का इन्तजाम करिये, ले जाइये और बेचिये। इसका नतीजा यह हुआ, उपाध्यक्ष महोदय, जैसलमेर के दूर दराज के गांवों में जो घास 25 रु. क्विन्टल उपलब्ध थी, वह 70-80 रुपये में उपलब्ध हुई। अकाल पीड़ित एवं अकाल से टूटे हुए लोग उस घास को खरीद नहीं सके, इससे भारी मात्रा में पशुओं की क्षति हुई। इसका सारा श्रेय राज्य सरकार और जिला प्रशासन को देता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व वन मंत्री, जो जैसलमेर और बाड़मेर के अकाल इन्चार्ज थे, ने घोषणा की थी, कि वन विभाग का जो संग्रहित घास है वह 15 रु. क्वि. में जैसलमेर को उपलब्ध कराया जायेगा। यह हकीकत है कि वह घास कुछ समय तक जैसलमेर के निवासियों को 15 रु. प्रति क्वि. की दर से उपलब्ध कराया गया। लेकिन, माननीय मंत्री महोदय, शायद वन मंत्री की कार जयपुर भी नहीं पहुंच पाई थी कि घास की बिक्री बन्द कर दी गई। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी जांच करवायें। जिला प्रशासन द्वारा जानकारी दी गई, जिला प्रशासन ने आंकड़े भेजे कि जिले में 70 हजार क्वि. घास उपलब्ध थी। हमारी पार्टी वालों ने और हमारे जिला प्रशासन ने अवगत कराया कि उसमें अधिकतर घास सड़ी गली है तो जिला प्रशासन ने माना कि 70 हजार में से 30 हजार क्विन्टल घास सड़ी हुई है, अखाद्य है और उसकी बिक्री बन्द कर दी जायेगी तो क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि इस तीस हजार क्विन्टल घास का क्या किया गया है? तीस हजार क्विन्टल घास वहां पर एकत्र है, वह सड़ी-गली हुई घास है। सेन्टर्स पर इस सड़ी-गली घास को आज भी मैं आपको दिखा सकता हूं। आप पधारेंगे, तो मैं आपके साथ रहूंगा, और आपको दिखाऊंगा कि इन सेन्टर्स पर सड़ी गली घास मौजूद है। यह घास किसी ने नहीं खरीदी है। यह घास अखाद्य है, पशुधन इस घास को खा नहीं सकता है। इस वक्त जो घास वहां पर संग्रहित है, वह नगण्य है, के बराबर है। जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है, जैसलमेर क्षेत्र में घास संग्रहित है, लेकिन शायद मंत्री महोदय यह भूल गये हैं कि वहां के सेन्टर पर जो घास है वह अखाद्य है। इसके अलावा जो घास मौजूद है, वह पिछले तीन साल से है। जिला प्रशासन उसको उठा कर जैसलमेर नहीं ला रहा है। वह घास इतने बड़े-बड़े डन्ठल के रूप में है। वह गायों के खाने योग्य नहीं है। बोर्डर पर घास अवश्य है, परन्तु वहां पर भी उतनी ही घास है जितनी कि वहां के मवेशी खा सकते हैं। जैसलमेर में, उपाध्यक्ष महोदय, एक अजीबोगरीब स्थिति है। वहां पर 100 गांव ऐसे हैं, जहां पर एक बूंद पानी नहीं बरसा है। आज 16 गांवों के अन्दर वाटर टैंक से जल वितरण का कार्य किया जा रहा है, और आने वाले 15 दिनों के अन्दर कम से कम 50 और गांवों में वाटर टैंक के द्वारा आपको जल वितरण करना पड़ेगा। जहां पर अच्छी वर्षा हुई है, वहां पर घास हुई है। शेरगढ़ तहसील की भूखी गायों का हम स्वागत करते हैं। जहां पर घास हुई है वहां पर गायों के आने का हम स्वागत करते हैं...

(व्यवधान)

खेतसिंह जी तो नहीं, परन्तु उनकी

(श्री चन्द्रवीर सिंह)

गायें वहां पर फिरती हैं। उनकी गायें जरूर हैं। खेतसिंह जी की शेरगढ़ तहसील की भूखी गायें हमारे जैसलमेर जिले के क्षेत्र में आई हैं। परन्तु इससे क्या होगा ? जो खण्ड तीन महीने चलता, वह इन गायों के आने से एक महीने में ज्यादा नहीं चलेगा। इसी तरह से आप बोर्डर का फर्मा रहे हैं, मगर बाड़मेर के सेंदड़ा, गडरा, गिरवा, हरसा इत्यादि जो गांव हैं, उनकी गायें जैसलमेर एरिया में प्रवेश कर चुकी हैं, और बोर्डर पर पहुंच रही हैं। इस संदर्भ में आपको यह आंकड़े दे रहा हूं, आपके प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने जो आंकड़े आपको दिये हैं, वे गुमराह करने वाले आंकड़े हैं।

श्री परसराम मदेरणा : पशुपालकों ने मुझको एक बात कही है और जिला प्रशासन ने भी कहा है। मैं जब पिछली बार जोधपुर गया था तब फलौदी के लोग आये थे। उन्होंने यह कहा है कि जैसलमेर बोर्डर एरिया के पास घास है यदि वहां पर पानी की व्यवस्था कर दी जाये।

श्री चन्द्रवीरसिंह : आपका फर्माना सही है। जैसलमेर की ओर बड़ी भारी मात्रा में गायें जा रही हैं। कुछ चांदड़ा लाठी के बीच में घास उपलब्ध है। इसलिये कहना जरूरी है कि मैंने उन लोगों से पूछा कि यह सूचना कैसे मिली ? तो उन्होंने कहा लकड़हारे की सूचना है। मंत्री महोदय भी जानते हैं कि इसका क्या मतलब होता है ? वे इससे परिचित हैं। पश्चिमी राजस्थान में लकड़हारा के आधार पर यह लोग जा रहे हैं। जब तक घास है उनका स्वागत है। माननीय मंत्री महोदय को फलौदी वालों ने कहा है परन्तु आप इसकी जांच करावें। मैं निश्चित तौर से कह रहा हूं कि वहां पर घास है परन्तु वहां पर पानी की व्यवस्था की सख्त जरूरत है। इतनी भारी मात्रा में मवेशी पशुधन वहां पर जा रहा है वे घास तो खा सकते हैं परन्तु पानी की व्यवस्था जरूरी है.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस वर्ष संग्रहित घास वहां नगण्य के बराबर है। मंत्री महोदय को मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जैसलमेर जिले में घास की क्या व्यवस्था की है। अकाल की बहस पर आप जवाब फर्माएंगे उसमें अवश्य ही बताने की कृपा करें। मेरा यह निवेदन है कि इस जिले में घास की व्यवस्था शीघ्र करावें, अन्यथा संकट पैदा होगा और भारी मात्रा में मवेशी मरेंगी।

मजदूरी के भुगतान के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय। एक-एक, दो-दो महीने से उन्हें पेमेन्ट नहीं किया गया है। जैसा कि गुढ़ा मालानी से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया है उसमें मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं परन्तु जैसा कि मंत्री महोदय भी परिचित है लोगों को ढाई, साढ़े तीन रुपये का पेमेन्ट किया गया है। एक कारण गुढ़ा मालानी से आने वाले सदस्य ने बताया है कि जो औजार उनको दिये गये हैं वे रद्दी किस्म के दिये गये हैं। कई मजदूरों के हाथों में छाले पड़ गये हैं। वे किस तरह से खोदकर अपना पेट भर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि परिवार में से एक सदस्य, पांच सदस्यों के परिवार में से एक सदस्य, 6 से 8 सदस्यों के परिवार में से दो, दस से ऊपर के परिवार में से 3 सदस्यों

(श्री चन्द्रवीरसिंह)

को अकाल राहत कार्यों पर लगाया जायेगा। परन्तु सरकार की घोषणा के अनुसार जो नियम बनाये गये थे उनको समाप्त कर दिया गया है। परन्तु जैसलमेर जिले में ये नियम अभी तक लागू हैं। मेरा यह आरोप है कि इस जिले के साथ भेदभाव किया जा रहा है। क्योंकि बाड़मेर जिले में आज से 6 महीने पहले यह नियम समाप्त कर दिये है। इसका क्या कारण है? यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बाड़मेर में यह नियम लागू नहीं होगा और जैसलमेर में यह लागू होगा क्या सरकार का यह भेदभाव इस जिले के ही साथ था? अन्य जिलों में यही व्यवस्था रही है? इस तरह की व्यवस्था हुई है तो कितने जिलों में यह अव्यवस्था लागू रही और कितनों में कटौती की गई है? इसी तरह से पशुपालन केन्द्र खोलने में भेदभाव किया गया है।......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

नतीजा यह हुआ कि कई पंचायत समितियों में तो तीन-तीन पशुपालन आहार केन्द्र खोल दिये गये और कई पंचायत समितियों में एक भी पशु आहार केन्द्र नहीं खोला गया है। इस तरह की मनमानी इस वर्ष भयंकर अकाल के वर्ष में चल रही है। इससे आप अन्दाज लगा सकते हैं कि जैसलमेर के पशुधन की क्या स्थिति है। ऐसे जो पशुपालन केन्द्र हैं उनको ज्यादा मात्रा में खुलवायेंगे और उनकी सुचारु रूप से व्यवस्था करेंगे तो मेरा मानना है कि काफी पशुधन बच सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय इसी तरह से चिकित्सा व्यवस्था अस्त व्यस्त है। कम्पाउन्डर और डाक्टर्स की कोई व्यवस्था नहीं है। पशु चिकित्सा अस्त-व्यस्त है, डाक्टरों की कमी है, दवाइयों का अभाव है। उपाध्यक्ष महोदय, काफी भारी मात्रा में पशुधन की क्षति होने का यह एक कारण है। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है कि वहां पर सिरकियों का इन्तजाम नहीं है। यह इन्तजाम कर दिया जाता है तो पशुओं को बचाया जा सकता है। वे तड़फ रहे हैं, भूख से बिलख रहे हैं इसका इन्तजाम अब भी कराया जाय। जैसा कि आपने फर्माया है मंत्री महोदय आप इस ओर ध्यान दें। राजस्थान नहर की 18 इंच पाइप लाइन जैसलमेर पहुंच गई है। इस पाइप लाइन को मोहनगढ़ तक ले जाने का विचार है। यदि इस 18 इंच पाइप लाइन को युद्ध स्तर पर मोहनगढ़ से 20 मील और आगे पहुंचा सकते हैं, तो आपके जिले को काफी मात्रा में पानी उपलब्ध हो जायेगा और जैसलमेर की मवेशी और बाहर से जो मवेशी आयी है, वह बच सकेगी।

इसी प्रकार पशु निष्क्रमण की समस्या हैं। जैसाकि गुढ़ा मालानी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, गुजरात में घास है और हजारों की संख्या में लोग उधर जाना चाहते हैं। इस निष्क्रमण के रास्ते की आप क्या व्यवस्था करेंगे? मुझे विश्वास है कि आप इसकी जल्दी से जल्दी व्यवस्था करेंगे ताकि निष्क्रमण का रास्ता लोगों को मिल सके, वरना दो महीने बाद मवेशी इस रास्ते से नहीं जा सकेगी।

जो रीजनल पाइप स्कीम्स है वह सही नहीं चल रही हैं। जनता अकाल से पीड़ित है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इनके विस्तार पर ध्यान रखें, ताकि जो रीजनल पाइप लाइन स्कीम बची हुई है वह निश्चित रूप से चले।

(श्री चन्द्रवीरसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, जैसलमेर में मौसम विभाग है उसके पास वर्षा रिकार्ड करने के यंत्र सही नहीं हैं। फलस्वरूप जो आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं, वे सही नहीं होते हैं। जैसा कि आप भी जानते हैं, पश्चिमी राजस्थान में कहावत है— "कितनी वर्षा हुई, पांच-पांच अंगुल या दस-दस अंगुल बरसात हो गई।" इसी तरह से मौसम विभाग से आंकड़े संग्रहित कर के भेजे जाते हैं। आपके मौसम विभाग द्वारा झूठे आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं। इसकी व्यवस्था आप निश्चित रूप से करावें।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी वहां पर एक पशुमेला लगा था। वहां पर किसानों ने दस-दस रुपये में बैल को बेचा है। एक बैल दस रुपये में, दो बैल बीस रुपये में और बैलों की जोड़ी तो 15 रुपये में बेची गई है। आज आदमी मवेशी को छोड़ रहे हैं। इससे स्पष्ट जाहिर है कि 15-20 रुपये में बैलों की जोड़ी बेच रहे हैं.....

एक माननीय सदस्य : आप झूठ बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री चन्द्रवीरसिंह : आप तस्दीक कर लीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत भयंकर अकाल का वर्ष है। अभी से कार्यवाही नहीं की गयी, तो आज लोग मवेशी को बेच रहे हैं, आने वाले समय में आपको यह सुनने को मिलेगा कि लोग अपने बच्चों को बेच रहे हैं। मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि फौरन समय रहते हमें काम करना चाहिये, इसकी तैयारी निश्चित रूप से करनी चाहिये ताकि आने वाले भीषण अकाल से जै[illegible]र की जनता को बचाया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामकरण चौधरी।

श्री रामकरण कताला (जायल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अकाल और बाढ़ पर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अकाल की स्थिति कहीं पर भी भगवान पैदा न करें। जहां अकाल पड़ा हुआ है, यह लगातार 3 साल से चल रहा है। इससे आज किसानों की हालत गरीबों की हालत जैसी है। गांवों में आप जाकर देखें, आप वहां पर नाइट हॉल्ट करें। किसानों की चिन्ता को आप महसूस करेंगे वास्तव में कितने दुखी हैं वह लोग ? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात कह रहा हूं, मैं झूठ बोलने का आदी कम ही हूं। इसलिये मैं यह आपको सत्यतापूर्वक कहता हूं कि वास्तव में कोई नाइट हॉल्ट अच्छी तरह किया हो नहीं जाता है क्योंकि जो "जीव जावे जआरी न जावे" यह कहावत आज गांवों में चरितार्थ हो रही है। आज पशु मर रहे हैं। किसान तो खुद ही मरता है वह खुद ही मरणो जिसो है। हम जब गांव की हालत देखते हैं तो हमारा कलेजा धधकता है; यह सही बात है। अकाल में भी यह दूसरे टाइप का अकाल है जिसको कि हम आला अकाल कहते है। पहले तो भयंकर बाढ़ आयी उसके बाद घास नहीं हुयी। पशुओं का जीना मुश्किल हो गया है। इन्सान से ज्यादा पशु की कीमत है किसान के लिये, पशु पालकों के लिये। मुझे यह कहते हुये कोई संकोच नहीं होता।

आज मुझे सुबह की डाक से यह समाचार मिला है कि डोडवाना में जो कि नागौर जिले का ही नहीं प्रदेश भर का सबसे बड़ा पशु मेला होता है उसमें कुतर 40 रुपये मन नहीं मिली। एक किलो का एक रुपया

(श्री रामकरण कताला)

देने पर भी कूतर नहीं मिली जो कि बाजरे की होती है। इसको अलबत्ता तो पशु खाते ही नहीं हैं और वह भी आज भादवे के महीने में घास की जब कमी नहीं रहती है इस महीने में एक रुपये की एक किलो कूतर नहीं मिली। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि पशुपालकों की और उन पशुओं की क्या हालत है ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपने पिछले साल जिस तरह से अकाल का मुकाबला किया है उसी हिसाब से इस साल भी उसी गति से चलेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। मैं यह मानता हूं कि उस साल के अकाल की सीमा और स्थिति को देखते हुए वह ठीक था पर अब अपर्याप्त रहेगा। मैं यह मानता हूं, जैसी कि मुझे मुख्य मंत्री जी से और आप लोगों से जानकारी मिली है कि आंकड़ों से राजस्थान के ऊपर ओवर ड्राफ्ट बहुत ज्यादा है पर अकाल की विभीषिका को देखते हुए चाहे जो साधन जुटाने पड़ें, चाहे जितने प्रयत्न करने पड़ें, लेकिन इस अकाल का तन; मन और धन अच्छी तरह के साज-सामान और नई सज धज के साथ मुकाबला करना पड़ेगा। अकाल के लिये हम लोग जनवरी, फरवरी में तैयार होते हैं, लेकिन आज की जो स्थिति है, आज गांव के लोग बेकार बैठे हुए हैं पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पशुओं के लिए चारे की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग गहने बेच-बेच कर अन्न खरीदने के लिये आते हैं, तो अनाज नहीं मिलता है। इसके लिये अगर समय से कोई इन्तजाम नहीं करते हैं, तो मैं समझता हूं कि गांव के आधे से ज्यादा लोग चले जायेंगे और यदि चले जायेंगे, तो उनका भगवान ही मालिक है।

इसलिये, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो, पशुओं के लिये चारे के ज्यादा से ज्यादा डिपो खोले जायें। अकाल राहत में पिछले साल काफी कम काम करवाये गये थे। उस साल जितना अकाल था मैं मानता हूं कि उसके लिये काफी था। लेकिन इस साल वह काम कम होंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो अन्न और चारे की समस्या है, उससे कहीं भयंकर समस्या नागौर जिले के पीने के पानी की है। इसके लिये अब भी जिले की मीटिंग होती है तो मैं जाता हूं। माननीय महाराम जी भी नागौर से आने वाले माननीय सदस्य हैं। उनको मालूम है कि किस तरह से हम पानी-पानी चिल्लाते हैं ? किस तरह से टैंकरों से पानी पहुंचता है। 37-40 मील से टैंकर आता है और पानी पहुंचता है। जिस दिन टैंकर खराब हो जाये, उस दिन पानी नहीं पहुंच पाता है। एक टाइम आदमी व्रत करके तो जिन्दा रह सकता है, लेकिन गर्मी में बिना पानी के जिन्दा नहीं रह सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम यह मानकर चलते हैं कि हमारे मुख्य मंत्री जी काफी सजग है और अकाल राहत मंत्रीजी भी इस मामले में पीछे नहीं हैं। मैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि मदेरणा साहब की तथा शिवचरण जो माथुर की तरफ राजस्थान की जनता आंख लगाये, कलेजा थामे देख रही है। यह आवाज सुनने का इन्तजार कर रही है कि आप कब घोषणा करेंगे कि हमारे यहां अनाज की व्यवस्था चारे के डिपो पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे तथा लोग जितना काम चाहेंगे

(श्री रामकरण कताला)

उतना काम मिलेगा। यह घोषणा सुनने के लिये लोग आज इन्तजार कर रहे हैं। यह मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं कि आपके ऊपर जितनी बड़ी जिम्मेदारी है उसको आप निभायेंगे, मैं आशावादी हूं।

लेकिन इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं तो शायद इस विधान सभा में पहली बार ही आया हूं, लेकिन हमारे यहां पर जो रोजास संभाग पानी की योजना है। 10 साल से इसकी आवाज सुनता आ रहा हूं कि वह बनने वाली है वह बननी चाहिए, मैं जन स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा, उनसे मैंने पहले भी कई बार निवेदन किया और अब माथुर साहब की सरकार बनने के बाद आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस योजना के कार्य को अकाल राहत योजना के तहत कम से कम चालू करवा दें। यह मैं आपसे हमारी कान्स्टीट्यूएंसी के लिये प्रार्थना करता हूं

श्री परसराम मदेरणा : क्या है ?

श्री रामकरण कताला: रोजास सम्भाग योजना है लाडनू की। 1980 में इसकी कोई फाइल दिल्ली से अप्रुव होकर आयी है। मैं आशा करता हूं कि अकाल राहत में इसको ले लिया जायेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके लिये मैं आपका और सरकार का बहुत आभारी रहूंगा। लाडनूं तहसील की जनता आपको भूल नहीं सकेगी। अन्त में मैं आप से निवेदन करूंगा कि आपने जैसे पिछले दो साल अकाल का मुकाबला किया है और अच्छी तरह से मुकाबला किया था, इस साल भी वह विश्वास बनायें रखेंगे। आपने समय दिया इसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री माधवसिंह दीवान।

श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो विषय है,वह है प्राकृतिक आपदाओं का। प्राकृतिक आपदायें तो कभी कोई 100–50 साल में हो जाती हैं वह प्राकृतिक आपदा होती है। यह अकाल रेगुलर फीचर जैसी चीज बना हुआ है। हर दस साल में, 6–7 साल तो पश्चिमी राजस्थान में रेगुलर अकाल रहता है। कृपा करके इसको प्राकृतिक आपदा न मानकर इसको एक पर्मानेंट फीचर मान करके ऐसा डिपार्टमेंट बना दें कि इसका कुछ न कुछ काम रेगुलर चलता रहे, कुछ यूजफुल वर्क चलते रहें। जिस तरह से हमारी पार्टी इलेक्शन में सक्रिय होती है, और इलेक्शन जब खतम हो जाते हैं, तो नींद ले लेती है, उसी प्रकार से जब अकाल पड़ता है तो लोग एक्टीव हो जाते हैं। जहां जहां डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम सैंक्शन होते हैं, अकाल के बाद वह अधूरे रह गये तो अधूरे रह गये, और पूरे हो गये तो पूरे हो गये यह कोई, यूजफुल काम नहीं होते है। अकाल बंद हुआ तो औजार कहां जाते हैं ? अधूरे कामे का क्या होता है ? फिर अकाल घोषित होगा तब देखा जायेगा।

आपने मंत्री महोदय, बहुत बड़े-बड़े अकाल का सामना मुस्तैदी से किया है। सरकार को इस बात के लिये कुछ न कुछ प्रोग्राम बनाना चाहिये। जब अकाल नहीं हो तो अधिकारी कुछ न कुछ योजना बना लें, सर्वे कर लें, टैस्ट वर्क तैयार कर लें और जब अकाल घोषित हो, तो उस टाइम में फटाफट नयी सड़कें, नये प्लान बनाकर तथा इर्रिगेशन प्रोजेक्ट तैयार करके सारे

(श्री माधवसिंह दीवान)

पैसे को कन्सोलिडेटिव ढंग से खर्च किया जाये, जिससे कि कुछ यूजफुल वर्क हो जाये। हमारे यहां पर पिछले साल अकाल घोषित हुआ था, तो दो ए. ईन. लगा दिये और चार छः जे. ई.-एन. लगा दिये। उनमें से कोई इलेक्ट्रोनिक्स में दक्षता प्राप्त किये हुआ था, तो कोई इलेट्रिकल्स में। उनको साइट पर पहुंचा दिया। सड़कों के बारे में, बांधों के बारे में वह कुछ जानते नहीं हैं और उनको लगा दिया कि लॉग बुक लिखो उसका चैक अप करो। रेगुलर युनिट में तो कुछ काम हुआ है और बाकी जो फैमिन वर्क्स में ए.ई.-एन. और जे.ई.-एन. लगाये हुए थे, जिन्होंने सारे काम का ऐसा रवैया कर दिया और बहुत ही कम मजदूर जो हैं वह यूजफुल काम कर पाये। अब इस साल जो अकाल पड़ा है, हमारे गांवों के कुछ बड़े-बुढे कहते हैं कि उनकी जिन्दगी में तो जो सुना करते थे वह छप्पनिया काल था यानि संवत् 1956 में जो पड़ा था उससे भी भयंकर अकाल इस साल पड़ा है। उसका सामना करने के लिए उपाध्यक्ष महोदय, अगर सरकार ने मुस्तैदी से काम नहीं किया, तो स्थिति चिन्ताजनक हो सकती है। ला एण्ड आर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है। उसके लिये मेरे कुछ सुझाव हैं। एक तो पाली जिले के लिये कम से कम यह मान कर चलना पड़ेगा कि पानी जो उपलब्ध हो रहा है वह बरसात से हो रहा है उसको बांधों में इकट्ठा कर देते हैं। इरिगेशन को जो प्रायोरिटी देते हैं, कम से कम पश्चिमी राजस्थान में तो इरिगेशन की प्रायोरिटी कतई बन्द कर दी जाय। पानी के जो छोटे बांध हों, या बडे बांध हों उसमें स्टोरेज करके जिस साल अकाल पड़ता है, उस साल के लिए सुरक्षित रखा जाय पानी चाहे जमीन के अन्दर आता है, उसे अण्डरग्राउन्ड वाटर के रूप में सुरक्षित रखा जाय और जो पानी जमीन के ऊपर रहता है बांधों में उसको सिंचाई के लिये नहीं देकर बांधों को इस तरह रखा जाय कि जो भी पानी सीपेज होकर कुओं में जाय, उसका उपयोग हो सके। अकाल के टाइम में जिस तरह चारे और खाद्यान्न की कमी भयंकर रूप से पड़ती है वह नहीं पड़कर खरीफ की फसल नहीं तो रबी की फसल बोई जा सके उसका कोई उपयोग किया जा सके। हमारे यहां कई ऐसे गांव हैं जो तालावों के नीचे आये हुए हैं। उन कुओं में, पानी है। सरकार से निवेदन है कि कोई न कोई सब्सिडी भारी मात्रा में काश्तकारों को दी जाय ताकि वह हरा चारा बोयें। रिजका और हरा चारा वहां के काश्तकार पैदा करेंगे, तो आस-पास के मवेशी और पशुधन जो वहां रखना चाहते हैं, पर रख नहीं सकते वह रख सकेंगे उनका रखना जरुरी है, वह अपने आस-पास के गांव छोडकर वहीं बस सकते हैं और इस तरह पशुओं को बचाया जा सकता है पशुओं को बचाने के लिए जरुरी है कि राज्य सरकार सैण्ट्रल गवर्नमेंट से बात करके दूध के भाव कुछ बढवा दे जो पशु वहां होंगे काश्तकार उनको महंगा चारा खिलाकर दूध महंगा बेच सकता है, दिल्ली वाले उसको पैसा दे सकते हैं। बहुत से कुए करीब करीब सूख गये हैं और कहीं नहीं सूखे हैं, तो दो चार महीने में सूख जायेंगे। उनको गहरा कराने के लिये सामान जो अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के पास हैं उसको पी. एच.डी को दे दिया या तो उसको वापस मंगवावें, नहीं तो ब्लास्टिंग और दूसरा सामान बोरिंग करने के लिये हैं उसको सस्ते पैसों पर काश्तकारों को उपलब्ध करायें तो वह कुएं गहरा करा सकेंगे और कुछ न कुछ फसल या अनाज रबी की फसल के अन्दर पैदा कर सकेंगे। मेरा एक सुझाव यह भी है कि अभी भी गांवों में काफी

(श्री माधवसिंह दीवान)

कच्चे मकान पड़े है। जब कि काम के बदले अनाज योजना चलाई थी, उसमें अनाज तो जनता पार्टी ने करीब-करीब समाप्त ही कर दिया। दूसरा यह था कि सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट से कुछ कोयला आवंटित करवा लें पिछले 6-8 महीनों में स्थिति में काफी सुधार हुआ है। यह कोयला ग्राम पंचायतों को पंचायत समितियों के मार्फत आवंटित करें, तो हर गांव के अन्दर कच्ची ईटें बनाकर उसी आधार पर जिस तरह से कि काम के बदले अनाज दिया गया था, गांव वालों को काम के बदले ईटें बनाने के लिये कोयला उपलब्ध करा सकें तो अभी जो फालतू 8-10 महीने लोग बैठे हुए हैं, उन्हें ईटों के उपयोग से कम से कम कच्चे मकानों को पक्का कराने में मदद मिल सकेगी। इस तरह से काफी बड़ी तादाद एम्प्लायमेंट दिया जा सकता है। अखबारों में पिछले सप्ताह था कि अपना जो सैन्ट्रल एरिड जोन है, इस तरह के सोलर हीटर तैयार किये हैं जिससे खारे पानी को गर्म करके डिस्टिल्ड वाटर, मीठा पानी बनाया जा सकता है। शायद कुछ मात्रा में अधिक नहीं होता हो। अगर सैन्ट्रल एरिड जोन द्वारा कुछ सामान तैयार किया गया, तो जहां पर पानी बहुत खारा है वहां इस तरह सोलर हीटर से मीठा बनाकर उन गांवों को दिया जा सके, तो मीठा पानी कुछ मात्रा में उपलब्ध हो सकेगा। ऐसा करने से कम से कम आदमियों और पशुओं को पीने के लिए कम्पलीट पानी उपलब्ध करा सकते है।

पी.एच.ई.डी. में भारी अव्यवस्था है कम से कम रीजनल स्कीम के अन्दर पेयजल के दस-पन्द्रह गांव हैं, वहां तो पूरी मात्रा में पानी पहुंच जाय, तो बहुत बड़ी बात होगी। इस बार पानी की भारी कमी है। इसलिए पी. एच. ई. डी. जो फाच्युनेटली आपके ही पास है के ऊपर मुस्तैदी से पाबन्दी लगावें कि जो पेयजल योजना है, उसके लिये भी समुचित तरीके के काम करें किसी भी प्रकार की अव्यवस्था कम से कम इसमें नहीं होने दें।

सबसे जरूरी बात है पेड़ लगवाने की हमारी प्रधान मंत्री भी इस ओर इस बार खूब ध्यान दे रही है। मेरा निवेदन मंत्री महोदय से यही है कि इस फैमिन के अन्दर गवर्नमेन्ट की जो जमीन फालतू पड़ी है, वहां खड्डे खुदवा कर तैयार रखें, ताकि अगली बरसात के अन्दर हम ग्राम पंचायतों के माध्यम से उसमें पेड लगवा सकें। उसी प्रकार हमारे क्षेत्र में बिलाड़ा और सुरायता ऐसे स्थान हैं जहां पर कुओं में मोटर लगी हुई हैं, लेकिन वे बेकार पडे हुए हैं। वहां हरा चारा बोने के आदेश प्रदान कर दिये जाये ताकि उसमें चारा बो सकें। पाली जिले में 10 ऐसे फार्म हैं जहां चारा पैदा किया जा सकता है और मवेशियों को बचाया जा सकता है।

बाढ़ के सम्बन्ध में मुझे सिर्फ यही कहना है, मंत्री महोदय, 79 में जो बाढ़ आई थी उसे भी देखा, इस साल आई वह भी देखी और जयपुर संभाग में भी हमको बाढ़ देखने का मौका मिला। मुझे इस बात का धन्यवाद देना है, भूतपूर्व सिंचाई मंत्रीजी दो महीने बाद, जब बाढ़ खतम हो गई तब वहां पर आये, आप दूसरे दिन ही वहां पहुंच गये मैं आपको बता दूं कि जनता सरकार बिल्कुल सो रही थी। पश्चिमी राजस्थान में लोगों ने ज्यादातर कांग्रेस को वोट दिये थे, इसलिए इस एरिया में कतई ध्यान नहीं दिया गया। जो राहत कार्य उस एरिया में होने चाहिये वह नहीं हुए। वहां के काश्तकार हार्ड वर्किंग है, सरकार की कोई मदद नहीं मिली फिर भी

Page No. 70

(70)

श्री दाऊदयाल जोशी : आप एम.एल.ए. थे ।

श्री माधवसिंह दीवान : एम. एल. ए. लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपस में बात नहीं करें ।

श्री माधवसिंह दीवान : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रति दुर्भावना, दुर्व्यवहार किया पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई मंत्री जी नहीं आए, भैरोंसिंह जी हेलिकोप्टर से आये थे जो जोधपुर से जयपुर आ गये थे कालवी साहब को हेलिकोप्टर देकर आ गये । इस बार सरकार ने मुस्तैदी से काम कराया है । हम पूरी उम्मीद करते है, अकाल का सामना करके के लिए और किसी प्रकार का नुकसान राज्य को नहीं होने देंगे । धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष: श्री राम कंवार बैरवा ।

श्री रामकंवार बैरवा (फागी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस अधिवेशन में अकाल और बाढ़ पर जो हमारे सामने समस्याएं आई है उन पर बोलने के लिये मुझे भी आपने समय दिया है मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, इस बार ज्योंही पहाड़िया साहब की सरकार गई और श्री माथुर साहब ने ...

(2.20 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत, सभापति, पदासीन)

शपथ ग्रहण की तो दूसरे ही दिन मूसलाधार वर्षा हुई । हमने यह सोचा कि अच्छी शुरुआत होगी । राजस्थान की जनता को राहत मिलेगी और चहुमुखी विकास होगा लेकिन जो दृश्य आज तक सामने आया है उससे केवल निराशा ही हुई है, आशा की कोई उम्मीद नागरिकों के मन में नहीं पैदा हुई बरसात के कारण जिला जयपुर में सैंकड़ों लोगों को मौत के मुंह में जाना पड़ा । सभापति महोदय, मुझे मंत्री महोदय से निवेदन करना है कि जयपुर जिले में जिस समय बाढ़ आई थी, उसके दो दिन बाद 22 तारीख को मुख्य मंत्री जी को मैंने पत्र लिखा था । मुख्यमंत्री जी ने स्वयं यह माना था कि फागी व चाकसू में भयंकर बाढ़ आई है । जो जन धन की हानि हुई है, उससे निपटने के लिये और लोगों को राहत पहुंचाने के लिये प्रशासकों के मुख्य दल बनाकर राहत पहुंचाई जा रही है और मार्ग ठीक कराये जा रहे है । लोगों का जमीन और सिचाई के कुएं इत्यादि का जो नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा देंगे या उनको दुबारा फिर से चालू करवायेंगे । हमने युद्धस्तर पर कार्यवाही शुरु कर दी है । लेकिन मुझे बड़ा खेद है, कि तारीख 19 जुलाई को बाढ़ आई थी और उसके पश्चात् आज तक भी सरकार अच्छी व्यवस्था करके उनको ऊंचे स्थानों पर बसाने में असमर्थ रही है । जो लोग किसान थे उनके पशु, अनाज कपड़ा व तमाम घरेलू चीजें बह गई है बल्कि परिवार के सदस्य भी काफी संख्या में बह चुके हैं । उन लोगों को केवल 150 वर्ग गज के प्लाट्स दिये गये हैं । जो प्लाट दिये गये हैं उनमें भी बीच में चौक कम है, सब लोग किसान है, व कौनसी जगह पर ऊंट खड़ा करेंगे, अपनी बैलगाड़ी खड़ी करेंगे ? चारा डालने के लिये भी कोई बाड़ा नहीं रखा । मैं समझता हूं कि इतनी तंगी में तो शहर के लोग भी नहीं बस सकते है । मंत्री महोदय से मुझे पूरी आशा है, बल्कि मैंने अनेक पत्र मंत्री महोदय को उनके बारे में दिये है, लेकिन कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई सीधा प्रशासन के पास एक

(श्री रामकंवर बैरवा)

ही जवाब है। मैं मंत्री महोदय को सचेत करना चाहता हूं, कि ग्राप ग्रकाल ग्रौर बाढ़ के समय इस प्रकार की भावना नहीं बनाये कि वहां से ग्रगर विरोधी दल का विधायक जीता है, तो वहां के नागरिकों के साथ ग्राप सौतेला व्यवहार करें ग्रगर इसी प्रकार का ग्रापका रवैया रहा, तो मैं समझता हूं कि जितने दिन पहाड़िया सरकार टिकी उतने दिन भी यह सरकार टिकने वाली नहीं है, ग्रौर जल्दी से जल्दी ग्रपना विस्तर गोल कर जायेगी।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर जिले में जो तहसीलें बाढ़ग्रस्त घोषित की गई हैं, लालसोट में 35 गांव घोषित किये हैं, जयपुर तहसील में 8, बस्सी तहसील में 193 गांव, चाकसू में 288, सांभर तहसील में 9 गांव, सिकराय में 25, सांगानेर में 78, ग्रामेर में 31 ग्रौर फागी के केवल 16 गांव इन 16 गांवों में भी करीब 8-10 ढाणियां हैं। मैं समझता हूं कि उन लोगों के साथ में फागी तहसील के 100 से भी ग्रधिक कुएं सिचाई के लिये बिल्कुल नष्ट हो चुके हैं। जमीन में नाले पड़कर हजारों बीघा जमीन बर्बाद हो चुकी है। उसमें किसी भी रूप में किसान काश्त नहीं कर सकता है। प्रापर फागी कस्बे में एक हरिजन बस्ती का मोहल्ला पूरे का पूरा नष्ट हो चुका है। गांव मोवतपुरा, वाराड़ी जोगीयान, लदाणा, झाडला ग्रौर मालियों की ढाणी सब बाढ़ की चपेट में ग्रा गये वहां उन लोगों को बसाने के लिये ग्रभी तक प्रशासन ने प्रबंध नहीं किया है। इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि इस वर्ष बाढ़ में लोगों की होने वाली तबाही की ग्रापने दो कैटेगरीज बनाई है, ग्रांशिक रूप से नुकसान होने वाले को 100) रुपये दिया गया है जिसका ज्यादा नुकसान हो गया है, उसको 600 रुपया दिया गया है। लेकिन चितौरा रेनवाल में जहां माथा ढकने का एक कच्चा घर भी नहीं बचा है उनको एक पैसा भी सुविधा के रूप में नहीं दिया गया है तहसीलदार, पटवारी या गिरदावर द्वारा उन लोगों की ग्रसलियत को किस प्रकार से छिपाया गया है, इसकी ग्रनेक बार जिला प्रशासन से मांग की है कि ग्राप उच्च ग्रधिकारियों को भेजकर इन गांवों का दुबारा सर्वे करायें लेकिन सरकार इसको बड़े हल्के फुल्के ढंग से लेती है। मैं समझता हूं फागी तहसील के नागरिकों के साथ में इस बाढ़ में बड़ा भारी अन्याय हुग्रा है इस प्रकार यदि अकाल में भी किया गया तो उनको मजबूर होकर सरकार के विरुद्ध कोई ग्रौर कदम ग्रांदोलन का उठाना पड़ेगा। मैं जहां तक समझता हूं, ग्राइडलनेस ग्रौर सौतेला व्यवहार इतना ही होना चाहिये जितना ग्राटे में नमक हो ग्रापने बिल्कुल ही उन लोगों के प्रति कठोरता ग्रपना रखी है, जब कि वे लोग बिल्कुल बेसाधन हो गये हैं, उनके पास किसी प्रकार का साधन नहीं हैं। जिन लोगो को ग्रापने 600 रुपये दिये हैं वह भी नहीं के बराबर है।

टौंक शहर में जिन लोगों के घर गिर गये थे उनको सरकार द्वारा एक-एक हजार रुपया दिया गया है। मुझे बड़ा खेद है कि चाकसू ग्रौर फागी में जो बाढ़ग्रस्त लोग है, उनका घरेलू सामान सारा बह गया है, पशु बह गये उन लोगों को केवल 600) रुपये देकर टाल दिया गया है। मुख्य मंत्री के कोष में करीबन एक करोड़ की राशि इकट्ठी हो गई, भारत सरकार ग्रौर राज्य सरकार की बाढ़ सहायता राशि अलग से है। मैं निवेदन करना चाहता

Page No. 72

(72)

(श्री रामकंवार बैरवा)
सरकार से कि वह 600) रुपये आपके कोई मायना नहीं रखते 600) रुपये में कुछ भी नहीं बनना इसलिये आप अपनी राशि बढ़ा कर जिन लोगों के घर बिल्कुल ही नष्ट हो गयें है जिनको दूसरी जगह बसाया जा रहा है, उनको कम से कम, दो-दो हजार की सहायता दें तो ही वे कुछ बना सकेंगे और तभी रहने लायक कुछ कर सकेंगे।

इसके साथ-साथ मुझे कहना है, कि चाकसू तहसील में मेरे निर्वाचन क्षेत्र का ग्राम जयप्रकाशपुरा केवल हरिजनों की बस्ती है। वह पंचायत चकरखावदा में लगता है। पटवारी ने जहां 6-6 फीट पानी आ गया था, सारे घर नष्ट हो चुके थे, वहां के लोगों के नाम बाढ़ ग्रस्त में नहीं रखें। उनसे रिश्वत मांगते थे। रिश्वत नहीं देने पर, उन्होंने केवल सरकार को लिखकर दे दिया, जिन लोगों के पक्के मकान है, और केवल पक्के मकान वहां पर 8-10 हैं, वे पक्के मकान वाले लोग उनको ऐसा करने नहीं देते। लेकिन जिन लोगों के कच्चे घर बिल्कुल नष्ट हो गये, उन लोगों को टाल दिया गया। श्री सत्य-नारायण शर्मा, पटवारी अपने प्रभाव में तहसीलदार, जिलाधीश, एक और तो गरीब बाढ़ से पीड़ित हैं दूसरी ओर यहां जयपुर आने जाने में कम से कम 200-200, 400-400 रुपये खर्च कर चुके हैं। जिलाधीश ने कल शाम को नागरिकों को जवाब दिया है कि तुम्हारे पक्के मकान है। इसलिय मैं सरकार से कहना चाहता हूं आपका प्रशासन नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्ट हैं, किसी प्रकार से न्यायप्रिय सिद्ध नहीं हो सका हैं इसलिये आप इस पर बराबर निगरानी रखें। इसी प्रकार से अगर यह व्यवस्था चलती रही, तो आप किसी भी प्रकार से न्याय नहीं कर सकेंगे और न ही सरकार चला सकेंगे।

इसके साथ-साथ मेरा निवेदन है कि जिला जयपुर, टोंक और अन्य जिलों में जहां भी भारी बरसात हुई है या कई जगहों पर अभी मुझसे पूर्व वक्ता कह रहे थे, जोधपुर और बाड़मेर में बरसात नहीं हुई है, जहां अतिवृष्टि हुई है या बरसात नहीं हुई है, ऐसी जगहों पर प्राथमिकता के आधार पर शीघ्रातिशीघ्र अकाल घोषित किया जाय और वहां के लोगों के लिये राहत कार्य चालू किये जायें, ताकि वे अपनी उदरपूर्ति कर सकें। लोगों के सामने इस समय रोजी-रोटी का सवाल है। एक ओर वे बाढ़ से पीड़ित हैं और दूसरी ओर उनको दोनों हाथों से काम करने को काम नहीं मिल रहा है। इसलिये आप प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर काम खुलवायें। इसके साथ-साथ मैं यह चाहता हूं कि आज किसान इस वक्त बहुत ही भयंकर समस्या से ग्रस्त है। आज किसानों के जितने भी कुएं खराब हो गये हैं उनको ठीक करने के लिये सीमेन्ट की व्यवस्था जल्दी से जल्दी की जाय इसके लिये ऋण की व्यवस्था भी करदी जाय। उनको कुछ ब्याज की सुविधा भी दी जाय जिससे कुछ सब्सिडी भी शामिल हो ताकि इस फसल में जिनके कुएं टूट गये हैं और जिनमें पानी बहुत है वहा अपना हरा चारा पैदा कर सकें और अपने पशुओं को भी बचा सकें इसलिये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि यह कदम राज्य सरकार द्वारा उठाना अत्यन्त ही आवश्यक है।

दूसरा इसके साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि विशेषतः चाकसू और

(श्री रामकंवार बैरवा)

निवाई तहसील के कई गांवों में विशेषकर अनसूचित जाति के लोग इस बाढ़ के शिकार हुए हैं। उन लोगों को सरकार बड़े हल्के फुल्के ढंग से ले रही है। उन लोगों के लिये रोजगार का साधन अगर नहीं किया गया, तो आपके हाथ से दिये गये जो प्लाट हैं खाली पड़े रहेंगे। वह लोग वहां से बिस्तर बांधकर दिल्ली या पन्जाब चले जायेंगे। मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि तहसीलदारों को जहां लोग बाढ़ से प्रभावित हो गये हैं यह हिदायत दी जाय कि उन लोगों को यह आश्वासन दें कि हम जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिये रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि उन लोगों का धैर्य बना रहे। चाकसू तहसील में एक गांव निम्बोलिया चांदेल खुर्द निम्बोलिया गांव है जहां की पूरी की पूरी बस्ती जाटों की है, वहां पर 45 कुएं नष्ट हो गये हैं। वह काश्त भी नही कर सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे मुख्य मन्त्री जी आश्वासन दे कि जिन लोगों के सिंचाई के कुएं जमीन या मकान सारे नष्ट हो चुके हैं ऐसे लोगों को राजस्थान में कहीं भी भूमि देकर उनको फिर से आबाद किया जायेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बाढ़ में ऐसे लोगों में से आज तक कितने लोगों को बसाया है ? ऐसा कौनसा प्लान आपने बनाया है ताकि उन लोगों को दुबारा फिर से खेती की जमीन उपलब्ध हो जाय। मेरा आपसे पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि वहां पर अकाल जल्दी से जल्दी घोषित किया जावें। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में आप लोगों को मजदूरी देकर, लोगों की उदर पूर्ति के लिये रोजगार दें, यह अत्यन्त आवश्यक है....

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

मैं दो मिनट और बोलूंगा। जिन लोगों की जमीन बेचने की कोई सम्भावना नहीं है उनको सहायता दी जाय। मैं अभी जोधपुर में रामदेवरा गया था। वहां पर मैंने फलौदी से लेकर बिलाड़ा तक सारी की सारी स्थिति को देखा। वहां पर भी भयंकर अकाल है। ऐसा भयंकर अकाल है जिसको कि देखा तक नहीं जा सकता। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप, चाहे किसी को थोड़ी सी ही सहायता दो, लेकिन दें अवश्य। दफ्तरों में अफसर प्लान बनाते हैं, और वह लोग दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं। उनको मौके पर ही सहायता उपलब्ध हो जावे, किसी को दफ्तरों के आगे चक्कर नहीं काटने पड़े। मेरा यही निवेदन करना है। आखिर में, मैं यह कहना चाहता हूं कि फागी तहसील में मोहब्बतपुरा गांव है, जहां सांगानेर की तरफ से पानी बह कर आता है। वहां हरिजनों की एक बस्ती थी। उनके 20 परिवारों का पूरा का पूरा मोहल्ला नष्ट हो गया। उन लोगों ने सरकारी जमीन पर जाकर झोंपड़ी बनायी। उन झोपड़ियों को तोड़ फोड़ कर वहां एक निजी आदमी फायदा उठा रहा था। उनको वहां से उसने भगा दिया। अब वह पेड़ों के नीचे समय गुजार रहे हैं। करीब दो महीने का समय हो गया है। मुख्य मन्त्री जी तथा आपके पास अनेक डेपूटेशन भेजने के बाद भी उन लोगों को बसाने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मुझे बड़ा खेद है।

श्री परसराम मदेरणा : कौनसा गांव बताया ?

श्री रामकंवार बैरवा : मोहब्बतपुरा। मुझे बड़ा खेद है, मोहब्बतपुरा गांव, फागी तहसील में, जो कि जयपुर जिले में राजस्थान

(श्री रामकंवार बैरवा)

की राजधानी की नाक के नीचे है, अन्धेरगर्दी हो रही है। ग्राम मोहब्बत पुरा में 20 हरिजन परिवार हैं। वह पेड़ों के नीचे आज की तारीख तक समय काट रहे हैं। उनको जल्दी से जल्दी सरकार द्वारा जमीन देकर बसाया जाय। मैं यही कह कर समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री भंवरसिंह।

श्री भंवरसिंह शेखावत (नवलगढ़) : श्रीमान् सभापति महोदया, आज अकाल और बाढ़ पर बहस चल रही है। मैं भी इस सबन्ध में कुछ कहने जा रहा हूं। पिछले दिनों राजस्थान के कुछ जिलों में बाढ़ की तबाही मची। हजारों लोग बेघरबार हो गये, और सैंकड़ों जानें गयी। इस भयंकर बाढ़ ने करोड़ों लोगों में हाहाकर मचाने की स्थिति बनादी। जयपुर में रहने वाले लोगों ने देखा कि किस तरह लोग दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे थे। लोगों के सिर छिपाने की जगह नहीं है। काफी नुकसान हुआ। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार ने, हमारे मुख्य मन्त्री जी ने तथा बाढ़ राहत मन्त्री ने तुरन्त राहत पहुंचाने की हिदायत दी। हेलिकोप्टर से निरीक्षण किया। जो भी तत्काल राहत दे सकते थे, जैसे खाने की व्यवस्था, कपड़े इत्यादि की व्यवस्था, तुरन्त की। इनको धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता हूं। मन्त्रिमण्डल के सदस्य, श्री परसराम जी मदेरणा और हमारे मुख्य मन्त्री श्री माथुर साहब ने तत्काल बाढ़ की स्थिति में बहुत लोगों को सहायता पहुंचाई सब जगह खुद घूम घूम कर, 24 घन्टे लोगों को देखा। अधिकारियों को भी सतर्क किया जिससे प्रशासन ने भी काफी उत्सुकता से काम किया। जयपुर में हमने देखा जगह-जगह खड्डे पड़ गये थे। खड्डे सभी जगह हो गये, सड़को को ठीक कराने हेतु जिस युद्ध स्तर पर कार्य किया गया उसके लिये हमारी सरकार धन्यवाद की पात्र है। लेकिन मेरे एरिया में एक नदी बहती है उसमें बाढ़ की स्थिति बनी। कोलसिया का बन्धा है जो कि पिछले अकाल राहत में 70 हजार का बनाया गया था वह टूट गया। बन्धा टूटने से गांव में पानी आ गया। बाहर के लोगों को नुकसान हुआ। नवलगढ़ के आसपास की ढाणियों के लोगों के घर बह गये। उनको अभी तक कोई राहत नहीं पहुंची। मैंने जिला प्रशासन को निवेदन किया था। ऐसी हालत में कुछ लोगों को नुकसान हुआ। लेकिन उनकी आज तक कोई मदद नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से, समापति महोदय, मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि नवलगढ़ और बाहर गांव में बाढ आई, लोहरगढ से नदी चल कर आती है वह कोसिया गांव से होती आगे बढ़ती है। बार गांव में और नवलगढ़ के आसपास में काश्तकारों की जमीन पर भी काफी नुकसान हुआ है और उनके घर तथा झोंपड़े भी बह गये हैं। उसके लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोलसिया गांव और बार गांव के साइड में बान्ध बनवाया जाय तो उन दो गांवों के लोगों की कृषि योग्य भूमि का बचाव हो सकता है। इसके लिये मैं आप से निवेदन करूंगा कि पिछले करीब 12 वर्ष पहले से नवलगढ़ में एक बाढ़ की स्थिति बनी थी। शहर में दस-दस फीट पानी आ गया था। उस वक्त भी तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री सुखाड़िया जी वहां गये। लोगों को राहत दी थी। वहां गरीब लोगों ने, कुछ मुसलमानों ने तथा कुछ हरिजनों ने मुर्गी पालने के लिये कुछ पैसे गवर्नमेंट से लिये थे। उनके कुण्ड वगैरह बनाये गये थे, वह बाढ में बह गये थे। उस वक्त के मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि आपका लोन माफ किया जायेगा। सरकार से राहत दी जायेगी, लेकिन वह

(श्री भंवरसिंह शेखावत)

गरीब आज तक मारे-मारे फिर रहे है और उन पर ब्याज के आठ-आठ, दस-दस हजार रुपये लगा दिये गये हैं, उनसे यह कहा जा रहा है कि आपको बाढ़ सहायता नहीं दी जायेगी, यह पैसा तो आपको ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे गरीब लोगों, जिनको पहले की बाढ़ से नुकसान हो गया था, की आप जांच करवा लें और जांच करवा कर, उचित राहत दिलाये, ताकि उन गरीब लोगों को ऋण से छुटकारा मिल सके।

आज राजस्थान में बाढ़ की स्थिति हमने देखी है। इसके तुरन्त बाद अकाल की स्थिति पैदा हुई। राजस्थान में बार बार अकाल पड़ता है, और बार-बार लोगों को सरकार सहायता देती है, लोगों की व्यवस्था करती है, लेकिन इस अकाल के लिए मैं चाहूंगा कि केन्द्र सरकार से राज्य सरकार निवेदन करे, उस पर दबाव डालें कि एक ऐसी व्यवस्था परमानेन्ट की जाये राजस्थान के लिए कि यहां अकाल के लिए स्थाई रूप से कोई न कोई कार्य बारहों महीने ही चलते रहें, क्योंकि यहां हर दूसरे और तीसरे साल अकाल पड़ता ही है। इस साल लगातार चौथे साल भी अकाल पड़ रहा है, लोगों की हालत बड़ी नाजुक है, काश्तकार त्राहि त्राहि कर रहे हैं। काश्तकारों की हमारे जिले में ऐसी हालत हो गयी कि दो बार तो अच्छी वर्षा हुई, लेकिन आज उनके पास महीने डेढ़ महीने से पानी नहीं होने से उनकी फसल जल रही है। काश्तकारों को देखकर तरस आ रहा है। जैसे उनके बच्चों का जी निकल रहा हो; ऐसी हालत काश्तकारों की हो रही है। फसल जल रही है और वह कुछ नहीं कर सकते ऐसी हालत में सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि कुछ कनेक्शन बिजली के तुरन्त दिये जायें ताकि लोगों को राहत मिले। जिन काश्तकारों के पास बिजली के कनेक्शन हैं, और चार-चार साल से अकाल पड़ रहा है, वह भुगतान भी नहीं कर सकते। काश्तकारों की ऐसी हालत हो रही है कि अपने बच्चों को अनाज तक नहीं खिला सकते। उनके लिए बिजली का पेमेन्ट करना बड़ा असम्भव हो रहा है। ऐसी हालत में उनके कनेक्शन नहीं काटे जायें और उनको कुछ टाइम दिया जाये ताकि वह अपने पशुओं के लिए हरा चारा पैदा करके जिन्दा रख सकें। ऐसे समय में यदि कनेक्शन काट दिये जायें तो पैसे की कमी के कारण वह अपने पशुओं को भी नहीं बचा सकेंगे।

झुंझुनू जिले में अकाल से लोग कम घबराते हैं क्योंकि वह बड़े साहसी लोग हैं, और सेना में भी रहते हैं। वह अगुवा होकर हर अकाल का मुकाबला करते है, लेकिन इस साल लोग बड़े निराश हो रहे हैं। लगातार यह चौथी बार अकाल पड़ रहा है। हमें बड़ी निराशा हो रही है कि हम अपने पशुओं को किस तरीके से बचा सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि यह कनेक्शन वाली व्यवस्था क्यों कि आपके पास बिजली विभाग भी है, करायें कि काश्तकारों के कनेक्शन नहीं काटे जायें।

दूसरी जो स्थिति बन रही है, पिछले अकाल में 1975-76 में झुंझुनू जिले में करीब दो-तीन हजार कुएं अकाल राहत में खुदवाये गये थे, जिसका काश्तकारों ने काफी लाभ उठाया। वह काश्तकार आज उन कुओं से सिंचाई कर रहे हैं, अनाज पैदा करते हैं, और पशुओं के लिए चारा भी पैदा कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस बार भी ऐसी व्यवस्था

Page No. 76

(76)

(श्री भंवरसिंह शेखावत)

की जाये और एक प्लान बना जाये कि झुंझुनू जिले में फिलहाल तीन हजार कुएं कुछ अनुदान और कुछ बैंकों से ऋण दिलाकर खुदवाये जायें, तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और उनके अपने खेतों को सिचाई के लिए परमानेन्ट साधन भी हो जावेगा।

पशुओं की पश्चिमी राजस्थान में दयनीय स्थिति हो रही है। हमारे माननीय सदस्यों ने बताया कि वहां के पशु आज दस-दस और बीस-बीस रुपये में बिक रहे हैं। चारे की बड़ी कठिन समस्या है। चारे की व्यवस्था के लिए कुछ सेन्टर्स ऐसे बनाये जायें जहां पर 15-15 और 20-20 मील के पशु एक जगह आकर एकत्रित हो जावें। सरकार व्यवस्था करे वहां चारा देने की और पानी देने। को उस सेन्टर पर पशु भी आ जायें और पास में चारे और पानी की व्यवस्था हो जाये ताकि उनके जीवन की रक्षा की जा सके। ऐसी व्यवस्था सैन्टर के माध्यम से की जाये। कुछ गांवों में कुण्ड खुदवाये जायें या तालाब खुदवाये जायें, जो पक्के हों, तो बारिश के दिनों में कुछ राहत मिल सके। ऐसे कार्य अकाल राहत में चलाये जा सकते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

राहत के काम जहां चला रखे हैं, उनको चालू रखा जाये, ताकि लोगों को रोजगार मिलता रहे। मजदूरों को खेतों में फसल काटने के, या अन्य काम मिल जाते थे, लेकिन अकाल की वजह से वह कार्य आज नहीं मिल रहे हैं तो अकाल राहत काम जहां चल रहे हैं उनको चालू रखा जाये जिससे लोगों को रोजगार मिलता रहे।

कुछ आवश्यक सड़के है। मेरे एरिया में एक सब-डिविजन एस. डी. ओ. हेडक्वार्टर को तहसील से जोड़ती है, वह काफी दिनों से पैन्डिंग पड़ी है। इस अकाल राहत में वह कुछ बनी थी, लेकिन तीन चार किलोमीटर रह गयी। यह नवलगढ़ से उदयपुरवाटी को जोड़ती है। अगर वह तीन चार किलोमीटर की सड़क बन जाती है, तो नवलगढ़ एस. डी. ओ. हैडक्वार्टर के लोगों को काफी राहत मिलेगी। काफी लोगों को सैकड़ों की तादाद में तहसील में जाना पड़ता है, और लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। यह आवश्यक सड़क है इसको जोड़ने की अकाल राहत में व्यवस्था करें, ऐसा मेरा निवेदन है।

इस बाढ़ के समय में झुंझनूं जिले में लोगों से जब हमने निवेदन किया, तो एक अच्छी खासी रकम की सहायता उन्होंने दी, और सहर्ष लोगों ने धन दिया। करीब 10 लाख रुपया झुंझनूं जिले ने इस बाढ़ सहायता के लिए मुख्य मंत्री कोष में दिया। इसलिए मैं झुंझनूं जिले की जनता को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कि इतना बड़ा सहयोग बाढ़ के लिए किया और दिल खोलकर किया। धन्यवाद की पात्र झुंझुनूं जिले की जनता है, ऐसी मेरी भावना है। मंत्री महोदय ने इस बाढ़ का मुकाबला जिस तरह से किया, उसी तरह से यह जो भयंकर अकाल की स्थिति है उससे मुकाबला करके राजस्थान की जनता की मदद करें और लोगों का हौंसला बुलन्द रखें ताकि बाढ़ का मुकाबला करके जिन्दा रह सकें। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्रीमती उजला अरोड़ा, आप कृपया, समय का ध्यान रखेंगी, मुझे उम्मीद है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सभापति महोदया, 17 को बरसात आई,

(श्रीमती उज्जला अरोड़ा)

18 और 19 को भयंकर बरसात रही, इसके कारण से जयपुर में बहुत अव्यवस्था हुई। मैं इस पर चर्चा करना चाहूंगी।

उन दिनों में हमारे विभाग की ओर से सक्रियता से एक आदेश निकाला गया कि तत्काल सर्वे करके रिपोर्ट दी जाये कि कितने घर बहे है, किन-किन को नुकसान हुआ है? वह सब तो हुआ, लेकिन उस अवधि में ही यह हुआ कि जितने अधिकारियों, कर्मचारियों और पटवारियों को इस काम में लगाया था वह सब जगह नहीं आ सके, और जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई वह अपूर्ण रही। मेरे यहां के कितने ही गांव जैसे मुकन्दपुरा छूट गया और कितने ही गांव छूट गये। मैं कहना चाहूंगी कि मेरे यहां की जो तहसील जमवा रामगढ़ है उसमें नारंगपुरा छूट गया, मुकन्दपुरा, जयपुर तहसील का छूट गया, वासना का बास, बिसूरी और नागर तुलसीदास छूट गया। मुकन्दपुरा में चालीस घर थे, सारे के सारे टूट गये। वहां पटवारी नहीं पहुंचा और उसकी रिपोर्ट नहीं हुई। मैंने आग्रह किया तो अधिकारियों ने उनका नाम जोड़ने के लिए मुझसे कहा, लेकिन जहां तक मैं जानती हूं कि अभी तक उनका नाम नहीं जुड़ा है। कुछ गांवों के नाम छूट गये थे जहां सर्वे हुई। सर्वे की रिपोर्ट विभाग में पड़ी है, जिलाधीश के पास पड़ी है, और मुख्य मंत्री जी के पास पड़ी है। लेकिन पूर्व की जो सबसे पहली रिपोर्ट थी, उसमें कुछ आंशिक, और कुछ पूर्ण क्षतिग्रस्त ग्रामों को सुविधा पहुंचायी गयी। मैं कहना चाहूंगी कि सुविधा इस रूप में दी गयी कि जिनके मकान टूटे थे उनको सिर छुपाने की जगह मिली जैसे जिसके चार मकान थे उसके 3 टूट गये और एक मकान बचा उसको 100 रुपये। जिसका एक टूट गया उसको 300 रुपये पहली किश्त के दिये गये। दूसरी किश्त में बहुत से लोग बाकी हैं, जिनको कुछ नहीं दिया गया। लेकिन जो दूसरी बार सर्वे हुआ उस पर निर्णय आज तक नहीं हुआ। कहीं भी इस तरह की रिपोर्ट नहीं पहुंची। हम सबसे पहले माननीय रघुकुल तिलक, राज्यपाल महोदय से मिले थे। उनसे आग्रह किया था कि जहां पर अधिकारी नहीं पहुंचे वहां पहुंचाये जायें और जहां-जहां सर्वे नहीं हुआ वहां सर्वे कराया जाये। जो राशि दी जाये वह पर्याप्त मात्रा में दे। आज की महंगाई को देखते हुए एक छप्पर बनाना भी सम्भव नहीं है। सौ रुपयों से बढ़ाकर कम से कम एक हजार रुपया सरकार की ओर से अनुदान दिया जाये। वहां माननीय मुख्य मंत्री, श्री शिवचरण जी माथुर भी थे उन्होंने हमसे कहा था कि एक हजार रुपया तक दिया जायेगा, लेकिन मैं नहीं जानती हूं कि किस कारण से वह राशि आज तक कह कर भी नहीं पहुंचायी गयी, बीच में ही रोक दी गयी। दो महीने हो चले हैं, यह राहत कब पहुंचायी जायेगी? मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगी कि अभी जयपुर जिले में यह आदेश हुए कि बांटना शुरू कर दिया जाये और शाम को आदेश हुए कि बन्द कर दिया जाये। ऐसे छः बार आदेश हुए हैं। इसके क्या कारण रहे हैं? बीच में इस पर भी गौर फर्माया जाये। साथ ही जो राशि अभी तक पड़ी हुई है, उसका आवंटन दुबारा से जो लिस्ट बनी है, उसमें करवायें। अधिकारियों की गलती से, या उनके पास वाहनों के साधन नहीं थे, या उनकी कमी से, या उनके नहीं पहुंच पाने से यह गांव छूटे हैं। जो गांव बहे हैं। और टूटे हैं मैं कहना चाहूंगी कि मंत्री महोदय इसको देखें।

इसके साथ ही साथ कहना चाहूंगी।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

बहुत बड़ी बात या तो कानून में नहीं है, या इस पर नजर नहीं गयी होगी। पक्के मकान टूटे हैं। घाट की धूनी में तो कोई मकान ऐसा नहीं है दोनों तरफ से कि छूट गया हो। दोनों तरफ के मकान टूट गये। वह बहुत गरीब लोगों के मकान थे। पक्के मकान जरूर थे, लेकिन खानियों में काम करने वाले मजदूरों के मकान थे। उन्होंने कुछ गारा मिट्टी लगाकर, चूना लगा कर ठीक किया, सीमेन्ट तो था ही नहीं। चूने के मकान थे, वे सब टूट गये। उन पक्के मकानों को भी कुछ अनुदान नहीं मिला। लगभग साढ़े तीन हजार मकान जयपुर में टूटे हैं। माननीय मंत्री महोदय, मैं कहना चाहूंगी, आप अब भी उन जमीनों का निरीक्षण करें, वास्तव में बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिये। जो पक्के मकान टूटे हैं, उनको कुछ नहीं दिया। मेरी जानकारी में है कृषि भूमि नियमन के तहत जो भूमि आने वाली है, उनमें जाकर बना लिये, वे पक्के मकान भी टूटे हैं। नसियां की कोठी में इसके पीछे के मकान मेरी कान्सीट्यूएन्सी में बहे हैं। लोग चिल्लाये, बाहर निकल जाओ, और वे बाहर आये। वह एक सुई, धागा, कपड़ा, रुपया, बर्तन आदि कुछ भी लेकर नहीं आये। माननीय मंत्री महोदय, उनके साथ इस तरह का भेदभाव करना उचित नहीं है। एक भेदभाव और हुआ है। किस कारण से हुआ है, मुझे पता नहीं। 300) रु पूर्ण क्षतिग्रस्त मकानों को दिया गया है, गांव वालों को 600) रु. दिया गया है। 300) रु. मुख्य मंत्री के कोष से दिया गया है, 300) रु. और दिया गया है। तो इस तरह का भेदभाव कहीं भी उचित नहीं है। भयंकर बाढ़ आई है। लोगों को सिर छिपाने को जगह नहीं है। पहनने को कपड़ा नहीं है। खाना पकाने को जगह नहीं है। उनके लिये अविलम्ब चिन्तन करना चाहिये। मेरा आप से यह आग्रह है। मैं यह कहना चाहूंगी, यहां पर यह कहा गया है कि जो नाले के सहारे है, और नकी जमीन बह गई है, उनको शिफ्ट किया यगा। लेकिन यह योजना नहीं है कि कौनसी जमीन पर उनको शिफ्ट किया जायेगा ?

एक यू. आई. टी. की तरफ से फार्म छपे हैं, कुछ कांग्रेस की तरफ से भी फार्म छपे हैं। मेरा निवेदन है कि वह कौनसी जमीन होगी ? यह भी आप देखें कि कहां उन्हें शिफ्ट किया जायेगा ? क्योंकि मकानात शिफ्ट करने के लिये जो फार्म बांटे गये हैं यू. आई. टी. के मैम्बर्स के द्वारा व ऐसे लोगों को दिये गये हैं, जिनको शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। ऐसी जगह पर नहीं हैं कि वे बह सकती है, इस तरह नहीं करना चाहिये, यह मेरा आप से आग्रह है। मेरे यहां के मकानात को थोड़ी जमीन देकर शिफ्ट किया गया है। मेरा निवेदन है जो नाले के सहारे हैं, मण्डी खटीकान, मालवीया इंजीनियरिंग कालेज के पीछे कृषि की कोई जमीन है उसमें मुझे शिकायत मिली है कि थोड़ा सा सामान रखने के साथ ही उस सामान को दीमक खा जाती है, उस मिट्टी में दीमक है। मेरा निवेदन है, ऐसी जगह न देखें, तो अच्छा हो। साथ ही मेरा आपसे यह भी आग्रह है कि उनको कहीं ऐसी जगह दी जाय, जिससे वे सुविधा पूर्वक बस सकें, रह सकें, और शिफ्ट हो सके। मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि जो गांव छूट गये हैं, उनको दुबारा जोड़ा जाय। हमें जो जिलाधीश महोदय ने सूची दी है उसमें भी ये नाम नहीं थे। हर जगह

Page No. 79

(79)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

गई हूं। मुझे इतना कष्ट पाना पड़ा है, मेरे बार-बार कहने पर भी वहां तहसीलदार साहब नहीं पहुंचे, एस. डी. एम. साहब नहीं पहुंचे ।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि जरा दिखायें तो सही जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में इनके अधिकारीगण कब पहुंचे, कब नहीं पहुंचे । मैं जाती रही, वहां पूछकर ये लोग केवल कोशिश करते रहे । कार में तो जाने की स्थिति थी नही । कलेक्टर साहबान यह कहने लगे, जल्दरास्ते ठीक हो जायेंगे तो राहत पहुंचा दी जायगी । यह बड़ी निर्दयता की बात है। मैं कहती हूं इस तरह नहीं करना चाहिये था । जो सूची हमें दी गई उसमें सिचाई के बन्धे टूटे हैं, उनमें मेरे यहां के केवल 13 बन्धे ही शामिल किये गये हैं, जब कि 85 बन्धे टूटे हैं । जिस क्षेत्र में 85 बन्धे टूट जायं उनकी क्या स्थिति होगी ? वहां भूले-भटके भी, एक या दो बरसात आ गई तो पानी रुकेगा नहीं, और जब पानी रुकेगा नहीं तो लोग क्या पियेंगे । कुओं की नीम-सीम भी चली जायगी । पशुओं को भी पीने का पानी नहीं मिलेगा । ऐसी स्थिति में सिचाई की क्या स्थिति होगी ? क्योंकि हमारे यहां कोई नहरें तो हैं नहीं, जिससे सिचाई हो सके । जो नदी नाले हैं, वे ही काम आते हैं । मेरे यहां पांच नाले पड़ते हैं-नाहूरी का नाका, सूगली, रोड़े का नाला और ढूंढ, ये नदियां ऐसी हैं कि एक ही चढ़ाव में पानी भर जाता है, और 4-5 घंटे बाद वहां पानी देखने को भी नहीं मिलता है । मेरा कहना है, जो योजना ढूंढ पर पुल बनाने की है, वह शीघ्र पूर्ण की जाय । रोड़े के नाले पर भी व्यवस्था की जाय । जो बरसाती नालियां हैं, उनका पानी संग्रह करने के लिये ऐसी योजनायें बनायें जो सिचाई के बाद तक काम में आ सकें ।

अभी इस बरसात में कूकस का बन्धा ऐसा खोल दिया कि लांगडीवास पूरा बह गया । इस तरह करके लोगों को क्षति ग्रस्त नहीं करना चाहिये । यदि पानी निकालना ही था, तो जहां बस्ती नहीं थी, वहां से निकाला जाता । इसी तरह जल महल की मोरियां खोल देने से जयसिंहपुरा खोर डूब गया । जयसिंहपुरा खोर की जो पांच बस्तियां पानी के पेटे में थीं, वे डूबी रहीं कई दिन तक । मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से कि उसका भी नाम लिस्ट में नहीं है । हरिजनों के मोहल्ले बह गये, वहां पर मोची लोग थे, जो चमड़ा वगैरह इकट्ठा करते थे, वे सब डूब गये और उनके सारे चमड़े बेकार हो गये । मेरा निवेदन है, एक बार निश्चय करके चाहे दुबारा सर्वे कराना पड़े, उनको राहत पहुंचाने की चेष्टा करें ।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में 85 बन्धे टूटे हैं, सबके नाम बोलूंगी तो बहुत समय पूरा हो जायगा । लिस्ट दे दूंगी उन्हें भी काम दिलाने की कृपा करें । मेरा एक और निवेदन है, मेरे क्षेत्र में 77 में भी बाढ़ आई थी । मैं कोई पार्टी पोलिटिक्स के हिसाब से नही बोलती हूं, लेकिन उस समय माननीय भैरों सिंह जी ने बाढ़ आने के चौथे या पांचवे दिन बन्धों पर काम शुरू कर दिये थे....

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री देवदत्त तिवारी (बाड़मेर): इनसे पूछिये, लूनी की बाढ़ आई थी, तो इनके नेता ने कहा था, ठीक करवायेंगे । करवाया क्या ?

(व्यवधान)

श्री बालचन्द्र आर्या वीर : ×××

(व्यवधान)

श्री शिवराम शर्मा (बनी पार्क) : लूनी की बाढ़ आई थी, जयपुर में तो बाढ़ आई नहीं थी, वहां लोग भूखों मर गये थे। सहायता भी नहीं दी गई थी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे यहां तो 21 बान्ध फिर भी टूटे थे ...

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : आप तो बोल ही नहीं सकते है, ××× बोलते क्यों हो?

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री सभापति : आप जारी रखिये, आप बोलियेगा।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने जो कुछ कहा है, सच कहा है। सभापति महोदय, मेरे यहां 77 में बाढ़ आई थी, और उसके चौथे, पांचवें दिन ही राहत के काम शुरू हो हो गये थे।

(व्यवधान)

आप देख लें, विभाग आपके पास है, अधिकारी उनके पास हैं, पैसा उनके पास है। सभापति महोदया, मेरा निवेदन है जिन बान्धों की मेरे क्षेत्र में क्षति हुई है या कुछ टूटे हैं, उनकी तो मरम्मत करा दी जाय तो पानी निश्चित रूप से उनमें रुक सकेगा। राहत कार्य खोलने से जो बेरोजगार है, उनको भी रोजगार मिलेगा। रोजगार का रोजगार हो जायगा और राहत का कार्य भी हो जायगा, उन्हीं लोगों से आप काम करवा लें।

मेरे यहां नाग तलाई है, जिसमें घाट की घूनी की है इसमें जयपुर का क्षेत्र प्रभावित हुआ है। 29 बस्तियां इस बाढ़ की डूब में आई है- मण्डी खटीकान, दासोतपुरा, बासवदनपुरा, गंगापोल, सूर्य पोल की कच्ची बस्ती, घाट की घूनी, मेहरों की बस्ती, बदरी की डूंगरी, परसरामपुरा, मदरामपुरा, खातीवाड़ा आदि बहुत सारी बस्तियां हैं, जो डूब में आई हैं। इसलिये मेरा आपसे आग्रह है, कि इन सब बस्तियों में तथा नागतलाई में बाढ़ आई है, उसे अभी भी आप देख सकते हैं। आज भी ऐसा लगता है कि कल ही बाढ़ आई हो। 5-5 फीट पानी दो महीने के बाद भी वहां है। मैंने यू. आई. टी. से कहा, तो उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। मैंने सिंचाई विभाग से भी कहा तो उन्होंने कहा हमारा काम नहीं है। मैंने जिलाधीश महोदय से भी कहा, तो उन्होंने कहा सोचेंगे। भाई मदेरणा साहब के पास भी मैं 22-8 को पहुंची थी। वे निश्चित रूप से कुछ उतावले थे, इसलिये मुझे उस समय कुछ कहना नहीं था। लेकिन मैंने पत्र इसलिये दिया था, कि उसको पढ़कर कुछ कार्य करवा देंगे। मैंने दुबारा प्रश्न करना भी उचित नहीं समझा। मैं राज्यपाल महोदय से भी कल परसों मिली हूं। मैं समझती हूं राज्यपाल महोदय, सबसे बड़े है। पांच हजार आवेदन-पत्र मेरे पास है, जिनके साथ अन्याय हुआ है। मैं राज्यपाल महोदय को परसों ही देकर आई हूं। मेरा आग्रह है आपसे, बिना भेदभाव के किसी भी तरह से कुछ सोचते हुए बांधों की मरम्मत करायें। ये फिर बरबादी ला सकती हैं। इस नागतलाई के नाले में करीब 80 लोग बहे हैं। आपके सामने जयपुर है, आपके सामने जयपुर की बर्बादी है, पूरी सरकार जयपुर में बैठी है, और आज तक 5 फीट पानी मकानों

××× अभिव्यक्ति व शब्द माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

में भरा है, लेकिन लोग रह नहीं सकते। माननीय मन्त्री महोदय, आप सोचकर स्वयं देखें, आपको चाहे दिखता नहीं हो इधर बैठे हैं दो चार, ये जो चौमू के है, क्या कहते है इनको, शिव राम जी और चौमू वालों को लेकर चलें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं उन्हें दिखला सकती हूं, जिन्हें कोई आशंका हो। यहां झूठ बोलने का सवाल ही नहीं है। मैं यह कहना चाहूंगी नागतलाई के पानी को कोई भी विभाग बांधे, सरकार आपकी है, आप उसको बंधावायें, जिससे दोबारा वहां अधोगति में लोग नहीं जायें। मेरा यह भी कहना है, सरकार ने कहा था, सीमेण्ट की चद्दरें . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री सभापति : आपको समय की याद दिला दूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर, मैं याद करते हुए ही बोल रही हूं लेकिन मैं क्या करुं बाढ़ ऐसी है जिसमें मैं बह रही हूं मुझे बहना पड़ेगा। जयपुर के बारे में कोई नहीं बोल रहा। मान्यवर, यह कहा गया था कि इन मकानों के लिए सीमेण्ट की चद्दरें, टीन की चद्दरें दिलाएंगे। लेकिन वे कहीं भी उपलब्ध नहीं करायीं गयीं, न गांव में, न शहर में। मेरा आपसे आग्रह है कि सीमेण्ट की चद्दरें, टीन की चद्दरें मकान बनाने के लिए और कुओं के लिए सीमेन्ट अविलम्ब मुहैया करवायी जाय क्योंकि जिनके कुएं बहे हैं, जिनके कुए भरे हैं, अगर उन्होंने उनकी पाल नहीं बांधी, तो निश्चित रूप से फिर इस तरह की परेशानी होगी। मेरा तो यह भी कहना है कि मेरे यहां के लगभग 90 कुए जो पीने के पानी के थे, बहे हैं। लोग परेशान हैं, सार्वजनिक कुए में पानी नहीं मिलता क्योंकि जब तक उसमें सीमेण्ट से काम नहीं किया जायेगा, तब तक ठीक नहीं होगा। अनेकों कुओं में मिट्टी भर गयी हैं, अनेक खेत खराब हो गये हैं। जमीन की किस्म बदल गयी है। मेरा आपसे आग्रह है कि जमीन की जो किस्म बदल गयी है, उसके लिए उपकरण मुहैया करायें। चाहे तो सस्ते किराये पर करायें। हमारे यहां के जो मेरे ही क्षेत्र के दूसरे विधायक श्री भैरु लाल जी भारद्वाज हैं, उन्होंने आग्रह किया था कि उनका विभाग बुलडोजर और ट्रैक्टर दे सकता है। मेरा आग्रह है आपके विभाग से या विभागों से ये उपकरण गांवों में दें। आपकी बहुत महति अनुकम्पा होगी, उन लोगों पर जिनकी जमीन खराब हो गयी, खेती के लायक नहीं रही। वे खेती में सुधार करेंगे। कुछ अनुदान दें, आप उन लोगों को जिससे किस्म जमीन की सुधार सकें। कुछ कुओं में से मिट्टी निकलवा सकें। उनकी तो इतनी शक्ति नहीं रही है। पिछले साल बरसात नहीं हुई, उससे भी पिछले साल बरसात नहीं हुई। लोगों ने कुओं में बिजली लगवायी, घरों के जेवर बेच दिये, बैल बेच दिये, ऊंट बेच दिये। मेरा कहने का अर्थ आप से यह है कि जिनकी फसलें नहीं हुई, वे पैसा कहां से लाएंगे? आप कृपा करके प्रत्येक परिवार को 2 हजार रुपये का अनुदान निश्चित रूप से दिलाएंगे जिससे कि वे अपनी जमीन को सुधार सकें। माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ा-सा और बोलना . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : आप मेरी मजबूरी, देखियेगा। मेरे पास इस समय 15-20 आदमियों की सूची है। आप ऐसे करेंगी तो दूसरे भी अनुकरण करेंगे, इसलिये जल्दी करिये आप।

Page No. 82

(82)

श्रीमती उजला अरोड़ा : मान्यवर सभापति महोदया, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि मेरे यहां की लाखों बीघा जमीन खराब हो गयी है, क्योंकि चारों तरफ पहाड़ हैं और पहाड़ से जो नदी नाले निकलते हैं वह कटाव करते हैं, रुख बदलते हैं, उसके कारण भूमि कटी है। भूमि सुधार विभाग को, भू संरक्षण विभाग को इस क्षेत्र में आप भेजें, जिससे कि वे सर्वे करें कि किस तरह से जमीन को बचाया जा सकता है, किस तरह से पहाड़ के पानी का बहाव दूसरे ढंग से मोड़ा जा सकता है। जो कटाव में जमीन है, हम उसको किस तरह सुधार करके हमारे कम भूमि वाले जो किसान हैं, उनको दे सकते हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, उनको दे सकते हैं। मेरा आपसे एक आग्रह यह भी है कि सरकार ने 100 रुपये और तीन सौ रुपये देकर यदि अपने बाढ़ राहत कर्तव्य की इति श्री समझी, तो यह मैं बहुत गलत कहूंगी। बाढ़ ग्रस्त इलाके में कोई सहायता नहीं है। बाढ़ ग्रस्त इलाके में सहायता तो कुछ और ही है, जिनके घर उजड़ गये, उनके घर बसाने हैं, जिनके आदमी मर गये थे, जो बच्चे अनाथ हो गये हैं, उनको रोजी दी जाना है। मान्यवर, इन सब में आपको न्याय करना......

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

पड़ेगा। उनको कहीं रोजगार देना पड़ेगा। मेरे यहां के मास्टर मर गये हैं उनके बच्चे दस-दस साल के हैं, उनको आपने सर्विसेज नहीं दिलायी, चाहे किसी विभाग में हो लेकिन आपका भी कर्तव्य मानती हूं, वह बाढ़ में बहे हैं, आप भी उसमें प्रयत्न करें जिससे उन्हें रोजगार मिले। मृतकों पर आपने पांच पांच हजार रुपया दिया है, इसके लिये धन्यवाद लेकिन जिन के... ....

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

पशु मर गये हैं, वे भी पशु खरीद सकें। जिनकी जीविका ही पशुओं पर आधारित है, वे क्या करेंगे ? वे कहां से पैसा लायेंगे ? बड़े पुरजोर शब्दों में फसल बीमा और पशु-बीमा के बारे में यहां विधान सभा में चर्चा हुई थी। फसल बीमा अगर लागू कर दिया गया होता, तो यह बात निश्चित थी कि मुझे आपसे आग्रह करने की जरूरत नहीं होती, फिर तो बीमा विभाग से ही हम सारी क्षतिपूर्ति ले लेते। जितनी क्षति हुई है, यह सरकार की देरी की नीति के कारण हुई है। मेरा आग्रह है कि अभी भी बाढ़ में लोग बह सकते हैं। मेरे एरिया में बहुत नुकसान हो सकता है, जयपुर में नुकसान हो सकता है। मैं कहना चाहूंगी जैसे नाहरी के नाके का बंधा टूटा है, नागतलाई का बंधा टूटा है, अमानीशाह बहा है, महत्वपूर्ण सड़कें हैं, जयपुर के हर बाजार, हर गली को देख लीजिये। मेरे गांव से आने वाली दिल्ली रोड, जमवा रामगढ़ रोड टूटी है, नायला रोड टूटी है, जितनी सड़कें बीच में टूटी हैं, इनको आप किस तरह से ठीक करेंगे ? मैं तो विभाग से कह कह कर परेशान हो गयी हूं। किसी आने-जाने के रास्ते को थोड़ी सी मिट्टी डालकर ठीक कर दिया होता, स्थायी तो जब होगा, तब होगा। अतः इस तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी, कि जिन लोगों को गलत आवंटन हुआ है, पटवारियों की गलती से हुआ। भानपुरा के पटवारी ने गलती की है। जिनके यहां चार-चार सौ क्विंटल अनाज पड़ा है, ट्रैक्टर पड़े हैं उनको आटा दिया। जिनका पूर्ण नुकसान हुआ, उन्हें आटा नहीं दिया। सुमेर के पटवारी ने गड़बड़ की है। मैं कहूंगी रामनिवासपुर

(श्रीमती उज्जला अरोड़ा)

के पटवारी ने गड़बड़ की है उसको तत्काल वहां से हटाया जाय और जो भी उचित सजा हो, उसको दी जाय। बाढ़ पीड़ितों के साथ इस तरह का अन्याय कभी भी ठीक नहीं है। मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ कि . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस बाढ़ राहत में चारे के डिपो आप और खोलने की कृपा करें। चालीस रुपये क्विंटल भी चारा नहीं मिल रहा। कुछ जानवर भूख से मरे, कुछ जानवर मरे बाढ़ से और कुछ मरे बीमारी से। जो बचे हैं, उनके लिये अगर आपने समय रहते चारे के डिपो नहीं खुलवाये तो हमारी जो शक्ति धान पैदा करने की है वह भी क्षीण हो जायेगी, हमारा पशुधन भी क्षीण हो जायेगा। तब जयपुर वाले और आसपास वाले क्या करेंगे? सारे राजस्थान में चाहूंगी कि आप इस अन्याय को न्याय में बदलें। पीने का पानी आप शीघ्र से शीघ्र उपलब्ध करायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : माननीय सदस्या, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं इस प्रकार कैसे काम चलेगा ?

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : सिर्फ एक बात और कहती हूं, केवल एक बात। मेरे यहां एक काम लिया गया था, साहू में बंधा बांधने का और, मेरे यहां कोई काम नहीं किया गया। मान्यवर, साहू का बंधा चौथे दिन बांधकर बीच में काम छोड़ दिया गया। मैंने कलेक्टर से पूछा क्यों छोड़ दिया ? उन्होंने कहा छोड़ दिया, सो छोड़ दिया, नहीं करना है, तो छोड़ दिया। यह कोई जिम्मेदारी का उत्तर नहीं है। साहू का बंधा अगर बंध जाता तो वहां के खेत

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

और पशु नहीं बहते। मान्यवर, साहू का बंधा आप अविलम्ब चाहे अकाल से या बाढ़ राहत कार्य से बंधवाये, आपको बंधवाना है। आप चाहेंगे तो मैं यह दिखला दूंगी।

धन्यवाद !

श्री सभापति : श्री भैरूंलाल जी भारद्वाज। मुझे उम्मीद है कि इस तरह से नहीं करेंगे, आप समय का ख्याल रखेंगे।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज (जमवा रामगढ़) : आदरणीय सभापति महोदय, जयपुर जिले में 250 वर्षों का एक नया रिकार्ड बाढ़ का टूटा है। जिस जयपुर जिले के अन्दर सालाना 26-27 इंच वर्षा का औसत था, उसमें केवल तीन दिन में 33 इंच वर्षा का होन, अपने आप में यह बात बताता है कि इस जिले की क्या स्थिति बाढ़ से हुई होगी।

माननीय सभापति महोदय, जयपुर जिला एक इस प्रकार का जिला है, जिसकी अधिकांश तहसीलों में छोटे-छोटे नदी और नाले हैं, जिन पर अभी तक बांध सरकार की ओर से नहीं बनाए गए थे। चूंकि कुओं से खेती होती है, इसलिए स्थानीय लोगों ने, कुछ पंचायत समितियों ने और कुछ पंचायतों ने मिल कर छोटे-छोटे नालों पर बांध और गंवाई तालाब बनाए थे। इस भयंकर बाढ़ के कारण उनमें पानी की निकासी का तो रुपयों की कमी की वजह से बनाते समय कोई ध्यान नहीं रखा गया। इतनी बड़ी वर्षा, इतनी अधिक वर्षा, तीन दिनों में आई तो उससे वह सारे छोटे-छोटे नाले, तालाब और बांध टूट गये, फलस्वरूप बाढ़ का और भी भयंकर रूप हो गया। नतीजा यह हुआ कि ढूंढ नदी और उसके आसपास के नालों में लगभग तीस और चालीस बांध टूट कर पानी बढ़ता चला गया। वही पानी आगे चल कर जयपुर के अमानीशाह

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

और ढूंढ नदी के पानी से मिलने पर चाकसू के पास रामसिंहपुरा गांव में ऐसी भयंकर स्थिति हुई कि एक ही ढाणी में 74 आदमी बह गए, जिसमें से 2 आदमी बच पाए और 72 आदमी मर गए। इस प्रकार जयपुर जिले में बाढ़ की चपेट में आकर लोग मर गए और करीब 25-30 हजार जानवर बह कर चले गए। यहां तक कि जयपुर के अन्दर लगभग चार पांच हजार कुए बिल्कुल नेस्त-नाबूद हो गए। लाखों बीघा खेत या तो कट कर चले गए, नहीं तो छः छः इंच से लगा कर दस दस फीट मिट्टी की तह के नीचे दब गये हैं। यह बाढ़ का भयंकर प्रकोप अप्रत्याशित था। वह जयपुर जिले को झकझोर करके रख गया। बाढ़ से जो नुकसान हुआ है, उसकी क्षतिपूर्ति तो पूर्णतः कोई भी सरकार नहीं कर सकती, परन्तु शुरुआत में जो राहत कार्य बड़ी मुस्तैदी से आपने हाथ में लिया वह भी कम प्रशंसनीय नहीं है। आज तक जितनी भी सरकारें आई उनमें खास तोर से 77 में जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार पश्चिमी राजस्थान में आई बाढ़ पर आंख मिचौनी की थी, यदि इसी प्रकार से वर्तमान सरकार कार्यवाही करती, तो क्या भयावह स्थिति पैदा होती ? इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। सन् 77 के अन्दर जो सरकार थी, लगातार महीनों तक उसके मुख्य मंत्रीजी स्थानीय इलाकों में नहीं पहुंचे, उसके ठीक विपरीत यह सरकार.....

श्री परसराम मदेरणा : 77 में नहीं, 79 में बाढ़ आई थी।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैं गलती सुधार रहा हूं। 77 की बजाय 79 की बात है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब आप डिस्टर्ब न करें।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : बाढ़ की स्थिति यह है कि वर्षा 17, 18 और 19 तारीख को हुई। 19 तारीख को ही मुख्य मंत्रीजी अपने सहयोगियों के साथ, जब कि रास्ता नहीं था, हेलीकोप्टर से और हैलीकोप्टर वालों ने भी जब यह जवाब दिया कि मैं इस खतरे को नहीं उठा सकता, फिर भी आए और अपने सहयोगियों के साथ स्वयं मैदान में उतरे। बाढ़ पीड़ित इलाकों में, गांव-गांव और घर घर में जाकर बड़ी मुस्तैदी के साथ राहत के कार्यों को चालू करवाया। मैं इसके लिए मौजूदा सरकार और उनके सहयोगियों को धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकता। परन्तु मैं कमियों और खामियों की ओर भी ध्यान जरूर दिलाना चाहता हूं : नौकरशाही के तौर-तरीके कालान्तर से चले आ रहे हैं। प्रश्न यह उठता है कि अधिकांश में यह प्रबंध का काम रेवेन्यू अधिकारियों के तहत रखा जाता है। माफ कीजिए, रेवेन्यू अधिकारियों की एजेंसी जो है, कालान्तर से, सैंकड़ों वर्षों से, जब से इस एजेंसी का निर्माण हुआ तब से जनता से लेने और वसूली करने के सिवाय इसने जनता को देने का काम अपने हाथ से कभी नहीं किया। इस एजेंसी का मानस जनता के साथ बड़ा अनुदार है। एक पटवारी से लेकर ऊपर अफसर तक का जी इसी बात में रहता है कि अगर वह नुकसान बता देगा रिकार्ड में, तो बेचारे गरीब को सरकारी पैसा मिल जाएगा। उसको सरकारी पैसे की चिन्ता है, उस गरीब की चिन्ता नहीं है जिसकी वजह से वह सारा खजाना भरता है। उस खजाने का मालिक आम अवाम साधारण गरीब आदमी है जो उपभोक्ता की हैसियत से उस सारे खजाने

(श्री भैरूलाल भारद्वाज)

की भरता है। उस मालिक के लिए सच्ची कलम चलाने में भी रेवेन्यू अधिकारी और कर्मचारी बड़ी कोताही बरतते हैं। इसमें कोई शक नहीं, कि यदि मंत्रिमण्डल के लोगों ने कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को मौके पर ताड़ना देकर ठीक नहीं किया होता तो आज जो स्थिति है, उससे कहीं कई गुना भयंकर स्थिति पैदा होती। मैं यह याद दिलाना चाहूंगा कि मौके पर पटवारियों ने कई जगह यह बदमाशी जरूर की है कि जिन्होंने उनकी हां में हां मिलाई, या उनको राजी करने की कोशिश की, उनके साथ उचित व्यवहार करने के लिए अपनी तैयारी बताई परन्तु कई जगह वास्तव में बाढ़ आने पर भी उन्होंने नहीं लिखा। बल्कि बाढ़ और अतिवृष्टि की अलग अलग व्याख्यायें और की हैं। मैं इस बारे में मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कई जगह आपके अधिकारियों ने कहा है कि यह हानि बाढ़ से नहीं है, यह अतिवृष्टि से है। अफसोस है कि किसी बांध के टूट जाने से, किसी नदी के कट जाने से नुकसान होता है। बाढ़ आती है, उसको तो आप बाढ़ कहते हैं, पर क्या वह अतिवृष्टि नहीं होती। बाढ़ की जननी ही अतिवृष्टि है। बाढ़ का सीधासा अर्थ यह है, बढ़े हुए पानी को बाढ़ कहते हैं। यह जरूरी नहीं कि वह बढ़ा हुआ पानी किसी तालाब के टूटने से ही आए, बल्कि बढ़ा हुआ पानी खेतों से इकट्ठा हो करके भी बाढ़ का रूप ले सकता है। मोहल्लों और शहर का इकट्ठा हो करके बढ़ा हुआ पानी भी बाढ़ का रूप लेता है। परन्तु कई जगह वह अतिवृष्टि की व्याख्या लेकर उन लोगों को राहत पहुंचाने की लिस्ट में नहीं लिया गया है, जो वास्तव में इस प्रकार से क्षतिग्रस्त हुए हैं। मैं मंत्री महोदय से, निवेदन करूंगा जो कि ऐसे मामले हैं कि क्षति तो हुई है परन्तु उसको बाढ़से न मान कर अतिवृष्टि से हानि मान कर सहायता से वंचित किया गया है, इस पौइन्ट को वे दुबारा उठाने की कृपा करें।

मैं राहत के नियमों जो कि पुराने चले आ रहे हैं, में संशोधन की अपील करूंगा। कच्चे घर टूटे हैं, उनकी अंशतः और पूर्णतः दो प्रकार की उनकी व्याख्यायें की गई हैं। पहला तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जिनके पक्के मकान टूटे हैं उनको राहत से महरूम रखा गया है। यह बात समझ में आती है, कि पक्के मकान वाले कुछ लोग समर्थ हो सकते हैं, परन्तु चार पीढ़ी, दो पीढ़ी और आठ पीढ़ी पहले किसी के पुरखाओं ने कहीं पक्का मकान बना दिया है और आज उनकी स्थिति नाजुक है, अगर आज बाढ़ की चपेट में

(3.15 म. प.)

(श्री अहमद बक्श सिंधी, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

आकर उनके मकान टूट गए हैं तो समझ में नहीं बैठता है कि केवल पक्का मकान पटवारी के लिख देने मात्र से उस गरीब को राहत नहीं पहुंचाना कहां तक उचित है? केवल मात्र पक्का मकान लिख देने से उसको समर्थ मान लेना, मैं समझता हूं उचित व्याख्या नहीं है। यह बात रिकार्ड में कहीं दर्ज की कि पक्के मकान टूटे हैं? यदि वह समर्थ नहीं हैं, तो उन आदमियों को, आपको राहत के अन्तर्गत लेना चाहिए और उनको राहत पहुंचानी चाहिए। हां, आप समर्थ लोगों को कुछ मत दीजिए। मैं उनकी वकालत यहां पर नहीं करना चाहता। जहां तक कच्चे मकानों का प्रश्न है, अंशतः और पूर्णतः, दो

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

तरह की व्याख्यायें हैं। साधारण तौर पर तो अंशतः का मतलब मकान के टूटने से है। मकान टूटा उसको अंशतः कहना चाहिए और पूरा मकान टूटने को पूर्णतः कहना चाहिए। परन्तु अधिकारियों ने बड़ी अजीब व्याख्या की है। किसी एक आदमी का कच्चा मकान टूट गया तो उसको पूर्णतः मकान लिया गया परन्तु एक गरीब परिवार, जिसके एक ही आदमी के चार लड़के हैं, का जब एक लड़का शादीशुदा हो जाता है तो एक गरीब से गरीब आदमी को भी एक छोटा सा कच्चा फूस का मकान उसको अलग से बनाकर देना पड़ता है और रहने की व्यवस्था करनी पड़ती है। किसी गरीब आदमी ने अपने चार लड़कों के रहने के लिए चार कच्चे मकान बना लिए, इस बाढ़ में तीन मकान टूट गए और एक मकान केवल छोटा सा बचा तो इन तीन कच्चे मकानों के टूटने के बावजूद उसको पूर्णतः नहीं माना गया और उसको अंशतः मान लिया गया। केवल मात्र एक क्योंकि राशनकार्ड किसी के बाप के नाम से है परन्तु चार गरीब बेटे रहते हैं और तीन मकान उनमें से बिल्कुल टूट गए हैं, तीन परिवार बेटों के बिल्कुल बर्बाद हो गए तो उनको केवल अंशतः मान कर सौ रुपये दिए गए हैं। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि अगर घर पूरा टूट गया है तो उसको पूर्णतः माना जावे। यदि न माना जावे और परिवार में कच्चा घर बच गया तो उसको अंशतः कर दिया जाय। परिवार की व्याख्या लम्बी चौड़ी है। गांव के अन्दर बीस-बीस आदमियों का भी एक परिवार है और दो-तीन आदमियों का भी एक परिवार है। तो जिसके घर में बीस आदमी रहेंगे, वह कच्चे, तीन चार पांच मकान जरूर बनाएगा फूस के...

(व्यवधान)

उनके जितने मकान टूटे हैं, उनको कम से कम एक मकान पूर्णतया मानकर पैसा मिलना चाहिये था। मैं इस सम्बन्ध में मकान के बजाय दूसरे कामों की ज्यादा वकालात करना चाहूंगा। वह है रोटी-रोजी का प्रश्न, गांव की खेती बाड़ी का मामला। अगर आपने किसी मकान वाले को मदद दी है तो बड़ा धन्यवाद आपका। नहीं देते तो गांव वाले किसी झोंपड़ी के नीचे अपना टाइम पास कर सकते थे। परन्तु उनकी स्थिति इसलिये भयावह बन गई है कि उनके खेत बह गये हैं, उनके कुएं बरबाद हो गये हैं, बिजली की मोटर लगी हुई थी वह भी नीचे दब गयी है। स्थिति यह है कि कि कल क्या खायेंगे? इसलिये जब तक आप किसानों के टूटे हुए कुओं को, उसके बिगड़े हुए तथा दबे हुए खेतों को वापस खेती के लायक नहीं बना देंगे, तब तक उसकी बड़ी बुरी हालत गुजरेगी। मैं समझता हूं कि इन सब लोगों के लिये न तो कोई रोजगार की व्यवस्था कर सकेंगे और न केवल राहत पहुंचाने से काम चलेगा। यह बहुत जरूरी है कि उनके खेतों को ठीक कराया जाये। मैंने सुना है कि राज्य सरकार ने रिकमण्डेशन अवश्य की है, परन्तु अभी तक स्वीकृति नहीं आई है। जब तक गरीब आदमी के खेत को ठीक करने के लिये शत प्रतिशत अनुदान, थोड़े समृद्ध और बड़े किसानों के लिये पचास प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था नहीं की जायगी तब तक मौजूदा बिगड़े हुए खेत जो कि मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं, कट-कट कर नाले और खड्डे बन गये हैं, ठीक नहीं हो सकेंगे। किसान की हैसियत नहीं है कि उन्हें ठीक करा सके, जब तक सरकारी अनुदान नहीं होगा वह ठीक नहीं करा सकते। इसलिये मेरा निवेदन है कि जमीनों को ठीक कराने के लिये अनुदान की व्यवस्था करना अत्यन्त जरूरी है। सरकार

Page No. 87

87

(श्री हीरालाल भारद्वाज)

और मुख्य मंत्री के कहने से ही कृषि उद्योग निगम ने अपने बुलडोजर से ठीक करने के लिये बाढ़पीड़ितों को 20 से 25 प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा की है। मैं सदन के जरिये यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह कृषि उद्योग निगम के बुलडोजरों का खेत को ठीक करने के लिये उपयोग करें। खेतों के अन्दर मिट्टी चली गई है जिससे खेत इतने अनउपजाऊ हो गये हैं कि फर्टीलाइजर से भी अभी ठीक नहीं किये जा सकते। जानवरों के मर जाने और बह जाने से जबकि खाद की स्थिति पहले ही कम थी, अब और कमी आ गई है। उनको उपजाऊ बनाने का एक ही तरीका है कम्पोस्ट खाद। कम्पोस्ट खाद के लिये कृषि विभाग अनुदान नहीं देता है कम्पोस्ट खाद, जो कि किसानों को अपने खेत में ले जाने के लिये मंहगी पड़ती है, के लिये अनुदान की व्यवस्था की जाये। खेतों तक पहुंचाने के लिये, उसके भाड़े की व्यवस्था की जाय। कम्पोस्ट खाद या कम्पोस्ट प्लान्ट पूरी तादाद में इकट्ठा है। जमीन को उपजाऊ बनाने के लिये उसको खेतों तक पहुंचाने के लिये सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये।

मैं समझता हूं कि किसान के कुओं को जब तक चालू हालत में नहीं करेंगे तो, रवी की फसल तक किसान क्या करेंगे? इसके लिये जरूरी है कि उसके कुओं को ठीक कराने के लिये जहां सीमेन्ट की जरूरत हो, सीमेन्ट और लोहा कन्ट्रोल रेट पर दिया जाये। सरकार ने ऋण की व्यवस्था की है, बैंकों के जरिये। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं। परन्तु इस बात की निगाह रखनी चाहिये, क्योंकि बैंक अपने आप को एक नयी सुपीरियर क्वालिटी का विभाग मानता है। वे यहां तक कहते कि राज्य सरकार हमारा कुछ बिगाड़ नहीं कर सकती है। इसलिये गांव के के अन्दर बैंक के मैनेजर मनमाने तौर पर

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

काम करते हैं। उसकी इच्छा होती है उसका ऋण पास करते हैं, और इच्छा नहीं होती है, तो ऋण पास नहीं करते हैं। इसलिये राज्य सरकार को बैंक के जो प्रमुख मैनेजर हैं, उनसे और जरूरत पड़े तो भारत सरकार से या रिजर्व बैंक के अधिकारियों से बात करके गांवों के अन्दर जो मैनेजर की एक प्रकार की कुत्सित वृत्ति हो गई है, उस पर कन्ट्रोल रखना बहुत जरूरी है। उनके जरिये किसानों को ऋण और अनुदान जल्दी दिलाने की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। मैं इस मौके पर कुछ सदस्यों द्वारा इस बाढ़ राहत के पवित्र कार्य के लिये दलगत राजनीति के कारण हल्के शब्दों का उपयोग कर और लांछन लगाने की कुत्सित वृत्ति है, उस की भर्त्सना करना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाये जाते हैं, आपके सदन के विरोधी दल के नेता ने यह इच्छा जाहिर की थी, कि उनको हेलिकाप्टर चाहिये, वे देखना चाहते हैं कि बाढ़ से कितना नुकसान हुआ। मैं मौजूदा सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उनको हेलिकाप्टर मुहैया कराया ताकि विरोधी दल के माननीय नेता अपने कर्तव्य का पूरा पालन कर सकें। यही नहीं, टौंक के विरोधी दल के एक माननीय सदस्य को अपने स्थान पर पहुंचाने के लिये मौजूदा सरकार ने हेलिकोप्टर दिया है। इसके बावजूद, विरोधी दल के नेता महोदय का अखबार में हर दूसरे तीसरे दिन यह प्रचार करना कि सरकार हेलिकोप्टर

Page No. 88

(88)

(श्री भैरूंलाल भारद्वाज)

में घूम रहीं है, बड़ा अप्रशंसनीय काम है । उनके जैसे जिम्मेदार आदमी को इस प्रकार नहीं कहना चाहिये था। आज इस सदन में कुछ लोगों ने भेदभाव के आरोप लगाये हैं। मैं समझता हूं यह उचित बात नहीं है ।

श्री राज बहादुर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हेलिकाप्टर की शिकायत नहीं कर रहा हूं, बहुत मुसीबत थी, बहुत परेशानी थी, मगर यह निर्विवाद सत्य है कि हेलिकाप्टर भरतपुर गया था, मैं जाना चाहता था, मैंने प्रार्थना की थी, किन्तु उसकी अनदेखी की गई । ज्यादा नहीं कहूंगा, इतना ही कहना चाहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : आपके लिये नहीं कहा जा रहा है ।

श्री राज बहादुर : किन्तु हैलीकाप्टर मैंने भी मांगा था ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : मैंने जो निवेदन किया है, आप भी जानते हैं, सही है। आपका क्या हुआ मुझे तो पूरी जानकारी नहीं है, परन्तु मैं यह जरूर कहूंगा कि मौजूदा ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सरकार ने इस शुभ और पवित्र कार्य में बिलकुल राजनीति का कहीं अंश तक नहीं लिया है ।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें, माननीय सदस्य ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में आयी विधायिका श्रीमती उजला अरोड़ा से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इस गलत धारणा का प्रचार न करें, यह किसी प्रकार का राजनैतिक भेदभाव है ? मैं याद दिलाऊंगा, राजनैतिक भेदभाव हुआ होता, तो सरकारी गाड़ियों में आप अधिकारियों के साथ बैठ कर जनता पार्टी का दुष्प्रचार नहीं कर पाती । आप कमल छाप पर्चों का सरकारी गाड़ी में अधिकारियों के साथ बैठ कर प्रचार किया है, आपकी पार्टी के कमल छाप पर्चे बांटे हैं, हमे बांट हैं, जैसे कमल छाप वालों ने सहायता देने के लिये कोई फण्ड कायम कर दिया हो । मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहूंगा···

श्री महावीर प्रसाद (टोंक) : यह कांग्रेस वालों ने किया था ।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो उनका हक है, कर सकती हैं ।

श्री भैरूंलाल भारद्वाज : राज्यपाल महोदय का भी दुरुपयोग किया गया, नाम लेकर के यह कहा गया कि सरकार बाढ़ पीड़ितों की मदद नहीं कर रही है और हमने राज्यपाल के पास जाकर कहा, राज्यपाल ने यह मदद भिजवायी है । इस प्रकार का दुष्प्रचार भी विरोधी दल के लोगों ने किया है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें ।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब यह बोल रहे थे ।

(व्यवधान)

आपने प्रचार नहीं होने दिया····

श्री भैंरूलाल भारद्वाज : इसलिये मैं विरोधी दलों के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि वे हर समय राजनीति की बात अपने माथे पर भूत की तरह सवार न रखें यह अच्छा होगा क्योंकि जनता उनके द्वारा सेवा की आशा करती है।

जहां तक 77 और 79 की बात करते हैं, उनको मालूम है, उनके जमाने में बाढ़ और अकाल में कितने काम हुए हैं और मौजूदा सरकार ने कितनी मुस्तैदी से, तेजी से इस काम को आगे बढ़ाया है। मैं यह बात कहे बगैर नहीं रह सकता, माननीय मदेरणा साहब, जिन छोटे-छोटे तालाब और बांधों......

श्री उपाध्यक्ष : इंगित माननीय मदेरणा साहब को नहीं किया जाये।

श्री भैंरूलाल भारद्वाज : यदि आपने उन बांधों और तालाबों को,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ठीक नहीं कराया, तो जयपुर जिले में कुओं में पानी रहेगा नहीं और आगे फसल बरबाद हो जायेगी। इसलिये जितने बांध और एनीकट टूट गये है, उन पर तुरन्त आप काम शुरू करवाइये, ताकि लोगों को....

श्री उपाध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी, बैठ जाइये आप।

श्री भैंरूलाल भारद्वाज : पानी भी हो सकेगा। मैं आशा करता हूं, जयपुर जिले की विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए और कुओं में पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए मंत्री महोदय तालाबों की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर करायेंगे धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त कीजिये। तीन ... कह चुका हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरे को इंगित करके श्री भैंरूलाल जी भारद्वाज ने कहा कि मैं राजनीति की बात न करूं। राजनीति में राजनीति की वह बात भी करते हैं। कोई डफली बजाने तो आयेंगे नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने क्या कहा ? वो हक था आपका, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है।

श्री रतनलाल ताम्बी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तुम्हारी भी सरकार है मेरी भी सरकार थी।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री भैंरूलाल भारद्वाज : तुम्हारी सरकार निहित स्वार्थों को पूछती थी, गरीबों को कोई पूछता नहीं था।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह आदमी बैठने काबिल नहीं है। मुझे उकसा रहे हैं कि मैं कुछ कहूं। आप फिर कहते हैं, जो बीती है मुझ पर उनको इंगित करके कहती हूं, हक से महरूम हैं हकदार, तेरी मदर में लुक गये...

(व्यवधान)

यही घटना घटी है। मेरे यहां से सामान गया। सारे जमवारामगढ़ से सामान गया। इसलिये मैं चुप हूं। मैंने नाम नहीं लिया।

श्री उपाध्यक्ष : ... पैरों पर हैं। बैठ जाइये।

(व्यवधान)

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्या, ऑर्डर प्लीज।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल शाम्बो (जहाजपुर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अधिकांश भागों में अकाल की काली छाया और उसका प्रभाव निश्चय ही काफी गंभीर है। राजस्थान में इस बार लगातार 3 वर्षों से अकाल पड़ता चला आ रहा है। उसका असर आने वाले कुछ महीनों में काफी गंभीर रूप से सामने आने वाला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अकाल जैसी चुनौती और अकाल जैसे गंभीर मामले में वर्तमान सरकार ने यह जिम्मा एक ऐसे व्यक्ति को सौंपा है, जो पहले भी अकाल राहत मंत्री रह चुके हैं। इससे परिचित होने के साथ-साथ वह राजस्थान के उस पश्चिमी इलाके से आते हैं, जहां अकाल की गंभीर स्थिति हमेशा रहती है। मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि सारे राजस्थान के साथ इस बार पश्चिमी राजस्थान की जो हालत है, वह पिछले कई वर्षों में नहीं देखी गई। इस प्रकार की हालत आज गांवों की है। पीने के पानी की जगह कुओं में कीचड़ नजर आता है। पीने के पानी की समस्या आज के दिन बहुत गंभीर हो गई है। मैं इस मौके पर यह निवेदन कर देना चाहूंगा कि राम और राज मानव समाज और पशु धन को बचाने के लिये सबसे ज्यादा सक्षम हो सकते हैं। राम तो रूठ गया है, तीन सालों से, और सारे का सारा जिम्मा आज के दिन राज पर आ गया है। यह राज कितनी निष्पक्षता के साथ भेदभाव रहित होकर इस चुनौती के समय राजस्थान के जन-मानस को किस प्रकार राहत दे सकता है, यह प्रश्न चिन्ह हमारे सामने खड़ा है। मैं इस मौके पर निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पर बरसात कुल मिला कर चौथाई भी नहीं हो पाई, उन हिस्सों में अकाल राहत कार्यों पर लगे हुए मजदूरों के पिछले तीन महीनों के आंकड़े उठा कर देख लें आप, उनको कम कर दिया गया। कम करने के साथ साथ नये काम भी शुरू नहीं किये। पुराने काम बन्द कर दिये। इस गंभीर स्थिति में आज भीलवाड़ा जिले के कुछ क्षेत्रों को छोड़ कर, अन्य क्षेत्रों में भीलवाड़ा तहसील, जहाजपुर तहसील के बारे में जिक्र करना चाहता हूं अकाल राहत कार्यों के बारे में अकाल राहत मंत्रीजी देख लें, पिछले तीन महीनों में लगातार कितने काम कम किये गये? जो काम बन्द हो गये थे, उनकी जगह वैकल्पिक काम कितने खोले गये? उस पर आप विहंगम दृष्टि डालेंगे, तो मैं समझता हूं कि आपको अहसास होगा कि अकाल जैसे मानवीय विषय में भी प्रशासन किस प्रकार का वातावरण पैदा करता है, जिससे कई लोग वहां काम पाये बिना बेकार हैं, बड़े गंभीर हालात हैं। अब भी कई गांवों के लोग रोजी-रोटी के लिये गांव छोड़ कर जा रहे हैं। जहाजपुर तथा कोटड़ी तहसीलों के लोग अकाल के मारे पीड़ित हैं, रोजगार की मांग करते आ रहे हैं। मैंने मुख्य मंत्रीजी, अकाल राहत मंत्रीजी और जिलाधीश महोदय को सारी स्थिति का वर्णन करते हुये अपने प्रस्ताव भेजे थे। मुझे इस बात का दुःख है कि इस गंभीर परिस्थिति में 7-8 हजार मजदूर पिछले ढ़ाई तीन महीनों में कम हुए। अगर किसी तरह से यही व्यवस्था रही और देखा नहीं गया, तो मेरा ख्याल है कि परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। लोगों में भुखमरी

(श्री रतनलाल ताम्बी)

और बेरोजगारी का वातावरण बना हुआ है। इस वातावरण के अन्दर जितनी निष्पक्षता तथा मुस्तैदी के साथ सोचने की आवश्यकता है, उसके लिये मैं समझता हूं कि इसको गंभीरता के साथ लिया जायेगा। अकाल राहत कार्यों को भीलवाड़ा जिले में आप देखेंगे। मैं यह चाहूंगा कि प्रभावित जन-संख्या के आधार पर आप अकाल राहत कार्यों को चालू करें।

इसके साथ-साथ मेरा यह भी सुझाव है कि पिछले दिनों मे मैंने देखा कई अकाल राहत कार्यों को। उसमें कई प्रकार की बातें मेरे सामने आई। मैं मदेरणा साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल राहत कार्यों में सिर्फ धूल डाल दी गई है। अगले वर्ष फिर समस्या हो जाय अतः इसके बजाय कुछ स्थाई योजना, जो आगे जाकर अकाल को रोकने में समर्थ हो सकती है, खास तौर से हाथ में ले। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले में 2-3 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कई नदी और नालों पर कुछ बांध बन सकते हैं। इन स्कीमों की कई बार जांच-पड़ताल भी हुई है और योजनाओं में इनके प्रस्ताव भी मौजूद हैं। इस प्रकार के काम 5-10 लाख से नीचे के हो सकते हैं। आराम से हजार-पांच सौ मजदूरों को काम पर लगाया जा सकता है। ऐसे काम स्थाई काम होंगे, उनकी स्थाई उपयोगिता होगी, यह मेरा निवेदन है। इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल राहत कार्यों में हमारी वन सम्पदा समाप्त हो गई है हर साल अकाल की विभीषिका सामने आती है, इसको समाप्त करने की दृष्टि से वन संपदा का विकास बहुत आवश्यक है। इसके लिये पहाड़ी ढलान जितने भी मौजूद हैं, उनमें वन संरक्षण किया जाय। उन पर पेड़ लगवाये जायं ताकि आगे जाकर घास भी मिले और इसके साथ-साथ वृक्षों की समस्या, जलाऊ लकड़ी की समस्या भी हल होगी। बरसात भी ज्यादा होगी और इन इलाकों में खुशहाली का वातावरण होगा। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मास्टर प्लान बना कर आप योजनाएं हाथ में लें। हर जिले का मास्टर प्लान बनाकर, प्रत्येक क्षेत्र में क्या-क्या योजनाएं हाथ में ली जा सकती हैं, उन योजनाओं को अभी से तैयार करवायें वर्ना क्या होता है कि जल्दी-जल्दी में स्वीकृतियां होती हैं न तो एस्टीमेट की बात हो पाती है और न ही सही ढंग से कार्यों को देखा जा सकता है। इसलिये मैं कहूंगा माननीय अकाल राहत मंत्री महोदय, आप एक-एक जिले में एक-एक दिन अभी से जाकर सारे अधिकारियों के साथ, जन-प्रतिनिधियों के साथ बैठकर जिले का मास्टर प्लान बनवायें। प्लान के अन्तर्गत काम हो तभी काम सही हो पायेगा वरना जयपुर से स्वीकृति निकल रही है, भीलवाड़ा से निकल रही है, कोई कहीं से निकाल रहा है, कोई कहीं से निकाल रहा है। पता ही नहीं लगता है और हम समझते हैं कि बिल्कुल सही ढग से नीति की क्रियान्विति की जायेगी। इसलिये मेरी मान्यता है कि कुछ राजनैतिक लोग भी हो सकते हैं, कुछ प्रशासन के लोग भी हो सकते हैं, कुछ मुख्य मंत्री जी की छवि बिगाड़ने वाले भी हो सकते हैं, कुछ इलाकों को खास तौर से महरूम रखा जा रहा है। वहां पर कुछ काम नहीं होना चाहिये, यह दबाव डाला जाता है। इसलिये मैंने उदाहरण दिया जहाजपुर और भीलवाड़ा क्षेत्रों का। मुख्य मंत्रीजी के खुद के क्षेत्र में भी यही स्थिति है। यह सारी बातें मैंने रखीं। मुझे मालूम है कई कारण

(श्री रतनलाल ताम्बी)

सामने आते हैं इसलिये मन में वेदना होती है। प्रशासन की निष्पक्षता के बारे में शक पैदा होता है। कई दृष्टि से मानव के सामने जो चुनौतियां हैं, जो प्रश्न सामने है, उनमें मानवीय दृष्टिकोण होना चाहिये, संवेदनशीलता होनी चाहिये, यही मैं अपेक्षा करके चलता हूं। जैसा मैंने कहा अकाल राहत मंत्रीजी से मेरा काफी वर्षों से परिचय संपर्क है मुझे आशा है कि वे भीलवाड़ा जिले को देखेंगे और प्रभावित जनसंख्या के आधार पर काम की स्वीकृतियां उस क्षेत्र में नहीं हुई है, उनको देख कर उस दिशा में ध्यान देंगे, यह मैं आशा करके चलता हूं। इसके साथ-साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं एक सुझाव राजस्थान के 3-4 जिलों के लिये, जहां अकाल का सही समाधान कर सकते हैं, अकाल का हल हो सकता है। 10-15-20, वर्षों से चम्बल; गांधी सागर और राणा प्रताप सागर ये सभी बड़े-बड़े बान्ध बन गये हैं। कोटा से जाने के बाद आगे सारा पानी बेकार जाता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जैसे राजस्थान कैनाल है उसी तरह से चम्बल में से फीडर बन सकती है। बनास और बनास के आगे इसके साथ कई बड़े-बड़े बांध हैं, उनमें जो पानी बेकार जा रहा है, उसका उपयोग हो सकता है। न केवल जयपुर जिला ही बल्कि टोंक, अजमेर जिला और भीलवाड़ा में भी पानी की समस्या है सिंचाई की समस्या है। और आने वाले औद्योगिकरण के लिये पानी का संकट सामने आ रहा है, वह भी दूर हो सकता है। इस संदर्भ में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजमहल योजना बनास में कई वर्षों से बनी है। उसके नाम पर बड़े-बड़े खर्चे हो रहे हैं। इस महत्वपूर्ण योजना को इस मौके पर हाथ में लिया जाना चाहिये, ताकि इसके जरिये तीन, चार जिलों की समस्या मिट सकती है। मेरा यह अनुरोध है कि पेयजल की समस्या गंभीर हो सकती है। यहां पर रीजनल स्कीम्स बन सकती है और इसके जरिये 30/35 बांधों को लिया जा सकता है। इस दृष्टि से इसको लिया जाना चाहिये। अकाल राहत मंत्री जी जन स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, इसलिये मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि अभी से पीने के पानी की समस्या को युद्ध स्तर पर हल करने का प्रयास करें। जिन नदियों में पानी है, वहां पर पाइप लाइन डालकर आप पानी की व्यवस्था करें, वरना भीलवाड़ा, शाहपुरा जैसे कस्बे में जल संकट की गंभीर समस्या हो जायेगी। मेजा बांध में 7-8 फीट पानी है।

वहां से समस्या हल नहीं हो सकती है। इसलिये अभी से हैन्ड पम्प, ट्यूब वैल्स और इस प्रकार की रीजनल स्कीम्स जहां पर पीने का पानी नदियों में है, उसके जरिये इस व्यवस्था को नहीं करेंगे तो समस्या गंभीर होगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि विभाग के पास पाइप नहीं हैं। मेरे इलाके में पण्डेर गांव की स्कीम ठेकेदार और विभाग के झगड़े के कारण पूरी नहीं हो रही है। बनास में पानी है। मैं कहना चाहूंगा कि इस झगड़े को निपटाने के लिये विभाग के लोग दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। मंत्री महोदय इसमें दिलचस्पी लेकर इस को पूरा करें क्योंकि यह जहाजपुर क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है और वहां के लोग पानी के लिये तरस रहे हैं। गांव के लोग परेशान हैं। इसलिये पीने के पानी की समस्या के बारे में सजग हो जायें और जहां-जहां की योजना तैयार की है, पाइप लाइन डलवाई है, वहां पर अभी से कार्य करेंगे तो आने वाले समय में जो चुनौती आने वाली है, उसका हम मुकाबला कर सकेंगे।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा कि घास और अनाज की समस्या भी गंभीर है। इस लिहाज से आप सेन्टर बना कर के मोटे तौर पर अकाल का मास्टर प्लान जिले व तहसील का बनवा लेवें। उसके आधार पर तखमीना दो-तीन दिन में करवा लेंगे तो आगे जाकर काम स्थायी हो सकेंगे। यह मैं आशा करके चलता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल का जो काम है, वह जिन एजेन्सियों के द्वारा कराया जाता है उसमें बड़ी दिक्कत आ रही है। कुछ जगह पर पंचायत समिति काम करवाती है। जहां छोटे गांव हैं वहां पर पंचायत समिति नहीं करवाती है। मेरे क्षेत्र में कई तालाव स्वीकृत हो गये। वहां के विकास अधिकारी पर राजनैतिक दवाव था, इस कारण स्वीकृत तालाब पर काम नहीं हो पाया है। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि रेवेन्यू एजेन्सी को भी इसमें जोड़ा जाये, ताकि गांव के तालाव ठीक बन सके। विकास अधिकारी कहता है कि मेरे पास तकनीकी स्टाफ नहीं है। मेरे पास यह नहीं है, वह नहीं है, यह ठीक नहीं है। इसलिये हम काम नहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति इस प्रकार कह कर जनता के साथ खिलवाड़ करें, यह उचित नहीं है। पानी की समस्या हल करने के लिये जिन कुओं की स्वीकृति हुई थी, उन कुओं पर काम नहीं हुआ है। वह स्वीकृति पड़ी रह गई। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि इन कुओं, पीने के पानी के कुओं को अभी सारे गांवो को देख कर वहां पर अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड और जो दूसरी एजेन्सी है, उसके जरिये सबसे ज्यादा प्राथमिकता देकर आप ठीक करवाइये ताकि आने वाले समय जो कठिनाई हो, वह हल हो। खास तौर से सिचाई के काम के जो छोटे तालाव हैं, उन तालाबों का काम जो कि पंचायत समिति के हाथ में है और फारेस्ट के काम को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाये, यही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सी. पी. जोशी।

श्री **सी. पी. जोशी** (नाथद्वारा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्व प्रथम माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं इस बात से भली भांति सदन के सदस्य परिचित हैं, कि बाढ और अकाल ऐसी विपदा है, जिसका निराकरण हमारे हाथ में इस स्तर पर है कि हम तैयारी किस तरह से करते हैं? तीस वर्ष की मेरी उम्र है और 33 साल देश को आजाद हुए हो गये। राजस्थान में अकाल जब जब पड़ा है अकाल के नाम पर काफी पैसा खर्च किया गया है किन्तु उसका असली समाधान आज दिन तक नहीं मिला है। जिस तरह से पिछले वर्षो से केन्द्रीय सरकार एडवान्स प्लान के तहत हमें पैसा खर्च करने की इजाजत देती है और अकाल राहत कार्यो पर हम उसको खर्च करते हैं, तो मोटे तौर पर इसका मतलब यह है कि आने वाली छठी पंचवर्षीय योजना का अधिकांश खर्चा हम अकाल राहत के नाम खर्च कर चुके हैं। जब यह अकाल राहत पर खर्च कर रहे हैं और सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़क बना रहा है, या सिंचाई विभाग कोई ऐनीकट बना रहा है या वन विभाग के कार्यक्रम भू-संरक्षण के काम में खर्च हो रहा है, तो इन सब कामों का मापदण्ड स्वीकार नहीं किया

(श्री सी. पी. जोशी)

तो आने वाले वर्षों में जो जमा पैसा खर्च कर रहे हैं करोड़ों रुपये उसकी उपादेयता या उसकी उपयोगिता यदि नहीं हो पाई, केवल मात्र सड़क बनाने के नाम से हम ग्रेवल या मिट्टी या ब्लास्टिंग का बहुत बड़ा खर्चा ठेकेदार के नाम छोड़ देते हैं। मुझे यह जान कर दुःख है पिछले अकाल के काम को देखने का मुझे अवसर मिला है, आज दिन तक कोई भी ब्लास्टिंग होता है तो उसके मेजरमेंट की किसी भी सार्वजनिक निर्माण विभाग में सुविधा नहीं है। इस कारण दस परसेन्ट कटौती कर देते है ठेकेदार की ग्रेवल के नाम पर इतनी मोटी तह लगभग दस फुट चौड़ी सड़क पड़ी और लाखों रुपयों करोड़ इस अकाल राहत में हो गया। ग्रेवल का ठेका ठेकेदार के नाम हो गया। श्रीमान्, अकाल राहत की तैयारी इस बात पर निर्भर करती है चाहे सार्वजनिक निर्माण विभाग से हम काम करवायें, चाहे सिंचाई विभाग से, चाहे कोई भी योजना हो, यदि हमारे कोआर्डिनेटेड एफर्टस से कुछ इस प्रकार की तैयारी नहीं कर पाये और परमानेंट रिसोर्सेज नहीं कर पाये, तो अकाल राहत कार्यो से लोगों को राहत नहीं मिलेगी। इन 30 सालों में एक नई क्लास डवलप हुई है, जिसमें ओवरसियर, इन्जीनियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी और ठेकेदार मिल कर अपनी राहत करना चाहते हैं। लगभग 30 वर्षों से ऐसी राहत पाते रहे हैं, यह मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है। यदि हम आने वाली विभीषिका की तैयारी करना चाहते हैं, तो सब से पहले कोआर्डिनेटेड एफर्टस इस बात के लिये करने होगें। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने यह क्राइ-टेरिया बनाया है कि तीन हजार की बस्ती के हर गांव को सड़क से जोड़ेगें। जिन-जिन विधान सभा क्षेत्र में तीन हजार की आबादी के गांव हैं वे सड़क से नहीं जुड़ पाये हैं उनको सड़क से जोड़ा जायें। सिंचाई विभाग ने जिन कार्यों पर आलरेडी खर्चा कर दिया है, उनको कम्पलीट नहीं कराया तो बहुत बड़ी राशि का दुरुपयोग हो जायेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि यदि सबसे पहले अकाल की तैयारी करना चाहते हैं, तो एक मास्टर प्लान की आवश्यकता है। अकाल राहत मंत्री के पास हर डिपार्टमेंट से पैसा जितना मिल सकता है, लेकर अकाल राहत के नाम पर पैसा इकठ्ठा करलें। पहले भी विधान सभा में घोषणा की गई थी कि कृषि उपज मंडी की सड़क का जो काम है, वह हम अकाल के तहत पूरा करेंगे। कृषि उपज मंडी की हम कितनी सड़कों को पूरा कर पाये हैं? मुझे जो नोट दिया गया है विभाग के द्वारा, उसमें यह कहीं भी मेन्शन नहीं है कि कृषि उपज मंडी के माध्यम से कौन-कौनसी, सड़क पूरी कर ली गयी है? खनिज विभाग के माध्यम से कौनसी सड़क पूरी कर रहे हैं? विधान सभा की घोषणा के बाद कृषि उपज मंडी की पूरी नहीं करवा सके। खनिज विभाग के द्वारा खनन के लिये जो सड़क बनती थी, वह नहीं बन पायी है। मोटा प्रश्न यह हो सकता है कि इतनी घोषणा करने के बाद भी इफेक्टिव ढंग से अकाल का मुकाबला करने की हमारी तैयारी नहीं है। इसलिये मंत्री महोदय को मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप विभाग के भरोसे रहेंगे तो पार पड़ने वाली नहीं है। जिस विभाग ने यह घोषणा की है, कि 15-9-81 तक जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में अकाल राहत कार्य चल रहे है, मैं मंत्री महोदय को बड़े अदब से निवेदन करूंगा कि 15 अगस्त के बाद 31 अगस्त,

(श्री सी. पी. जोशी

तक आपने काम वढाया है। उदयपुर जिले का मुझे निजी अनुभव है कि जितने काम संवशन हुए हैं, उनका 24 तारीख तक मस्टर गेल नहीं पहुंचा था। इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 31 अगस्त के बाद के उदयपुर जिले के भी संभाग में जो आंकड़े दिये गये है वह गलत हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक गंभीर चार्ज है कि 15 सितम्बर तक काम चल रहे हैं। जिलाधीश महोदय की रिपोर्ट के आधार पर यह कह रहे हैं कि काम चल रहे हैं। यह आंकड़े देकर आप सदन को गुमराह करना चाहते हैं। वस्तु स्थिति क्या है इसकी पूरी जांच करा ली जाये। इसके साथ मेरा यह भी निवेदन है कि हम अकाल राहत कार्यो की जो हमारी इम्पलीमेंटिंग एजेन्सी हैं, उसकी कठिनाइयों को हमें समझना पड़ेगा। आप काम कराना चाहते हैं तहसीलदार के माध्यम से, और पेमेन्ट ओवरसियर करेगा। मापदण्ड ओवरसियर करेगा। हालत यह है कि तहसीलदार के पास विभाग का स्टाफ और व्हीकल्स नहीं हैं। जो पंचायत समिति का ओवरसियर है, वह विभाग का इतना असेसमेंट नहीं कर पाता है। इसलिये कुल मिलाकर आप यह घोषणा कर देंगे कि एक नवम्बर से काम शुरू करवा दें, परन्तु प्रेक्टिकल डिफिकल्टी यह है कि 15 नवम्बर तक, 20 नवम्बर तक काम शुरू नहीं हो पाते हैं। इसलिये सबसे पहले नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के अन्दर लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर चुके हैं, पर उससे अकाल की समस्या का स्थायी निराकरण नहीं हुआ है। इसके लिये हम पहले प्रायोरिटी तय कर लें। आने वाले वर्षो में सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की होगी। पी.एच.ई.डी. इसके लिये हैण्ड पम्प उपलब्ध करवायेगा। मेरा मंत्री जी से निवेदन करना है कि 6 इंच का होल करना चाहिए हैण्ड पम्प के लिये। कुओं से आने वाले वर्षों में जल योजना चला सकते हैं वह भी पूरी हो जायेगी। जिन-जिन गांवों में जल योजना लागू करना चाहते हैं उन गांवों में प्रायोरिटी के आधार पर चार इंच के नहीं दस इंच के होल करवायें कुओं के हैण्ड पम्प के लिये। आपकी आने वाले वर्षों में जो जल प्रदाय की योजना है, वह भी पूरी हो जायेगी उसी 6 इंच के होल से। 6 इंच के होल से आप पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। इसलिये तो निवेदन किया सबसे पहले, कि अकाल के स्थायी हल के लिये एक पूल बना लें। चाहे वह सार्वजनिक निर्माण विभाग हो, चाहे एग्रीकल्चर विभाग के एस.ई लेवल का आदमी हो, चाहे पी.डब्लू.डी. का एस.ई लेवल का आदमी हो, चाहे वन विभाग का हो, और चाहे कृषि उपज मंडी में कार्यरत उनका आदमी हो, इन विभागों के आदमी को एक पर्मनेंट डिपार्टमेंट वनाकर सारे पैसे का एक पूल वना लें और वह सारा खर्चा अकाल राहत मंत्री के तत्वाधान में करवाया जाये, तो अकाल राहत का काम सही ढंग से चल सकता है।

श्रीमान् इसके साथ ही एक बात और कहना चाहता हूं कि पिछले अकाल राहत के अनुभव हैं, अकाल राहत के तहत पी.डब्लू.डी. के अन्दर पोस्टें क्रियेट की गयी थी, ए.ईएन. की और जे.ईएन. की, पर आज हालत यह है कि जो रोड्स का काम हो रहा है, आज भी इन विभागों के अन्दर मैकेनिकल इंजीनियर को आपने इन कामों पर लगाया है। जो रोड बन रही है, जो सड़क का काम हो रहा है आज जो काम देखने वाला सुपरवाइजर है, आज

(श्री सी. पी. जोशी)

वहां पर एस.ई काम देखने नहीं जाते हैं। वही काम देखता है, कोई एस.ई. काम नहीं देखते हैं। ओवरसियर ही काम देखते हैं। उसके ऊपर सिविल डिप्लोमा होल्डर तो काम नहीं कर रहे है, मैकेनिकल इंजीनियर काम कर रहे हैं। सड़क निर्माण का जो काम है, आज वह विभाग के मापदण्डों के अनुसार पूरा हो रहा है, या नहीं, इस बात को कौन देखेगा? इसका जस्टिफिकेशन कैसे होगा कि काम हो रहा है, या नहीं हो रहा है?

इसलिये जो छोटी एजेन्सी है, उनमें जो स्टाफ है, वह पर्याप्त स्टाफ नहीं है। जो तहसीलदार हैं, उनको व्हीकल प्रोवाइड है या नहीं है? अगर उनको व्हीकल प्रोवाइड नहीं है, तो पेमेंट नहीं कर पायेगा। दूसरे वह सुपरवीजन नहीं कर सकता है। दुख की बात है कि यह 30 साल से अनुभव की बात करते हैं, अकाल की बात करते हैं, बाढ़ की बात करते हैं, लेकिन किसी एजेन्सी के मार्फत काम करने की बात नहीं करते हैं। उसकी कोई व्यवस्था नहीं है।

मैं समझता हूं कि मेरा अनुभव छोटा है, लेकिन मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, कि विभागों का पूल बनाने के अलावा और कोई इस समस्या का समाधान हो नहीं सकता। एक समाधान और हो सकता है, कि भारत सरकार ने 180 करोड़ रुपये का एन.आर.सी. राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत प्रावधान कर रखा है। मुझे यह कहते हुए दुःख है, कि एन.आर.सी. में यह लिखा हुआ है कि एक स्टेट लेवल की कमेटी बनेगी और एक जिला स्तर की कमेटी बनेगी। हम राजस्थान में अकाल का मुकाबला करने की सोचते हैं उसमें एन.आर.सी.के पैसे का उपयोग कर सकते हैं, भारत सरकार के पैसे का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन राज्य सरकार की यह तैयारी नहीं है। आज दिन तक राजस्थान में स्टेट लेवल पर कोई कमेटी एन.आर.सी. के लिये नहीं बनी है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

इस तरह श्रीमान्, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि एक स्कीम चल रही है ट्रायसम की रूरल एम्प्लायमेंट स्कीम। इस योजना के माध्यम से एक-एक पंचायत समिति में ट्रेनिंग देने के लिये कहीं सिलाई का प्रावधान भी किया गया है, कहीं और कोई प्रावधान रखा है। इसके ऊपर भी बहुत बड़ा पैसा भारत सरकार खर्च कर रही है। इसमें नाटकबाजी यह कर रहे हैं, दर्जी जो काम करता है दो आदमी पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, उन्हीं को दिखा दिया जाता है और इस तरह से पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। हम सोचते हैं कि अकाल का मुकाबला करें, तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम सात रुपये देना चाहते हैं तो आप अकाल राहत की जगह परमानेंट योजना बना कर जो डिपार्टमेंट की परमानेंट योजना का काम हो सकता है उनकी प्रायोरिटी फिक्स करें। एन.आर.सी. के पैसे का उपयोग भी हम कर सकते हैं और वह करना चाहिए। ट्रायसम के पैसे का उपयोग करना चाहते हैं, तो पंचायत लेवल पर रोजगार की सुविधा देकर पांच-दस रुपये देने की बात है, वह दिला सकते हैं। इसके ऊपर भी प्रायोरिटी फिक्स करें। पी.एच.ई.डी. के लिये प्रायोरिटी फिक्स करें। यदि पीने का पानी ही हम शुद्ध उपलब्ध करा सकते हैं, तो यह बहुत बड़ा अकाल राहत का काम होगा। यदि प्रायोरिटी फिक्स नहीं कर पायेंगे, मनी पूल नहीं कर पायेंगे तो जो काम करना चाहते हैं, वह बेकार ही जायेगा। यह रिपोर्ट है कि

Page No. 97

(श्री सी. पी. जोशी)

अकाल राहत का काम चल रहा है। डिपार्टमेंट की जिस तरह की तैयारियां हैं, उनसे हम अकाल की विभीषिका को बांट नहीं पायेंगे। आखिर अकाल के कारण क्या हैं? अकाल की स्थिति में एक बात निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान का जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। आज उदयपुर जिले के अन्दर जो हालत है, 14 विधान सभा क्षेत्र हैं, 6-7 विधान सभा क्षेत्र ट्रायब के हैं, एक कास्ट का है और 7 जनरल सीटें हैं। बहुत बड़ा भाग आदिवासियों का उदयपुर जिले में निवास करता है। 80 प्रतिशत हिस्सा पहाड़ी है, और 20 प्रतिशत भाग इर्रिगेटेड लैंड वहां की है। वहां पर हैण्ड पम्प की योजना बनायें, हमारे आदिवासी भाई पहाड़ों पर मकान बनाकर रहते हैं। हमारी होल करने की जो मशीनें हैं, उनको हम वहां पहुंचा नहीं सकते हैं। इर्रिगेटेड लैंड 20 प्रतिशत ही है। यदि आप हमारे क्षेत्र को कम्पेयर करना चाहें, जयपुर और अलवर के इलाकों से, तो यह कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगा। इसलिये आप ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है उसको भी ध्यान में रखें।

इसके साथ ही एक और निवेदन करना है कि जो ट्रायबल सब प्लान का पैसा है, उसमें इर्रिगेशन, रोड्स के पैसे के लिये भी प्रावधान है। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, कि इस सारे पैसे को, चाहे ट्रायबल सब प्लान का पैसा हो, चाहे पी. डब्लू.डी. का हो और चाहे पी.एच.ई.डी. का पैसा हो, इस सारे पैसे को पूल करके, एक एजेन्सी बनाकर काम करना चाहेंगे तो अकाल का मुकाबला बड़े जोर से, बड़े ही पुरजोर ढंग से कर सकते हैं। केवल अकाल राहत के नाम से सड़क बन जाये, कच्ची सड़क बन जाये और कच्चे बांध बन जायें और फिर बरसात में साफ हो जाये तो यह तो जस्टिफिकेशन हो नहीं पायेगा।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, अध्यक्ष, पदासीन)

मैं केवल मात्र अपने अनुभव रखना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र नाथद्वारा में कुल 6 एनीकट्स का काम हुआ। उस पर 17 लाख 59 हजार रु. खर्च हो चुके हैं। उसका कुल एस्टीमेट है 50.49 लाख का। अगर 17 लाख 59 हजार का उपयोग करना चाहते हैं, तो यह आवश्यकता होगी कि आने वाले अकाल के कामों में हम इन एनीकट्स के कामों को प्रायोरिटी में लें। इसलिये मैंने निवेदन किया कि एन.आर.सी. के पैसे का उपयोग, इर्रिगेशन के पैसे का उपयोग करना चाहें, तो पहले प्रायोरिटी फिक्स करनी चाहिए। जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह अकाल राहत मंत्री जी का काम होता है; अगर इसी तरह से काम होता है, तो एक सही सुविधा मिलती है। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से रिलीफ कमिश्नर और मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर कहना चाहता हूं कि सबसे पहले हमारे पास जो मनी अवेलेबल है, उसका हम मास्टर प्लान बनाकर उपयोग करें, तब तो अकाल का काम कर सकते हैं। जो हमारे छोटे छोटे काम हैं जैसे रोड्स के काम हैं, बांध के काम हैं इनको पक्का बना सकें, तो ही हम कह सकते हैं कि इसकी कोई उपादेयता है, उपयोगिता है, नहीं तो पहले भी लाखों, करोड़ों रुपये, अरबों रुपये खर्च हुए हैं। परन्तु अबकी बार आप यह देख ले कि पहले तो केन्द्रीय सरकार आपको एडवान्स प्लान के तौर पर सहायता दे रही थी, लेकिन अब की बार वह योजना का जो

(श्री सी. पी. जोशी)

पैसा है, वह ही एडवान्स के तौर पर दे रही है। उसकी कटौती उसमें से कर लेगी जबकि पहले ऐसा नहीं था। इसलिये हमें अपने तरीके को चैन्ज करना चाहिए, और रिलीफ को डवलपमेंट से लिंक करना चाहिए। जब तक रिलीफ और डवलपमेंट लिंक नहीं होगा, तब तक छठी पंचवर्षीय योजना का बहुत बड़ा पैसा है, उसका दुरुपयोग हो जायेगा, उसकी सम्भावना भी दिख रही है। इसलिये नये ढंग से अकाल राहत काम को देखने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि इसमें जितनी एजेन्सीज हैं, चाहे ईरिगेशन हो, चाहे पी. डब्लू. डी. हो, चाहे फोरेस्ट हो, चाहे एन. आर. सी. हो, चाहे एन.आर.सी. का पैसा हो, चाहे ट्रायसम का पैसा हो और चाहे चारे का पैसा हो, उसका उपयोग पूल करके करेंगे, तो इस अकाल का मुकाबला अच्छे ढंग से कर सकेंगे। इसमें भी पी.एच.ई.डी के कामों को सबसे ज्यादा, सबसे पहले प्रायोरिटी में में रखें, तो ठीक रहेगा।

कल एक प्रश्न पूछा था, जोधपुर को पानी देने की स्कीम है, इसमें मेरा यह कहना है, कहीं ऐसा नहीं हो कि यह पैसा लेप्स हो जाये। इसलिये पी. एच. ई. डी. की प्रायोरिटी फिक्स करके, जहां जल योजना हो सके, वहां पर इसको लागू करें, जिससे कि इस सारे पैसे का उपयोग अकाल राहत के साथ हो सके। इसकी योजना बनायें, सही योजना द्वारा के ही पीने के पानी की समस्या समाप्त हो सकेगी। इसके साथ-साथ, जैसा कि अभी निवेदन किया गया था, हम संगठित रूप से काम करेंगे, सारी एजेन्सीज के पैसे को पूल करके, प्रायोरिटी फिक्स करके, जो साधन हैं, उनको देखते हुए काम करेंगे, तो अच्छे ढंग से अकाल का मुकाबला कर सकेंगे।

बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, कोई भी मंत्री स्तर का मंत्री यहां नहीं है, केवल राज्य मंत्री मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष : सभी मंत्री जिम्मेदार होते हैं।

श्री फतेसिंह।

श्री दाऊदयाल जोशी : जिम्मेदार मंत्री नहीं हैं, केबिनेट स्तर के मंत्री नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री फते सिंह।

श्री नरोसिंह गुर्जर : आप तो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप तो विराजें।

श्री दाऊदयाल जोशी : आप तो बैठ जाइये।

श्री अध्यक्ष : श्री फतेसिंह।

श्री फते सिंह (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में अकाल के बारे में चर्चा चल रही है। मैं भी राजस्थान के अकाल के बारे में यह कह सकता हूं कि इस वर्ष अतिवृष्टि और अनावृष्टि से अकाल की समस्या हमारे प्रदेश में पैदा हुयी। राजस्थान के कई हिस्सों में वर्षा की कमी के कारण अकाल की स्थिति पैदा हो गयी, और कुछ हिस्सों में वर्षा की अधिकता के कारण अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। जैसा कि मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्यों ने पूरे राजस्थान के कई भागों के बारे में बताया है कि अत्यधिक वर्षा से, खास तौर से जयपुर ज़िले में काफी नुकसान हुआ है।

(श्री फतेसिंह)

जान माल या धन की जो क्षति हुयी है, उसको बारे में सरकार ने भी पुष्टि की है, किन्तु फिर भी उसमें कमी रही है। अब इसकी क्षति-पूर्ति करने के बारे में सरकार सोच रही है। लेकिन उस नीति से इस नुकसान की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। मैं राजस्थान के उस इलाके के बारे में कुछ कहूंगा जो कि राजस्थान गुजरात और एम. पी. के एंगम में है, वह है बांसवाड़ा जिला। यह डूंगरपुर डिवीजन, बांसवाड़ा जिला है। बांसवाड़ा क्षेत्र की समस्याओं की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। मैं आशा करूंगा कि माननीय मन्त्री महोदय उस पर गौर करेंगे।

उस इलाके में बांसवाड़ा, कुशलगढ़, बागीदोरा और दो और स्थान है। इन पांचों क्षेत्रों में अधिक वरसात से पूरी की पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। वहां पर हालत यह है कि वरसात तो हुई लेकिन, बारिश के समय से लगातार दो महीने तक वरसात गिरती रही। उससे सारी की सारी, फसल नष्ट हो गई। जयपुर में बाढ़ से नुकसान हुआ। कई इलाकों में सूखे के कारण नुकसान हुआ। बांसवाड़ा में अतिवृष्टि से नुकसान हुआ। वहां की जनता की स्थिति आज, यह है कि वहां के किसान और मजदूर खेतों को छोड़कर जा रहे हैं। खेती बरवाद हो चुकी है। खेती करने वाले लोग गुजरात, महाराष्ट्र या अन्य भागों में मजदूरी के लिये भटके गये। अगर उस क्षेत्र में सरकार ने राज्य कर्मचारियों से गिरदावरी का काम समय पर ईमानदारी के साथ नहीं करवाया तो जैसे पिछले साल उस क्षेत्र को अकाल राहत कार्यों से वंचित रखा था। वहां की जनता भटक चुकी थी। बड़ी मुश्किल से वरसात होने के बाद, जब वह घर पर लौटे इस उम्मीद के साथ कि खेती करेंगे, इस साल ईश्वर मदद करेगा, और अपना जीवन आत्म-निर्भर करेंगे। लेकिन ईश्वर दुवारा उस क्षेत्र की जनता से रूठ गया। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि गिरदावरी होने जा रही है, तो गिरदावरी गश्त में मौके के पटवारी, तहसीलदार, कलेक्टर और एस. डी. ओ. को चेतावनी देवें कि गिरदावरी ईमानदारी से की जाय, ताकि सही रिपोर्ट सामने आवे। अतिवृष्टि से उस क्षेत्र की जनता को अकाल ग्रस्त मानकर राहत पहुंचाई जावे। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इलाका पहाड़ी, पथरीला और सूखा इलाका है। राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार ने उस इलाके को सूखा संभावित क्षेत्र मान रखा है। उस क्षेत्र में कोई काम करेंगे तो इस साल अकाल की समस्या नहीं आ सकती। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, हमारे इलाके यानि बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र, जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आया हूं, की बात मैं मन्त्री महोदय के सामने रख रहा हूं कि कुशलगढ़ क्षेत्र में कई तालावों का सर्वे हो चुका है। उन सबका एस्टीमेंट तैयार करके, सरकार के पास भेजा हुआ है। परन्तु राजनीतिक भेदभाव के कारण उस क्षेत्र में तालाव, सड़क और बिजली का कोई काम नहीं किया गया। मैं यह समझता हूं कि मान लो हम विरोधी होने के नाते विरोध प्रगट कर रहे हैं, लेकिन राजनीति को लेकर वहां की जनता के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ नहीं करें। मैं आशा करता हूं कि मन्त्री महोदय अकाल राहत के जो भी काम हाथ में लें, चाहे तालाब वाली स्कीम हो, या और कोई, उनको हाथ में लेकर क्षेत्र की

(श्री फतेसिंह)

समस्या को हल करेंगे, तो मैं समझता हूं कि वहां की जनता सरकार को दुहाई दे सकती है। लेकिन हमेशा हमारे क्षेत्र को कांग्रेस की सरकार ने नेगलेक्ट कर रखा है। सिंचाई का वहां पर कोई साधन नहीं है। उस क्षेत्र में कई जगह ऐसी हैं, जहां तालाब बनाये जा सकते हैं। इस वक्त अगर बरसात का पानी रोका जाता, तो आने वाली फसल से काश्तकार लोग अपने को जिन्दा रख सकते थे। लेकिन इस सरकार ने भेद-भाव करके वहां पर काम नहीं करवाया। मैं आगे के लिए कह सकता हूं, इस वर्ष अकाल की भयानक स्थिति है, लोग काफी परेशान हैं। सरकार वहां पर राहत कार्य चालू करे, और सस्ते अनाज की दुकानें चालू रखे, ताकि लोगों को रोजगार मिले और लोग जिन्दा रह सकें।

दूसरी बात मैं आपके सामने यह भी कहना चाहूंगा कि कुशलगढ़ क्षेत्र में डकैतियां भयंकर हो रही हैं, डकैतों ने भयंकर रूप धारण कर लिया है। वहां पर रात दिन बहुत डकैतियां हो रही हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण बताऊं, पांच-सात रोज पहले कुशलगढ़ के पास नोचना गांव में डकैती हुई। वहां पर माल लूट लिया गया। दो घायल आदमी अस्पताल में हैं। इसी प्रकार से चुडाला और गडला में भयंकर डकैतियां हुई। इसका कारण यही है, कि उस इलाके में भयंकर अकाल है, लोग भूखे हैं, बेरोजगार हैं। पेट की भूख मिटाने के लिये इन्सान क्या नहीं करेगा? मैं सरकार को चेतावनी देता हूं, समय रहते उस इलाके की ओर सरकार ध्यान दे और मेहनत मजदूरी चालू करे। डकैतियों पर काबू करे। वहां की पुलिस कमजोर मानी जा रही है और गुण्डों को नहीं पकड़ पा रही है। यही स्थिति रही तो वहां पर पुलिस का रहना भी मुश्किल हो जायगा। एक बार कुशलगढ़ में एस. डी. एम. के घर में डकैती हुई। डकैत कपड़े और दूसरा सामान लेकर चले गये। सिपाही भी वहां पर मौजूद था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। डकैतों का कोई पता नहीं चला। यह बांसवाड़ा के कलेक्टर और एस. पी. की कमजोरी मानी जाती है। इसका मतलब है हमारी राजस्थान की सरकार कमजोर है। हमारी सरकार में काम-काज करने वाले अधिकारी कमजोर साबित होते हैं। इसलिए समय रहते सरकार इस पर ध्यान देवे। पब्लिक की भूखें नहीं मिटेगी तो जनता रात को डकैती करेगी, यह ठीक है, लेकिन दिन दहाड़े लूटकर माल ले जा रहे हैं, और ले जायेंगे। उसमें जो नुकसान होगा, उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ का इलाका आदिवासी इलाका है। उसमें अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है। इसलिए उस इलाके में अकाल मानकर, मेहनत मजदूरी चालू की जाय, और लोगों को रोजगार दिया जावे। लोग गुजरात में भटक गये हैं। उनको मजदूरी के लिए भटकना न पड़े, तभी वहां की जनता को राहत मिलेगी, वरना हालत खराब है। सरकार ने बिजली के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं पिछली बार भी बोला था, लेकिन आज तक हमारे यहां बिजली का फैलाव नहीं किया। पीने के पानी के कुए हमारे यहां ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह नहीं हैं। कई इलाके ऐसे हैं कि दो दो, तीन-तीन, मील से लोगों को पानी लाना पड़ता है। वहां सार्वजनिक कुओं की कमी है। मैं सरकार से आखिरी निवेदन कर रहा हूं कि बांसवाड़ा जिले में

(श्री फतेसिंह)

अतिवृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। वहां गश्त गिरदावरी जल्दी कराई जाय, निष्पक्ष कराई जाय। गश्त गिरदावरी के आधार पर आप उस क्षेत्र को अकाल ग्रस्त घोषित करें, उस इलाके में मेहनत मजदूरी चला करें, सस्ते अनाज की दुकानें चला कर, वहां की जनता को राहत पहुंचायें।

श्री अध्यक्ष—कांग्रेस दल की ओर से कोई माननीय सदस्य तैयार है ?

श्री शोभराज मल (चित्तौड़गढ़) : मैं तैयार हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अकाल के मामले में कुछ कहना चाहता हूं। चित्तौड़गढ़ जिले में कभी भी अकाल नहीं पड़ा। मुझे भी 35 साल हो गये आये हुये, मैंने कभी अकाल नहीं देखा। इस साल चित्तौड़गढ़ में भयंकर अकाल है। वहां बरसात जो पड़ी है, 10-12 इंच से ऊपर नहीं पड़ी है। इस साल का रेनफाल मैंने मुख्य मंत्री तथा परसराम मदेरणा को बताया था और जो स्थिति है उससे भी अवगत कराया था। ओराई बांध में पानी का गेज 31 फीट है, उसमें आज 8 फीट है, भोपालसागर में 18 फीट गेज है, वहां आज 8 फीट और जगह भी जहां 18 फीट है वहां 8 फीट पानी है। ऐसे कई तालाब हैं जिनमें 6-6, 7-7 व 8-8 फीट से ज्यादा पानी नहीं है। तालाबों की हालत यह है। कुओं में भी पानी नहीं है। वहां हालत भयंकर है। एक महीने, सवा महीने से बरसात नहीं पड़ी है। मक्की की फसल अच्छी हुई थी, परन्तु पानी न मिलने के कारण और बरसात न पड़ने के कारण वह भी सूख गई है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि चित्तौड़गढ़ जिले को अकाल ग्रस्त घोषित किया जाय। पीने के पानी की समस्या गंभीर होती जा रही है। कई गांवों में परसाल पानी नहीं था। चित्तौड़ की 4-5 तहसीलों में परसाल अकाल था। इस साल पूरे जिले में अकाल फैला हुआ है। कुछ गांवों का उदाहरण दूंगा, जहां पानी नहीं है जैसे भदेसर गांव, अकालागढ़, तरजेला, हुजूरपुरा, धीरेजी खेड़ा, नपावली आदि इन गांवों में परसाल भी पानी नहीं था। चित्तौड़ तहसील में सावा, सिवाशया, मगरी और भी कई ऐसे गांव हैं, जिनके मेरे पास पूरे डिटेल्स नहीं हैं। नेतावस, महाराजा, ओहुद, रावत का तालाब, अभयपुरा, सेंणवा में पानी की बहुत दिक्कत है। इन गांवों में पेयजल की व्यवस्था करें। अगर कहीं हैंड पम्प लगाना हो, तो हैंड पम्प लगायें, ट्यूबवेल्स लगाने हों तो वह लगायें, समस्या का समाधान करना जरूरी है। पानी की कमी के कारण रबी की फसल के अच्छे चांसेंज नहीं हैं, थोड़ी बहुत हो सकती है। थोड़ा बहुत पानी है, तो वह पीने के लिये और जानवरों के लिये हो सकता है। यहां पानी का इंतजाम हो सकता है, तो कुछ जगह चने की फसल के लिये एक पिलाई हो सकती है, ज्यादा पानी नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, मुख्य मंत्री ध्यान दें और अकाल राहत कार्य चालू करायें।

श्री अध्यक्ष : श्री तेजपाल।

श्री तेजपाल यादव (चौमू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान में अकाल और बाढ़ की स्थिति इस वर्ष भी ऐसी विकट है जैसी पूर्व के वर्षों में कभी

(श्री तेजपाल यादव)

नहीं देखी गई है। पश्चिमी-राजस्थान को देखिये, पूर्वी राजस्थान को देखिये, जयपुर में देखिये, सब जगह अकाल की स्थिति है, जो इससे पहले कभी नहीं देखी। सदा पश्चिमी राजस्थान में अकाल पड़ता रहता है, लेकिन इस वर्ष जयपुर डिवीजन भी अकाल से बचा हुआ नहीं है। गत वर्ष से भी ज्यादा भयंकर स्थिति है। बाढ़ की स्थिति काफी भयंकर हुई है। ऐसी हालत में राम और राज हमको देखने को मिला है। राम रूठ गया राजस्थान की जनता से, लेकिन सरकार ने बाढ़ में फंसे हुये लोगों को बचाने का काम किया, उससे जनता में ऐसी भावना पैदा हुई है कि सरकार हमसे नहीं रूठी है, वह हमारे साथ है। जिस दिन बाढ़ आई थी, उसके कुछ दिन बाद कुछ लोग तो अखबारों के जरिये एक वातावरण बना रहे थे। वहां पहुंचने का सवाल ही नहीं था लेकिन मुख्य मंत्री, राहत मंत्री और सरकार के अन्य मंत्रीगण तीन-तीन, चार चार फीट पानी के अन्दर पैदल गये हैं। जिस जगह बाढ़ का ज्यादा प्रकोप था, जयपुर प्रशासन से अधिकारी इकट्ठे हुये थे। वहां हेलिकोप्टरों से राहत पहुंचाई है। काफी मदद सरकार की तरफ से की गई है। लेकिन मैं आपके माध्यम से, सरकार से, विशेष करके राहत मंत्री से अनुरोध करूंगा कि आज जो बाढ़ से क्षति हुई है, विशेषकर किसानों की 360 करोड़ के करीब फसल, जमीन, जानवर और कुओं का नुकसान हुआ है, उसका करीब 70 करोड़ का एस्टीमेट है, उससे भी ज्यादा नुकसान हुआ है। उसमें किसानों का नुकसान करीब 70 करोड़ का मकानों का नुकसान है। इस प्रकार 400 करोड़ तो केवल गांवों का नुकसान हो गया। शहर, सड़क और सरकारी नुकसान अलग है। लेकिन 260 करोड़ का जो नुकसान हुवा है, वह फसल का नुकसान हुआ है, वह ज्यादा है। गांव का अलग है, शहर का अलग है, मकान का अलग है, किसानों का अलग है। 50 करोड़ का और अन्य शहरों में हुआ है। जो भी राहत दी जाय, इस प्रपोर्शन में दी जाय, क्योंकि शहर के आदमी अखबारों के जरिये या प्रदर्शनों के जरिये अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन गांव के गरीब किसान हैं, जिनके पास साधन नहीं हैं, अपनी बात नहीं कह सकते। राहत मंत्री से मैं निवेदन करूंगा, इस मामले में कि ज्यादा से ज्यादा, जितना भी बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में काम हो, उसमें 95 प्रतिशत पैसा गांवों में लगायें। आज लोगों ने कहा शहरों में आवास नहीं है, खाने पीने के लिये सामान नहीं है, उनको रहने के लिये जगह नहीं है, उनके मकान बह गये। लेकिन गांव की स्थिति यह है कि हम आकाश के नीचे रहेंगे, हम छप्पर बना कर रहेंगे। किसानों की रोजी रोटी चली गई, जमीन बह गई, जानवर बह गये, मकान बह गये और खेती के औजार बह गये। बाढ़ से पहले किसान के पास ट्रेक्टर था, सब तरह से साधन सम्पन्न था, वह आज कंगाल हो गया, उनका सब कुछ बह गया। यदि उसको मकान के लिये टिन देंगे, खाने के लिये 10-15 दिन की भोजन की व्यवस्था कर देंगे, तो उससे उसका काम चलने वाला नहीं है। आज गांव का किसान रोजगार चाहता है। उसकी जमीन नष्ट हो गई। आज शहरों के अन्दर कहते हैं मकान बह गये, लेकिन उनका रोजगार है, सेठ-व्यापारी हैं। उनके मकान जरूर बह गये, लेकिन उनकी दुकानें, धंधा मौजूद है। किसानों का घर भी बह गया, रोजगार भी बह गया और उसके जानवर भी बह गये। आज बाढ़ ग्रस्त किसान की ऐसी स्थिति हो गई है जैसे आकाश का पटका खजूर पर गिरा। उसका कोई सहारा नहीं। ऐसी हालत में मैं सरकार से

(श्री तेजपाल यादव)

आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि किसान का जो कुआं नष्ट हो गया उसको ठीक करायें, जमीन नष्ट हो गई उसको ठीक करायें। अगर आपने मात्र कुएं को ही ठीक करा दिया, और जमीन ठीक नहीं करायी, तो उसका कोई भला नहीं होने वाला है। आपने कुआं ठीक करवाया पर उसके जानवर बह गये तो काम नहीं चलेगा। मान लो जानवर भी आपने उपलब्ध करा दिये, तो उससे कैसे काम चलेगा। कुछ जमीन ऐसी है जिस पर सात-सात, आठ-आठ फीट मिट्टी आ गयी है जो मिट्टी तीन फुट, चार फुट आ गयी है, उससे तो जमीन में जहां खड्डे पड़ गये हैं, वहां उनको भरवाने की व्यवस्था की जाय। जो मिट्टी अनउपजाऊ है, उसको हटाकर ठीक कर दिया जाय। जहां ज्यादा मिट्टी आ गयी है, आठ-आठ, सात-सात फीट उसमें रासायनिक खाद डाले या पेड़ पौधे लगाये जाये, या ऐसा कम्पोस्ड खाद सबसिडी से मुफ्त दिलायी जाय, ताकि वह धीरे-धीरे, दो, तीन साल में अपनी रोटी का साधन कर सकें। किसान आज रहता ही जंगल में है। वह आकाश के नीचे तो रह लेगा, लेकिन उसके जो साधन चले गये हैं, उसकी व्यवस्था जरूर करनी चाहिये। सरकार ने जो किसानों की मदद की, जिनकी फसल नष्ट हो गयी थी उनको 85 लाख रुपये का ऋण तथा बीज बांटा, उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। उन्होंने तकावी दी और सब साधन पहुंचाये, उसके लिये भी बधाई की पात्र है। लेकिन किसान साधन सम्पन्न जब तक नहीं होगा, तब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता है। दूसरा जो बाढ़ ग्रस्त एरिया है और बाढ़ ग्रस्त के अलावा अकाल का जो एरिया है उसमें राजस्थान कैनाल की स्थिति जानने के लिये हम लोग गये थे। वहां हर जगह देखा कि गर्मी में मई, जून में जो स्थिति होती है, वह पूरे पश्चिमी राजस्थान चाहे जोधपुर डिवीजन देख लीजिये, चाहे बीकानेर डिवीजन देख लीजिये, वहां पर थी। वहां आज की स्थिति में जानवर पानी के अभाव में मर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : राजस्थान नहर में कहां पर गये थे आप ?

श्री तेजपाल यादव : साहब हम पूंगल ब्रान्च में पूंगल तक, आपकी सूरतगढ़, अनूपगढ़ शाखा, जैसलमेर, फलौदी और नाचना आदि सब जगह गये। उसमें भी ऐसी स्थिति है। आज राजस्थान कैनाल को अगर हम देखे, तो राजस्थान कैनाल से राजस्थान के किसानों का कोई भला नहीं होगा। वहां जमीन बढ़िया है वहां लिफ्ट इर्रिगेशन की स्कीम छोड़ दी। पोकरण, फलोदी, और जैसलमेर के ऊपर का एरिया है वहां बिलकुल जमीन समतल है। वहां ज्यादा खर्चा नहीं होगा। दूर तक सड़क बनाने की आवश्यकता नहीं है। जमीन बहुत उपजाऊ है। वहां तो लिफ्ट इर्रिगेशन को छोड़ा है। वहां से दूर तक लिफ्ट इर्रिगेशन है उसमें टीले ही टीले हैं। वहां पर इर्रिगेशन डेवलप नहीं हो सकता। जितनी इनकम होती है, उससे ज्यादा खर्च कर दिया जाता है। ठीक है उधर भी डवलपमेंट किया जाना चाहिये। उस एरिया में लिफ्ट इर्रिगेशन चालू की जाय। आप पानी तो उधर से दे रहे हैं जोधपुर को, अगर नहर बनाकर पानी दिया जाय उस जमीन को, तो वहां स्थायी समाधान हो सकता है। दूसरी स्थिति ऐसी है कि वहां नहर से पानी जरूर आये। वहां के जानवर प्यासे मरते हैं। उनके लिये ऐसी व्यवस्था की जाय कि जहां-जहां से नहर गुजर रही है वहां मेड़ बना कर जगह-जगह पानी को ले

(श्री तेजपाल यादव)

जायें, ताकि जानवर पानी को पी सकें। स्थिति वहां की हमने देखी। वहां मुख्यतः पशुपालन ही आखिर उनकी रोटी रोजी का साधन है। अगर जानवर इस अकाल की भयंकर परिस्थिति में खतम हो गये, तो वहां कभी लोग अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बाढ़ से जो आज नुकसान हुआ है उसमें किसानों की जमीन नष्ट हुई है। उनके लिये और अकाल ग्रस्त किसानों के जानवरों को बचाने के लिये, उनको रोजगार देने के लिये तुरन्त राहत कार्य खोलने की आवश्यकता है। मेरे क्षेत्र के अन्दर ग्राम धानपुरा है। वहां बाण्डी नदी की बाढ़ से काफी नुकसान हो गया है। लेकिन प्रशासन ने न मालूम कैसे किसानों को लिया। मैं माननीय राहत मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि ग्राम धानपुरा को बाढ़ राहत कार्यों में लिया जाय, और उन लोगों की जमीन जो कि बान्डी नदी की बाढ़ से नष्ट हो गयी है, को ठीक करवाने की व्यवस्था करें। दूसरा मेरा निवेदन है कि मंढार गांव है पुराने जागीरदार का, उसमें एक बन्धा बनाया हुआ था। वह धीरे धीरे, कमजोर होता जा रहा है, होता जायेगा। उसकी मरम्मत नहीं की गयी तो भविष्य में ऐसी कोई वर्षा आई, तो वह टूट जायगा। दो तीन गांव तो बिलकुल नष्ट हो जायेंगे। कम से कम उसकी मरम्मत करवायी जाय ताकि भविष्य में उसको खतरा नहीं हो, उसमें पानी ठहर सके, और वहां का वाटर लेवल ऊंचा हो सके। दूसरा किसानों की अभी ढाई साल से फसल नष्ट हो रही है। उनकी जो बची-खुची फसल है, उसको बचाने के लिये किसानों को ज्यादा से ज्यादा बिजली दी जाय, ताकि खड़ी फसल को बचा सकें। यह मुख्य बात आपके माध्यम से माननीय राहत मंत्रीजी को निवेदन की है, मुझे उम्मीद है इन बातों को मद्दे नजर रखते हुए किसानों की मदद करने के लिये कारगर कदम उठायेंगे। जो कार्यवाही उन्होंने बाढ़ राहत कार्य के लिये की उसके लिये मैं पुनः सरकार को धन्यवाद दिये बगैर नहीं रह सकता। दूसरी बात जो अभी हमारे उधर बैठने वाले लोगों ने कही कि साहब फलां जगह मिनिस्टर साहब ने काम नहीं किया, फलां जगह सरकार ने काम नहीं किया, लेकिन उनकी सरकार ने तो कोई बात नहीं सुनी। बाड़मेर एरिया में लूनी में बाढ़ आयी, उस समय सरकार में बैठे हुए जो लोग थे, उन्होंने कहा कि सड़क खराब हो गयी, कैसे पहुंचे? आकाश साफ नहीं है, हवाई जहाज या हेलिकाप्टर से कैसे पहुंचे? बाढ़ के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, नुकसान हुआ इनके कारनामों से। इन्होंने काम के बदले अनाज योजना में छोटे-छोटे टुकड़ों में भूमि बांटी और उसमें छोटे-छोटे मिट्टी के बांध बना दिये। उसमें पानी आया। हलकी वर्षा से वह टूट करके सारी मिट्टी ले गया। आगे जगह-जगह पिट्स पैदा हो गये, जगह-जगह, बालू खड़ी हो गयी और वो इस बान्ध के पानी जाकर परमानेन्ट सिंचाई के बान्धों को तोड़ दिया। यह कहते हैं कि साहब इन्होंने भेदभाव पूर्ण काम किया। अन्त्योदय में अपने अपने आदमियों को, अपनी विचारधारा के आदमियों को छांट-छांट करके उनको सहायता दी। गरीबों को इन्होंने कोई राहत नहीं दी। अगर इन्होंने कुछ किया तो, सेक्रेटेरियेट में एअर कन्डीशन्ड रूम बनवाये। इन्होंने काम किया, तो वह था, अपने लोगों को राहत देने का। आज उन लोगों के कामों को हम भुगत रहे हैं।

श्री भगवानदास शास्त्री : माननीय मुख्य मंत्री हरिदेव जोशी जी ने लगवाया था यह एअर कन्डीशन।

श्री तेजपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, जनता सरकार की जो भी योजनायें थी वह हमारे बान्धों को बहां ले गयीं, हमारे खेतों के अन्दर मिटटी पैदा कर गयी हम कैसे पैरों पर खड़े होंगे ? किसान आज क्या करें रो रहा है । अब इन्होंने यह छोटे छोटे बान्ध अपनी मर्जी से ....

(व्यवधान)

यह जगह जगह माटी के टीले नहीं खड़े करते, मिट्टी की डोलिया नहीं खड़ी की होती, तो एक दम से वह पानी रुकता नहीं । जब पानी छूटा तो बड़े बड़े वान्धों को और तोड़ गया । यह कहते हैं कि भेदभाव किया । हमारी सरकार ने तो जो विरोधी सदस्य थे उनको भी हेलिकोप्टर में उड़ाया । हमारी मरी हुई सरकार नहीं है । हम बहुत कुछ कर रहे हैं । पिछली बार यह मुद्दा उठाया है इन्होंने, इसलिये मैं कह रहा हूं, वाढ़ राहत के मामले में इन्होंने राजनीति नहीं चलायी । इन्होंने फार्म भरे, फार्म तो फाड़ डाले और फार्म पर फूल छपवाया जिससे हमारा प्रचार हो । सरकार के पास तो फार्म नहीं थे कि कांग्रेस पार्टी का प्रचार हो । कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कोई फार्म नहीं छपवाया जिस पर हमारी पार्टी का निशान हो । इनकी पार्टी ने जो फार्म भरायें हैं, वह फूल लगा कर भराये । दूसरी इन्होंने यह राजनीति चलाई कि सब लोगों ने जाकर राज्यपाल महोदय से यह कहा कि जयपुर बरबाद हो रहा है, जयपुर में कोई राहत नहीं मिल रही है । उन्होंने हमारे मुख्य मंत्रीजी को बुलाया । वहां पूछा हमारे मुख्य मंत्री जी ने कि क्या बात है ? काम तो ठीक चल रहा है, सब काम हो रहा है । हमने तो ऐसे ही बुला लिया है । बात भी है तो किससे करते हैं । अकाल राहत के मामले में हमारी सरकार कोई राजनीति नहीं करती...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बाते नहीं करें ।

श्री तेजपाल यादव : राजनीति करते हैं, तो यह करते हैं अखबारों में निकलवा कर । जहां प्रशासन नहीं पहुंच सकता है ।

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये माननीय सदस्य ।

श्री तेजपाल यादव : जहां पर दो दिन तक पानी आ रहा था, वहां पर अखबार वाले और यह कैसे पहुंचते हैं, यह हमारे समझ में नहीं आता है । यह कोई अर्न्तयामी हैं या मन्त्र सिद्धी करके बैठे-बैठे देख लेते है । इन्होंने काम किया, तो अखबारों में नाम छपाने के लिये किया और कोई काम नहीं किया । इनको कोई लगाव नहीं किसानों से और गरीबों से .....

श्री अध्यक्ष : समाप्त कीजिये, माननीय सदस्य ।

श्री तेजपाल यादव : अध्यक्ष महोदय, वाढ़ राहत कार्यों में कोई राजनीति नहीं बरती गयी है । जो हमारी सरकार ने बाढ़ राहत में काम लिया है, वह युद्धस्तर पर तत्कालिक तरीके से प्रशासन को टाइट करके किया है । हर नागरिक यह महसूस करता है कि राम रूठा है, लेकिन सरकार नहीं रुसी है । इसके लिये सरकार को बार-बार धन्यवाद दिये बिना नही रह सकते ।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैंने कल एक स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से यह चाहा था कि कोटा

(106)

(श्री दाऊदयाल जोशी)

जिले में सिंचाई की व्यवस्था 15 सितम्बर से बन्द होने वाली है। उसके लिए सिंचाई मंत्री जी ने कहा था कि मैं आज ही जानकारी दूंगा। तो आज उसकी वह जानकारी दे दें कि चम्बल की नहर जब तक किसान के खेत की प्यास नहीं बुझेगी, तब तक चलती रहेगी। इसका आश्वासन वह कल के बजाय आज दे दें।

श्री परसराम मदेरणा (सिंचाई मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई वक्तव्य देने की बात तो नहीं कही जो चित्रण माननीय सदस्य ने कल यहां चित्रित किया, तो मुझे ऐसा मालूम हो रहा था कि जो खड़ी हुई फसलें हैं मूंगफली और मक्का की वह तो पूरी जल गयी और केवल चावल की फसल बची है। चावल की फसल अगर नहर बन्द हो गयी, तो पूर्णतया जल जायेगी। इस प्रकार की बात आपने कही। दूसरे आपने यह बात भी कही···

श्री दाऊदयाल जोशी : चावल की तो कहीं बात ही नहीं हुई।

श्री परसराम मदेरणा : आप बोल रहे थे, माननीय सदस्य बोल रहे थे··

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीरशरण कौशल बोले थे।

श्री परसराम मदेरणा : वह भी बोले थे।

श्री अध्यक्ष : ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य ने जो ज्वार बोई है, उसके लिए चिंतित हैं।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : चावल तो माननीय मंत्री पास में बैठे हैं उनके यहां हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन में यह आश्वासन दिया था कि मैं आज ही आदेश दे रहा हूं, जो कमाण्ड एरिया के इन्चार्ज हैं, उनको निर्देश दे रहा हूं कि वह नहर को बन्द नहीं करें। नहर बन्द नहीं हुई है, चल रही है। हालांकि हम यह जानते हैं कि खरीफ की फसल कन्डेन्स्ड एरिया में नहीं होकर पेचेज में है, इसलिये पानी की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसका असर रबी की फसल पर निश्चित तौर पर प्रतिकूल पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अब खरीफ की फसल पकने को आयी हुई है, इसलिये अभी वर्तमान में तो यह नहर एक सप्ताह तक तो चलेगी। उसके बाद में अगर मान लें कि बंद भी की जायेगी, तो माननीय सदस्यों से पूछ लूंगा कि पूरा एरिया सिंचित हो गया है या नहीं अगर सिंचित नहीं हुआ है, तो उसके बाद भी सात दिन के लिये आगे बढ़ाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती विद्या पाठक।

श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 17, 18, और 19 जुलाई को बहुत भीषण बाढ़ आई। 72 घंटों में कई जिलों में ऐसा जलप्लावन हो गया कि जयपुर जिले में जहां औसत वर्षा 22 इंच हुआ करती थी वहां 72 घंटे में ही 32 इंच हो गई थी। चाकसू तहसील में जहां 25 इंच वार्षिक एवरेज रेनफाल हुआ करती थी, वहां 33 इंच हो गई। इस नाते से जयपुर, टोंक, भरतपुर, नागौर, सवाई माधोपुर और अन्य कई जिलों में बहुत भीषण बाढ़ आई, जिसके कारण से राजस्थान को बहुत नुकसान हुआ। जयपुर शहर में अमानीशाह का नाला, नागतलाई और अन्य छोटे-मोटे बंधों के टूट जाने की वजह से नाहरी का नाका, खड्डा बस्ती, ब्रह्मपुरी,

(श्रीमती विद्या पाठक)

जवाहर नगर, गलता, घाट और अन्य कच्ची बस्तियां टूटकर नष्ट भ्रष्ट हो गई। सीवर लाईन, पावर लाइन, वाटर पाइप, वायरलेस, टेलीफोन आदि सारी ही व्यवस्थाएं और संचार साधन, सड़क, रेल्वे आदि सभी समाप्त हो गये। एक तरह से जयपुर जिला, सम्पर्क साधन टूटकर यह बिल्कुल अलग-थलग होकर पड़ गया।

सांगानेर कस्बा सारे शहर की तरफ से कट गया। सारे रास्ते बन्द हो गये और रास्ते टूट गये। छोटे-छोटे नालों ने बड़ी नदियों का रूप ले लिया। इसके कारण सिर्फ सांगानेर में ही कई फैक्ट्रियां, कई बिल्डिगें, सड़कें और बच्चियों के स्कूल, धर्मशालायें और अन्य स्थानों पर बहुत क्षति हुई। चाकसू और सांगानेर अकेले में ही मिलाकर करीब 22-23 पंचायतें बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो गई। 8 दिन तक गोनेर जो मेन रोड पर है, और करीब 6 दिन तक वाटिका जो भी मेन रोड पर है, में पहुंचना भी असम्भव हो गया। एक दूसरे से टकराते हुए बंध टूटते गये और एक बंध टूटा उसने दूसरे बंध को टक्कर दी और उसकी वजह से जिले के सारे बंध टूट गये। फागी में एक बस के पलट जाने से बाढ़ की वजह से भारी नुकसान हुआ और जनहानि हुई। पानी में कई पशु और खेत बह गये। किसान बेरोजगार हो गये, पशु, खेत वगैरह सब नष्ट हो गये। निर्धन आदमी व गरीब किसान बिल्कुल जिन्दा ही जैसे मर गए।

अध्यक्ष महोदय, इतनी क्षति हुई कि उसकी वजह से करीब 7.88 लाख लोग प्रभावित हुए और गांव प्रभावित हुए 1576/33 हजार से ऊपर पशु मरे जिसमें से 6 हजार से अधिक सिर्फ मेरे क्षेत्र में मरे हैं। कच्चे मकान नष्ट हुए 67 हजार से ऊपर। उनमें से 8 हजार चाकसू में, 1500 सांगानेर में और 4500 केवल बस्सी में नष्ट हुए। पक्के मकान 5500 से ऊपर नष्ट हुए। सरकारी भवन भी 245 के आसपास नष्ट हुए। फोरेस्ट की भूमि और चारगाह की भूमि करीब $1\frac{1}{2}$ लाख हैक्टर बरबाद हो गयी। 475 बंध और करीब 15500 कुएं, जिनमें से 4 हजार केवल चाकसू में सिल्टेड हो गए और उनमें मिट्टी भर गयी। करीब $2\frac{1}{2}$ करोड़ की हानि बिजली विभाग की और पेयजल को $3\frac{1}{2}$ करोड़ की हानि हुई। वैस्टर्न रेल्वे की हानि 10 करोड़ के करीब आंकी गयी है। अध्यक्ष महोदय, यह सारे सरकारी आंकड़े हैं। वास्तविक आंकड़े इससे कहीं ज्यादा होंगे, इसकी पूरी सम्भावना निश्चित रूप से है। यह स्वयं कांग्रेस के मंत्री महोदय, भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री श्री दूलाराम जी ने सीकर में बात कही कि जो सरकार द्वारा दिये गये अकाल राहत के आंकड़े हैं, वह फर्जी आंकड़े हैं। सरकार के द्वारा आंकड़े दिये गये हैं। माननीय मंत्री श्री चेतराम जी, जो कि केबिनेट में मिनिस्टर हैं, भी इसी तरह की बात भरतपुर जिले के कलेक्टर और अधिकारियों की मीटिंग लेते समय कही कि यह सारे बाढ़ संबंधी आंकड़े, ऐसा लगता है दफ्तर में ही बैठकर बनाये हुए हैं। और तो और इतने जिम्मेदार लोग भी इस सच्चाई पर डाउट करते हैं आम जनता में भी इस तरह की भावना है यही हम सब क्षेत्रों में भी देखते हैं। बाढ़ का तांडव अनप्रिसिडेन्टेड हुआ है, जिसकी कोई सम्भावना नहीं थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि बाढ़ एक दैवी प्रकोप है। यह सब अचानक

(श्रीमती विद्या पाठक)

इस तरह से अनप्रिसिडेन्टेड हुआ, जिसकी अपेक्षा भी नहीं थी। इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि प्रशासन या सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। इसमें कोई ऐसी असम्भव बात नहीं है। परन्तु फिर भी देखने की बात यह है कि जब इस तरह की एक विभीषिका पैदा हो ही गयी हो तो प्रशासन उसमें कितना, प्रोम्प्टली एक्शन लेता है और कितनी प्रोम्प्टली राहत देने में मदद करता है। कितनी जल्दी एक्शन में आता है। यह एक बहुत बड़ा विचारणीय मुद्दा बन जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की निश्चेष्टता और ना-जिम्मेदारी के बारे में स्वय बड़े बड़े अखबारों ने, दिल्ली के और यहां के अखबारों ने लिखा है कि "सरकार वाज काट नैपिंग" । अध्यक्ष महोदय, बाढ़ की सूचना बाढ़ आने के पहले तो नहीं दी जा सकती थी। कैसे दी जा सकती है ? मौसम विभाग जिस तरह का काम करता है, यह कहने की बात नहीं है। मगर फिर भी इत्तला दी जा सकती थी। बाढ़ आने के बाद में कुछ नियंत्रण कक्ष तुरन्त स्थापित किये जाने चाहिए थे, वह भी नहीं हुए। न बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना हुई और न सिंचाई विभाग से किसी प्रकार की सूचना देने के लिए सरकार की ओर से व्यवस्था हुई। यहां तक कि स्वयं श्री गोटेवाला जी अपने स्वयं के क्षेत्र जयपुर में 19 तारीख के बाद, जब उनका नाहरी का नाका और उनके बहुत सारे कच्ची बस्ती के क्षेत्र नष्ट हो गए, तो मंत्री बनकर ही पहुंचे, उससे पहले नहीं पहुंचे। क्या यह शासन और प्रशासन की ह्यूमनीटेरियन की जिम्मेदारी कही जा सकती है ? यह शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी कही जा सकती है। 19 तारीख को सारा जयपुर प्रशासन, माननीय अध्यक्ष महोदय, सांगानेर में मौजूद था। केबिनेट शपथ ग्रहण करने वाली थी। मंत्री महोदय को रिलीव कर रहा था। हम यह नहीं कहते कि प्रशासन को यह नहीं करना चाहिये। हम मानते हैं कि उचित प्रोटोकाल होना चाहिए पर जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है, जो आ ही गई थी, तो कोई आल्टरनेट अरेंजमेंट तो होना ही चाहिए था। ऐसी कठिन स्थिति में कोई जिम्मेदार अधिकारी का उस समय वहां आवश्यक अरेजमेंट होना चाहिए था जिससे दुःखी नागरिकों को एप्रोच कर सके, जो कम से कम उनको आवश्यक सम्बन्धित जानकारी दे सकता।

श्री परसराम मदेरणा : कोई 2 बजकर 5 मिनट पर हम वहां पहुंच गये थे। तो मुख्य अधिकारी यह बता रहे थे कि वे 15-20 मिनट पहले वहां पहुंचे, । आते ही हमने उन लोगों को भेज दिया था और कहा था कि तुम गाड़ी लेकर जाओ और हम हेलिकॉप्टर से आते हैं।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय मंत्री महोदय, आप जब इसका जवाब दें तो उसमें यह बता दें......

श्री परसराम मदेरणा : मैं तो कह रहा था कि यह मेरा अनुभव है। 15-20 मिनट बाद हमने यह कहा कि नाला इतना चौड़ा हो जाएगा कि उसे पार नहीं कर सकेंगे।

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय मंत्री महोदय, मैं उस दिन दिन भर वायरलेस अधिकारियों, एस. पी., डी. आई. जी. तथा चीफ सैक्रेटरी से कांटेक्ट करती रही। किसी

(श्रीमती विद्या पाठक)

एक से भी उस दिन कोई सारी जानकारी व समुचित व्यवस्था की सूचना प्राप्त नहीं हो सकी। क्योंकि वायरलैस ग्राउट ग्राफ ग्रार्डर था, सिविल डिफेंस ग्राउट ग्राफ ग्रार्डर था, टेलीफोन ग्राउट ग्राफ ग्रार्डर था, कोई जिम्मेदार अफसर जवाब देने वाले अवेलेबल नहीं थे। जयपुर कलेक्टरी में सिर्फ एक बार उन दो दिनों में टेलीफोन मिल पाया। उस टेलीफोन पर सिर्फ झोटवाड़ा BDO थे, वहां ग्रन्य कोई ग्रधिकारी बैठा हुग्रा नहीं था, लेकिन वह बी. डी. ग्रो. कोई सूचना ग्रौर जवाव देने की स्थिति में नहीं थे। यह स्थिति 19 तारीख की है। 19 तारीख को, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, सारा प्रशासन सांगानेर में था, मंत्री महोदय को रिसीव करने के लिये। ग्रध्यक्ष महोदय, सबसे ग्रफसोस की वात यह है कि सांगानेर ऐयरोड्रम से डेढ़ किलोमीटर दूर जो भारी डिवास्टेशन हुग्रा था, उसको उनमें से किसी ने भी ख्वासजा का बंधा, सांगानेर नाला व बंम्बाला नदी पर जाकर प्रोपर समुचित व्यवस्था करने की ग्रावश्यकता नहीं समझी। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय 22, तारीख तक सिर्फ बाढ़ क्षति जयपुर में ही समझी जाती रही कि पानी ग्राया, वाढ़ ग्राई। यह नहीं समझा गया कि जयपुर से वाहर कुछ ग्रामीण क्षेत्र हैं। जब मैं राज्यपाल महोदय से मिली उसी दिन 22 तारीख को राज्यपाल महोदय सांगानेर पधारे। माननीय मुख्य मंत्री महोदय भी पधारे। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, वह स्वयं इस बात के साक्षी हैं। उनको वहां जाकर यह जानकारी वहां के पुलिस ग्रधिकारी के माध्यम से कैसे मिली? उस पुलिस ग्रधिकारी ने मुख्य मंत्री को वताया कि सांगानेर क्षेत्र में कोई विशेष नुकसान नहीं है। यह जो सामने नाला दिखाई दे रहा है बस केवल उसमें पानी चढ़ रहा है। मैंने मुख्य मंत्री महोदय के सामने ही उस ग्रधिकारी से पूछा कि ग्राप किस तरफ गये थे ग्रौर कहां की स्थिति बता रहे हैं? मैं उन ग्रधिकारी का नाम भी बताऊंगी—श्री ग्रर्जुन सिंह, उनका नाम है। जब मैंने मुख्य मंत्री के सामने पूछा कि ग्राप कहां-कहां गये थे? तो उन्होंने उन गांवों के तथा पंचायतों के नाम बताये, जो बाढ़ क्षेत्र से विल्कुल विपरीत दिशा में थे। वह ऐसी जानकारी मुख्य मंत्री को देना चाहते थे कि कहीं नुकसान नहीं हुग्रा था। ग्रगर यह जानकारी प्रशासन शासन को देता है, तो उसके वाद शासन क्या व कैसी कार्यवाही करेगा, कहां ग्रौर क्यों सफल होगा, यह सोचने की वात है। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, कोई उच्च ग्रधिकारी या मंत्री 22 तारीख से पहले सांगानेर नहीं पहुंचा। 25 तारीख से पहले कोई शिवदासपुरा नहीं पहुंचा। वे वहां जाते थे ग्रौर ख्वासजी का बंधा व बम्बला नदी पर घूमकर वापस ग्रा जाते थे। सांगानेर कस्बे के पूरे क्षेत्र में ऐसा माहोल बना हुग्रा था मानो पिकनिक स्पाट हो गया हो। वहां सरकारी गाड़िया जाती थीं, कुछ में फैमिलीज़ भी होती थीं, कुछ सत्ता पक्ष के कार्य कर्त्ता लोग भी होते थे। माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, हम लोगों को जीपें नहीं मिल पा रही थीं। स्वयं मैंने एक लीटर पैट्रोल में 4 किलोमीटर के हिसाब से कम से कम 13 दिन जीप चलाई हैं। हमारे द्वारा सरकार को वार-वार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी कि हमें कोई जीप या इस तरह की कोई ग्रन्य व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गई। प्रशासन को वार-वार कहा गया कि ग्राप जहां भी सहायतार्थ जाते हैं हमें भी साथ ले जाया जाय मगर इस विषय में भी कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। हमारे विधायकों की स्वयं की जिम्मेदारी, एक कर्तव्य है, उसको

(श्रीमती विद्या पाठक)

भी पूर्ण करने में यह राजनैतिक दृष्टिकोण एक बहुत बड़ी बाधा रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बाढ़ की पूर्व सूचना के विषय में कहना चाहूंगी कि 19 तारीख को सवा 9 बजे श्री हुकमसिंह जमादार ख्वासजी का बंधा ने सांगानेर तहसील और पुलिस को इंफार्म किया कि यहां का पानी खतरे की सीमा लाइन को पार कर रहा है इसलिये सांगानेर की उचित व्यवस्था कर ली जाये ताकि वहां के लोगों को सुरक्षित निकाला जा सके। लेकिन डेढ़ बजे तक यानि बाढ़ आने तक सिर्फ 2-3 सिपाही और वह भी पैदल और बिना लाउड स्पीकर के कुछ लोगों को यह कहते सुना गया कि यहां से खाली कर दो। अगर टाइम से उचित एक्शन ले लिया जाता तो सांगानेर को एक बड़ी भारी बरबादी से बचाया जा सकता था। उसके बावजूद सारा प्रशासन यह कहता रहा, जैसा अभी मंत्री महोदय ने भी कहा कि हम आगे एरिया में नहीं जा सकते थे। अध्यक्ष महोदय, जहां मैं जा सकती थी, जिस नान एप्रोचेबल एरिया में स्वयं सेवी संस्थायें जा सकती थीं, उस एरिया में सारे साधन होने के बावजूद प्रशासन नहीं जा सकता था? एक बहुत बड़ा एडवर्स रिमार्क है। यह कहना भी पूरे प्रशासन के लिए, इतने साधनों के उपलब्ध होने के बावजूद यह वक्तव्य देना कोई अच्छी बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुनाफाखोरी की स्थिति यह थी कि सब कुछ महंगा मिल रहा था। सांगानेर में मिट्टी के तेल का अभाव था। 5 रुपये में वहां चाय मिल रही थी। इसी तरह से महंगा आटा मिला। ड्रिंकिंग वाटर की कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी। एक प्रकार से कटाव की स्थिति हो गयी थी। इस बीच में कहीं कोई रोड्स नहीं, एक व्यक्ति को भी बाढ़ से बाहर नहीं निकाला गया। स्कूलों में भाग कर लोग गये, मगर ज्यादातर अपनी जान जोखम में डाल कर खुद गये। प्रशासन की ओर से कहीं रेस्क्यू करने का ऑपरेशन नहीं हुआ। पानी को ड्रेन आउट करने का ऑपरेशन, जो कि बाढ़ के बाद में हो सकता था, कुछ भी तो नहीं हुआ, ऐसा हुआ हो, ऐसी कम से कम कहीं भी कोई सूचना नहीं मिली। इतना सब कुछ बर्बाद हो गया, उसके बावजूद एम. एल. एज के साथ किसी प्रकार का किसी स्तर पर कोई कन्सलटेशन नहीं हुआ। हमारे पास एक कागज भी नहीं पहुंचा कि आपके क्षेत्र में यह सरकारी मदद हो रही है, या यह काम करने जा रहे हैं। हम इस तरह की अपेक्षा करते थे। किसी भी स्टेज पर सीधे वहां के एम. एल. एज से सम्पर्क नहीं किया गया। शिवदासपुरा में मैंने किसी प्रशासनिक अधिकारी को राहत कार्य करते नहीं देखा। लोगों को रास्ता दिखाने वाला नहीं; उनको सामान पहुंचाने की प्रशासन की ओर से मदद हुई हो इस तरह का कोई उपचार नहीं; बाढ़ क्षेत्र में अधिकांश टाइमली एक्शन नहीं लिये गये। मगर जब एंटी सोशल एलिमेंटस के एक्टिव होने की शिकायत की गई, तब जाकर कहीं प्रभावहीन सी व्यवस्था हो पाई। सांगानेर के पास सांगानेर और चाकसू के बीच में जो नाला था उसको सिर्फ पार कराने के 150 रुपये नागरिकों से मांगे गये। औरतों को नाले के पास छोड़ा गया। कई औरतों और लोगों को मैं खुद लेकर सांगानेर आई हूं। आखिर में मैंने खुद उनकी उचित व्यवस्था करवाई। वहां चोरी की भी घटनायें हुई। पुलिस सक्रिय अवश्य थी, मगर बहते लोगों को ढूंढने में, लोगों को रेस्क्यू करने में नहीं, सिर्फ सामान जो पानी

(श्रीमती विद्या पाठक)

में बह गया, उसको ढूंढने में सक्रिय थी। बहे हुए गैस सिलेण्डर ढूंढ रही थी। चाकसू के एक गांव ठिकरिया मिनान गांव में वहां के सरपंच ने गांव के मृत लोगों के जेवर उतारे। वहां के सरपंच की शिकायत की गई और उस शिकायत के बाद लगभग 13 दिन बाद उस सरपंच ने पुलिस को वे जेवर जमा कराये तब भी पुलिस ने कार्यवाही नहीं करी। मैंने स्वयं वहां की पुलिस को कहा। एक सबसे बड़ी शिकायत यह रही कि सरपंच दोषी न होता तो 13 दिन बाद माल जमा करवाने की क्या रैलेवेंस थी? नीयत ठीक होती तो तुरन्त शिकायत के बिना ही जमा करा देता। माननीय अध्यक्ष महोदय, 28 तारीख को होम गार्ड और पुलिस के साथ चाकसू के दुकानदारों के बीच झगड़ा हुआ। चाकसू के एक गांव में यह हुआ। चाकसू के तहसीलदार को सस्पेंड किया गया। उसके पीछे क्या कारण था? जब बाढ़ आ रही थी तो वह शराब पीये हुए धुत था और अधिकांश अधिकारियों की स्थिति ऐसी ही थी। सबके खिलाफ कोई न कोई शिकायत पेंडिंग पड़ी है। उनके प्रति न लोगों का विश्वास है और न उनकी स्वयं की निष्ठा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कोई बात हुई तो अधिकारियों से बार-बार कहते, शिकायत करते, अधिकारी जवाब में सफाई देते कि Zoo (जू) से शेर खुल गया, मगरमच्छ खुल गये और सारी पुलिस उधर लगी हुई है अतः अभी कुछ नहीं कर सकते। यह अटेन्शन डाइवर्ट करने की तरकीब नहीं है, तो क्या है? गांव वाले तो प्रशासन को दुखी होकर कह रहे हैं कि हमारे पास खाना नहीं है, हमें मदद की जरूरत है और वे कह रहे हैं शेर खुल गया मगरमच्छ खुल गया, मानों उनको पकड़ने की प्रायोरिटी ज्यादा हुई, बजाय इसके कि एक ग्रुप उनको अटेन्ड करता और क्या जरूरी नहीं था? मगर यह कोई दली नहीं है कि उनको राहत नहीं दी जा सके। अगर शेर खुल गया हो, मगरमच्छ खुल गया हो, इसलिये ग्रामीण मरते रहे तो यह बड़ी हास्यास्पद बात लगती है। इसी तरह, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरे स्वयं का अनुभव है, अधिकारी गांव वालों को यह कहते रहे कि ऊपर से आदेश नहीं आये। हमें नहीं मालूम क्या करना है। मैंने स्वयं ने पूछा आपकी क्या योजना है? अभी आप क्या करने जा रहे हैं? किस किस को राहत दे रहे हैं या देने जा रहे हैं? वह तो एक ही बात कहते रहे कि ऊपर से आदेश नहीं आये। दूसरी बात यह कहते रहे कि दिल्ली से पैसा आयेगा तब कुछ राहत दी जायगी। चाकसू के 6 गांव और 59 ढाणियां पूरी की पूरी बह गई उन्हें टीन दी जायेंगी? मेरे 6 बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद ऑन दी स्पॉट अलग अलग से कहा कि उन गांवों के नाम या उनकी लिस्ट या कोई रैलेवेन्ट पेपर्स आज तक मेरे पास नहीं आये। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहते यह जरूर हैं कि हम आप लोगों से सहयोग चाहते हैं, मगर इस तरह के सबूतों से क्या पता नहीं चलता है कि आप क्या करने का विचार रखते हैं? मैं 10 दिन बाढ़ के एरिया में घूमी हूं, मैंने केवल एक दिन एक अम्बुलेन्स वनस्थली विद्यापीठ क्षेत्र की जरूर देखी है। वहां के लोग बड़े सक्रिय थे, मगर अन्य सरकारी चिकित्सा वाहन या कोई अम्बुलेंस नहीं देखी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 25 तारीख तक सांगानेर से शिवदासपुरा तक कुल 17 बोरी आटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। यह सोचने

(श्रीमती विद्या पाठक)

की बात है । अध्यक्ष महोदय, जो लोग राहत लेने के अधिकारी हैं, वह उस समय बाढ़ में अपनी व सामान की रक्षा करेंगे या आटा लेने मुख्य सड़क पर आयेंगे ? अगर वे भूखे भी हैं, तो भी यह स्थिति नहीं आयेगी। वह पहले अपने टूटे छप्पर की रक्षा करेंगे, अपने बाल-बच्चों को सम्भालेंगे या आटा लेने आयेंगे ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पुलिस अधिकारी 25 तारीख को शिवदासपुरा में मिले। मैंने कहा, आप इन स्वयंसेवी संस्थाओं व लोगों की मदद क्यों नहीं करते हैं ? तो उन्होंने मेरे से यह कहा एक मंत्री का नाम लेकर कि "उन्होंने यही कहा है कि तुम यहीं रहो"। मेरे पास न फोर्स है और न ही मैं जा सकता हूं।" अगर पुलिस अधिकारी इस तरह का जवाब देता है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी चिन्ता की बात है। पटवारी राहत की रिपोर्ट बना रहे थे। मेरे एरिया में हालांकि अधिकांश सही बनी है, लेकिन बहुत से एरिया ऐसे भी हैं, जिनमें पटवारी बहुत समय तक पहुंचे ही नहीं हैं। इस तरह की बात व आदेश सरकार की ओर से भी कही गये बताते हैं कि "आंकड़े बताये ही नहीं जायं"। शायद इसीलिये हम लोगों को भी आंकड़े नहीं बताये गये हैं। इस तरह के यदि सरकारी आदेश प्रसारित हुए हैं, तो मैं समझती हूं, यह बिल्कुल गलत बात है। कहां कितना नुकसान हुआ है, यह कैसे पता चल सकता है ? एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि अखबारों में छपवाया गया कि कहां-कहां राहत नहीं पहुंची है ? तो मैं पूछती हूं उससे तो स्वयं सेवी संस्थाओं को कुछ मदद ही मिली होगी कि डाइरेक्टली वे कहां जा सकें और राहत दे सकें।

राहत कार्यों में जो गड़बड़ियां हुई हैं, उसके विषय में बार-बार अखबारों में आता रहा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी अखबार में आया कि चाकसू में 50 परिवारों को सहायता देना शेष है। सरकारी वक्तव्य यह कहता है। मेरे पास जो नामजद रिपोर्ट है नामजद नामों से है उससे तो 50 परिवार केवल चाकसू के दो ही गांव में हो जायेंगे बाकी के शेष गांवों का क्या होगा ? या फिर सरकारी आंकड़ों की सत्यता का क्या होगा ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, लम्बे समय तक तो सरकार केवल देखती रही और स्वयं सेवी संस्थायें काम करती रहीं। अगर सरकार के देखने का ही काम था और स्वयं सेवी संस्थायें काम करती रहें, तो फिर सरकार का क्या अर्थ रह जाता है ? इसके अलावा जो राहत कार्य हो रहे हैं और अब जो रिलीफ दी जा रही है, उनमें बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो बाढ़ प्रभावित नहीं हैं पर सक्रिय हैं, प्रभावशाली हैं और मुझे विश्वास है, उनको राहत मिल जायगी, उनको पैसा मिल जायगा। जिनके खिलाफ 91 की कार्यवाही पैन्डिग है, उन्होंने अपने बड़े-बड़े क्लेम व बहुत सारे पैसे लिखवाये हैं कि हमारा इतना भारी डेमेज हो गया। मेरा निवेदन है कि सरकार को इस विषय में भी ज्यादा सचेष्ट रहना पड़ेगा। कम से कम इस तरह के लोगों को जो भी राहत दी जाय, वह अपेक्षित कार्यवाही को मद्देनजर रखते हुए ही दी जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है कि 28-8-81 को प्रधान मंत्री हिंगोनियां के एक गांव में गई थीं। अभी जैसा एक माननीय सदस्य बता रहे थे कि कूलर या एयरकन्डीशन लगाया गया जनता राज में परन्तु उनकी गंदगी छिपाने के लिए या जो सफेद कपड़ा आपने लगाया....

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक
के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सदन का समय एक घण्टा और बढ़ा दिया जाय·······

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : नो, नो।

श्री खेत सिंह राठौड़ : कल और ज्यादा बोलने वाले हैं, कल विरोधी दल के नेता बोलेंगे, चीफ मिनिस्टर साहब बोलेंगे, फिर मिनिस्टर साहबान का रिप्लाई होगा और आप भी तैयार होकर आये हैं। हमारी ही पार्टी की तरफ से 3-4 और बोलने वाले हैं, उनको भी बोलने दीजिये। कल और ज्यादा लेट हो जायेंगे·····

एक माननीय सदस्य : एक दिन बढ़ा दें और एक दिन छोड़ दें।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि माननीय सदस्या का भाषण पूर्ण होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय ?

अनेक माननीय सदस्य : बिल्कुल नहीं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : जल्दी समाप्त कीजिये अपना भाषण।

राज्य की अकाल एवं बाढ़ की स्थिति

श्रीमती विद्या पाठक : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी हिंगोनिया गई थीं। सारा प्रशासन सक्रिय हो गया और लोगों को बड़ी अपेक्षाए हुई कि राहत कार्य तुरन्त किये जायेंगे। हिंगोनियां के जिस गांव में गईं, वहां उन्होंने भाषण दिया। सारा प्रशासन सक्रिय हुआ, यह बात सही भी है, परन्तु इसी सम्बन्ध में मैं दो-तीन बातें बताना चाहती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हिंगोनिया गांव के उप-सरपंच के परिवार में 13 व्यक्ति हैं उनको एक साथ चार प्लाट दिये गये, अन्य दो परिवार ऐसे हैं, जिनमें 16-16 व्यक्ति हैं उनको दो-दो प्लाट दिये गये और कई परिवार ऐसे हैं, जिन्हें अभी तक कोई प्लॉट ही नहीं दिये गये। ऐसे अकेले एक व्यक्ति को प्लाट दे दिया गया जिसकी बीवी अभी गोना होकर ही नहीं आई। बेसिस भी यही माना गया था कि हजबैन्ड, वाइफ और बच्चे वालों को प्लॉट देना है। अध्यक्ष महोदय, उसकी बीवी अभी गोना होकर ही नहीं आई पर एक प्लॉट उसको दे दिया गया। सावनथा पुत्र नोनथा यह भी हिंगोनिया का है उससे पटवारी ने 300) रु. यह कह कर लिये हैं कि मैं तुमको प्लॉट दिलाऊंगा। उसकी रसीद के लिये उसने सब गांव वालों के सामने मना किया कि इस तरह की रसीद नहीं दी जा सकती है। 21 व्यक्तियों के इस तरह के नाम हैं, जिनको यहां कोई राहत नहीं मिली। हिंगोनिया में बैरवा जाति की बस्ती में, अनसूचित जाति और जन-जाति की बस्ती में आज भी लाइट और चारे की व्यवस्था नहीं की गई है, जब कि पूरे गांव में कर दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनका अधिकांशतः नुकसान हुआ है···

सदन की कार्यवाही
विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या के बोलने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाय, नहीं तो वे कल फिर जारी रखेंगे।

श्री अध्यक्ष : सदन का समय माननीय सदस्या के भाषण समाप्त होने तक बढ़ाया जाता है।

Page No. 114

(114)

राज्य की अकाल एवं बाढ़ की स्थिति

श्रीमती विद्या पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक महिला तुकिया गांव की थी जिसका काफी नुकसान हुआ है। वहां एक बुढ़िया, जो बरसों सरकार से पेन्शन पा रही थी, बहकर मर गई, बाढ़ में बह गई लेकिन उसका नाम मृतकों की लिस्ट में नहीं है। She is very much exiisted but she is absent from that list.

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की खामियां प्रशासन की ओर से हो रही हैं, उसमें एक नियंत्रण की आवश्यकता है। कम से कम, जो शिकायतें इस तरह की आयें, तो उनमें सख्त कार्यवाही की आवश्यकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रामनिवासपुरा में 88 परिवारों में से केवल 13 परिवारों को सहायता दी गई है। कुछ परिवारों को मैंने देखा है लो-लाइंग एरिया में बसा दिया गया है। उनको ऐसी जगह पर बसा दिया है कि पुन: बाढ़ आई तो उनके अस्तित्व का पता भी नहीं लगेगा 5-6 परिवार और थे। यह पिछले महीने के आखिरी सप्ताह की बात है। राहत कार्य को लेकर वहां बड़ा भारी असंतोष था। मेरे बिलवा क्षेत्र में बेरोज्या की ढाणी जिसके बारे में राजस्थान पत्रिका ये तारीफ की बात है कि कई न्यूज पेपर्स वाले, कई इस तरह के मावेड वाले स्वय इन एरियाज को देखकर आये हैं और उन्होंने अपनी आंखों देखा हाल लिखा। केवल लोगों के कहे सुने पर नहीं इस बेरोज्या को ढाणी पर एक बहुत भारी राइट अप लिखा है यह पूरी ढाणी बह गई। बेरोज्यां की ढाणी में 14 परिवार, जो कि बीलवा पंचायत के अन्तर्गत आते हैं, को आलटरनेट प्लाट अभी तक नहीं दिये गये। तहसीलदार से बार-बार रिकमेण्ड किया कि 407 खसरा नम्बर वहां मौजूद है, यह चरागाह बहुत बड़ा है, उसका एक पार्ट इन 14 परिवारों को दिया जा सकता है, मगर वह चरागाह अनआथोराइज्ड आक्यूपेशन में वहां के सरपंच के भाई के पास है इसलिए वे तो वहां काश्त कर सकते हैं, मगर फ्लड अफेक्टेड लोगों को तहसीलदार नहीं दे सकते। आज तक कोई कार्यवाही बार-बार कहने के बावजूद नहीं हो रही है। चन्दलाई में कुछ बैरवा परिवार और माली परिवार हैं। यह पिछले 6 दिन से मेरे पास बराबर आ रहे हैं। एक बार सर्वे हो चुका है। इनमें जिन परिवारों को सरपंच महोदय देना चाहते थे, उनको दिलवा दिया, दोबारा रीसर्वे हुआ, उसमें भी कुछ लोगों को दिया और लोगों को यह कह कर कि एक सौ रुपये दे दिये, सरकार की बकाया है कल दे देंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, अधिकारियों ने यह कहा। सौ रुपये देकर दो व्यक्तियों से रसीद ले ली उनकी खानापूर्ति तो हो गई, मगर वह कई परिवार जिनको 6 सौ मिलने चाहिए थे, उनको आज तक एक भी पैसा नहीं मिला इनके तीन एस. डी. ओ. स्वयं सर्वे करके आये हैं।

मगर उसके बावजूद आज तक कोई राहत उनको नहीं मिल पायी। तो इस तरह से प्रशासनिक कार्यवाही चल रही है। यही हाल इसी पंचायत की खरों की ढाणी का है, जिसमें माननीय हमारे सोहन लाल बंशीवाल जी स्वयं देखकर आये हैं वहां राहत की नितान्त आवश्यकता है। बार-बार कहने पर भी राहत नहीं हो रही। हम जब कहते हैं, इसमें राजनीति वर्क कर रही है तो मेरे कहने का मतलब यह है कि राहत

(श्रीमती विद्या पाठक)

कार्यों में राजनैतिक हस्तक्षेप हो रहा है। मतलब यह है कि मैंने जब तहसीलदार से कहा कि आप लोगों को इस तरह का ऐसा आदेश हुआ कि जन प्रतिनिधियों को साथ लेकर जाया जाये तो उन्होंने कहा कि हम सरपंच को लेकर गये थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास तो अब तक सिर्फ कुल तीन दिन के प्रोग्राम की सूचना आयी है कि इन-इन गांवों में हम अधिकारी जायेंगे। थ्रू आउट, कुल अब तक यात्रा सूचना का यह एक लेटर मुझे प्राप्त हुआ है कि इसमें हम राहत बांटने जायेंगे। वह सरपंच से जब मिल करके बांटते है, तो यही होता है। गोनेर एक बहुत बड़ा गांव है, उसमें जहां सरपंच महोदय चाहते हैं, वहां राहत का रुपया तहसीलदार महोदय बांट देते हैं। ये स्थानीय रायवलेरीज का प्रश्न है। इनकी शिकायत है यह बात सत्य है कि मन्त्री महोदय और प्रशासन इतनी छोटी-छोटी बातों के लिए स्वयं नहीं जा सकते मगर जब शिकायत होती है तो उस पर तो तुरन्त कार्यवाही का होना नितान्त आवश्यक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई ऐसे गांवों में कई ऐसे लोगों को भी राहत दे दी गयी, जिनके पक्के मकान थे और कोई डेमेज नहीं था। मेरे क्षेत्र में श्रीराम की नांगल एक गांव ऐसा है, जिसमें 3 व्यक्तियों को तीन-तीन सौ रुपये के हिसाब से दिये गये, उसमें से पचास रुपये काटकर 250 रुपये दिये गये, रसीद तीन सौ की ली गई। जब बार-बार उस पर झगड़ा हुआ और शिकायत की गई, तो उनसे वापस रिकवरी की तैयारी हो रही है। तो वे लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारे क्षेत्र के लोगों ने उनसे यह कहा कि इस केस को थोड़ा आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसी तरह से बहुत से ऐसे गांव हैं, जहां राहत की जरूरत है पर बिल्कुल ही नहीं मिली। स्वयं जयपुर शहर में पांच बस्तियां गृह निर्माण सहकारी समिति ने पांच कच्ची बस्तियों को लेना स्वीकार किया कि इन कच्ची बस्तियां को हम बसायेंगे, पर पांचों कच्ची बस्तियां एक ही विधान सभा क्षेत्र में है? इतना एपेरेंट प्रूफ यह राजनीतिक भेदभाव नहीं है तो क्या है? अध्यक्ष महोदय, दूसरी और फिर भी इसमें माननीय सदस्य कहते हैं कि राजनीतिक दृष्टि कोण नहीं है? मेरा लक्ष्य मंत्री महोदय या किसी पर दोषारोपण का नहीं है। मगर यह भावना की बात जरूर है, जिसके प्रति हमें बहुत वाचफुल रहना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, खेत, कुए बिल्कुल नष्ट हो गये हैं, किसान बेरोजगार हो गये हैं, वह बहुत व्यथित हैं, दुखी हैं। इसलिये आवश्यकता इस बात की है कि सरकार नष्ट हुए खेत कुओं के विषय में भी सोचें। बिजली जहां जहां खराब हो गई है, उसको अतिशीघ्र ठीक करवा दिया जाय। इसी तरह से जयपुर के गांवों में पत्थर गढ़ी पुनः करवाने की आवश्यकता है। यहां भारी गड़बड़ी होने की सम्भावना है। इसलिये इसके लिये कोई को समुचित व्यवस्था करके पत्थरगढ़ी की व्यवस्था की जाय। बाढ़ में अधिकांशतः हरिजन बस्तियां नष्ट हुई हैं, जिनको मानवीय दृष्टिकोण से सरकार प्राथमिकता भी देती, है, उनको ठीक करवाने की आवश्यकता है। जहां अधिकारियों की अधिक शिकायतें हैं, उनको यदि चेंज करने की आवश्यकता महसूस की जाय, तो उसके बाद हो वहां कार्यवाही की जाय, इसको भी जरूरत क्षेत्रों में महसूस की जा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बाढ़ जो आई है, यह केवल तीन दिन की बात नहीं है, इसका इफेक्ट बहुत लोंग टर्म रहेगा। यह बात सही है, मगर यह बाढ़ तो एक तरह से देखा जाय

Page No. 116

116

(श्रीमती विद्या पाठक)

अकाल का ही स्वरूप है। आज के दिन सारे बांध, सिचाई के अधिकांश बांध और पंचायत के सभी बांध टूटे पड़े हैं। उनमें पानी नहीं होने से कठिनाई होगी। ये बांध जो अभी ठीक नहीं हो रहे हैं, ठीक होने की जल्दी सम्भावना भी नजर नहीं आती। अगर यह बांध ठीक नहीं होते हैं, तो कुओं में पानी का स्तर बहुत नीचे गिर जायेगा। इसलिये इसको जल्दी ठीक करवाने की आवश्यकता है। इनकम्पलीट वर्क को अकाल राहत के अन्तर्गत पहले लिया जाय। अकाल राहत के विषय में, मैं एक मिनट में कह के अपनी बात समाप्त करूंगी। बाढ़ के विषय में यह कहना चाहती हूं कि अब तक यह एक तरह से ऐसी वार्निंग है जिससे कि पहले हम नसीहत ले सकते हैं। अगर शहरों को रीप्लान करने की आवश्यकता हो तो करें गांवों का भी प्लान इसके अनुरूप किया जाय। शहरों के प्लानिंग को भी थोड़ा सा बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसी यह बाढ़ 250 वर्षो बाद भले ही आई हो, पिछले 85 वर्ष में पहली बार भले ही आई हो लेकिन यह तो प्रकृति है कभी भी यह रिपीट हो सकती है। इसलिये इस दृष्टिकोण को रखते हुए आगे के लिये विकास करने की प्लानिंग करने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में मैं अकाल के विषय में कह कर समाप्त करना चाहूंगी, सरकार ने बहुत सी सड़कें अकाल राहत के अन्तर्गत ली हैं। उन में से 90 पर्सेन्ट कम्पलीट नहीं हैं। कहीं न कहीं जमीनों के बीच में झगड़े आ रहे हैं, उसकी वजह से सभी काम ठप्प पड़े हैं, इसलिये रोजगार, राहतकार्य ठप्प पड़े हैं। इसकी कोई समुचित व्यवस्था सोचने की आवश्यकता है। जहां बहुत सी जगह वाटर लाइन खराब हो गई है जैसे शिवदासपुरा है, कुएं में मशीन ही गिरी पड़ी है। वहां के लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। यह स्थिति और भी कई जगह होगी। हैण्ड पम्प्स लगा दिये गये हैं, पर पानी चालू नहीं हैं, उसके लिए भी अकाल राहत की ही तरह से सोच करके उसके अन्तर्गत तुरन्त व्यवस्था की जाय। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 17 सितम्बर के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म.प. 5.7 बजे वृहस्पतिवार दिनांक 17 सितम्बर, 1981 के म.पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 63 की सूची)

गेहूं के आवंटन की सूची

(मात्रा टनों में)

क्र.सं.	नाम जिला	जनवरी, 81	फरवरी, 81	मार्च, 81	अप्रेल, 81	मई, 81	जून, 81	जुलाई, 81	अगस्त, 81	सितम्बर, 81
1.	जयपुर	300	1000	2200	2100	2000	200	300	1400	1800
2.	अजमेर	400	1000	1500	1000	1000	500	300	300	500
3.	उदयपुर	700	1000	1600	1500	1500	1650	1500	1500	1500
4.	बीकानेर	250	450	800	1100	1100	150	900	1000	1000
5.	कोटा	91	300	500	500	500	400	350	400	500
6.	जोधपुर	750	1000	2000	2100	3000	1800	3000	1400	1500

(मात्रा टनों में)

क्रम संख्या नाम जिला	जनवरी, 81	फरवरी, 81	मार्च, 81	अप्रेल, 81	मई, 81	जून, 81	जुलाई, 81	अगस्त, 81	सितम्बर, 81
1. अजमेर	574.0	574.0	706.7	441.3	574.0	741.5	574.0	574.0	574.0
2. बीकानेर	290.0	290.0	291.0	269.0	290.0	475.0	290.0	290.0	290.0
3. जयपुर	1231.0	1231.0	1177.0	1285.0	1234.0	2481.4	1232.1	1232.1	1232.1
4. जोधपुर	573.0	573.0	718.5	593.0	574.1	582.0	573.0	573.0	573.0
5. कोटा	562.0	562.0	532.3	591.7	562.0	586.0	562.0	562.0	562.0
6. उदयपुर	900.0	900.0	891.0	909.0	900.0	900.0	900.0	900.0	900.0

119

(मात्रा किलो लीटर में)

क्रम संख्या	नाम जिला	जनवरी, 1981	फरवरी, 1981	मार्च, 1981	विशेष विवरण
1.	जयपुर	2162	2462	2500	दिनांक 23-3-81 से केरोसीन पर से समस्त वितरण प्रतिबन्ध उठा लिये गये हैं व सभी जिलों में केरोसीन तेल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। विभाग द्वारा केरोसीन तेल का आवंटन जिलों को नहीं किया जाता है।
2.	अजमेर	900	1200	1550	
3.	उदयपुर	940	940	950	
4.	बीकानेर	350	350	375	
5.	कोटा	950	950	1200	
6.	जोधपुर	994	994	1050	

परिशिष्ट 2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

ग्राम हुरसानी (जिला बाड़मेर) में असामाजिक तत्वों का आतंक

67. श्री अमीन खां (शिव) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला बाड़मेर के हुरसानी गांव में पुलिस चौकी होते हुए भी गांव में असामाजिक तत्वों द्वारा गरीब नागरिकों की जान व माल की सुरक्षा नहीं है ?

(2) क्या यह सत्य है कि गांव में असामाजिक तत्वों के आतंक से काफी लोग गांव खाली करके चले गये हैं ?

(3) क्या पुलिस विभाग द्वारा इसकी उचित व्यवस्था की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

(3) उचित व्यवस्था कायम है ।

राजकीय अस्पताल हनुमानगढ़ टाउन में स्टाफ की कमी

69. श्री आत्माराम (हनुमानगढ़) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) हनुमानगढ़ टाउन में राजकीय अस्पताल में डाक्टर्स व पैरा मेडिकल स्टाफ की क्या स्ट्रेन्थ स्वीकृत है और इनमें से कितने पद इस समय भरे हुए हैं व कितने रिक्त हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार को जानकारी है कि हनुमानगढ़ टाउन के 50 शय्या के अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ अत्यन्त अपर्याप्त है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस कमी को कब तक पूरी करेगी ?

उत्तर

(1) सूची सलंग्न है ।

(2) वर्तमान राज्य सरकार के पैटर्न के अनुसार स्टाफ दिया हुआ है । जो एक पद रिक्त है उसको भी शीघ्र भरे जाने की सम्भावना है ।

सूची

हनुमानगढ़ टाउन के राजकीय अस्पताल में स्वीकृत एवं कार्यरत स्टाफ का विवरण निम्न है :—

क्र.सं.	नाम पद	स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
	1	2	3	4
1.	कनिष्ट विशेषज्ञ (मेडिसिन)	1	1	—
2.	सी. ए. एस.	7	7	—
3.	सी. ए. एस. (दन्त)	1	—	1
4.	कम्पाउडर श्रेणी प्रथम	1	1	—
5.	कम्पाउडर श्रेणी द्वितीय	2	2	—
6.	स्टाफ नर्स	1	1	—
7.	प्रसाविका	3	3	—
8.	रेडियो ग्राफर	1	1	—
9.	लेबोरेटरी टैक्नीशियन	1	1	—
10.	दन्त तकनिशियन	1	1	—

1	2	3	4
11. वरिष्ठ लिपिक	1	1	—
12. कनिष्ठ लिपिक	1	1	—
13. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	15	15	—
14. परिवार कल्याण स्वास्थ्य सहायक	1	1	—

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत जिलेवार अनाज व राशि का आवंटन

70. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी), श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : क्या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत केन्द्र से राज्य सरकार को अब तक कितनी राशि व अनाज आवंटित हुआ है व उसमें से जिलेवार आवंटन की क्या नीति निर्धारित की गयी है ? कृपया अब तक जिलेवार आवंटित राशि व आवंटित अनाज की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) एन. आर. ई. पी. के तहत कार्य प्रारम्भ करने की क्या नीति है व प्रत्येक पंचायत में इस योजना के अन्तर्गत कितने कार्य प्रारम्भ किये गये हैं ? जिनमें से कितने पूर्ण हो चुके हैं, व कितने अधूरे पड़े हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) पंचायत क्षेत्र में इस योजना के तहत अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण कराने हेतु राज्य सरकार पंचायतों को क्या अनुदान राशि देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) इस कार्यक्रम के तहत प्रति पंचायत कितने कितने कार्य कराने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है व प्रत्येक कार्य हेतु कितनी धनराशि व कितना अनाज दिया जाता है व क्या इस आवंटित अनाज व धनराशि से कराये जाने वाला कार्य पूर्ण हो सकता है ? इसमें कितनी राशि पंचायत को अपने साधनों से लगानी पड़ती है ?

(5) क्या यह सही है कि स्वीकृत कार्य हेतु आवंटित राशि व अनाज की मात्रा पूरी नहीं दी जाती है जिससे कार्य अधूरे रहते हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार पंचायतों को स्वीकृत राशि व अनाज की मात्रा देने के लिए क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से योजना आरम्भ होने से आज तक राज्य सरकार को कुल 11 करोड़ 64 लाख 20 हजार रुपये की राशि प्राप्त हुई है व भारत सरकार से राज्य सरकार को कुल अनाज 14400 मै. टन प्राप्त हुआ। इसमें जिलेवार आवंटन उनकी मांग व अधूरे कार्यों को पूरा कराने की नीति के आधार पर आवंटन किया गया था। जिलेवार अनाज व राशि का आवंटन मानचित्र संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इस योजना के अन्तर्गत पूर्व में काम के बदले अनाज योजना के अधूरे कार्यों को पूरा करने व सूखे की स्थिति को देखते हुए आवश्यकतानुसार नये कार्य खोलने की नीति रही है। इस योजना के अन्तर्गत कुल 9869 कार्य प्रारम्भ किये गये इनमें से 4078 कार्य पूर्ण हो चुके हैं व 5791 कार्य अभी तक अधूरे हैं जिनकी जिलेवार सूचना संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

Page No. 122

(122)

(राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम मन्त्री)

(3) जी नहीं।

(4) इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार ने कार्य करने की स्वीकृति का अधिकार जिलाधीशों को दे रखा है। वे ही आवश्यकतानुसार पंचायतों में कार्य की स्वीकृति प्रदान करते हैं व अनाज व धनराशि भी वे आवश्यकतानुसार आवंटित करते हैं। उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अधिकाधिक कार्य पूर्ण कराने का ध्येय रखा है। इस योजना में सामग्री व मजदूरी व्यय हेतु क्रमशः 33:67 का अनुपात है। यदि सामग्री व्यय सीमा से अधिक हो, तो पंचायतों को स्वयं के साधनों से राशि लगानी पड़ती है।

(5) भारत सरकार से प्राप्त खाद्यान्न व राशि जो प्राप्त होती है वह जिलाधीशों को आवश्यकतानुसार आवंटित कर दी जाती है अगर फिर भी कार्य अधूरे रह जाते हैं, तो उसके लिए भारत सरकार से अगले आवंटन राशि व अनाज के समय देखकर जिलाधीशों को आवंटित कर दी जाती है व अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने पर प्राथमिकता दी जाती है।

क्र.सं.	नाम जिला	वर्ष 1980-81		वर्ष 1981-82	
		आवंटित राशि	आवंटित अनाज (मै.टनों में)	आवंटित राशि	आवंटित अनाज (मै.टनों में)
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	1,78,250	250	53,000	150
2.	अलवर	97,375	..	4,000	..
3.	बांसवाड़ा	69,625	400	7,000	150
4.	बाड़मेर	1,03,750	150	13,000	150
5.	भरतपुर	73,750	250	13,000	..
6.	भीलवाड़ा	1,68,500	700	45,000	200
7.	बीकानेर	1,63,000	400	55,000	..
8.	बूंदी	58,375	125	4,000	..
9.	चित्तौड़गढ़	72,715	175	9,000	..
10.	चूरू	1,49,125	175	28,000	150
11.	डूंगरपुर	1,42,410	..	19,000	200

1	2	3	4	5	6
12.	गंगानगर	1,02,375	225	5,000	100
13.	जयपुर	1,50,500	400	35,000	200
14.	जैसलमेर	55,500	100	18,000	100
15.	जालौर	35,750	150	15,370	100
16.	झालावाड़	48,250	550	36,462	175
17.	झुंझुनूं	1,49,625	175	23,500	200
18.	जोधपुर	1,21,000	400	40,000	200
19.	कोटा	81,000	200	8,000	75
20.	नागौर	1,26,000	200	34,000	..
21.	पाली	2,08,000	..	29,000	..
22.	स.माधोपुर	2,30,500	200	6,000	..
23.	सीकर	1,23,000	200	7,000	..
24.	सिरोही	1,10,375	325	11,000	200
25.	टोंक	53,250	150	28,100	200
26.	उदयपुर	3,46,050	1,400	45,000	..
27.	वन विभाग	83,950	700	3,35,000	400
	योग ..	33,02,000	8,000	62,4,932	2,950

STATEMENT SHOWING WORKS COMPLETED UNDER N. R. E. P. FROM APRIL, 1981 TO JULY, 1981

S. No.	Name of District	School building	Panchayat Ghars	Dis-pensary	Drinking Water wells	Irriga-tion tanks	Rural roads	Others works	Total
1.	Ajmer	120	13	2	7	32	102	77	353
2.	Alwar	1	..	..	1	..	..	1	3
3.	Banswara	12	..	4	8	..	..	2	26
4.	Barmer	40	..	..	41	24	..	1	106
5.	Bharatpur	35	11	2	49	..	..	10	107
6.	Bhilwara	47	23	5	34	181	71	31	392
7.	Bikaner	54	20	5	2	129	12	109	331
8.	Bundi	46	6	4	32	..	..	6	94
9.	Chhitorgarh	42	6	6	418	3	3	25	503
10.	Churu	81	1	2	5	29	1	160	279
11.	Dungarpur	13	3	..	7	9	..	9	41
12.	Ganganagar	..	..	..	..	..	..	1	1
13.	Jaipur	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	109
14.	Jaisalmer	..	..	..	3	1	..	72	76
15.	Jalore	24	19	..	34	6	..	11	94
16.	Jhalawar	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	135
17.	Jhunjhunu	29	5	..	2	..	..	52	38
18.	Jodhpur	6	..	..	11	9	..	3	29
19.	Kota	3	..	..	7	..	..	2	12
20.	Nagaur	107	17	4	37	82	24	75	346
21.	Pali	22	3	3	20	..	..	5	53
22.	Sawai Madhopur	7	1	..	7	1	3	6	25
23.	Sikar	3	..	1	..	..	1	5	10
24.	Sirohi	31	4	1	6	16	..	16	74
25.	Tonk	31	5	3	1	218	28	41	327
26.	Udaipur	245	65	20	75	20	25	13	463
27.	Forest Department	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	TOTAL:	999	202	62	807	760	270	733	4,078

STATEMENT SHOWING THE WORKS REMAINED INCOMPLETE UNDER N. R. E. P. FROM APRIL, 1981 TO JULY, 1981

S. No.	Name of District	School building	Panchayat Ghars	Dispensary	Drinking Water wells	Irrigation tanks	Rural roads	Others works	Total
1.	Ajmer	159	12	14	20	31	60	117	413
2.	Alwar	53	9	3	21	..	4	23	113
3.	Banswara	83	5	6	233	..	..	31	358
4.	Barmer	157	29	11	90	6	2	120	415
5.	Bharatpur	61	26	2	64	3	2	11	169
6.	Bhilwara	78	20	4	14	28	28	30	202
7.	Bikaner	57	21	11	7	6	20	97	219
8.	Bundi	16	6	4	17	..	..	1	44
9.	Chittorgarh	162	29	10	310	..	11	54	576
10.	Churu	23	1	1	2	12	1	39	79
11.	Dungarpur	30	16	3	33	9	..	4	95
12.	Ganganagar	..	1	1	4	..	1	3	10
13.	Jaipur	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	383
14.	Jaisalmer	2	2	1	15	60	..	56	136
15.	Jalore	33	25	3	19	3	3	11	97
16.	Jhalawar	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	147
17.	Jhunjhunu	38	8	1	25	..	..	26	98
18.	Jodhpur	39	2	3	75	2	2	11	134
19.	Kota	32	5	3	8	1	2	27	78
20.	Nagaur	170	32	9	50	21	5	49	336
21.	Pali	125	33	15	80	1	1	61	316
22.	Sawai Madhopur	69	12	5	47	7	6	10	16
23.	Sikar	46	18	6	17	15	3	54	150
24.	Sirohi	19	8	..	2	..	1	11	41
25.	Tonk	35	2	2	..	4	5	34	82
26.	Udaipur	512	112	49	78	89	11	84	935
27.	Forest Department	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
	TOTAL ..	1,999	434	167	1,231	198	168	964	5,791

(126)

कोटा स्थित जे. के. सिन्थेटिक्स को विभिन्न उद्योगों हेतु प्राप्त लाइसेन्स

71. श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा नगर स्थित जे. के. सिन्थेटिक्स लिमिटेड को कौन कौन से उद्योग लगाने के लाइसेन्स प्राप्त हुये हैं ?

(2) क्या पोलिस्टर यार्न के लिए भी कोई लाइसेन्स इस कम्पनी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कब ? इसकी पूरी उत्पादन क्षमता व फैक्ट्री पर किया जाने वाला व्यय कितना है ?

(3) क्या इस फैक्ट्री का निर्माण कार्य गत छः माह से चल रहा था जो अब किन्हीं कारणों से रोक दिया गया है ?

उत्तर

(1) मैसर्स जे. के. सिन्थेटिक्स लिमिटेड को राजस्थान में उद्योग लगाने के लिये मिले आशय पत्र। औद्योगिक अनुज्ञप्ति के विवरण की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी हां। दिनांक 15-3-1972 को 960 टन वार्षिक क्षमता का सी. ओ. बी. लाइसेन्स प्राप्त हुआ। विस्तार हेतु 6,000 टन क्षमता का आशय पत्र दिनांक 4-12-1980 को स्वीकार किया गया है। इस प्रकार कुल उत्पादन क्षमता 6,960 टन हुई। प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 25-00 करोड़ रुपये होगी।

(3) जी नहीं। निर्माण कार्य जुलाई 1981 से बदस्तूर चल रहा है।

कोटा नगर के लिए मैसर्स जे. के. सिन्थेटिक्स लिमिटेड को मिले आशय पत्र/लाईसेन्स की सूची :—

क्र.सं. 1	आशय पत्र/ लाईसेन्स संख्या एवं दिनांक 2	उत्पादित वस्तु का नाम एवं वार्षिक क्षमता 3
1.	एल। 23। 5। एम। 25। 58, दिनांक 27-5-1958.	नाईलोन यार्न 0.48 मिलियन टन
2.	एल। 23। 5। 54। टैक्स (डी) 63, दिनांक 24-7-1963.	नाईलोन यार्न 0.4 लाख के.जी.
3.	एल। 23। 5।5/67-सी.एच.-I, दिनांक 3-3-1967.	नाईलोन यार्न 1.76 मिलियन के.जी.
4.	एल। 19(7)। 4। 72। सी.एच.-I एस.ई., दिनांक 1-1-1973.	नाईलोन यार्न (एक्सपन्शन) 3,840 टन
5.	एल। 23। 5। 72। सी.एच.-I, दिनांक 15-3-1972.	पोलिस्टर फिलामेंट यार्न 960 टन

1	2	3
6.	एल.ग्राई. । 734(80), दिनांक 4-12-1980.	पोलिस्टर फिलामेंट यार्न (एक्सपन्शन) 6000 टन ।
7.	एल । 23 । 5 । 22 । 72 सी.एच.-I. दिनांक 15-5-1967.	नाईलोन स्टेपल फाईबर 1800 मैट्रिक टन
8.	एल । 23 । 5 । 4 । 66 सी.एच.-II, दिनांक 8-12-1966.	नाईलोन टायर कोर्ड फैब्रिक्स 1000 मैट्रिक टन ।
9.	सी.ग्राइ.एल. 266 (81), दिनांक 7-9-1981.	नाईलोन टायर कोर्ड फैब्रिक्स (एक्सपन्शन) 2760 टन ।
10.	सी.ग्राइ.एल. 285 (74), दिनांक 9-9-1974.	नाईलोन टायर यार्न फैब्रिक्स 800 टन ।
11.	एल. 23 । 5 । 63 टैक्स (डी) । 64 दिनांक 9-3-1964 ।	एक्रेलिक फाईबर 4000 टन ।
12.	ग्राइ.एल. 451 (77), दिनांक 31-12-1977.	पोलिस्टर स्टेपल फाईबर 900 टन
13.	सी.ग्राइ.एल. 130(78), दिनांक 22-6-1978.	पोलिस्टर स्टेपल फाईबर (एक्सपन्शन) 3000 टन ।
14.	सी.ग्राइ.एल. 65 (79), दिनांक 24-3-1979.	पोलिस्टर स्टेपल फाईबर (एक्सपन्शन) 6000 टन ।
15.	एल.ग्राइ. 331(79), दिनांक 25-10-1979.	पोलिस्टर स्टेपल फाईबर (एक्सपन्शन) 12,000 टन ।
16.	सी.ग्राइ.एल. 5(78), दिनांक 11-1-1978.	डी.एम.टी. एण्ड मोनोयेलिन ग्लाइकोल 4000 टन ।
17.	एल.ग्राई. 394(81), दिनांक 30-6-1981.	एक्रेलिक फाईबर (एक्सपन्शन) 10,000 टन ।

ग्रन्य जिले

1	2	3
18.	सी.ग्राइ.एल. 199(77), दिनांक 14-6-1977.	निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़) पोर्टलेण्ड सीमेन्ट प्लान्ट 7.20 लाख टन ।

1	2		3
19.	एल.आई. 262(81), दिनांक 11-5-1981.	(चित्तौड़गढ)	पोर्टलैण्ड सीमेन्ट प्लान्ट एक्स-पन्शन (4.20 लाख टन)। (अब कुल क्षमता 11.40 लाख टन)।
20.	एल.आई. 410(80), दिनांक 27-8-1980.	दिगोद†† (कोटा)	पोर्टलैण्ड सीमेन्ट प्लान्ट 4.20 लाख टन।
21.	एल.आई. 216(31), दिनांक 18-4-1981.	शंम्बुपुरा (चित्तौड़गढ़)	पोर्टलैण्ड सीमेन्ट प्लान्ट 7.20 लाख टन।
22.	एल.आई. 66(79), दिनांक 24-3-1979.	गोटन (नागौर)	सफेद सीमेन्ट प्लान्ट 50,000 मैट्रिक टन।

†पार्टी द्वारा उक्त उद्योग अब पिण्डवाड़ा (जिला सिरोही) में स्थानान्तरित करने हेतु आवेदन किया गया है।

भूतपूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत कालवान के विरुद्ध शिकायतों पर कार्यवाही

72. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम पंचायत कालवान तहसील सिकराय जिला जयपुर के भूतपूर्व सरपंच श्री रामसहाय के विरुद्ध राज्य सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या शिकायतों में प्राप्त तथ्यों को जिला प्रशासन ने सही मानते हुए इनके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकार को साल भर पहले लिखा था ? यदि हां, तो उन पर अभी तक कार्यवाही न होने के क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां, जिलाधीश, जयपुर ने श्री रामसहाय, भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत कालवान, पंचायत समिति सिकराय, के विरुद्ध एक शिकायत प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट दिनांक 20-5-80 को राज्य सरकार को प्रस्तुत की। भूतपूर्व सरपंच से दि. 24-8-81 को आरोपों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का नोटिस जारी किया जा चुका है। आरोपों का उत्तर प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(2) जिला प्रशासन द्वारा राज्य सरकार को शिकायत की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर भूतपूर्व सरपंच से आरोपों का स्पष्टीकरण दिनांक 24-8-81 को मांगा गया है। आरोपों का स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। अत: कार्यवाही नहीं करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

नये आयुर्वेदिक कॉलेजेज

73. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि इस वर्ष राज्य सरकार आयुर्वेद शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु, कुछ नये कॉलेज खोलने जा रही है ? यदि हां, तो कहां-कहां पर ?

उत्तर

जी नहीं, इस वर्ष कोई नये राजकीय आयुर्वेद कालेज नहीं खोले जा रहे हैं।

ग्राम नारायणपुरा, पंचायत समिति इटावा में नवीन कूप तथा तालाब निर्माण कार्य

74. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम पंचायत रनोदिया, पंचायत समिति इटावा के गांव नारायणपुरा में नवीन कूप तथा तालाब निर्माण पर कुल कितनी कितनी राशि खर्च की गई ? कृपया, विस्तृत जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कार्यों की समय-समय पर तकनीकी जांच हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) उक्त दोनों कार्यों की वर्तमान में क्या स्थिति है ? क्या वे पूर्ण हो चुके हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों कामों में भारी गबन एवं घोटाला हुआ है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत रनोदिया के ग्राम नारायणपुरा में नवीन कूप निर्माण पर अब तक 26,415) रु. व्यय हुए है। तालाब का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ।

(2) जी हां।

(3) नवीन कूप अपूर्ण है। तालाब का कार्य प्रारम्भ ही नहीं किया।

(4) गबन घोटाले की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। मजदूरों को मस्टरोलों के अनुसार पूर्ण भुगतान हुआ है। फिर भी अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो जांच करा ली जावेगी।

राजकीय अस्पताल, बगरू में स्टाफ तथा दवाइयों की व्यवस्था

75. श्रीमती विद्या पाठक (सांगानेर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजकीय अस्पताल, बगरू में किस-किस स्तर पर, क्या-क्या स्टाफ स्वीकृत व कार्यरत है ? कृपया, सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अस्पताल में लेडी डाक्टर का पद कब स्वीकृत हुआ और कब किस की, इस पद पर नियुक्ति हुई ? उसे कब हटाया गया ? दिनांक 1-9-81 को यहां कौन लेडी डाक्टर कार्यरत थी ?

(3) उक्त अस्पताल में दवाइयों का बजट कितना है और कब से ? क्या यहां मरीजों की संख्या को देखते हुए बैड संख्या, स्टाफ संख्या कमरे आदि पर्याप्त है ? यदि

(श्रीमती विद्या पाठक)

नहीं, तो सरकार की इस अव्यवस्था में सुधार की क्या योजना है ?

उत्तर

(1) बगरू राजकीय डिस्पेन्सरी में स्वीकृत एवं कार्यरत स्टाफ का विवरण निम्न प्रकार से है:—

नाम पद	स्वीकृत स्टाफ	कार्यरत स्टाफ
1. चिकित्सक (पुरुष)	1	1
2. चिकित्सक (महिला)	1	–
3. मेल नर्स श्रेणी-II	2	2
4. प्रसाविका	1	1
5. च. श्रे. कर्मचारी	3	3
6. अंशकालीन हरिजन	1	1

(2) बगरू डिस्पेन्सरी में राज्य आदेश दिनांक 8-5-1981 द्वारा महिला डॉक्टर का पद सृजित किया गया । डॉ. भारती बजाज का पदस्थापन बगरू में आदेश दिनांक 6-6-81 से किया गया । तत्पश्चात् डा. बजाज का स्थानान्तरण दि. 26-6-81 को बगरू से भानपुर कलां में किया गया ।

दिनांक 1-9-81 को बगरू में कोई भी महिला डॉक्टर कार्यरत नहीं थी ।

(3) उक्त डिस्पेन्सरी हेतु वार्षिक 10,000|- रु. की राशि का बजट स्वीकृत किया जाता है । मरीजों की संख्या को देखते हुए यहां पर बैड संख्या, स्टाफ आदि पर्याप्त है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

तहसील लालसोट की डिस्पेन्सरी को क्रमोन्नत करना

76. श्री रामसहाय (लालसोट) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर की तहसील लालसोट में 'बी' श्रेणी की ही डिस्पेन्सरी है जबकि तहसील की आबादी 20 हजार से भी अधिक है ?

(2) क्या छोटी डिस्पेन्सरी होने से तहसील के निवासियों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

(3) क्या राज्य सरकार आबादी को ध्यान में रखते हुए उक्त डिस्पेन्सरी को 'ए' श्रेणी में परिवर्तित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(4) क्या यह सही है कि तहसील लालसोट में ग्राम सोनड़, ग्राम दौलतपुरा, कलास और चोण्डियावास काफी बड़े ग्राम हैं और इन ग्रामों के आसपास काफी दूर तक कोई डिस्पेन्सरी नहीं है ? क्या राज्य सरकार इन ग्रामों में डिस्पेन्सरीज खोलने का विचार रखती है ? अब तक इन ग्राम पंचायतों में डिस्पेन्सरीज नहीं खोले जाने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) तहसील लालसोट में एक डिस्पेन्सरी है । एलोपैथिक डिस्पेन्सरी का कोई वर्गीकरण नहीं किया जाता है ।

(2) लालसोट की डिस्पेन्सरी अन्य डिस्पेन्सरियों से छोटी नहीं है । शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(चिकित्सा मंत्री)

(3) ऐलोपैथिक डिस्पेन्सरी का कोई वर्गीकरण नहीं किया जाता है। शेष प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(4) जी नहीं, डिस्पेन्सरी खोलते समय उपयुक्त बड़े ग्राम के नाम का प्रस्ताव भवन व्यवस्था के साथ आने पर अन्य ग्रामों के साथ उस पर भी विचार किया जा सकेगा।

निगमों एवं राजकीय उपक्रमों के अध्यक्ष पद पर विधायकों का मनोनयन

79. श्री नाथूसिंह (बांदीकुई) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व सरकार ने काफी संख्या में विधायकों को कई निगमों व राजकीय उपक्रमों का अध्यक्ष मनोनीत किया था?

(2) क्या इन नियुक्तियों से निगमों के कार्य-प्रक्रिया एवं प्रशासन में सुधार हुआ है?

(3) क्या राज्य सरकार इन नियुक्तियों को समाप्त करने का विचार कर रही है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस अल्पावधि में मूल्यांकन करना संभव नहीं है।

(3) वर्तमान में ऐसा कोई विचार राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

हथरोई फोर्ट स्कीम में अवैध होटल का निर्माण

81. श्री सुजानसिंह यादव (बहरोड़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या श्री एम. सी. गुप्ता ब्लॉक सं. 59, हथरोई फोर्ट स्कीम ने कोई-होटल चलाने का लाइसेंस प्राप्त किया है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या उद्योग विभाग घनी बस्तियों में बस्ती के निवासियों के विरोध के बावजूद भी इस प्रकार के होटल बनाने की स्वीकृति प्रदान करने को उचित मानता है?

(3) क्या उद्योग विभाग ने इस होटल के लिये होटल मालिक को सीमेंट, लोहे व अन्य बिल्डिंग सामग्री की भी कोई सुविधा दी है? यदि हां, तो किस-किस मैटेरियल की तथा कितनी मात्रा में?

उत्तर

(1) उद्योग विभाग द्वारा कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है।

(2) प्रश्न नहीं उठता है।

(3) होटल के मालिक को होटल के निर्माण के लिये कोई कच्चा माल व सुविधा उद्योग विभाग द्वारा नहीं दी गई है।

पंचायत समिति नागौर व मूंडवा के सरपंचों के विरुद्ध शिकायतें

82. श्री महाराम चौधरी (नागौर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि गत दो वर्षों में अकाल राहत व काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति नागौर व मूंडवा में सरपंचों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कितने सरपंचों के विरुद्ध शिकायतें आई एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? कृपया, इन सरपंचों के नाम व ग्राम

Page No. 132

(132)

(श्री महाराम चौधरी)
पंचायतों के नामों की सूची सदन के पटल पर रखें।

उत्तर

जी हां, यह सही है कि गत 2 वर्षों में अकाल राहत व काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति, नागौर, मूण्डवा में सरपंचों के विरुद्ध शिकायतें जिला स्तर पर प्राप्त हुई हैं। उनकी सूची संलग्न है। इन शिकायतों में पंचायत समिति, नागौर में क्रम संख्या 1 व पंचायत समिति, मूण्डवा में क्रम संख्या 2, 4, 6, 11 की शिकायतें बे-बुनियाद पाये जाने पर जिला स्तर पर फाइल की जा चुकी है। शेष शिकायत जिला स्तर पर चल रही है। राज्य सरकार के पास शिकायतें जिला स्तर से प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

गत दो वर्षों में काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत सरपंचों के विरुद्ध शिकायतों का विवरण

पंचायत समिति, मूण्डवा

क्र. सं.	शिकायत प्राप्ति का दिनांक	नाम ग्राम पंचायत	नाम सरपंच	
1	2	3	4	
(1)	11-5-79	मून्दियाड	श्री बीजाराम	सरपंच
(2)	9-3-79	पायलासिका	श्री तेजाराम	"
(3)	1-1-80	ईनाणा	श्री दम्माराम	"
(4)	21-3-80	शंखवास	श्री सत्य नारायण	"
(5)	15-5-79	मून्दियाड़	श्री बीजाराम	"
(6)	30-7-79	भादवा	श्री गणेशराम	"
(7)	25-11-80	रूण	श्री सुखराम	"
(8)	10-4-80	ग्वाल	श्री सिकन राम	"
(9)	20-7-80	फिरोजपुरा	श्री भागीरथ	"
(10)	20-7-80	खिंवाड़	श्री हीरा राम	"
(11)	20-7-80	शंखवास	श्री सत्य नारायण	"
(12)	24-1-81	संगगी	श्री शिवदान राम	"
(13)	1-5-81	खटोड़ा	श्री भैरा राम	"

पंचायत समिति, नागौर

क्र. सं.	शिकायत प्राप्ति का दिनांक	नाम ग्राम पंचायत	नाम सरपंच	
(1)	16-7-79	ताउसर	श्री कुशाल चन्द	सरपंच
(2)	19-2-79	गोगेलाव	श्री रामकरण	"
(3)	22-12-79	सथोरण	श्री तुलसी राम	"
(4)	23-2-80	सथोरण	श्री तुलसीराम	"
(5)	13-6-80	चैनार	श्री जवरी चन्द	"
(6)	21-6-80	मुण्डेल	श्री मेघसिंह	उप-सरपंच
(7)	27-3-80	कालडी	श्री बहादुर राम	सरपंच

1	2	3		4
पंचायत समिति, नागौर (क्रमशः)				
(8)	13-6-80	झाडीसरा	श्री खींवाराम	सरपंच
(9)	19-9-80	गुडा भगवानदास	श्री तेजाराम	"
(10)	6-8-80	चेनार	श्री जवरी चन्द	"
(11)	17-12-79	झाडीसरा	श्री खीमाराम भादू	"
(12)	23-8-80	देउ	श्री छोगसिंह	"
(13)	16-12-80	सीलगांव	श्री सोहन राम	"
(14)	4-6-81	बरणू	श्री आखाराम	"
(15)	29-12-79	बरणू	श्री आखाराम	"

भूतपूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत नांगल राजावतान, दौसा के विरुद्ध कार्यवाही

83. श्री **यदुनाथ सिंह** (नदबई) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भूतपूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत नांगल राजावतान, तहसील दौसा, जिला जयपुर को राज्य सरकार द्वारा दि. 1-4-1981 को निलंवित किया गया था ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या-क्या आरोप प्रमाणित हुए ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सरपंच को दिनांक 6-5-1981 को ही वहाल कर दिया गया ? यदि हां, तो किन नियमों के तहत ?

(3) क्या उक्त सरपंच के खिलाफ रु. 13,404.97 की वसूली के आदेश सरकार द्वारा दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या वसूली की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है ? यदि नहीं, तो सरपंच को वहाल करने के क्या कारण थे ?

(4) क्या उक्त सरपंच के विरुद्ध पुलिस केस किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि भूतपूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत नांगलराजवतान, तहसील दौसा को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1-4-81 को निलंवित किया गया है बल्कि वर्तमान सरपंच श्री बद्रीनारायण को अनियमित कार्य करने, राशि का दुरुपयोग, राज्यादेशों की अवहेलना के आरोप में दि. 1-4-81 को निलंबित किया गया है।

(2) जी नहीं। वर्तमान सरपंच श्री बद्रीनारायण सरपंच को दिनाक 6-5-81 को राज्य सरकार द्वारा बहाल किया गया है। सरपंच द्वारा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर एवं तथ्यों को विचार करने के पश्चात बहाल किया गया है।

(3) जी नहीं। आरोपों की विस्तृत जांच कराई जा रही है एवं आरोप प्रमाणित पाये जाने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(4) आरोपों की विस्तृत जांच रिपोर्ट के प्राप्त होने पर ही नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(134)

पंचायत में एक ग्रुप सचिव की नियुक्ति करना।

84. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर-ग्रामीण) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) जिला जयपुर में कुल कितनी पंचायतें हैं ? कृपया नामवार सूची सदन के पटल पर रखें ।

(2) उक्त पंचायतों में कुल कितने ग्रुप सचिव हैं तथा कहां-कहां, कौन कौन काम कर रहे हैं ? कृपया, सूची सदन के पटल पर रखें ।

(3) क्या यह सत्य है कि दो-दो, तीन-तीन पंचायतों के बीच में एक-एक ही ग्रुप सचिव को नियुक्त करने से वहां की पंचायतों के कार्य समय पर नहीं हो पाते हैं ?

(4) क्या उक्त पंचायतों के कार्य में गति व सुचारुता लाने के लिये प्रत्येक पंचायत में एक ग्रुप सचिव नियुक्त करने की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में कुल 586 ग्राम पंचायतें हैं, जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) उक्त ग्राम पचायतों में 209 ग्रुप सचिव ग्रामसेवक कार्यरत हैं । वे जहां-जहां कार्यरत हैं, उसका उल्लेख सदन की मेज पर रखी गई सूची में कर दिया गया है ।

(3) ऐसी कोई शिकायत विभाग में प्राप्त नहीं हुई है ।

(4) यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

प्रश्न संख्या 84 से सम्बन्धित सूचना—

क्र.सं. 1	नाम ग्रुप पंचायत सचिव 2	पंचायत जिनका कार्य संचालन कर रहे हैं 8
	पंचायत समिति, सांभरलेक	
1.	श्री मोतीलाल कुमावत	भादवा, भैंसलाना
2.	,, मोहनसिंह	मंढा भीमसिंह, मुंडोतो
3.	,, राधेश्याम पारीक	ड्योढी, सिनोदिया
4.	,, बनवारी लाल शर्मा	रामजीपुरा कलां, खेडीमिलक
5.	,, रामचन्द्र शर्मा	करणसर, भैंसावा
6.	,, भैरूलाल चौधरी	ईटावा, लालासर
7.	,, लक्ष्मणसिंह	रेनवाल, मुंडियागढ़
8.	,, वृद्धिचन्द	डूंगरी खुर्द, डूंगरी कलां
9.	,, मंगलाराम	कालख, जोरपुरा सुन्दरियावास
10.	,, नृसिंह लाल शर्मा	बाधातास, हरसोली
11.	,, कन्हैयालाल	बांसडी खुर्द, मलिकपुरा
12.	,, गणपत लाल कुमा	काजीपुरा, खण्डेल

1	2	3
पंचायत समिति, सांभर लेक (क्रमशः)		
13.	श्री प्रहलाद चन्द अग्रवाल	तैज्या का वास, त्यौद
14.	,, सत्यनारायण शर्मा	जोरपुरा-जोबनेर, हिंगोनियां
15.	,, गोमा राम	भोजपुरा कलां, मुरलीपुरा
16.	,, जीवन सिंह	लूनियावास, बधाल
पंचायत समिति, गोविन्दगढ़		
1.	श्री रामेश्वर लाल ग्राम सेवक	आष्टी कलां, हस्तेड़ा
2.	,, सुखाराम ग्राम सेवक	खेजरोली, गीगंद कलां
3.	,, भंवर दान ग्राम सेवक	जैतपुरा, अणतपुरा, मौरीजा
4.	,, बफाती खां	मालिकपुर, लोहरवाडा
5.	,, बजरंग लाल	हाडोता, उदयपुरिया, टाकड़ां
6.	,, पीथा राम	सामोद, महारकलां
7.	,, शिवकुमार	ईटावा भोपजी, नांगल भर्डा, अमरपुरा
8.	,, छीतरमल	मण्डा भिण्डा, आवीसर, चिनोई
9.	,, रामचन्द्र	कालाडेरा, सम्दरसर
10.	,, चिरंजीलाल	तिगरिया निवाणां, नांगल कोजू
11.	,, भगवान सहाय	गोविन्दगढ़, ढोडसर, घोववाई
12.	,, भैंरूलाल ग्राम सेवक	किशनपुरा, नांगल गोविन्दगढ़, भूतेड़ा
13.	,, राधेश्याम शर्मा	कुशलपुरा, फतेहपुरा, चोथवाड़ी
पंचायत समिति, दौसा		
1.	श्री सरदार सिंह	पापड़दा, खवा रामवजी, धूमडी, हायावास
2.	,, छीतर मल	भांडारेज, नांगल चाम्पा, गोठडा, रलावता
3.	,, हरिशंकर शर्मा	कालाखो, बाने का बरखेडा, जोपाडा
4.	,, जगदीश प्रसाद ज्योतिषी	नांगल राजावतान, मलवास, छारेडा, चूडियावास
5.	,, जगदीश्वर प्रसाद उपाध्याय	बनियाना, हींगौटिया, बड़ागांव, प्यारीवास
6.	,, शंकर लाल शर्मा	लवान, रजवास, खानवास
7.	,, राधेश्याम गुप्ता	सिगवाडा, ढीगारिया, जिरोता कलां
8.	,, निरंजन लाल	नांगल बैरसी, चांदराना, खैरवाल
9.	,, गोपीराम यादव	महसाना कलां, महसाना खुर्द, भांकरी
10.	,, नृसिंग लाल गुप्ता	बापी, बोरदा, जसोता
11.	,, बिहारीलाल शर्मा	सैंथल, कावलेश्वर, बिशनपुरा, सीतरवाड़ा कलां
12.	,, बाबूलाल शर्मा	कुण्डल, कानोता, सिण्डोली, काली पहाड़ी
13.	,, गिरवर सिंह ग्राम सेवक	आलूदा, लाहडी का बास, स्यालावास
पंचायत समिति, सिकराय		
1.	श्री ..	सिकराय, डेण्डा पसेडी, मामनेर, कूण्डेराडूंगर
2.	,, राधेश्याम शर्मा	चांदरेरा, उदयपुरा, ठीकरिया, हीग्यां

1	2	3
	पंचायत समिति, सिकराय (क्रमशः)	
3.	,, नाथूलाल जैन	पांचोला, मानपुरा, करोडी
4.	,, मालीराम	सिकन्दरा, पीपल का वावनपाडा
5.	,, माधोसिंह	दुब्बी, डोली का वासन्ना, बैराडा
6.	,, कल्याण सहाय विजय	छोकरवाड़ा, केलर्ब्र, अचलपुरा
7.	,, हरिसिंह	राणोली, मोहचिंगपुरा, गुमानपुरा
8.	,, रामप्रसाद	गीजगढ़, धूमना, कालवाण
9.	,, जगदीश प्रसाद	कालाखी, वेहरावडा, टोरडा, फरीशपुरा
10.	,, रामचरण	गागडवाडी, मण्डराव, शेखपुरा
	पंचायत समिति, कोटपुतली	
1.	श्री मालचन्द	चतुर्भुज, सुन्दरपुरा, कल्यानपुरा खुद
2.	,, सोहन लाल	गोपालपुरा, रामसिंहपुरा, चिमनपुरा
3.	,, गुलजारी लाल	राजनोता, पाथरहेडा, नांगलपंडितपुरा
4.	,, सूरजमल	मोहनपुरा, कांसला, गोरधनपुरा
5.	,, दौलत राम	नारेडा, खडब, सरुड
6.	,, पाली राम	बनेडी, बनार, देवता
7.	,, द्वारिका प्रसाद	जयसिंहपुरा, रायकरणपुरा, गोनेडा
8.	,, शिवपालसिंह	दांतिल, द्वारिकापुरा, सुन्दरपुरा वाडा
9.	,, श्री मुरारीलाल	पनियाला, मलपुरा, सांगटेडा
10.	,, सोहन सिंह	कल्याणपुरा कलां, पुरुषोत्तमपुरा, शुक्लावास
11.	,, कल्याण सिंह	टोरडा, पण्डितपुरा, भूरी बडाज
12.	,, प्रभातीलाल ग्राम सेवक	टसकोला, मोनावास, बुचारा
	पंचायत समिति, विराटनगर,	
1.	श्री रामजीलाल यादव	भण्डा पायडाला, वागावास आटेरान
2.	,, विश्वम्भर पाल	पावटा, प्रागपुरा, खेलना
3.	,, फूलचन्द यादव	दडनंगर भाकरी जोधपुरा
4.	,, बोदालाल	आंतेला, जयसिंहपुरा लुहावन कलां
5.	,, ईश्वर लाल	भाभरु, जवानपुरा वागावास चौरासी
6.	,, महिन्द्र सिंह	रामपुरा, छापड़ा खुर्द
7.	,, ग्यारसी लाल	बीलवाडी, मामोद ग्रामलोप,
8.	,, सूरजमल गुर्जर	मैद, तालाया विहाजर, बडोदया
9.	,, भौरीलाल बैराठी	तैवडी, नीरंगपुरा, जोधूला
10.	,, मूलचन्द	सोठाना, कुहाड़ा
	पंचायत समिति, शाहपुरा	
1.	श्री वृद्धिचन्द बुनकर	साइवाड, देवीपुरा, साईवाडी
2.	,, प्रभुदयाल कुमावत	देदन, कोट

1	2	3
	पंचायत समिति, शाहपुरा (क्रमशः)	
3.	„ जगदीशप्रसाद जाट ग्रामसेवक	नाथावाला
4.	„ हीराराम जाट	घासीपुरा, विदारा, खोरी
5.	„ ओम प्रकाश शर्मा	छारसा, खोरा लाडखानी
6.	„ सीताराम टेलर	विशनगढ़, नवलपुरा
7.	„ मोतीलाल शर्मा	धवला, महार खुर्द
8.	„ महेश चन्द्र सैनी	करोरी, विलान्दरपुर, हनुतपुरा
9.	„ मातादीन शर्मा	अमरसर, नाथन, हनुतिया
10.	„ रामकिशोर	घानोता, राडावास, जगतपुरा
	पंचायत समिति, झोटवाड़ा	
1.	श्री प्रभाती लाल	जयसिंहपुरा, सुमेल, मीनावाला, हारापुरा
2.	„ नजर अहमद	सिरसी, विदायका, सिवार
3.	„ भंवर लाल कुमावत	मूंडिया, वामसर, धानकिया, वैगस
4.	„ कैलाशचन्द्र शर्मा	कालवाड, पंचार, दुर्जनयावास
5.	„ मक्खन लाल शर्मा	हाथोद, माचवा
6.	„ प्रभुदयाल शर्मा	नागंल जैसा बोहरा, निवारु, सरनाडूंगर
	पंचायत समिति, आमेर	
1.	श्री कुशलाराम चौधरी	रायथल, जयसिंहपुरा, जालसू
2.	श्री मुरलीधर कुमावत	जाहौता, देवगुडा, अनोपपुरा
3.	श्री प्रभाती लाल	रामपुरा, जयरामपुरा, सिरसली
4.	श्री बाल कृष्ण वर्मा	नींदड़, खोराविमल, रोजदा
5.	श्री हनुमान प्रसाद शर्मा	हरमाड़ा, अखैपुरा, नांगल पुरोहित
6.	श्री लक्ष्मी नारायण राणा	सेवापुरा, दौलतपुरा, खोरा श्यामदास
7.	श्री हरिसिंह तंतरवाल	राधाकिशनपुरा, खन्नापुरा, मुण्डोता
8.	श्री उमरावसिंह	नांगल सुलावतान, खोरा मीणा, ढण्ड
9.	श्री नारायण शर्मा	कांट, छापराड़ी, चिताणुकलां
10.	श्री टीकाराम लूणिया	अचरोल, लवाना
11.	श्री दौलाराम चौधरी	चंदवाजा, लखेर, कंवरपुरा
12.	श्री रामचन्द्र वर्मा	मानपुरा, रूगल, सिरोही
13.	श्री राधेश्याम शर्मा	चौप, विलोचा, बगवाड़ा
	पंचायत समिति, दूदू	
1.	श्री जगदीश प्रसाद	सेवा, रसाला, खुदियाना
2.	श्री नारायण भारद्वाज	काचरोदा, शार्दुलपुरा, रोजड़ी
3.	श्री भंवर लाल शर्मा	साखून, सिरोही कलां, व साली
4.	श्री सीताराम शर्मा	ढाणी बोराज, हिरनोदा, आसलपुर, बोराज, बोबास

1	2	3
	पंचायत समिति, दूदू (क्रमशः)	
5.	श्री टीकमचन्द जैन	गागरडू, घाघोला, सुनाड़िया
6.	श्री ओंकार नाथ	मोजमाबाद, धमाना, गंगाटीकलां
7.	श्री मदनलाल लाटा	चैनपुरा, नारण, श्रीरामपुरा
8.	श्री जयसिंह जैन	बिचून, गाड़ोता, आकोदा
9.	श्री देवी नारायण शर्मा	धोंग, सावला, महला
10.	श्री भंवरसिंह चौहान	कोरसीना, हबसपुरा
11.	श्री सीताराम	दूदू, सावदड़ा, गिदानी
12.	श्री हरि शंकर शर्मा	दांतरी, रहलाना, हरसोली
13.	श्री गुलाब चन्द	भरवा, ममाणा
14.	श्री मधुसूदन पारीक	
	पंचायत समिति, चाकसू	
1.	श्री हजारीलाल गुप्ता	शिवदासपुरा, बाडापदमपुरा, चन्दलाई
2.	श्री मदनसिंह ग्राम सेवक	कुम्हारियावास, तितरिया, टूटोली
3.	श्री मदन गोपाल शर्मा	कादेड़ा, करेडा, थली
4.	श्री महावीर प्रसाद सैन	काठावाला, निमोड़िया, हरिपुरा
5.	श्री मोहन सिंह	बापूगांव, आकोड़िया
6.	श्री राधेश्याम पारीक	राड़ोली, कोटखावदा, रूपाखेड़ी
7.	श्री श्री राम सहाय शर्मा	महादेवपुरा, खोड़ा, रानीवास, रामनगर
8.	श्री लक्ष्मण सिंह	भापदा कलां, खो मीणान, दहलान
9.	श्री बिशनसिंह	ठी. गुजरान, बड़ोदिया, गरूड़वासी, छादेलकलां
10.	श्री प्रभुसिंह	मण्डालिया मेदा
11.	श्री बजरंग लाल पारीक	कोथून, लालपुरा
12.	श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता	टूमली का वास, तामड़िया
	पंचायत समिति, फागी	
1.	श्री श्याम सुन्दर पारीक	फागी, चकवाड़ा
2.	श्री हरिनारायण शर्मा	नीमेड़ा, मेहन्दवास, लसाड़िया
3.	श्री रामगोपाल शर्मा	नारेड़ा, चौरू, मण्डावरी
4.	श्री छीतरमल बुनकर	लड़ाना, बाडला, चितौड़ा
5.	श्री रामस्वरूप शर्मा	रेनवाल मांजी, हीरसूलिया, गोहन्दी
6.	श्री घासीलाल शर्मा	पहाड़िया, मोहब्बतपुरा, कीपला
7.	श्री रामावतार शर्मा	माधोरामपुरा, भांकरोटा, चांदमा
8.	श्री भवानी सिंह	मांदी, परवण, किशोरपुरा
9.	श्री भंवरलाल बड़वा	डाबिज, डिडावता, दोसरा
10.	श्री मोहनलाल शर्मा	कांसेल, मण्डोर, पंचाला

1	2	3

पंचायत समिति, बस्सी

1.	श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा	कानोता, कूथाड़ा, रामरजनपुरा
2.	श्री शम्भूदयाल शर्मा	जीमावाला, खोड़ी, बनाड़ा
3.	श्री भीसालाल शर्मा	भूरथल, फागल्याबाढ
4.	श्री रामगोपाल शर्मा	तुंगा, अनन्तपुरा, परणगढ
5.	श्री कन्हैया लाल शर्मा	टोड़ाभाटा
6.	श्री कजोड़ मल शर्मा	देवगांव, काशीपुरा, दनाउकलां
7.	श्री भंवरसिंह	साम्भरिया, पालावाला, खिजूरिया ब्राह्मण
8.	श्री फतेहसिंह	बड़वा, पडासोली, टेहटड़ा
9.	श्री चिरंजी दयाल गुप्ता	जटवाड़ा, हंसमहल, भटेरी
10.	श्री प्रहलाद किशोर पारीक	मोहनपुरा, दूधली, झर
11.	श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा	खेतपुरा, मनोहरपुरा, ककजोड़िया
12.	श्री रामचन्द्र शर्मा	माधोगढ़, भूड़ला, पाटन
13.	श्री सांवरमल	लालगढ़
14.	श्री मदनसिंह	बांसखो, रायपुरा, पातलवास

पंचायत समिति, बांदीकुई

1.	श्री रामअवतारसिंह	बोलान, बडियाखुर्द, ऐचेड़ी
2.	श्री हजारी लाल जैन	गुठा कटला, चांदेरा, मूही
3.	श्री शिशुपालसिंह	गुढलिया, भावला-भावली, गामरवाडा गुजरान
4.	श्री घनश्याम गुप्ता	अरनिया, देलाडी, कोल्वा, धनावड़
5.	श्री रामगोपाल गुप्ता	पीचूपाडा कलां, पीचूपाडा खुर्द, आमानेरी, प्रतापपुरा
6.	श्री मंगलराम सैनी	मंदेरा, अनबडागांव, अनन्तपाडा, भादेड़ा
7.	श्री घनश्याम शर्मा	जागीर बांदीकुई, पंडितपुरा, स्यालावास खुर्द, स्याला-वासकलां
8.	श्री नारायण लाल वर्मा	निवाई, नांगल झामरवाडा, गुढाशिवपुरा
9.	श्री घनश्याम शर्मा	निहालपुरा, ढिगारिया, भीम, गोलाड़ा
10.	श्री रामेश्वर लाल वैरवा	हीगोटा, बालाहेड़ा, मउ खुर्द
11.	श्री सुरेशचन्द्र शर्मा	लोटवाड़ा, बैजूपाडा, मंदरपाडा
12.	श्री नन्दकिशोर शर्मा	बड़ियाल कलां, रलावता, मुंडियरवा
13.	श्री त्रिलोकचन्द जैन	झाझी रामपुरा, करनावट, गुल्लाना

पंचायत समिति, सांगानेर

1.	श्री गोपाल नरूका	योपुर, जगतपुरा
2.	श्री रामगोपाल गुप्ता	गोनेर, दांतली
3.	श्री रामनिवास पारीक	बीलवा, विधानी
4.	श्री जगदीश प्रसाद गौड़	वाटिका, मोहनपुरा

(140)

1	2	3
	पंचायत समिति, सांगानेर (क्रमश:)	
5.	श्री छीतर मल शर्मा	दादियां, शिकारपुरा
6.	श्री रामसहाय शर्मा	लाखना, कपूरावाला, पंवालिया
7.	श्री हनुमान सहाय झालानी	नेवटा, मुहाना, तलवाड़ा, अजयराजपुरा
8.	श्री छीतरसिंह	अजयराजपुरा, रामपुरापुरी, अवारिणयां
9.	श्री भगवान सहाय अवस्थी	ठीकरिया, भमोरिया, देहनीकलां
10.	श्री मोटाराम	महापुरा, कल्याणपुरा
11.	श्री मदनलाल कुमावत	भाकरोट, जयसिंहपुरा, मांभ्यावास
12.	श्री शिवलाल सिंह ग्रा. से.	जहयपुरा, लेणियावास
	पंचायत समिति, लालसोट	
1.	श्री बृजवल्लभ शर्मा	मण्डावरी, खेडला, किशोरपुरा
2.	श्री शम्भूदयाल शर्मा	सूरतपुरा, टोडाठेकला, राजोली
3.	श्री दामोदर प्रसाद पारीक	बगडी, कोकरिया, मर्हमिया
4.	श्री जयशिवाराम मीणा	बिलोनाकलां, लालपुरा, मिर्जापुरा
5.	श्री कैलाश नारायण गुप्ता	देवली, खटवा, धांवसेन
6.	श्री बाबूलाल जाट	शिवसिंहपुरा, तालावगांव, श्रीमा
7.	श्री राधे श्याम शर्मा,	दौलतपुरा, झांवदा, होदायली
8.	श्री बृज विहारी ग्रामसेवक	सवासा, घोडिया का वास, श्यामपुरा
9.	श्री रामस्वरूप मीणा	सौमठ, बिदरावा, हेमल्यावास
10.	श्री सत्य प्रकाश गौतम	रामगढ दलवारा, बील्या, गोंगल्यावास
11.	श्री रामदेवसिंह जाट	डिडवाना, नोईमरा, उमरावाद
12.	श्री पदमचन्द जैन	कल्लावास, कालूवास, विजम्मापुरा
13.	श्री कल्याण चन्द्र शर्मा	डूंगरपुर, सलेमपुरा, राहूवास
14.	श्री बद्री नारायण शर्मा	डोब, खटूमर, पालन्दा
	पंचायत समिति, जमवारामगढ	
1.	श्री रामकुंवर	धूलाराव जी, धांवदिया, धर्मपुरा
2.	श्री श्रीवत्स शर्मा	जमवारामगढ, मारेडकलां
3.	श्री सागरदान सिंह	गढवाडी, बोवाडी, धोला
4.	श्री बृजमोहन शर्मा	भावनी, सामकोटडा, रायपुर
5.	श्री रामजीलाल मीणा	खरखडा, रूपा रानी जी, धोलाई
6.	श्री उदयनारायण शर्मा	रूपवास, राहोरी, पापड़, लांगडियावास
7.	श्री राधेश्याम शर्मा	रायसर, महंगी, वहलोड़
8.	श्री नाथलाल शर्मा	नेयर, लालवास
9.	श्री पथ्वीसिंह	टोडामीना, वासना, विलोद, मायासूला
10.	श्री दिनेश शर्मा	आंधी, चिरासना, धली
	स्थान रिक्त अतिरिक्त चार्ज	पटोलाव, डगरवाडा, नीमला
11.	श्री अब्दुल खां	मानपुर कलां, इन्द्रगढ, सायपुरा
12.	श्री सत्य नारायण शर्मा	नायला, मानोता, बज
13.	स्थान रिक्त	लाला, राजपुर बासताला, जयचन्दपुरा, मटाटा

परिशिष्ट-3

अतारांकित प्रश्न संख्या 41 की सूचना

सूची 'म'

सूची तस्करीयान जो भारत-पाक बोर्डर पर तस्करी में वर्ष 1980 में लिप्त पाये गये
जिला, बाड़मेर

क्र. सं. 1	थाना जिसने माल पकड़ा 2	नाम वल्दियत तथा सकूनत तस्कर जो पकड़ा गया 3
1.	चौहटन	श्री सजर मुसलमान सा. गुमाने का तला
2.	सेड़वा	श्री कलीम पुत्र उस्मान मूला मुस. सा. बीसासर
3.	बाखासर	श्री उदा पुत्र बच्चा सा. पाक
4.	शिव	1. श्री केदार पुत्र भंवर अग्रवाल सा. गंगा 2. श्री वच्च पुत्र तुलसीदान 3. मेहर सिंह ड्राईवर—बाड़मेर 4. केवलाराम खलासी—बाड़मेर
5.	शिव	श्री साले पुत्र सुल्तान मुस. नामदड़ा
6.	मण्डली	1. पोकर पुत्र सुखा विश्नोई गोदावास 2. भागीरथ पुत्र पोखर
7.	चौहटन	1. श्री जफर पुत्र गन्डा मुसलमान विजराड 2. श्री इब्राहीम पुत्र सहन मुसलमान विजराड 3. श्री जुसफ पुत्र हाजी अलान विजराड
8.	चौहटन	श्री होसीया पुत्र हाजरी मुसलमान कोनरा
9.	चौहटन	1. भाईखान पुत्र रहमत अल्ला मुसलमान जाडिला 2. अलाई पुत्र सहन मुसलमान जाडिला 3. सवलसिंह पुत्र भभूतसिंह राजपूत जाडिला 4. भीकम सिंह पुत्र राण सिंह राजपूत जाडिला
10.	बाखासर	श्री सगराम पुत्र रावता राजपूत-पाक
11.	बिजराड़	श्री लाला पुत्र समार गफन मुसलमान रमजानकी
12.	रामसर	श्री चेतनराम पुत्र कुनड़ा

Page No. 142

(142)

1	2	3
13.	रामसर	श्री बिसल पुत्र चनल करीमेन का पार
14.	रामसर	श्री पांदी पुत्र साकर जाने की बेरी
15.	रामसर	श्री अली पुत्र सुमार जाने की बेरी
16.	रामसर	श्री मेहराब मेघवाल तामीलीयार
17.	रामसर	श्री कबल पुत्र अली मुसलमान पीरे का पार
18.	गडरा रोड	श्री अयाज पुत्र भूरान मुसलमान खडीन
19.	गडरा रोड	1. शफी पुत्र समद मुसलमान खडीन
20.	बाड़मेर	1. श्री मांगीलाल पुत्र गनेश मल जैन-बाड़मेर। 2. श्री तुलछाराम पुत्र भैराराम सुनार हुसरोल
21.	समदड़ी	श्री भूरा पुत्र धन्ना जाट धने की ढाणी
22.	सिवाना	श्री पूरा पुत्र ताराचन्द ओसवाल
23.	चौहटन	श्री खान पुत्र फजल मुसलमान कोनरा
24.	सेडवा	श्री सोकले पुत्र सतार मुसलमान डेवा
25.	बिजराड़	श्री हेमसिंह पुत्र सांवलसिंह राजपूत सुदाबेरी
26.	रामसर	श्री बाबूलाल पुत्र राजमल महाजन, गागरिया
27.	गडरा रोड	श्री नखतसिंह पुत्र उम्मेद सिंह, जैसलमेर
28.	बाड़मेर	श्री केशरीचन्द पुत्र देवीचन्द, बाड़मेर
29.	गिराब	श्री गैनसिंह पुत्र रिडमल राजपूत, सुन्दरा
30.	धोरीमन्ना	1. श्री सुच पुत्र खमीसा मेरासी 2. श्री भीखा पुत्र काला 3. माजिया पुत्र आद
31.	चौहटन	श्री केवलचन्द पुत्र हेमराज महाजन, चौहटन
32.	रामसर	श्रीमती जानकी पत्नी मालचन्द, खेसिन्दर

1	2	3
33.	बाड़मेर	श्री सवाई पुत्र राना, चौहटन
34.	शिव	श्री जगमालसिंह पुत्र करणसिंह, बाड़मेर
35.	चौहटन	श्री खानसिंह पुत्र पदमसिंह सोढ़ा रतनपुरा
36.	खेडवा	1. श्री रहमान पुत्र पीरू मुसलमान, बीलडासर 2. श्री नबीया पुत्र पीरू मुसलमान, बीलडासर 3. श्री पीरू पुत्र पीरू मुसलमान, बीलडासर
37.	बाड़मेर	श्री कन्हैयालाल पुत्र डोली
38.	बाड़मेर	श्री चैनाराम पुत्र तगा सा0 भरत
39.	गिराज	श्री सुनार मुसलमान, तामलीयार
40.	गडरा रोड	श्री भरतकुमार पुत्र मूलचन्द सोनी, बाड़मेर
41.	रामसर	श्रीमती जानकी पत्नी मूलचन्द, बेसिन्धुर
42.	बाड़मेर	श्री सवाई पुत्र सरूपा, कापराऊ
43.	बाड़मेर	श्री डूंगरचन्द पुत्र रणछोड़दास, जैसलमेर
44.	बाड़मेर	श्री भगवान दास पुत्र मूलचन्द, बाड़मेर
45.	शिव	श्री भुवन पानु मुसलमान, कोटड़ा
46.	शिव	श्री मारू पुत्र कमल मुसलमान, कोटड़ा
47.	बाड़मेर	श्री वीरसिंह पुत्र जैतपालसिंह, शिवकर
48.	बाड़मेर	श्री पीरू पुत्र हाजी सत्तार मुसलमान, सजनकापार श्री देवाराम पुत्र सगराराम सोनी
49.	बाड़मेर	श्री देवाराम पुत्र वरसिगा सा. खारा
50.	बाड़मेर	श्री हिन्दूसिंह
51.	समदड़ी	1. श्री लालाराम पुत्र वस्तीराम ओसवाल, ओसतरा 2. श्री गिरधारी पुत्र चौथमल

1	2	3
52.	मण्डली	श्री जोधाराम पुत्र भोमाराम विश्नोई, गोदावास
53.	चोहटन	श्री पुरखाराम विश्नोई, चौहटन
54.	बाखासर	श्री लतीफ पुत्र अब्दुल मुसलमान, जानपालिया
55.	बालोतरा	श्री भोमाराम पुत्र पोसाराम विश्नोई, डोली
56.	सेडवा	विरधाराम पुत्र कालूराम विश्नोई, सर्दराम की बेरी
57.	बाखासर	श्री सवा पुत्र मीरा मेघवाल, केरीया
58.	बाखासर	श्री निनूदा पुत्र उम्मेदा मुसलमान, पनुरीया
59.	बाड़मेर	श्री सदीक, मुसलमान
60.	समदड़ी	श्री हूरपाल पुत्र शेरा विश्नोई, लूनी
61.	चौहटन	श्री भंवरा वजीर, कापराऊ
62.	बिबराड	श्री सेनाराम पुत्र ओकारा, भीलघानिया
63.	बिबराड	श्री अकबर हमेन्द्रा मुसलमान, मीठेकातला
64.	रामसर	श्री भाखा पुत्र साकर मेघवाल, कुराली
65.	धोरीमन्ना	श्री विरदीचन्द पुत्र वावनदास, बाड़मेर
66.	धोरीमन्ना	श्री अकबर पुत्र सनेसर मुसलमान, बानपालिया
67.	बाखासर	श्री अचलसिंह पुत्र राम सिंह राजपूत, लानदानी
68.	समदड़ी	श्री गिरधारी पुत्र कमल सुनार, असोतरा
69.	सेडवा	श्री मूला वजीर, कापराउ
70.	बिचराड	श्री लालसिंह पुत्र पीरदानसिंह, मीठेकातला
71.	बाड़मेर	श्री चेतन पुत्र वैद्य व्यास माहेश्वरी, थराव
72.	धोरीमन्ना	श्री देवीसिंह पुत्र भूरसिंह राजपूत, कालूड़ी

सूची तस्करीयान जो भारत–पाक बोर्डर पर तस्करी में वर्ष 1980 में लिप्त पाये गये जिला–जैसलमेर

क्र. सं.	थाना जिसमें माल पकड़ा	नाम, वल्दियत सकूनत तस्कर जो पकड़ा गया
1	2	3
1.	जैसलमेर	जुम्मा पुत्र जमाल, नि. जैसलमेर
2.	"	रहीम पुत्र दीन, नि. जैसलमेर
3.	"	हाकिम पुत्र पाबू खां, नि. जैसलमेर
4.	"	दुर्गसिंह पुत्र परवतसिंह, सा. साखंडा
5.	"	तिम्वाराम पुत्र रानाराम, सा. भांसड़ा
6.	बिजियाली	मोरा पुत्र महेन्द्रा, सा. नागरवा
7.	"	हाकिम पुत्र इब्राहिम, बम्वारा
8.	पोकरन	तनेसरसिंह पुत्र भंवरसिंह, सा. पीथाला
9.	"	वगसिंह पुत्र माघ सिंह, सा. पीथाला
10.	"	अब्दुल, सा. पिथालान
11.	सम	बृजपाल पुत्र मूलराम, सा. जैसलमेर
12.	"	गिरधारीलाल पुत्र जीवनलाल; सा. जैसलमेर
13.	"	मियादाद पुत्र खान, पाकिस्तानी
14.	"	शोभा पुत्र मेरा भील, सा. सम
15.	जैसलमेर	तालब पुत्र सज्जन, सा. छतराल
16.	"	इमामुदीन पुत्र खातन, सा. छतराल
17.	रामगढ़	उमर पुत्र अलीफ, सा. बरिया
18.	"	खालू पुत्र मोहम्मदसर. सा. खूरयाल
19.	"	मोलाबक्स पुत्र केसर, पाक
20.	"	कल्लन पुत्र जीया, ,पाक
21.	"	अलीयाना पुत्र मलकू, सा. जवारा
22.	"	बून्दा पुत्र दालामहर, सइयाला
23.	"	इब्राहीम पुत्र भेरू, सा. कोला
24.	सम	दादू पुत्र फोरो, सा. अच्छेमीया कातला
25.	"	अलयाना पुत्र लोनासा, पाकसियों का तला
26.	जिनजिनियाली	होना खां पुत्र बीणा, सोयन
27.	"	सतराम पुत्र मोहनलाल महाजन खां, बंधाडा
28.	"	सत्यनारायण पुत्र मोहनलाल महाजन, बघाडा
29.	सम	सुल्तान पुत्र रमजान, सा. मूंदड़ी
30.	"	गुलाब पुत्र दिलावर खां, सा. मूंदड़ी
31.	"	सत्तार पुत्र लुसमान, सा. मूंदड़ी
32.	"	दिलावर पुत्र सुमाया, सा. मूंदड़ी
33.	"	रामजीलाल मूंवा, सा. मूंदड़ी
34.	"	मदारी पुत्र सबरून, सा. मूंदड़ी
35.	"	उमर पुत्र सद्दन, सा. मूंदड़ी
36.	"	नागर पुत्र कहार, सा. मूंदड़ी
37.	"	जोवोरे पुत्र शाहबुदीन, सा. मूंदड़ी
38.	"	दिलमुराद पुत्र मेहताब, पाक
39.	"	मगन पुत्र अरब, बम्वारा
40.	रामगढ़	जग्गी पुत्र राजू मोहम्मद, पाक
41.	"	जीवन, पाकिस्तानी
42.	"	बरिया पुत्र मूंजा भील, सा. बामडा

(146)

1	2	3
43.	रामगढ़	सुमल पुत्र नवाब, सा. खारवाला
44.	मोहनगढ़	लतीफ पुत्र कादर, पाकिस्तानी
45.	मोहनगढ़	हकीम पुत्र लालमहर, पाकिस्तानी
46.	मोहनगढ़	जग्गी पुत्र खुदुसा, कामर
47.	मोहनगढ़	सोधा पुत्र भीखमोहम्मद बदोरा, गांव कातला

सूची "ब"

नक्शा अपराध पंजीबद्ध एवं अपराधियान जो गिरफ्तार हुए, अन्तर्गत विदेशी अधिनियम परिपत्र अधिनियम—

क्र. सं.	वर्ष	नाम थाना	विदेशी अधिनियम	पारपत्र अधिनियम
		जिला—बाड़मेर		
1.	1980	शिव	2	4
2.	"	बाड़मेर	6	1
3.	"	गिराबव	3	..
4.	"	धोरीमन्ना	2	..
5.	"	चौहटन	1	..
6.	"	सडवा	5	7
7.	"	बाखासर	2	3
8.	"	बीजवाड	5	19
9.	"	रामसर	2	4
10.	"	गडरारोड	8	6
		योग ..	36	44
		जिला जैसलमेर		
1.	1980	रामगढ़	14	9
2.	"	जैसलमेर	8	5
3.	"	सम	2	4
4.	"	मोहनगढ़	6	5
5.	"	सांगड	..	..
6.	"	झिनझिनयाली	..	2
7.	"	नोख	..	1
8.	"	पोकरन	..	..
9.	"	फलसूंड	..	..
10.	"	सांखडा	..	..
11.	"	नाचना	3	1
		योग ..	33	27

परिशिष्ट 4

अतारांकित प्रश्न संख्या 42 की तालिका

क्र. सं.	नाम जिला	माह जुलाई, 1981 में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या	माह अगस्त, 81 में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या
1.	अजमेर	6	4
2.	जयपुर	24	17
3.	अलवर	2	3
4.	भरतपुर	2	5
5.	सवाई माधोपुर	3	2
6.	टोंक	—	—
7.	बून्दी	1	—
8.	कोटा	2	5
9.	झालावाड़	1	1
10.	जोधपुर	7	7
11.	जालौर	1	—
12.	नागौर	3	1
13.	पाली	5	2
14.	बाड़मेर	8	1
15.	जैसलमेर	—	—
16.	सिरोही	1	2
17.	बीकानेर	1	2
18.	गंगानगर	12	4
19.	सीकर	1	—
20.	झुंझनूं	1	1
21.	चूरू	4	1
22.	उदयपुर	2	6
23.	भीलवाड़ा	5	3
24.	बांसवाड़ा	1	1
25.	डूंगरपुर	1	1
26.	चित्तौड़गढ़	4	6
	योग :	98	75

परिशिष्ट-5

अतारांकित प्रश्न संख्या 49 की सूची-

पंचायत समिति इटावा की विभिन्न ग्राम सेवा सह. समितियों में गबन सम्बधी सूचना

क्रम संख्या	नाम समिति जिनमें गबन एवं दुरुपयोग के मामले दर्ज हुए हैं।	दोषी व्यक्तियों का नाम	रकम जिसके लिए दोषी है।	अधिनियमान्तर्गत कार्य. जो की गई / की जा रही है।
1	2	3	4	5
1.	बोरदा ग्राम से. स. स.लि.	श्री शंभू लाल, भू. पू. व्यवस्थापक	10859–91	धारा 118 की कार्यवाही की जा रही है।
		श्री फकीरचन्द, इन्सपै.	650–00	
		श्री तसमुद्दीन भू. पू. व्यवस्थापक	375–00	
		श्री प्रभु लाल, भू. पू. मंत्री	1716–00	
		श्री हंसराज, भू. पू. अध्यक्ष	970–00	
		श्री विजय कुमार, भू. पू. मंत्री एवं शंभू लाल, भू. पू. व्यवस्थापक	2040–00	
			16520–91	
2.	लुआवद "	श्री गफूर मोहम्मद व श्री मांगी लाल, भू. पू. व्यवस्थापक	3712–36	विचाराधीन है।
		श्री बृजमोहन, मंत्री	7412–86	
			11125–22	
3.	विनायका	श्री धन्ना लाल सोनी, व्यवस्थापक	1040–00 2500–00	धारा 116 की कार्यवाही जारी है।
4.	सुमेरगंज मण्डी क्रयविक्रय सं. स. लि.	श्री हामशुद्दीन अजार	1104–84	" "
		श्री ऊमर खां	443–12	" "
5.	करवाड ग्राम से. स. स. लि.	श्री शमसुद्दीन, अध्यक्ष	6484–00	"
		श्री बशीर खां	238–00 एवं ब्याज	"

1	2	3	4	5
6.	बम्बूलिया	श्री धन्नालाल सोनी, भू. पू. व्यवस्थापक	1222–40 एवं ब्याज	
7.	पीपल्दा खुर्द	श्री मोहन लाल मित्तल	1000–00	
		श्री मेहलाल, भू. पू. व्यवस्थापक	173–30	
		श्री भंवर लाल पूर्कि	220–00	
		श्री दुर्गाशंकर, व्यवस्थापक	220–00	
8.	बोरदा	श्री प्रभूलाल, भू. पू. अध्यक्ष	8050–00	
9.	बम्बूलिया	श्री धन्नालाल सोनी	1765–00	
10.	अयाना	श्री मोहन लाल पुत्र श्रीराम-प्रताप	2616–25	
11.	धाकडखडी	श्री राम स्वरुप पारीक	26–30	
		श्री बृजमोहन, भू. पू. व्यवस्थापक	500–00	
12.	करवाड ग्राम से स. स. लि.	श्री नवशोर खां, भू. पू.	500–00	धारा 118 की कार्यवाही जारी है।
		श्री जयदेव, कशक	21–00	
		श्री लुकमान हकीम	18–00	
13.	लम्रावद	श्री छीतर बेग एवं धर्मकुमार	79449–55	विचाराधीन है।
14.	विजयपुरा	श्री बद्री लाल, मंत्री एवं धकोया मोहम्मद, व्यवस्थापक	18176–00	
15.	करवाड	श्री लुकमान हकीम, भू. पू. व्यवस्थापक	6112–00	धारा 118 की कार्यवाही जारी है।
16.	पीपल्दा खुर्द	श्री दुर्गाशंकर सोनी, व्यवस्थापक	71288–23	विचाराधीन है।
17.	अयानी	श्री नन्दलाल, अध्यक्ष	3243–15	धारा 118 की कार्यवाही जारी है।
18.	विनायका	श्री शंभू लाल गप्ता	40846–80	विचाराधीन है।

क्रमांक	नाम समिति	दोषी व्यक्तियों के नाम	रकम जिसके लिये दोषी है।	अधिनियमान्तर्गत कार्यवाही जो की गई /की जा रही है
1	2	3	4	5
1.	करजोदा	1. रामचन्द्र, भू. पू. अध्यक्ष 2. हजारी लाल मंत्री	45417.00	विचाराधीन

1	2	3	4	5
1.	करजोदा (क्रमशः)	3. गंगाधर, कोषाध्यक्ष 4. मांगीलाल, व्यवस्थापक 5. रामरतन, अध्यक्ष 6. मूलचन्द, व्यवस्थापक 7. लक्ष्मीनारायण, ऋण निरीक्षक 8. रामेश्वर दयाल		
2.	तलाब ग्राम सेवा सहकारी समिति	1. केशरीलाल, अध्यक्ष 2. प्रेम शंकर, मंत्री 3. प्रभूलाल 4. वृजमोहन 5. रामदयाल 6. ओम प्रकाश 7. बजरंग लाल, कोषाध्यक्ष 8. सीताराम, कोषाध्यक्ष 9. मुकुट विहारी 10. प्रभूलाल	335419.53	118 की कार्यवाही चल रही है।
3.	मोहनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति	1. प्रेमचन्द	4452.00	118 सी की कार्यवाही चल रही है।
4.	पीपल्दा	1. बजरंगलाल 2. किशनलाल	1238.00	"
5.	खातोली	1 कालूलाल	2764.00	"
6.	रजोपा	1. उमर खां	13405.00	"
7.	बोरदा	1. शम्भूदयाल	9388.00	"
8.	बम्बूलिया	1. खेमराज	2117.07	"
9.	नवलपुरा	1. मूलीलाल 2. बद्री लाल 3. मोरपाल 4. रमेश चन्द	7285.61	118 सी की कार्यवाही चल रही है।
10.	पयाना	1. किशनलाल 2. कन्हैयालाल 3. हीरालाल 4. हेमराज 5. गफ्फूरखां	8732.61	"

1	2	3	4	5
11.	रजोपा	1. प्रभूलाल	16687.87	विचाराधीन
		2. नवरतन	494.94	
		3. पन्नालाल	18581.25	
		4. लुकमान	34490.09	
		5. ऊमर खां	30503.89	
			100761.04	
12.	विजयपुरा	1. अर्जुनसिंह	23155.00	विचाराधीन
		2. श्रीराम योगी		
13.	वावई	1. वालकिशन	5528.00	विचाराधीन
14.	बब्बूलिया	1. शम्भूसिह	30996.00	,,
15.	धाकड़खेड़ी	1. वृजमोहन	10600.00	118 सी की कार्यवाही चल रही है।
		2. जोरावरसिंह		
		3. महावीर सिंह		
		4. मोहन लाल		
16.	भयानी	1. रामगोपाल	9170.00	118 सी की कार्यवाही चल रही है।
		2. चर्तुभुज		
17.	सुमेरगंज मंडी मार्केटिंग	1. नेमीचन्द	8558.00	,,
18.	सुमेरगंज मंडी मार्केटिंग	1. बद्री प्रसाद	10861.02	,,
		2. गोवर्धन		
		3. प्रहलाद शर्मा		
19.	मखलपुरा जी. एस. एस.	1. सोंजीराम	1809.58	,,
		2. मोरपाल		
		3. रमेशचन्द्र		
		4. बद्रीलाल		
		5. रामेश्वर		
20.	गैंता जी. एस. एस.	1. रामेश्वर	128897.55	,,
		2. विमल कुमार		
		3. भोपाल सिंह		

(152)

1	2	3	4	5
21.	करवाड़, जी. एस. एस.	1. प्रवन्धकारिणी एवं व्यवस्थापक	34805.06	विचाराधीन
22.	वावई, जी. एस. एस.	1. रामस्वरूप	2572.08	"
23.	ककरावदा	1. मांगीलाल, मंत्री	36931.71	"
24.	विनायका	1. सुखपाल	400.00	"
25.	बिनायका	1. सुखपाल	6528.00	"
26.	विनायका	1. धन्नालाल	2000.00	"
27.	ढोपरी	1. रामनारायण	6791.50	"
28.	बांगली	1. हरीसिंह	5735.00	"
29.	वांगली	1. गोवरीलाल	2112.00	"
30.	वांगली	1. बृजमोहन	1846.00	"
31.	करजोदा	1. भैरूलाल	4916.97	"
32.	करजोदा	1. रामरतन	23900.00	"
33.	गेंता	1. लक्ष्मीचन्द	4268.23	"
34.	गेंता	1. ग्यारसी लाल	1100.00	"
35.	गेंता	1. विहारीलाल	1265.05	"
36.	करवाड़	1. लुकमान	15306.19	"
37.	करवाड़	1. शमशुद्दीन	4130.00	"
38.	करवाड़	1. लुकमान	5176.00	"
39.	ढोपरी	1. वाबूलाल	19617.04	"
40.	ढोपरी	1. मोड़लाल	2793.35	"
41.	ढोपरी	1. किशनलाल	43.25	"

स्पेशल आडिटर, कोटा

क्रमांक 1	नाम समिति 2	निर्णय की राशि 3
1.	बिनायका, जी. एस. एस.	3540.00
2.	सुमेरगंज मंडी, मार्केटिंग	1547.96
3.	करवाड़, जी. एस. एस.	6722.00
4.	बम्बूलिया	1222.40
5.	बोरदा	8500.00
6.	पीपल्दा खुर्द	1610.30
7.	बम्बूलिया	1765.00
8.	मियाणा	2616.25
9.	धाकड़ खेड़ी	526.30
10.	करवाड़	539.00

1	2	3
11.	कुरवाड़	6112.00
12.	भयानी	3243.15
13.	बोरदा	16520.91
	योग:-	54015.27

सहायक रजिस्ट्रार, कोटा

14.	तलाव	335419.53
15.	मोहनपुरा	4452.00
16.	पीपल्दा	1238.00
17.	खातोली	2764.00
18.	रजोपा	13405.00
19.	बोरदा	9388.00
20.	बम्बूलिया	2170.07
21.	नवलपुरा	7285.61
22.	भयाना	8732.61
23.	विजयपुरा	23155.00
24.	वावई	5528.00
25.	बम्बूलिया	30996.00
26.	धाकड़खेड़ी	10600.00
27.	भयानी	9170.00
28.	सुमेरगं जमंडी	8558.00
29.	सुमेरगंज मंडी मार्केटिंग	10861.02
30.	नवलपुरा	1809.58
31.	गेंता	128897.55
32.	विनायका	400.00
33.	ढोवरी	43.25
	योग:-	614923.22
	कुल योग:-	668938.49

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 54 की सूची)

जुलाई, 1981 एवं अगस्त, 1981 में आन्त्रशोथ से मरने वालों की जिलेवार संख्या की सूची:—

क्र. संख्या	जिले का नाम	जुलाई, 1981	अगस्त, 1981
1.	अजमेर	—	—
2.	अलवर	2	5
3.	बांसवाड़ा	8	5
4.	बाड़मेर	—	—
5.	भरतपुर	—	—
6.	भीलवाड़ा	—	—
7.	बीकानेर	3	3
8.	बून्दी	—	—
9.	चितौड़गढ़	—	7
10.	चूरू	—	—
11.	डूंगरपुर	3	25
12.	गंगानगर	—	—
13.	जयपुर	4	7
14.	जोधपुर	—	—
15.	जैसलमेर	—	2
16.	जालौर	—	1
17.	झालावाड़	—	—
18.	झुन्झुनू	—	—
19.	कोटा	3	1
20.	नागौर	—	4
21.	पाली	—	—
22.	सवाई माधोपुर	9	3
23.	सीकर	7	6
24.	सिरोही	—	—
25.	टोंक	—	—
26.	उदयपुर	—	20
	कुल योग ..	39	89

परिशिष्ट 7

प्रतारांकित प्रश्न संख्या 58 का प्रपत्र

लेखा मद	मूल स्वीकृत प्रावधान, 80-81	अंतिम स्वीकृत अनुदान, 80-81	वास्तविक व्यय	प्रतिरेक/बचत	बचत का कारण
1	2	3	4	5	6
280—चिकित्सा ख—अन्य चिकित्सा प्रणालियां क—आयुर्वेदिक					
आयोजना भिन्न मद लघु शीर्षक					
I. निर्देशन एवं प्रशासन (i) आयुर्वेद संचालक कार्यालय	2462000.00	2738000.00	3107587.00	(+) 369587.00	—
II. चिकित्सा सहायता (i) चिकित्सालय एवं औषधालय	44162000.00	46534000.00	47832504.00	(+) 1298504.00	—
(ii) भ्रमणशील औषधालय	131000.00	143000.00	137947.00	(−) 6053.00	पद रिक्त रहने के कारण
(iii) निदेशक आयुर्वेद द्वारा सहायतार्थ अनुदान	1550000.00	1798000.00	1797467.00	(−) 533.00	—
(iv) प्रशिक्षण—(i) राजस्थान से बाहर	1000.00	..	..	..	—
(ii) राजस्थान में प्रशिक्षण	65000.00	65000.00	57372.00	(−) 7628.00	कुछ प्रशिक्षणार्थियों का भुगतान समय पर नहीं होने से ।

1	2	3	4	5	6
(iii) अनुसंधान (रसायन शालायें)	6524000.00	5035000.00	5011000.00	(−) 24000.00	व्यापारियों द्वारा औषध सप्लाई समय पर नहीं करने तथा अल्पकालीन निविदा निरस्त करने से।
(ख)—परिगणित क्षेत्र उप परियोजना					
(i) निर्देशन एवं प्रशासन	77000.00	90000.00	95563.00	(+) 5563.00	..
(ii) चिकित्सालय एवं औषधालय	859000.00	733000.00	736284.00	(+) 3284.00	..
(ग)—होम्योपैथिक					
(i) चिकित्सा एवं औषधालय	901000.00	889000.00	852785.00	(−) 36215.00	पद रिक्त रहने के कारण
(घ)—यूनानी					
चिकित्सालय एवं औषधालय	1197000.00	1203000.00	1220000.00	(+) 17000.00	..
(ङ)—प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र	142000.00	149000.00	153981.00	(+) 4981.00	..
308—सिंचाई क्षेत्र का विकास	798000.00	750000.00	729546.00	(−) 20454.00	पद रिक्त रहने के कारण।
आयोजना मद लघु शीर्षक					
I. निर्देशन एवं प्रशासन	205000.00	266000.00	257691.00	(−) 8309.00	पद रिक्त रहने के कारण।
II. चिकित्सा सहायता					
(i) चिकित्सालय एवं औषधालय	2407000.00	2276000.00	1934716.00	(−) 341284.00	पद रिक्त रहने के कारण।
(ii) भ्रमणशील औषधालय	95000.00	79000.00	70717.00	(−) 8283.00	पद रिक्त रहने के कारण।

(IV) प्रशिक्षण					
(iii) धात्री-कल्पद प्रशिक्षण केन्द्र	266000.00	258000.00	268699.00	(+) 10699.00	—
(v) अनुसंधान					
(ii) आयुर्वेदिक रसायन शालायें	268000.00	274000.00	281000.00	(+) 7000.00	—
(iii) अजमेर में जड़ी फार्म एवं प्रयोगशाला सहित रसायन शालाओं का विकास	1000.00	83000.00	73090.00	(-) 10910.00	पद रिक्तता एवं आदेशित माल समय पर सप्लाई नहीं होने से बचत संभावित ।
ख–परिगणित क्षेत्र उप परियोजना					
(i) चिकित्सा सहायता					
(ii) चिकित्सालय एवं औषधालय	425000.00	468000.00	452452.00	(-) 5548.00	"
केन्द्रीय प्रवर्तित योजना (विशेष केन्द्रीय सहायता)	50000.00	50000.00	46696.00	(-) 3304.00	शिविरों के आयोजन पर अनुमान से कम व्यय ।
308–क्षेत्र का विकास, क–सिंचाई क्षेत्र का विकास, (i) राजस्थान नहर क्षेत्र का विकास, 7. निदेशक, आयुर्वेद विभाग के अभिकरण से	105000.00	130000.00	113484.00	(-) 16516.00	पद रिक्तता एवं आदेशित माल समय पर सप्लाई नहीं होने से।

अतः कुल अन्तर (+) 1227581.00 रु. का रहा।